अष्टम माला, खंड 39, अंक 49

सोमवार, 9 मई, 1988
19 वैशाख 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

ARY
60
17 | 11 | 88

(खंड 39 में अंक 41 से 53 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 9 मई, 1988/19 वैशाख, 1910 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	विवरण
1	6	"प्रश्नों मौखिक उत्तर" के स्थान पर "प्रश्नों के मौखिक उत्तर" पढ़िये ।
25	18	"मचली" के स्थान पर "मछली" पढ़िये ।
40	1	"विभाग राज्य मंत्री" के स्थान पर "विभाग में राज्य मंत्री" पढ़िये ।
53	19	"निगत" के स्थान पर "निगम" पढ़िये ।
58	1	"जगता" के स्थान पर "जनता" पढ़िये ।
58	19	"डाइम-डी" के स्थान पर "टाइम-डी" पढ़िये ।
62	नीचे से 12	पंक्ति के आरंभ में प्रश्न संख्या "10099" जोड़िये ।
73	नीचे से 9	"वितरण" के स्थान पर "विवरण" पढ़िये ।
75	8	"रियोल्यूशन" के स्थान पर "रिवोल्यूशन" पढ़िये ।
85	12	सरकार से पहले "(क) से (ग)" जोड़िये ।
88	4	प्रश्न संख्या "10136" पढ़िये ।
101	नीचे 9 से 10	"कृषि मंत्री और" के स्थान पर "कृषि और" पढ़िये।
119	नीचे से 12	"18165" के स्थान पर "10165" पढ़िये ।
130	2	"10179" के स्थान पर "10178" पढ़िये ।

पृष्ठ	पंक्ति	विवरण
135	नीचे से 8	"विवश" के स्थान पर "विविश" पढ़िये ।
136	नीचे से 15	"जिए" के स्थान पर "लिए" पढ़िये ।
140	5	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
153	12	"(क) से (ग)" के स्थान पर "(क) और (ग) पढ़िये ।
167	नीचे से 10	"(ङ.)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।
167	नीचे से 7	"0237" के स्थान पर "10237" पढ़िये ।
169	12	"जो हाँ" से पहले "(ख)" पढ़िये ।
177	नीचे से 6	"बाला साहिब" के स्थान पर "बालासाहिब" पढ़िये ।
187	3	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
187	नीचे से 9	"(ङ.)" के स्थान पर "(च)" पढ़िये ।
191	नीचे से 5	"जानकारी" से पहले "(क)" पढ़िये ।
191	नीचे से 2	"(अ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
206	15	"प्रस्तक" के स्थान पर "पुस्तक" पढ़िये ।
210	5	"निरभाव" के स्थान पर "निरस" पढ़िये ।
210	7	"लेगी" के स्थान पर "लेगा" पढ़िये ।
265	21	"महन" के स्थान पर "मोहन" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 39, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 49, सोमवार, 9 मई, 1988/19 वैशाख, 1910 (शक) पृष्ठ संख्या

विषय

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या : 1001, 1004, 1007 से 1009, 1011, 1014 और 1015 ... 1-21

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या : 1000, 1002, 1003, 1005, 1006, 1010, 1012, 1013 और 1016 से 1020 ... 21-34

अतारांकित प्रश्न संख्या : 10057 से 10091, 10093 से 10175, 10177 से 10280, 10282 से 10289 और 10289 क ... 34-202

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... 202-205

अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए "प्रभारित व्यय" करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि में से 1.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि निकालने के बारे में वक्तव्य

श्री के. नटवर सिंह ... 205

नियम 377 के अधीन मामले ... 206-210

(एक) फारबिसगंज के निकट कोसी नदी पर एक पुल का निर्माण करना

डा. गौरी शंकर राजहंस ... 206-207

(दो) दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को लागू करना

श्री विजय एन. पाटिल ... 207

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(तीन) सिंचाई प्रयोजनों के लिए नहरों का निर्माण करने हेतु उड़ीसा सरकार को धनराशि प्रदान करना

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ... 207

(चार) मध्य प्रदेश में एक पर्यटक काम्पलैक्स विकसित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करना

श्री के. एन. प्रधान ... 207-208

(पांच) "बाल्को" द्वारा सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देना

डा. प्रभात कुमार मिश्र ... 208

(छः) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खलीलाबाद स्थित चीनी मिल के प्रबन्धकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी ... 208-209

(सात) काकीनाडा स्थित कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदलना

श्री गोपाल कृष्ण थोटा ... 209

(आठ) भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय के कार्यों का विकेन्द्रीकरण न करने की मांग

श्री बसुदेव आचार्य ... 209-210

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक ... 210-233

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जगदीश टाईटलर ... 210-212

श्री ई. अय्यपू रेड्डी ... 213-217

श्री शरद दिघे ... 217-219

श्री राम बहादुर सिंह ... 219-221

श्री ए. चार्ल्स ... 221-224

श्री एम. वी. एन. सोमू ... 225-227

श्री जय प्रकाश अग्रवाल ... 227-229

डा. गौरी शंकर राजहंस ... 229-231

श्री के. एन. प्रधान ... 231-233

नियम 193 के अधीन चर्चा ... 233-282

जर्मन संघीय गणराज्य की मैसर्स एच. डी. डब्ल्यू. से पनडुब्बियों की खरीद में भारतीय एजेंटों को कमीशन दिये जाने के आरोप के बारे में 21 अप्रैल, 1988 को रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

श्री दिनेश गोस्वामी ... 233-244

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव ... 244-251

श्री बिपिन पाल दास ... 251-262

श्री सोमनाथ चटर्जी ... 262-274

श्री सैयद शाहबुद्दीन ... 274-279

श्री आर. एस. स्पैरो ... 279-282

श्री कृष्ण चन्द्र पंत ... 282

पानीपत (हरियाणा) में 7 मई, 1988 को एक विवाह समारोह में 13 व्यक्तियों के मारे जाने के संबंध में वक्तव्य ... 283-284

सरदार बूटा सिंह ... 283-284

लोक सभा

सोमवार, 9 मई, 1988/ 19 वैशाख, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रश्नों मौखिक उत्तर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एकल लाइसेंस प्रणाली

[अनुवाद]

*1001. श्री विजय एन. पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए थोक और फुटकर व्यापार हेतु बहु-लाईसेंस प्रणाली के स्थान पर एक समेकित लाइसेंस प्रणाली आरंभ करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) थोक तथा खुदरा डीलरशिप के लिए लाइसेंस राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे संयुक्त लाइसेंस जारी करने पर विचार करें ताकि प्रक्रिया संबंधी देरियों और लाइसेंसधारियों/व्यापारियों को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके।

श्री विजय एन. पाटिल : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, केन्द्रीय सरकार ने पत्र जारी करके सलाह दे दी है।

मैं मंत्री महोदय, से जनना चाहूँगा कि क्या उन्हें कुछ राज्यों से संयुक्त लाइसेंस जारी किए जाने के बारे में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा क्या वे संयुक्त लाइसेंस जारी कर रहे हैं।

विशेष रूप से संघ राज्य क्षेत्रों की संचालन सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या संयुक्त लाइसेंस जारी किए जाने की प्रक्रिया संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी अपनाई जा रही है ?

क्या ऐसा कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भी आरम्भ किया गया है और यदि हां, तो किस हद तक ?

श्री बी एल. बैठा : 21 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्रीय सरकार की सलाह का पालन किया है तथा उन्होंने संयुक्त लाइसेंस जारी किए हैं।

लगभग 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कठिनाइयां बताई हैं और ऐसे लाइसेंस जारी किए हैं। उन्हें वे भी संयुक्त लाइसेंस जारी करने के लिए राजी किया जा रहा है।

श्री विजय एन पाटिल : अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकाने बहुत ही छोटी होती हैं। व्यक्ति को चीनी, चावल, पाम तेल, मिट्टी का तेल तथा अन्य आवश्यक नियंत्रित मूल्य की वस्तुओं के विक्रय से होने वाली बहुत ही कम कमीशन पर ही संतुष्ट रहना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छोटे खुरदरा दुकानदारों को दी जाने वाली इस कमीशन को बढ़ाने पर विचार करेगी ताकि छोटे खुदरा दुकानदार ईमानदारी से अधिक पैसा कमा सकें।

श्री बी. एल. बैठा : इस पर विचार करने का कार्य मुख्यतः राज्य सरकारों का है क्योंकि हम आमतौर पर राज्यों को खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। हम उन्हें यह केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर देते हैं। अब यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि यदि खुदरा दुकानदार का पर्याप्त लाभ नहीं होता है तो वह उसका कमीशन बढ़ाएं और यदि उनकी बिक्री सन्तोषजनक नहीं है तो उसे भी बढ़ा सकती है।

श्री अजित कुमार साहा : मैं मंत्री जी महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार थोक तथा खुदरा व्यापार को अपने हाथों में लेते यदि हां तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि क्या आप थोक तथा खुदरा व्यापार अपने हाथ में लेने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री बी. एल. बैठा : केन्द्रीय सरकार खुदरा व्यापार को कैसे अपने हाथ में ले सकती है। इस समय हमारी नीति यही है कि हम राज्य सरकारों को उपलब्ध केवल खाद्यान्न कराते हैं तथा थोक व खुदरा व्यापार नीति उनकी अपनी होती है। वे अपने बिक्री केन्द्रों के जरिए उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं केन्द्रीय सरकार का थोक अथवा खुदरा व्यापार को अपने हाथों में लेने का कोई इरादा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री के. डी. सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां आपने फ्लोर-मिल्स को अपने अधीन लेकर हर राज्य में लाइसेंस इश्यु किया जिससे सार्वजनिक वितरण में बड़ा लाभ पहुंचा है, उसी प्रकार से क्या जो घी की मिलें हैं, उनको भी सरकारी तौर पर लाइसेंस देने या ओपेन करने के लिए विचार किया है ताकि लोगों के सामने जो घी की समस्या है, वह भी पूर्ण रूप से हल हो सके;

श्री डी. एल. बैठा : उन मिलों को हम तेल अवेलेबल कराते हैं जिससे कि वे घी बनाते हैं, लाइसेन्स देने की बात तो है नहीं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की नई परियोजनाएं

[अनुवाद]

*1004. प्रो. नारायण चन्द्र पराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सातवीं योजना में देश के पचास जिलों के 250 खण्डों में समन्वित सहकारी विकास परियाजनाएं चलाने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उन खण्डों के नामों का ब्यौरा क्या है जहां परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं तथा उन खण्डों के नाम क्या हैं जिन्हें योजना के शेष वर्षों में इसमें सम्मिलित किया जाएगा; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यकरण को मुख्य प्रणाली क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए एक समन्वित सहकारी विकास परियोजना दिसम्बर, 1986 में स्वीकृत की गई है, जिसमें 50 जिलों में 250 खण्ड शामिल किए गए हैं।

(ख) : मार्च, 1988 तक यह योजना 9 राज्यों में 11 जिलों के 46 खण्डों के लिए स्वीकृत की गई है। इन खन्डों की एक सूची नीचे दी गई है इसके अलावा इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए 18 अन्य जिले अभिज्ञात किए गए हैं और इस संबंध में परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा रही है :—

राज्य	स्वीकृत किए गए जिले	शामिल किए गए खण्ड
पश्चिम बंगाल	नादिया	(1) रानाघाट-2
		(2) हन्सखली
		(3) हरिन्घाटा
		(4) नकाशीपार
		(5) चकडाह
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	(1) झनदत्ता
		(2) घुमरविन
		(3) सदर

1	2	3
	सिरमौर	(1) शिल्लाई
		(2) पोंटा साहिब
		(3) नहान
		(4) पछाड
		(5) संग्रह
मणिपुर	बिशनपुर	(1) बिशनपुर
		(2) मोइरंग
मेघालय	पूर्वी खासी	(1) माइलियम
	पहाड़िया	(2) मापलैंग
		(3) मारंकनैट
		(4) शेल्लाभोलागंज
		(5) उमा निंग
कर्नाटक	बंगलौर	(1) अनेकल
	(ग्रामीण)	(2) चन्नापत्ना
		(3) दद्दाबलपुर
		(4) मगाडी
		(5) रमानाग्राम
बिहार	भोजपुर	(1) बक्सर
		(2) डुमरांव
		(3) इटाढ़ी
		(4) राजपुर
		(5) नवानगर
बिहार	रोहतास	(1) दिनारा
		(2) नासरीगंज
		(3) बिक्रमगंज
		(4) डेहरी
केरल	वाइनाड	(1) कलपेठा
		(2) सुल्तान की बतेरी
		(3) मानाटोडी

1	2	3
मध्य प्रदेश	दुर्ग	(1) दुर्ग (2) पाटन (3) गुन्डेरदेही (4) बलोड (5) दोन्दीलोघरा
नागालैन्ड	कोहिमा	(1) कोहिमा (2) जालुकी (3) टसेनिम्यू (4) मेडजीफेमा

(ग) परियोजना की कुल लागत 150 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें से 105 करोड़ रुपये जो 70% है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का संबंधित राज्य को दिया जाने वाला ऋण है और 45 करोड़ रुपए जो 30% है, राजसहायता है। राजसहायता की राशि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच बराबर बराबर वहन की जाती है, सिवाय विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में, जहां 100% राजसहायता भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और उसके बाद बुनियादी सुविधाओं जैसे गोदाम लघु परिसंस्करण ईकाइयों, स्ट्रांग रूम देश काउन्टर आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मार्जिन धनराशि और शेयर-पूंजी ऋण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना में जनशक्ति विकास प्रशिक्षण और प्रबन्धकीय सहायता तथा प्रोत्साहनों के लिए राजसहायता का प्रावधान भी निहित है।

प्रो. नारायण चन्द्र पराशर : मैंने विवरण को ध्यान से पढ़ा है तथा मैंने जाना कि इस प्रयोजन के लिए और 18 जिले का चयन किया जाना है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला भी इन 18 जिलों की सूची में शामिल है अथवा नहीं ?

श्री श्याम लाल यादव : उसे भी शामिल किया जायेगा तथा परियोजना पर विचार किया जा रहा है।

प्रो. नारायण चन्द्र पराशर : विवरण से पता चलता है कि 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जिसमें से 105 करोड़ रुपये अर्थात 70 प्रतिशत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण लिया गया है तथा शेष 45 करोड़ रुपये अर्थात 30 प्रतिशत राजसहायता है। यह राशि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती है सिवाय उन विशेष श्रेणी के राज्यों के जहाँ 100 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। अतएव इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विशेष श्रेणी के राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन जिलों के चयन में विशेष श्रेणी के राज्यों पर अधिक विचार किया जायेगा— केवल उनकी बात नहीं है जिनका चयन हो चुका है अपितु उनके विषय में है जिनका चयन भविष्य में किया जाना है ?

श्री श्याम लाल यादव : विशेष श्रेणी के राज्यों में कुल 10 राज्य हैं—सात उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से तथा बाकी सिक्किम जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश। नीति यह है कि 100 प्रतिशत

सहायता भारत सरकार स्वयं वहन करेगी। इनमें राज्य सरकारों का कोई हिस्सा नहीं होगा। उन सभी राज्यों को जिनका इस योजना के अन्तर्गत चयन किया जायेगा यह राज्य सहायता दी जायेगी इस समय कोई भी भूखण्ड लेने का इरादा नहीं है क्योंकि 50 जिलों तथा 250 खण्डों में इस योजना को लागू करने में ही हमें आठवी पचवर्षीय योजना का समय लग जायेगा। अतःएव इस योजना के दौरान पद संभव नही है। अतः इससे अधिक और कोई खण्ड लेना संभव ही नहीं है।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : मैंने मंत्री महोदय के इस विवरण को पढ़ा है। दुर्भाग्यवश इस सूची में आन्ध्र प्रदेश का नाम नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या आन्ध्र प्रदेश के किसी जिले को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है और यदि हां तो वे कौन से जिले हैं ?

श्री श्याम लाल यादव : 28 अप्रैल 1988 की स्थिति तक जो रिपोर्ट बनी है उसमें आन्ध्र-प्रदेश के दो जिलों को शामिल किया गया है जिनके लिए परामर्श करने का अनुमोदन हो गया है : परियोजना रिपोर्ट के लिए कुछ सहायता भी स्वीकृत की गई है।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : वे कौन-कौन से जिले हैं ?

श्री श्याम लाल यादव : मेरे पास सूची नहीं है। 25 राज्यों में लगभग 38 जिले हैं।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं शुरू से ही हाथ खड़ा कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी आपको मौका मिलता है और कभी नहीं मिलता है।

श्री बृज मोहन महन्ती : किसी राज्य के जिले का अनुमोदन करने के लिए मापदण्ड क्या है ? क्या जिले के पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ?

श्री श्यामलाल यादव : इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि वहां सहकारी आंदोलन का बहुत विकास नहीं हुआ है तथा इसके साथ ही वह बहुत अधिक कम भी न हुआ हो। अतएव हमें सहकारी आन्दोलन को मजबूत करना है तथा किसी भी जिले में इन राज्यों के चयन के लिए यही मुख्य मापदण्ड है। यदि किसी जिले का चयन किया जाता है तो उस जिले में से तीन खंडों का चयन किया जाता है। उसके बाद हम सहायता प्रदान करते हैं, जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है। "योजना के अन्तर्गत परियोजना रिपोर्ट तथा उसके बाद मूलभूत सुविधाओं जैसे गोदाम, छोटे प्रोसेसिंग यूनिट, स्ट्रांग रूम, कैश काउंटर आदि के लिए सहायता दी जाती है। सीमान्त राशि मार्जिनमनी तथा शेयर-पूंजीगत ऋण भी दिया जाता है। योजना में श्रमशक्ति के विकास प्रशिक्षण तथा प्रबन्धक सहायता और प्रोत्साहन का प्रावधान है इन सब आधारों पर हम किसी जिले का अनुमोदन करते हैं। यह कार्य पहले से ही किया जा चुका है। मैं माननीय सदस्य को आंध्र प्रदेश के बारे में सूचना देना चाहूंगा। निजामाबाद तथा पूर्व-गोदावरी जिलों का चयन किया गया है।

श्री राम सिंह यादव : मैंने उत्तर पढ़ा है जहां तक जिलों के चयन का सम्बन्ध है मुझे राजस्थान का एक भी खंड नहीं मिला है क्या कारण है। कि राजस्थान राज्य के एक भी खण्ड का चयन नहीं किया गया है ? क्या आप इस पर ध्यान देंगे तथा देखेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत खंडों के चयन के लिए राजस्थान के बारे में भी विचार किया जायेगा ?

श्री श्यामलाल यादव : राजस्थान के दो जिलों का चयन किया गया है। परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श का अनुमोदन तथा सहायता भी मन्जूर हो गई है।

आंध्र प्रदेश को कृषि पम्प सैटों के लिए सहायता

*1007. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश को कृषि पम्प सैटों के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि की सहायता दी गई या देने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने कृषि पम्प सैट लगाए जाएंगे ?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) तथा (ख) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत यह प्रस्ताव है कि विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के आठ चुनिन्दा जिलों में 41,392 कच्चे ट्यूबवैल/डग-वैल के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में 620.88 लाख रुपए आबंटित किये जाएंगे। शेष जिलों के लिए 245.01 लाख रुपए की राशि का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें से 70% राशि लघु सिंचाई कार्यों के लिए है।

इसके अलावा, मिलियन वैल स्कीम के अंतर्गत 1988-89 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए 4947 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 25,500 कुएं तैयार किये जाएंगे,

[अनुवाद]

श्री मानिक रेड्डी : इन कुंओं के निर्माण के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से 8 जिलों का चयन किया गया है तथा इस धनराशि के आबंटन का क्या आधार है।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के 8 जिले हैं, पूर्वी गोदावरी, चितूर, नलगोंडा, खम्मम, करीम नगर, नेलोर वारंगल, पश्चिमी गोदावरी। इस का चयन करने का जो आधार है, वह इसी बात को देखकर किया जाता है कि कौन सी जगह पानी उपलब्ध होगा और कौन सी जगह ट्यूबवैल लग सकते हैं। इन्हीं सारी बातों को सामने रख कर बाद में प्रदेशों का और जिलों का चयन किया जाता है।

श्री वी. तुलसीराम : सातवीं पंचवर्षीय योजना में 185 लाख टन अनाज उगाने का लक्ष्य है भारत सरकार का और 10 लाख पम्पसेट लगाना है और 100 मेगावाट बिजली साऊथ के प्रान्त में लगाना है। तो इस से कितने पम्पसेट आप लगाएंगे और कितने पम्पसेटों को बिजली मिलेगी और उस से कितने किसानों को फायदा होगा और फायदा होने पर प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि होगी, यह मैं जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : पूरे प्लान का ब्योरा इन को भिजवा दीजिए।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 10 लाख कुओं के बारे में इन्होंने पूछा। हमारा जो प्रोग्राम है, उसमें सवा तीन लाख कुएं हम चालू साल में लगाएंगे और इस पर 500 करोड़ रुपये खर्च एक साल में करेंगे। हमारी जो योजना 10 लाख कुओं की है, उस पर 1500 करोड़ रुपये खर्च करने की है। आंध्र प्रदेश को इस साल के लिए हमने, जैसा मैंने बताया, 49 करोड़ रुपये दिये हैं ताकि उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

श्री के. एस. राव : कृष्णा जिला एक ऐसा जिला है जहां 50 प्रतिशत भूमि बारानी भूमि है। वहां के लोग विकासशील हैं और बुद्धिमान हैं तथा वहां अच्छी फसल पैदा करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि वहां प्रचुर मात्रा में जल मिलता है तो क्या उसका उपयोग करने के लिए कोई योजना है और क्या उस क्षेत्र का पुन: मूल्यांकन अथवा सर्वेक्षण किया जायेगा? विशेष रूप से कृष्णा जिले के दक्षिणी भाग को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : इन्होंने जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया है ये जो 8 जिले हमने चुने हैं और जिनके नाम मैंने बताए हैं उनमें वह शामिल नहीं हैं लेकिन उसको दिखा लेंगे। और पानी एवेलएबिल हुआ और ट्यूबवेल लगाने को संभावना है, तो विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ट्यूबवेल तो लगेंगे चाहे पानी हो या न हो।

[अनुवाद]

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : आंध्र प्रदेश में भूमि के नीचे की जल क्षमता का 50 प्रतिशत तक भी उपयोग नहीं किया गया है। अभी और अधिक क्षमता है 50 प्रतिशत से अधिक क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खाद्यान्नों तिलहनों दालों तथा विशेष रूप से मूंगफली आदि के उत्पादन का लक्ष्य तथा 175 मिलियन है, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ क्या सरकार आबंटित राशि को बढ़ाने के लिए विचार करेगी अर्थात 6 करोड़ तथा 50 लाख रुपये और बढ़ाए जाएं ताकि और अधिक पम्पसेट लगाए और कुएं खोदे जा सके तथा उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो सके और खाद्यान्न राष्ट्र के पूल में जायेगा? क्या सरकार अधिक धनराशि मंजूर करेंगे? पर पुनर्विचार करेगी ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वे कंसिडर कर लेंगे ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दो स्कीमें हैं अलग-अलग। एक शैलो ट्यूबवेल की है और 6 लाख शैलो ट्यूबवैल लगेंगे एक साल में। दूसरी स्कीम है हमारी कुएं बनाने की और 10 लाख कुएं बनेंगे दूसरी स्कीम में। इस स्कीम में फार्मर्स, स्माल फार्मर्स, दूसरी में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अति गरीब लोग आते हैं। जहां भी पानी उपलब्धता होगी, हम चाहते हैं कि देश में जहां भी पानी मिले, वहां नोरमल स्कीम तो चलती रहेगी, लेकिन इस स्पेशल स्कीम के तहत 8 जिले छांटे हैं। आंध्र प्रदेश में इनके अलावा नोरमल कोर्स में जो ट्यूबवेल्स लगने चाहिएं वह स्कीम भी चालू है और उसके लिए भी हम बाकायदा पैसा देते हैं। इस स्कीम के लिए अलग से पैसा है। पूरा सर्वे कर के जहां भी पानी की अवेलेबिलटी होगी, वहां ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल

लगाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, उन जिलों को भी दिखवा लेंगे और वहां भी कोशिश करेंगे कि ट्यूबवेल लगाये जाएं।

राजस्थान में रोजगार के अवसर

***1008. श्री शांति धारीवाल :**

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की राजस्थान यात्रा के दौरान यह आश्वासन दिया था कि चार व्यक्तियों के परिवार में से एक व्यक्ति और चार से अधिक व्यक्तियों के परिवार में से दो व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो राज्य में अब तक कितने परिवारों को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार में नौकरियां दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें नौकरियां देने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्रधान मंत्री जी के सामने लोगों की बात सरकारी नौकरियों के बारे में नहीं थी। यह मांग राजस्थान के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों में अधिक रोजगार देने के बारे में थी, जिसमें सरकार यथासम्भव अधिकतम सहायता कर रही है।

श्री शांति धारीवाल : सर, राजस्थान में, जो कि अकालग्रस्त है, कम से कम 50 लाख परिवार अकाल से प्रभावित हुए हैं। उनमें से 38 लाख परिवार ऐसे हैं जो मारजिनल और स्माल फार्मर्स हैं। और कृषि मजदूर हैं। अभी जो केन्द्र ने निर्धारित सीमा बना रखी है उसके अनुसार 10 लाख आदमियों को काम मिल रहा है। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सेन्ट्रल की टीम जो वहां गयी थी, उसकी जो रिपोर्ट है, उस पर ध्यान देकर के क्या राजस्थान सरकार को ज्यादा धनराशि देने का प्रयत्न किया जाएगा ?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही है कि राजस्थान में लगातार तीन-चार सालों से भंयकर सूखा पड़ा है और सूखे में भारत सरकार की तरफ राजस्थान की बहुत ज्यादा मदद की गयी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 44 लाख लोग सूखे प्रभावित हैं और राहत कार्य में 10 लाख लोग नहीं, इस समय 16½ लाख लगे प्रतिदिन काम पर जाते हैं और भारत सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता दी जाती है। भारत सरकार की तरफ जो राजस्थान को सहायता दी गयी वह इस प्रकार है—

1985-86 में 89.65 करोड़ रुपये दिये गये।

1986-87 में 142.52 करोड़ रुपये दिये गये।

1987-88 में 433.15 करोड़ रुपये दिये गये।

1988-89 में केवल तीन महीनों में 142.63 करोड़ रुपये दिये गये इसके अलावा गेहूं 1986-87 में 3 लाख टन

1987-88 में 3.20 लाख टन और

1988-89 में 60 हजार टन गेहूं दिया गया।

इस गेहूं में से 1.80 लाख टन को छोड़कर 5 लाख टन गेहूं बगैर पैसे के फ्री दिया गया। सहायता के तौर पर दिया गया। इसका हिसाब लगाया जाए तो इसकी काफी सहायता राशि बनती है।

श्री शांति धारीवाल : पिछले सालों में आपने 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं मुफ्त दिया था। इस वर्ष कितना अनाज राजस्थान को मुफ्त दिया है ?

दूसरी बात यह है कि गुजरात में हर परिवार के दो व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है और राजस्थान में पांच व्यक्तियों के एक परिवार में एक व्यक्ति को ही रोजगार दिया जा रहा है।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राजस्थान में बहुत भयंकर सूखा पड़ने की वजह से बहुत ज्यादा आबादी प्रभावित है। गुजरात में सूखा तो ऐसा ही था लेकिन जिले कम प्रभावित हुए थे। इसलिए राजस्थान में राजस्थान सरकार ने पैसे को देखते हुए पांच सदस्यों के एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने का फैसला किया। 5 से ज्यादा लोगों वाले परिवार में दो लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हम दो लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हैं।

श्री राम सिंह यादव : अभी हर परिवार के एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिल पाया है।

श्री भजन लाल : इस साल तीन महीने के लिए 60000 टन गेहूं राजस्थान को दिया है और हमारी पूरी कोशिश है कि 5 से ऊपर संख्या वाले परिवार में 2 लोगों को रोजगार दिया जाए। इस बारे में राजस्थान सरकार से बातचीत करके हम इसको कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर 1987 से लेकर मार्च 1988 तक स्टडी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें 198 करोड़ रुपए की सहायता के लिए कहा गया है, लेकिन आपने 137 करोड़ रुपए दिये हैं, अर्थात् 58 करोड़ रुपए कम दिए हैं। मेरा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है, वहां पर ही अभी 10 व्यक्तियों के परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार हम दे पाये हैं तो दूसरे क्षेत्रों में तो एक व्यक्ति को भी हर परिवार में रोजगार नहीं मिल पाया है। आपने जो लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया है, उसके लिये अध्ययन दल ने जो राशि निर्धारित की है, जब तक वह राजस्थान सरकार को नहीं दी जाएगी, 58 करोड़ रुपये और शीघ्र नहीं दिये जाएंगे, तब तक यह संभव नहीं हो पाएगा। बकाया राशि आप कब तक देने जा रहे हैं।

श्री भजन लाल : जैसा मैंने बताया है कि पिछले तीन महीने के लिए 143 करोड़ 63 लाख रुपए दिये गए हैं, उनकी और मांग आई है जो कि जायज है, वाकयी वहां पर भयंकर सूखा है, इसीलिए सीनियर अधिकारियों की टीम राजस्थान गई है और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी राजस्थान की और सहायता की जाए। मामला विचाराधीन है और बहुत जल्दी हम निर्णय करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ न कुछ राजस्थान की मदद अवश्य की जाएगी।

श्री राम सिंह यादव : बकाया 58 करोड़ रुपए कब तक दिए जाएंगे, इसको मानवीय आधार पर शीघ्र स्वीकृत किया जाना चाहिए।

श्री भजन लाल : मैंने बताया है कि 143 करोड़ रुपया हमने दिया है : (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए इस तरह से मत कीजिए, अनुशासन भंग मत कीजिए।

श्री भजन लाल : आपकी जो मांग है वह उचित है और टीम में अधिक राशि रिकमण्ड की थी, उतनी सहायता अभी नहीं दी गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत करिए। बीच में मत बोलिए। मैं आपकी जानकारी के लिए कह सकता हूं कि मैं कल ही राजस्थान का दो दिन का दौरा करके लौटा हूं और और आपको बताना चाहता हूं कि वहां स्थिति बहुत गंभीर है।

श्री भजन लाल : इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे भी राजस्थान से लगाव है, मैं भी वहां का निवासी जैसा ही हूं, मुझे भी राजस्थान के साथ हमदर्दी है। वहां पर भयंकर सूखा है और हम चाहते हैं कि वहां जल्दी और सहायता पहुंचाई जाए। इस बात को ध्यान में रखकर ही सहायता दी गई है, जैसा इन्होंने बताया कि रिकमण्डेशन से 58 करोड़ रुपया कम दिया गया है, उसके बारे में विचार करने के लिए ही दोबारा टीम भेजी गई है और उस टीम ने भी सिफारिश की है कि राजस्थान की और सहायता की जाए और इसका फैसला बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कर ही दीजिये फैसला।

श्री भजन लाल : केबीनेट में होगा, ऐसे मैं कर नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, आप जानते हैं। जितनी तकलीफ आपको और माननीय सदस्यों को है, उतनी ही तकलीफ और पूरी हमदर्दी मेरी भी है और इसके लिए पूरी मदद राजस्थान की, की जाएगी, इतना मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं।

श्री राम सिंह यादव : बिना पैसे के हमदर्दी से काम नहीं चलेगा।

श्री भजन लाल : मैंने बताया है कि अकाउ मदद की जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा मत करिए, बैठिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल हर जगह ढिंढोरा पीटते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा को सिर्फ 37 करोड़ की सहायता देकर सौतेला व्यवहार किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की सूखाग्रस्त इलाकों के बारे में जो लोगों की शिकायत है, क्या केन्द्र सरकार की तरफ से पर्याप्त सहायता इसके लिए दी गई है, क्या सौतेले व्यवहार का जो आरोप लगाया गया है, वह बेबुनियाद है, इस आरोप का क्या आधार है। माननीय मंत्री जी सदन को सारी पोजीशन बताएं ताकि उनका मुंह बन्द किया जा सके।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी के बारे में मैं क्या कह सकता हूं। कुछ ज्यादा कहूं तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका तो एक ही रवैया है कि कोई काम नहीं हो तो भारत सरकार के जिम्मे मढ़ देते हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. रघुमा रेड्डी : महोदय, यह बहुत ही अनुचित है···(व्यवधान) उनको मुख्य मंत्री का नाम नही लेना चाहिए। महोदय, उन्होंने मुख्य मंत्री का नाम क्यों लिया है ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : आप सुनने की कृपा कीजिए, आपसे ज्यादा हमदर्दी है। आपका तो कोई खास ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कर्जे माफ करने की बात कही थी। कर्जे माफ करने के बारे में कहते हैं कि भारत सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। भारत सरकार ने कब कहा था कि भारत सरकार कर्जे माफ करेगी। अगर भारत सरकार कर्जे माफ कर सकती होती तो पहले चौधरी बंसी लाल जी करते, उससे पहले मैं था तो मैं कर देता तो यह नम्बर चौधरी देवी लाल जी को कौन लेने देता। लेकिन अब यह कहते हैं कि सूखे की वजह से सौतेली मां का व्यवहार हो रहा है। सौतेली मां का व्यवहार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हरियाणा को आबादी और सूखे के हिसाब से 38 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं दावे के साथ कह सकता हू कि हरियाणा को बीस की बजाय इक्कीस ही मदद की गई है। बगैर मतलब केन्द्र को बदनाम करना कोई मायने नहीं रखता है। भारत सरकार किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती। भारत सरकार के सामने देश की जनता एक समान है। देश कांग्रेस ने बनाया है, बाकी सब थोड़े दिन के मेहमान हैं···(व्यवधान)) देश का असली हकदार कांग्रेस है और कांग्रेस चाहती है कि इस देश का कोई भी किसान, गरीब कोई भी आदमी, किसी भी प्रदेश का कोई भी इलाका किसी भी बात से वंचित नहीं रहे। हमेशा ही पूरी मदद भारत सरकार ने की है और किसी भी प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होने का सवाल पैदा नहीं होता।

राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद् की बैठक

[अनुवाद]

*1009. श्री सी. माधव रेड्डी :

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा 8 मार्च, 1988 को राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद की बैठक आमंत्रित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या सिफारिशें की गईं और इन सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक 8 मार्च, 1988 को नहीं बल्कि 28 अप्रैल, 1988 को हुई थी। परिषद की बैठक में जिन महत्वपूर्ण बातों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें से कुछ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का कारगर ढंग से तथा तेजी से कार्यान्वयन करने, देश में एक मजबूत, संवेदनशील तथा व्यापक आधार

वाले उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने, महिलाओं, युवकों, जन-माध्यमों की भूमिका आदि से संबंध रखती थीं। अन्य विविध सुझावों में, परिषद ने एक समिति स्थापित करने का सुझाव दिया, जो उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के उपायों, विशेष रूप से प्रचार संबंधी पहलुओं की जांच करेगी और उनके बारे में सिफारिश करेगी।

2. परिषद की बैठक में दिये गए सुझावों को बहुत महत्व दिया जाता है। सुझावों पर की गई कार्यवाही की एक रिपोर्ट आमतौर पर सदस्यों को परिचालित की जाती है और परिषद की अगली बैठक में उस पर विचार-विमर्श किया जाता है।

3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को कार्यान्वित करने तथा उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने आदि के लिए उनके द्वारा जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना दी है। केन्द्रीय सरकार ने भी परिषद के सुझावों पर कार्यवाही की है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, इसमें समन्वय रखा जा रहा है और इस कार्य को मानीटर किया जा रहा है। परिषद द्वारा दिये गए सुझाव के अनुसार एक समिति स्थापित करने का निर्णय किया गया है, जो उपभोक्ता जागरूकता, विशेषकर प्रचार संबंधी पहलुओं के लिए आवश्यक उपायों की जांच करेगी। दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा अन्य जन-माध्यमों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण के कार्यक्रम में युवकों व महिलाओं को शामिल करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रारंभ किया है।

श्री सी. माधव रेड्डी : महोदय, दिसम्बर, 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अर्थात् राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए एक प्रस्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र का गठन किया जाना था और बहुत-सी प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनका क्या हुआ ? क्या राज्यों ने इस तंत्र के गठन और उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है।

श्री डी. एल. बैठा : महोदय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार केन्द्रीय और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया जाना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय केन्द्रीय उपभोक्त संरक्षण परिषद स्थापित की है। खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री उनके अध्यक्ष हैं और खाद्य और नागरिक उप-मंत्री उनके उपाध्यक्ष हैं। उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के नियम 3 के अनुसार, इस परिषद में भी 157 सदस्य होंगे और तदनुसार, जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर परिषद का सम्बन्ध है, उसका गठन कर दिया गया है··· (व्यवधान)

श्री सी. माधव रेड्डी : महोदय मैं त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र के बारे में पूछ रहा था जिसे इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए गठित किया जाना था। मैं परामर्शदायी परिषदों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं जिनका कि उन्होंने उल्लेख किया है। ये केवल परामर्शदायी परिषदें हैं जिनमें 70, 80 अथवा 100 सदस्य हैं।

श्री डी. एल. बैठा : महोदय, जहां तक तंत्र का सम्बन्ध है, बिहार ने एक राज्य आयोग और एक जिला स्तर के मंच का गठन किया है। महोदय, वह अर्ध न्यायिक क प्रणाली के बारे में पूछ रहे हैं। जहां तक अर्ध न्यायिक प्रणाली का सम्बन्ध है, जिसका कि उन्होंने उल्लेख किया है विभिन्न

राज्यों ने इसका गान किया है और कुछ राज्यों ने जिला अंचों का गान भी किया है। लेकिन जहां तक प्रयोगशाला का सम्बन्ध है, इसका उपयोग केवल तभी किया जायगा जब राज्य आयोग गठित किये जाएंगे और जब शिकायतें प्राप्त होंगी और जब सामग्री की प्रमाणिकता के बारे में प्रश्न उठाया जाएगा। जहां तक प्रयोगशालाओं का सम्बन्ध है, मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। मैं इन्हें बाद में दे सकता हूं लेकिन इसके लिए आपको एक अलग सूचना देनी होगी।

श्री सी. माधव रेड्डी : क्या यह सच है कि बहुत से राज्यों ने सरकार को सूचित किया है कि उनके पास किसी अधिक खर्चीले तंत्र की व्यवस्था किये जाने के लिए कोई धन राशि नहीं है और यदि ऐसा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है।

श्री डी. एल. बैठा : जहां तक धन का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने इसको राज्य की योजना में शामिल कर लिया है और यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें अपनी अपनी योजना के अन्तर्गत इसके लिए धन की व्यवस्था करेंगी।

श्री के रामचन्द्र रेड्डी : जहां तक माल के उत्पादन का सम्बन्ध है, उसमें से अधिकतर माल सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है। जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है, लगभग 90 प्रतिशत सेवाओं की व्यवस्था सम्बन्धित सरकार द्वारा की जाती है। जब कभी किसी उपभोक्ता को घटिया सेवा अथवा घटिया वस्तुएं मिलती हैं तो इसमें सुधार के लिए उसे न्यायालय में जाना पड़ता है। क्या सरकार ऐसी स्थिति में कोई विधिक सहायता और कोई वित्तीय सहायता देगी जिनमें कि उपभोक्ता घटिया सेवाओं और घटिया उत्पादों की सप्लाई करने वालों के विरुद्ध न्यायालय में जा सके ? क्या आप इस संबंध में उसे कोई सहायता देंगे ?

श्री डी. एल. बैठा : महोदय, उपभोक्ता को न्यायालय में जाने के लिए विधिक सहायता देना संभव नहीं है। यह उनके ऊपर है कि वे घटिया उत्पादों, आदि की सप्लाई के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए धनराशि की व्यवस्था करें।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई अन्तर्राष्ट्रीय योजनाएं शुरू करना

*1011. श्री एम. रघुमा रेड्डी :

डा. गौरी शंकर राजहंस :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम विभिन्न देशों में नये रेस्तरां/होटल खोलने सहित अनेक अन्तर्राष्ट्रीय योजनायें शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन-किन देशों में ये परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं;

(ग) इन परियोजनाओं पर विदेशी मुद्रा सहित कुल कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(घ) इससे देश में पर्यटन को कितना बढ़ावा मिलेगा और विदेशी पर्यटकों का भारत आना कितना सुगम हो सकेगा ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय होटल परियोजनाओं/रेस्तराओं की स्थापना करने के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

होटल परियोजनाएं/रेस्तरां	ब्यौरे
(क) रेस्तरां	
(1) मास्को (यू. एस. एस. आर.)	भारत पर्यटन विकास निगम ने ट्रस्ट आफ स्टेशन, मास्को के सहयोग से जुलाई, 1987 में मास्को में एक "दिल्ली" रेस्तरा की स्थापना की है।
(2) वैलिंगटन (न्यूजीलैंड) (3) एफ.आर.जी. (अवस्थिति बर्लिन अथवा बोन (4) सान फ्रांसिस्को (यू.एस.ए.) (5) मारशीस	भारत पर्यटन विकास निगम ने केवल समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम आफ अण्डरस्टेंडिंग)/करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रेस्तराओं की स्थापना वित्तीय क्षमता और व्यवहार्यता रिपोर्ट पर निर्भर करती है
(ख) होटल	
(1) वैलिंगटन (न्यूजीलैंड) (2) फ्रैंकफर्ट (पश्चिमी जर्मनी)	भारत पर्यटन विकास निगम ने केवल समझौता (मेमोरंडम आफ अण्डरस्टेंडिंग)/करार पर हस्ताक्षर किए हैं। रेस्तराओं की स्थापना वित्तीय क्षमता और व्यवहार्यता रिपोर्ट पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) : मास्को में एक रेस्तरां की स्थापना करने में भारत पर्यटन विकास निगम की वित्तीय भागीदारी सामान के निर्यात और अन्य सेवाओं के जरिए लगभग 24 लाख रुपए की है। अन्य होटलों और रेस्तराओं की स्थापना करने के बारे में वित्तीय ब्यौरे व्यवहार्यता रिपोर्ट पर निर्भर करेंगे। मास्को स्थित रेस्तरां ने अपने परिचालन के 6 महीनों के दौरान दिसम्बर 1987 तक 11 लाख रुपए से अधिक की राशि अर्जित कर ली है. भारत पर्यटन विकास निगम की अन्य संयुक्त उद्यम अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं द्वारा भी देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है।

श्री एम.रघुमा रेड्डी : महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका पांच रेस्तराओं का निर्माण करने का विचार है। उनमें से एक रैस्तरां और दो होटल बन गए हैं । मास्को में पहले ही 24 लाख रुपए खर्च किये जा चुके हैं। अन्य परियोजनाओं के पूरा होने में कितना समय लगेगा और उन दो होटलों और चार रोस्तरांओं के निर्माण पर कितनी लागत आएगी ? आप उनको कब तक पूरा करने जा रहे हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि ये बहुत ही आवश्यक परियोजनाएं हैं। अतः मैं यह नहीं कह सकती कि उनका काम कब तक पूरा हो जाएगा क्योंकि हम उन परियोजनाओं की व्यवहारिता रिपोर्टों और वितीय रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छः परियोजनाएं चार मास्को रेस्तरां 35 दिन पहले रिकार्ड समय में शुरू की जा चुकी हैं, उन्हें भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू किया जाना है और क्या इन छः परियोजनाओं के लिए हम कुछ रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनका कि मैंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है। अतः जैसे ही हमें वे रिपोर्ट प्राप्त हो

जाएंगी, हम इन होटलों को शुरू करने के बारे में निर्णय करेंगे और यह देखेंगे कि क्या ये वित्तीय दृष्टि से सक्षम हैं अथवा नहीं। अतः यह सब उन रिपोर्टों पर निर्भर करता है जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : महोदय, उन्होंने केवल इन कुछ ही देशों को चुना है। अन्य देशों के बारे में क्या हुआ ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का विचार कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों में इस प्रकार के होटलों और रेस्तरांओं को खोलने का है ··· (व्यवधान) क्या स्वीडन और इटली में भी खोलने का विचार है, क्या उनके पास इसके लिए कोई योजनाएं हैं और क्या इन होटलों के निर्माण के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है ? यदि ऐसा है तो इन रेस्तराओं को कैसे चलाया जायेगा, भारत सरकार की ओर से इनको कौन चलाएगा अथवा उन्हें दोनों देशों की सरकारें चलायेंगी और आरक्षण के लिए क्या सुविधाएं होंगी ? यदि हम मास्को जाना चाहते हैं, तो क्या हमें आरक्षण यहां पर अथवा वहां पर कराना होगा ?

(व्यवधान)

श्रीमती मोहसिना किदवई : महोदय, जैसा कि मैंने कहा है, विभिन्न देशों में यह संयुक्त उद्यम हैं। अतः जब हमारे पास इसकी पेशकश आती है, कि वे अपने देश में संयुक्त उद्यम होटल अथवा रेस्तरां स्थापित करने के इच्छुक हैं, उसी आधार पर यह समझा जाता है कि उनका प्रबन्ध भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाएगा और उनका हिस्सा 50 : 40 अथवा अन्य किसी अनुपात में होता है जिस पर उनसे सहमति होती है। अतः जिन परियोजनाओं के बारे में आपने कहा है वे सरकार के विचाराधीन हैं। अन्य देशों के लिए मैं इस समय यह नहीं कह सकती कि हम अन्य देशों में उनका प्रबन्ध किस प्रकार करेंगे।

डा. गौरी शंकर राजहंस : महोदय, भारतीय मूल के लोग विशेषकर पटेल, अमरीका और कनाडा में कुछ होटलों के सफलतापूर्वक चला रहे हैं, उनके अनुभव को देखते हुए, क्या सरकार भारत पर्यटन विकास निगम से अमरीका और कनाडा में कुछ होटलों की स्थापना करने के लिए कहेगी ?

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा है, हमारे जाइन्ट कलेबोरेशन में जो आफर्स आती हैं, जिनको समझा जाता है, कि आगे जा कर अच्छी हो सकती हैं, उन्नति के लिए हो सकती हैं, उनको हम करते हैं। लेकिन हर कंट्री में जाकर हम होटेल्स नहीं खोल सकते हैं। उन्हीं कंट्रीज में खोल सकते हैं, जहां उसकी वायबेलिटी सही चल सकता है। मास्को में ढाई सौ स्यूट्स का रेस्टोरेंट खोला है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जब टूरिज्म में नहीं थी, तब उसे मैं देखकर आई हूं, बहुत अच्छा चल रहा है और जहां ज्याद इम्पोर्टेण्ट है, हम वहीं होटल खोलेंगे ताकि फारेन एक्सचेंज की अर्निग्स होगी और हिन्दुस्तान का नाम, इमेज भी बढ़ाने का मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री एम. रघुमा रेड्डी : महोदय, उन्होंने आरक्षण की प्रक्रिया के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, इस वक्त यह मेरे सामने नहीं है। लेकिन यहां से भी करवा सकते हैं और वहां से भी रिजर्वेशन करवा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह : मैं भारत पर्यटन निगम के भूतपूर्व निदेशक के नाते एक प्रश्न पूंछता हूं।

मैं दो बातें पूछना चाहता हूं। एक यह है कि दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है कि यह भारत पर्यटन विकास निगम है, न कि दिल्ली पर्यटन विकास निगम अतः दिल्ली की बजाए दिल्ली के बाहर और अधिक पूंजी लगाई जानी चाहिए। यह बात मैं भारत पर्यटन विकास निगम के भूतपूर्व निदेशक के तौर पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। क्या भारत पर्यटन विकास निगम शेष भारत की इस भावना पर विचार करेगा ?

दूसरा, अब हम रेस्तराओं की बात करते हैं, भारत पर्यटन विकास निगम ने साईप्रस में निम्बोसिका में और पहले एक रेस्तरां स्थापित किया था लेकिन उनको बन्द कर दिया गया है। क्यों ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : यह एक नया प्रश्न है। मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिम जोन में गोदाम किराये पर लेना

*1014 श्री सोमनाथ रथ : क्या खाद्य और नागरिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में पश्चिम जोन में कुछ गोदाम किराये पर लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किराये पर लिये गये स्थान पर क्षेत्रफल कितना है; और

(ग) इन गोदामों को किराए पर लेने के क्या कारण है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने हाल ही में पश्चिमी जोन में प्राइवेट पार्टियों से दो गोदाम किराए पर लिए हैं। गुजरात में स्थित थानगढ़, जिला सुरेन्द्रनगर में 7029 मीटरी टन की क्षमता 5 दिसम्बर, 1987 को किराए पर ली गई थी। मध्य प्रदेश में स्थिति भाटापाड़ा में 23 दिसम्बर, 1987 को 1799 मीटरीटन क्षमता किराए पर ली गई थी। ये दो गोदाम निगम के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किराए पर लिए गए थे। भाटापाड़ा में गोदाम छः महीनों की अवधि के लिए किराए पर लिया गया था ताकि निगम स्टाक का प्रेषण करने के लिए अपेक्षित रैक प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों की वजह से खाद्यान्नों के अधिक स्टाक को रख सके। जहां तक थानगढ़ में गोदाम का सम्बन्ध है, जिन परिस्थितियों में इस गोदाम को किराए पर लिया गया था, निगम ने उनकी जांच करने के आदेश दे दिए हैं।

श्री सोमनाथ रथ : भारतीय खाद्य निगम ने जिन दो प्राईवेट गोदामों को किराए पर लिया है उनका किराया किस आधार पर निर्धारित किया गया है और क्या उन परिस्थितियों, जिनमें इन गोदामों को किराए पर लिया गया है, उनके बारे में कोई जांच कराई गई है; यदि हां, तो इन गोदामों का बाजार किराया मूल्य क्या है और इस जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री डी. एल. बैठा : जहां तक इन दो गोदामों एक भाटापाड़ा में और दूसरा थानगढ़ में, का संबंध है इन्हें किराए पर लिया गया था। जहां तक भाटापाड़ा का संबंध है, चावल के भंडारण के बारे में कुछ समस्या थी क्योंकि रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले रेक उन्हें उपलब्ध नहीं हो सकते थे। इसीलिए भंडारण की समस्या पैदा हुई। इसीलिए गोदाम केवल छ: महीने के लिए किराए पर लिया गया था।

जहां तक थानगढ़ गोदाम का सम्बन्ध है, हमने इसकी जांच करने को कहा था और अभी तक यह पता चला है कि थानगढ़ में गोदाम किराए पर लिए जाने का कोई औचित्य नहीं था। उच्च अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है और इसके लिए हम उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिसने बिना किसी औचित्य के गोदाम किराए पर लिया।

श्री सोमनाथ रथ : मेरा प्रश्न यह था कि किराए की प्रति मास दर क्या थी जिस पर ये गोदाम किराए पर लिए गये थे ?

श्री डी. एल. बैठा : भाटापाड़ा में किराए की प्रति मास दर 70 पैसे प्रति वर्ग फुट है। थानगढ़ में यह 95 पैसा है।

श्री सोमनाथ रथ : श्रीमन् दूसरी बात यह है कि मन्त्री महोदय ने सदन में बताया था कि भारतीय खाद्य निगम और सरकार गोदाम बनाने के लिए लोगों को वित्तीय सहायता देगी और फिर उन्हें किराए पर लेगी। इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कहां तक सफलता मिली है ?

श्री डी. एल. बैठा : यह भारतीय खाद्य निगम ने नहीं बल्कि ए. आर. डी. सी. ने कहा था। आप को मालूम है पहले एक ए. आर. डी. सी. योजना हुआ करती थी जिसे अब नाबार्ड कहते हैं। ए. आर. डी. सी. ने सहायता लेकर गोदाम बनाये थे। समझौते के अनुसार कुछ गोदाम किराए पर लिए गए थे। जब समझौता पूरा हो जाता है तब हमें वे गोदाम खाली करने पड़ते हैं। अभूतपूर्व सूखा और बाढ़ की वजह से माल अधिक उठाने से हमारा स्टाक बहुत कम हो गया है।

अब हमारे पास भंडारण के लिए काफी कम मात्रा है इस लिए एक नीति के रुप में गोदामों को सामान्यत: खाली करने का निर्णय किया गया है

श्री ई. अयप्पू रेड्डी : अभी-अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि 5 वर्ष के ठेके के पूरा होने के बाद गोदाम खाली किए जा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत से गोदाम खाली कर दिये गये हैं जिससे रोष व्याप्त हो रहा है। मैंने तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों ने नागरिक पूर्ति मंत्री महोदय को अभ्यावेदन दिए हैं कि इन गोदामों को खाली न किया जाए। जबकि ज्यादा गोदामों की आवश्यकता तथा गोदामों की कमी की वजह से माल की बरबादी को स्वीकार किया गया है और यह एक मानी हुई बात है, फिर भी आप गोदामों को खाली कर रहे हैं जिससे राष्ट्र को हानि हो रही है एवं देश में निर्मित क्षेत्र का उपयोग नहीं हो रहा है। जिन गोदामों को आवश्यक समझा गया

था और किराए पर लिया गया था क्या वे अब आवश्यक नहीं रहे ? किस आधार पर भारतीय खाद्य निगम इस निष्कर्ष पर पहुँचा है।

श्री डी. एल. बैठा : मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे स्टाक में कमी आई है और कई स्थानों पर स्टाक की मात्रा बहुत कम रह गई है इसलिए उसे खाली करना पड़ा। गोदामों को किराए पर लेना और किराए का भुगतान करना जबकि स्टाक है ही नहीं, ऐसी अवस्था में सरकार को नुकसान होगा। इसीलिए खाली किए गए हैं।

श्री ई. अयप्पू रेड्डी : इससे यह पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम की व्यवस्था ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे इसका कैसे पूर्वानुमान लगा सकते थे।

[हिन्दी]

श्री डी. एल. बैठा : अध्यक्ष महोदय, यह पहले उतना साफ टेक नहीं होता था। लेकिन अब की बार जो अभूतपूर्व सूखा पड़ा है और बाढ़ आई है, उससे इतनी ज्यादा लिफ्टिंग हुई कि अब स्टाक बहुत कम हो गया। इस कारण उनको डीहायरिंग करना पड़ा।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोदामों की कमी और भारतीय खाद्य निगम एवं सरकार के पास गोदाम उपलब्ध न होने से सरकार प्राईवेट गोदाम मालिकों को किराये के रूप में प्रचुर धन दे रही है तथा बहुत से क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की बरबादी हो रही है, सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है जिससे सातवीं योजना में खाद्य पदार्थों के भण्डारण की व्यवस्था की जा सके और सरकार को गोदामों को किराए पर लेने की आवश्यकता ही न पड़े ? गोदामों के निर्माण के लिए सरकार के पास क्या कार्यक्रम हैं। कितने गोदाम निर्माणाधीन हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और कितने गोदाम बनाए जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री डी. एल. बैठा : अध्यक्ष महोदय, एक तो हम लोगों का यह प्रोग्राम है कि जहां पर एफ. सी. आई. को गोदाम बनाने की आवश्यकता होती है वहां वह एफ. सी. आई. के जरिए ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा सी. डब्लयू. सी. और एस. डब्लयू. सी. भी उसे बनाते हैं। जहां इनमें से कोई नहीं है वहां हम लोग हायर भी करते हैं। मगर जहां गोदाम की स्थाई रुप से जरुरत नहीं है वहां पर सिर्फ इसलिए गोयाम ले लें कि कभी थोड़ी जरुरत पड़ सकती है। ऐसे में गोदाम निर्माण करना तो बेकार ही होगा। हम तात्कालिक आवश्यकता के लिए उस समय उसे हायर कर लेते हैं।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पुन: तैयार करना

*1015. श्री टी. बशीर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, को फिर से तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा और पुनर्गठन का कार्य निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्यक्रमों की विषय वस्तु अथवा उनके कार्यान्वयन पहलुओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते हैं।

श्री टी. बशीर : ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों की क्रियान्वित पर निगाह रखने के लिए सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

श्री जनार्दन पुजारी : हर महीने राज्य सरकार से केन्द्र को रिपोर्ट प्राप्त होती है और हम उस पर निगाह रख रहे हैं और यदि उसमें कोई खामियां होती हैं तो हम उन्हें राज्य सरकारों के ध्यान में लाते हैं ताकि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो और हमने राज्य सरकारों को स्पष्ट रुप से कह दिया है कि यदि किसी तरह की खामियां हैं और यदि वे प्रभावी रुप में कार्य नहीं करते तो केन्द्र सरकार से उनको दिए जाने वाले संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री टी. बशीर : महोदय, कल मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि आमतौर पर कुछ राज्य और विशेष रुप से केरल राज्य इस धन को किसी अन्य कार्य में लगा रहे हैं क्योंकि राज्य में धन सम्बन्धी संकट व्याप्त है। अत: मैं इस सम्बन्ध में राज्य की प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। दूसरे यदि कोई भी राज्य सरकार इस धन को अन्य कामों पर खर्च करती है तो इस अवस्था में भारत सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : संसाधन किसी विशेष उद्देश्य और विशेष कार्यक्रम के लिए दिए जाते हैं। यदि राज्य सरकारें उसे किसी और काम में खर्च करती है या इसका उपयोग किसी और उद्देश्य के लिए करती हैं तो इन कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध धन को रोक दिया जायेगा तथा धन को दूसरे कामों में लगाने के लिए संसाधन नहीं दिए जायेंगे।

श्री टी. बशीर : मैं विशेष रुप से यह जानना चाहूँगा कि क्या केरल सरकार ने धन दूसरे कार्य में लगाया है और क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है, यदि हां, तो प्रतिक्रिया क्या है।

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ राज्यों से हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि राज्य दूसरे मदों पर धन खर्च कर रहे हैं और हम भी इस की जांच कर रहे हैं। यदि यह सच पाया गया तो यह तो निश्चित ही है कि धन दूसरे कामों में उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

हिन्दी]

श्री भजन लाल : मैं थोड़ी सी स्थिति क्लियर करना चाहूंगा। केरल को जो पैसा दिया गया और जो उन्होंने खर्च किया है वह खर्च का जो परसेण्टेज है वह दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कम है तो इसमें हो सकता है कि उन्होंने पैसे को बचाया हो। बाकी प्रदेशों में 100 परसेण्टेज से भी ज्यादा खर्च किया है और इन्होंने 68.78 परसेण्टेज खर्च किया है, जो राशि हमने उनको दी। इसको हम दिखवाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे पद में या किसी दूसरे काम के लिए खर्च न करें।

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी : ग्राम विकास के लिए जो योजनायें सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं इन योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए गवर्नमेण्ट का यह उद्देश्य रहा है कि उसमें एक तो एम्पलायमेंट

जनरेशन हो दूसरे जो कार्य कराये जायें उनमें ड्यूरेबिलिटी हो, उसकी यूजफूलनेस हो मगर जिस एजेंसी को काम दिया जाता है उसी से मोनेटरिंग कराया जाता है। आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत बनाये जाते हैं तो चौथे महीने ढह जाते हैं । बांध के जो कार्य कराये जाते हैं वह अगर 4 मीटर बनता है तो 18 मीटर का पेमेण्ट हो जाता है। मजदूरों को गेहूं भेजते हैं, बाजार में बेच दिया जाता है। इसे सम्माननीय सदन के सारे सदस्य जानते हैं, क्या इस पर नियंत्रण पाने के लिए मंत्री जी कुछ कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री जर्नादन पुजारी : यह सच है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं। एक तो है परिसम्पत्ति बनाना एवं दूसरा रोजगार पैदा करना । यदि कोई विशेष उदाहरण सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो निश्चित रूप से हम उसकी जांच करेंगे। हम उस पर यहां से निगाह रखेंगे। और यह देखने के लिए मैं व्यक्तिगत रुपसे दिलचस्पी लूंगा कि इन कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाये।

श्री अनिल बसु : महोदय, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकारों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये धन को इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है ? क्या यह भी सच है कि अभी तक 33 प्रतिशत धन ही आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो इसके पीछे क्या कारण है ? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लक्ष्य को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

श्री जर्नादन पुजारी : जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है केन्द्रीय धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन खेद की बात है कि कुछ राज्य सरकारों में मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जब कभी भी हमने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत धन मुहैया कराया है राज्य सरकारों ने इसका उपयोग नहीं किया है और राज्य सरकारों, विशेषतौर पर विपक्ष की सरकार वाले राज्यों में मैंने उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करवाया है। मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता··· (व्यवधान) जहां तक केन्द्र सरकार का संबध है केन्द्र सरकार ने धन मुहैया कराया है चाहे वह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम अथवा समन्वित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन

*1000. **श्री राम प्यारे पनिका :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संबंधों में सुधार करने हेतु व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने के प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए न्यूनतम सदस्यता को बढ़ाना गैर कर्मकारों में से पदाधिकारियों की संख्या पर और प्रतिबंध लगाना ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अन्शदान की अदायगी में वृद्धि मंत्रियों को ट्रेड यूनियन का पदाधिकारी बनने पर रोक लगाना आदि शामिल हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा स्लैग पर आधारित सीमेंट संयंत्र लगाया जाना

*1002. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने देश में स्लैग पर आधारित कुछ सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए कदम उठाए हैं,

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संयंत्रों को किन किन राज्यों में स्थापित करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) बिहार में स्लैग पर आधारित सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए जो बोकारो इस्पात संयंत्र से उपलब्ध स्लैग पर आधारित होगा, अक्तूबर, 1987 में स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि. द्वारा बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम और मैसर्स ओरियण्ट पेपर इण्डस्ट्री लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आरम्भ में इस संयंत्र की स्लैग सीमेंट की स्थापित वार्षिक क्षमता 10 लाख टन होगी।

उड़ीसा में सीमेंट संयंत्र लगाने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है। इस संयंत्र की स्थापना पूर्वी क्षेत्र में मांग सप्लाई के बीच सम्भावित अन्तराल राउरकेला में स्लैग की फालतू उपलब्धता और इस प्रकार की परियोजना के लिए योजना में धन-राशि की स्थिति पर निर्भर करेगी।

भारत पर्यटन विकास निगम को इसके प्रबन्ध के अधीन चलाये जा रहे पर्यटक वाहनों के कारण घाटा

*1003. श्री विमलकान्ति घोष
श्री भद्रेश्वर तांती :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध के अधीन चलाये जा रहे पर्यटक वाहनों के कारण वर्ष 1987-88 के दौरान निगम को कितना घाटा हुआ और उसके कारण क्या हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स प्रभाग को 1987-88 के दौरान 22.80 लाख रुपये का अनुमानित घाटा हुआ। वार्षिक खातों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

घाटे के प्रमुख कारण हैं :

(I) छोटे उद्यमियों/ऐसे स्वतंत्र व्यवसायी ट्रांसपोर्टर्स जिनका ऊपरी व्यय थोड़ा अथवा शून्य होता है, के साथ कड़ी प्रतियोगिता; और

(II) विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकारों/निगमों तथा प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स द्वारा संचालित पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स प्रभाग के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं;

(I) परिवहन एककों के विभिन्न प्रकार के वाहनों वाले बेड़े को युक्तियुक्त बनाना;

(II) परिवहन एककों में बेड़े और कर्मचारियों के बीच अनुपात को युक्तियुक्त बनाना;

(III) यात्रा अभिकरण कारोबार को अधिक लाभकारी बनाने पर अधिकाधिक बल देना; और

(IV) इन एककों के कार्य निष्पादन पर सूक्ष्म निगरानी रखना।

विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी समिति

*1005. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी कि विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं को अपना कार्य समुद्र तट से कितनी दूरी पर करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो कब और रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) से (ग) भारत के एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में चार्टर किए गए विदेशी मत्स्य जलयानों के प्रचालन के संदर्भ में मात्स्यकी संसाधनों से सम्बन्धित आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों का एक विशेष दल गठित किया गया था। इस दल न अपनी रिपोर्ट 23-1-88 को प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विदेश से चार्टर किये जाने वाले मत्स्य जलयानों के लिए लाइसेंस देने के संदर्भ में भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यकी संसाधनों की क्षमता के संबंध में 23-1-1988 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

(1) भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में दूरी के हिसाब से मत्स्य क्षमता का वितरण

2. 50 मील से परे के क्षेत्रों से डेमरसल मछली संसाधनों की अनुमानित क्षमता लगभग 3.02 लाख मीटरी टन है, जिसमें से 90 प्रतिशत उत्तर पश्चिमी तट से उपलब्ध है। मछली के भंडार की सघनता 90 नाविक मील तक उत्तर पश्चिमी तट के साथ गहराई में बढ़ता है, जबकि दक्षिण पश्चिमी तट के साथ अधिकतम सघनता 50 और 60 नाविक मील के बीच रिकार्ड की जाती हैं पूर्वी तट के निचले हिस्से के साथ अधिकतम बहुतायत 20 और 30 नाविक मील के बीच पाई

जाती है, तथापि, ऊपर के पूर्वी तट में किनारे से दूरी बढ़ने के साथ मछली की बहुतायत घट जाती है।

3. सामान्यता, ट्यूना और ट्यूना जैसी मछलियों का वितरण तट से 50-100 मील से परे अधिक सघन है।

(2) तट से 0 से 200 किलो मीटर तक 10 किलो मीटरों के अन्तर पर गहराई और दूरी के हिसाब से मात्स्य की क्षमता का वितरण

4. कुछ पाकिटों के अलावा, जहां अधिक सघनता 100-150 मीटर और 150-200 मीटर गहरे क्षेत्रों में उपलब्ध हैं, पश्चिमी तट के साथ 40-80 मीटर गहराई में डेमरसल मछली की सघनता सामान्यतया अधिक पाई जाती है। अपवादस्वरूप, कुछेक मामलों को छोड़कर, पूर्वी तट के साथ 100 मीटर तक की गहराई में वृद्धि के साथ संसाधनों की बहुतायत में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है और उसके बाद क्रमिक रूप से कमी होती है। 50 और 300 मीटर की गहराई के बीच डेमरसल मछली संसाधनों की अनुमानित क्षमता लगभग 5.3 लाख मीटरी टन है, जिसमें से 4.50 लाख मीटरी टन की संभावना पश्चिमी तट से है और 0.90 लाख मीटरी टन की संभावना पूर्वी तट से है।

(3) 50 से 100 मील से परे मत्स्य की आर्थिक व्यवहार्यता

5. चार्टर किये गए विदेशी मत्स्य जलयानों (स्टर्न ट्रालिंग और ट्यूना लोंग लाइनिंग) के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचालन की आर्थिक व्यवहार्यता नीचे दी गई है:—

		2 जलयानों के लिए निवल लाभ (लाख रुपए में)
(क)	100-300 मीटर गहराई के बीच स्टर्न ट्रालिंग (उत्तर पश्चिमी तट)	23.05
(ख)	100-300 मीटर गहराई के बीच स्टर्न ट्रालिंग (वेज बैंक)	20.40
(ग)	100-300 मीटर गहराई के बीच स्टर्न ट्रालिंग (पूर्वी तट)	13.50
(घ)	पश्चिमी तट से ट्यूना लोंग लाइनिंग	37.00

(4) चार्टर किए गए जलयानों के प्रचालन के क्षेत्र को सीमित करने की सिफारिश

6. इस रिपोर्ट में सारे भारतीय तट के साथ चार्टर किये गए विदेशी मत्स्यन जलयानों के 100 मीटर गहराई तक प्रचालन के क्षेत्र को सीमिति करने की सिफारिश की गई है। पश्चिमी तट के साथ 100 मीटर की गहरा कन्टूर किनारे से 25-50 नाविक मील दूरी के माध्यम से निकलने की संभावना है, जबकि पूर्वी तट के साथ यह तट से लगभग 20 नाविक मील अथवा इससे कम दूरी के माध्यम से निकलेगा। इस रिपोर्ट में 50 मील से परे ट्रालरों का प्रचालन व्यवहार्य नहीं माना गया है, क्योंकि ट्राल फिशिंग क्षेत्र केवल सीमित ही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्टाम्प शुल्क लिया जाना

*1006. श्री सुभाष यादव :

श्री श्रीहरि राव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 सितम्बर, 1975 के सरकारी आदेश के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित वर्ग और जनता फ्लैटों पर स्टाम्प शुल्क देय था;

(ख) यदि नहीं, तो निम्न आय वर्ग और जनता फ्लैटों पर यह शुल्क लिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) आदेश जारी किये जाने के बाद से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग और जनता फ्लैटों के आवंटितियों से अनुमानतः कितनी स्टाम्प शुल्क लिया गया है और शुल्क दर के बारे में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस प्रकार से लिये गए शुल्क का वापस करने का विचार है; और

(ङ) क्या स्टाम्प शुल्क लेने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी नहीं।

(ख) निम्न आय वर्ग तथा जनता फ्लैटों पर कोई स्टाम्प शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए इनका प्रश्न ही नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी समितियां

*1010. श्री मुरलीधर माने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित विभिन्न मामलों पर इस समय कार्यरत समितियों के नाम क्या हैं;

(ख) किन-किन समितियों में जनता के प्रतिनिधियों को नामजद किया गया है और ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र के लोगों को भी इसमें नामजद किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा समुद्री मछली पकड़ने को प्रभावित करने वाले मामलों से संबंधित इस समय कार्यरत समितियों के नाम इस प्रकार हैं:—

(1) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के विकास के लिए शक्ति प्राप्त समिति।

(2) मत्स्यन ट्रालरों से संबंधित शक्ति प्राप्त समिति।

(3) भारतीय नौवहन (शिपिंग) ऋण और निवेश कम्पनी संबंधी शक्ति प्राप्त समिति।

(4) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं को किराये पर लेने के आवेदनों पर विचार करने के लिए जांच पड़ताल समिति।

(5) मत्स्य नौकाओं की अधिप्राप्ति के लिए लाइसेंस देने से संबंधित समिति।

(6) मत्स्य स्रोतों के प्रबन्ध संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति।

(7) समेकित मात्स्यकी परियोजना, भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण और केन्द्रीय मात्स्यकी नाटिकल और इन्जीनियरी प्रशिक्षण संस्थान के कार्यों को समन्वित करने के लिए प्रबन्ध समिति।

(ख) जिन समितियों पर जनता में से व्यक्ति नामित किये गए हैं वे इस प्रकार हैं :—

समिति का नाम	नामित का ब्यौरा
समुद्री मत्स्य स्रोतों के प्रबन्ध संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति	(1) सर्वश्री बी. एस. चौहान/सी. बालकृष्ण, राष्ट्रीय मछुआरा संघ के प्रतिनिधि।
	(2) भारतीय मात्स्यकी उद्योगों के संघ के प्रतिनिधि के रूप में किसी को भी नामित नहीं किया गया।
	(3) श्री जी. एन. मित्रा, मात्स्यकी सलाहकार।
झींगा सम्बन्धी वास्तविक स्थिति पर तकनीकी समिति	(1) श्री एन. एस. एच. प्रसाद अध्यक्ष भारतीय मात्स्यकी उद्योगों के प्रतिनिधि।
	(2) सर्वश्री अमर दास/एस. प्रभाकरन, राष्ट्रीय मछुआरा संघ के प्रतिनिधि।

(ग) और (घ) इन समितियों में मछुआरा संघ और मात्स्यकी उद्योगों के प्रतिनिधि लिए जाते हैं। इन समितियों में राज्यवार प्रतिनिधि लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा विविधिकरण

*1012. श्री जी. एस. बसवराजू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अखबारी कागज और सिंथेटिक रबड़ के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर विविधिकरण की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा अखबारी कागज और रबड़ का कुल कितनी मात्रा में निर्माण किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी हां, राष्ट्रीय कैमीकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की कारपोरेट योजना में अखबारी कागज और सिंथेटिक रबड़ के निर्माण में विविधता के लिए प्रस्ताव सम्मिलित हैं।

(ख) हालांकि कम्पनी ने अभी तकनीकी-आर्थिक-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार नहीं की है; फिर भी प्रस्ताव में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रति वर्ष 101 लाख टन अखबारी कागज के निर्माण के लिए एक संयंत्र स्थापित करने और लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिवर्ष 60,000 टन सिंथेटिक बूटाडिन स्टीरेन रबड़ सहित सिंथेटिक इलास्टोमर्स के निर्माण के लिए दूसरा संयंत्र लगाने की परिकल्पना की गई है।

सोयाबीन से तैयार दूध का प्रयोग

*1013. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम. एस. विश्व-विद्यालय बड़ौदा में किये गए अध्ययन के अनुसार डेरी का दूध और मूंगफली का दूध मिलाने से उसमें लोहे की मात्रा बढ़कर मानक भोजन में लोहे की मात्रा के बराबर हो जाती है जबकि इस तरह का गुण सोयाबीन से तैयार दूध में नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का देश में सोयाबीन से तैयार दूध का प्रयोग जारी रखने के बारे में जिसकी केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान; मैसूर ने वकालत की है तथा जिसका राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा बेचे जा रहे चाय काली आदि जैसे उत्पादों में उपयोग किया जा रहा है, पुनर्विचार करने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि आहार में लोह की उपलब्धता तीन किस्मों का दूध मिलाने से बढ़ जाती है—

नामतः, मूंगफली का दूध (8.2 प्रतिशत), डेरी का दूध (7.6 प्रतिशत) और सोयाबीन का दूध (5.2 प्रतिशत)।

(ख) जी, नहीं, सरकार का देश में सोयाबीन के दूध के वर्तमान उपयोग की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान ने देश में केवल सोयाबीन के दूध के उपयोग की कभी भी वकालत नहीं की है। सोयाबीन के दूध का उपयोग पशुओं से प्राप्त उपलब्ध दूध के पूरक के रूप में किया जाता है।

मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त गेहूं की खरीद

*1016. श्री एच. बी. पाटिल :

श्री रामधन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "हैवी लास टू एफ.सी.आई. फ्राम बैड व्होट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम ने मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त भारी मात्रा में गेहूं की खरीद की, जिससे इसको भारी घाटा हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि गेहूं को उतारते समय यह पाया गया कि इसमें भारी मात्रा में कीड़ा लगा हुआ है तथा यह बड़ी मात्रा में पाउडर बन गई थी और इसमें खपरा कीड़े के अंश पाये गये थे और इसके कारण रेलवे स्टेशन पर माल चढ़ाने उतारने वाले श्रमिकों में एलर्जी आदि के लक्षण पैदा हो गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, करने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने नैनो से मंगलौर प्रेषण करने के संबंध में अपने 8 कर्मचारियों के विरुद्ध, झांसी से बंगलौर प्रेषण करने के संबंध में 12 कर्मचारियों के विरुद्ध तथा औरई से मंगलौर प्रेषण करने के संबंध में 6 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

विवरण

(ग) दिनांक 10.4.1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए गए एक लेखा परीक्षा पैरा पर आधारित है। यह लेखा परीक्षा पैरा कर्नाटक की रोलर फ्लोर मिलों को जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिपुओं से घटिया किस्म के प्रेषित किए गए गेहूं से संबंधित है जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

क्र.सं.	अवधि	से	को	मात्रा (मीटरी टन में)
1.	फरवरी—मार्च, 1984	नैनी	मंगलौर	2170
2.	सितम्बर, 1985	झांसी	मंगलौर	1117
3.	अक्तूबर, 1985	औरई	मंगलौर	1675

स्टाक का उतरान करने के बाद यह पाया गया था कि नैनी से प्राप्त हुआ स्टाक अत्यधिक जन्तुबाधित था तथा उसमें काफी पाउडर बन चुका था तथा उसमें खपरा लगा हुआ था। जिन मजदूरों ने इस स्टाक को हैंडल किया था उनकी त्वचा, आंखों आदि में एलर्जी के लक्षण पैदा हो गए थे। झांसी और औरई से प्राप्त हुआ स्टाक भी अत्यधिक जन्तुबाधित था। मजदूरों ने इस स्टाक को उतारने से इन्कार कर दिया था। भारतीय खाद्य निगम को इस स्टाक का संचलन करने, उसे साफ करने तथा उसका उच्च श्रेणीकरण करने आदि पर लगभग 46 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जिनियरों के साथ विवाद

*1017. श्रीमती एन.पी. झांसी लक्ष्मी :

श्री ए.जे.वी.बी. महेश्वर राव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, 1986 में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और जूनियर इंजीनियरों

की एसोसिऐशन के बीच हुई समझौता कार्यवाही के विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियर "कर्मकार" हैं और वे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत आते हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने इस विवाद को औद्योगिक अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए इस कारण न भेजने का निर्णय किया कि एसोसिएशन द्वारा उठाई गई मांगे वे मामले हैं जिसके लिए उचित मंच चौथा वेतन आयोग था तथा यह सूचित किया गया है कि एसोसिएशन ने उन मांगो को पहले ही चौथे वेतन आयोग को प्रस्तुत कर दिया है। इस निर्णय की एसोसिएशन तथा सी.पी. डब्ल्यू. डी. प्रबंध तंत्र को 14.1.87 को सूचना दे दी गई थी।

कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विशेष कार्यवाही योजना

[हिन्दी]

*1018. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यवाही योजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार है;

(ग) किसानों को प्रमाणित बीजों और उर्वरकों की कितनी मात्रा दिए जाने का विचार है; और

(घ) बीजों और उर्वरकों की सप्लाई के स्रोतों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां। सातवीं योजना के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप वर्ष 1988-89 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ख) कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु "लघु व सीमान्त कृषकों की सहायता" की केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित योजनान्तर्गत लगभग 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि लाने का प्रस्ताव रखा गया है . अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छोटे व सीमान्त किसानों के लिए 10 लाख कूओं के अन्तर्गत लगभग 3 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई की सुविधा मिलेगी। विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए चुने गए राज्यों में चुनी गई बड़ी व मध्यम परियोजनाओं से सिंचाई को और पहले शुरू की योजना के अन्तर्गत लगभग एक लाख हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त मात्र लाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त चुने गए जिलों में तालाब सिंचाई की सुविधा को भी बढ़ाया जाएगा।

(ग) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को चावल व गेहूं, प्रत्येक के लिए एक लाख क्विंटल प्रमाणित बीज की मात्रा तथा मक्के के लिए 40000 क्विंटल बीज की मात्रा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया है। विशेष कृषि जलवायु के लिए गेहूँ व चावल प्रत्येक की एक लाख क्विंटल बीज की मात्रा बफर स्टाक के रूप में रखने के लिए प्रस्ताव किया गया है। जहां तक उर्वरक का संबंध है, चुने गए जिलों में 20 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर अतिरिक्त पोषक तत्वों का प्रयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में अतिरिक्त 100 खुदरा बिक्री केन्द्र और उन केन्द्रों में उर्वरक को पहले से ही उपलब्ध कराने का विचार किया गया है।

(घ) राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, तथा राज्य बीज निगमों जैसी एजेंसी के माध्यम से बीज, के प्रबंध व भंडारण करने का प्रस्ताव है। उर्वरकों के मामले में इनकी आपूर्ति राज्य स्तरीय सहकारी समितियों और सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाएं जैसे कृषि उद्योग निगम के माध्यम से की जाएगी।

दिल्ली को सुन्दर बनाना

[अनुवाद]

*1019. श्री पी. पेंचालैय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों को सुन्दर बनाने के लिए कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के बृहद योजना और अन्य सदृश स्कीमों के अन्तर्गत सौन्दर्यकरण स्कीमें प्रारम्भ करने के लिए वर्ष 1988-89 के अपने बजट अनुमानों में 5.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सौन्दर्यकरण कार्यों की 53 मुख्य स्कीमों की एक सूची सभा पटल पर रखे विवरण I में दी गई है।

दिल्ली नगर निगम का स्टाक इत्यादि के वेतनों के भुगतान सहित अपने उद्यान विभाग के लिए कुल 9.15 करोड़ रुपये का बजट है। इसमें से, 2.98 करोड़ रुपये विभिन्न क्षेत्रों पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव है, जैसा कि सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण-2 में दिया गया है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का भी एक उद्यान निदेशालय है, परन्तु, यह सरकारी कालोनियों और कार्यालयों इत्यादि में केवल अनुरक्षण कार्य कर रहा है। इस प्रकार के सौन्दर्यताकरण का कोई प्रावधान नहीं है। नई दिल्ली नगर पालिका को भी 33.25 लाख रुपये खर्च करने की योजना है, जैसा कि सभा पटल पर प्रस्तुत सलंग्न विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण-1

सौन्दर्यपरकता कार्यों (उद्यान) के लिए कुछ मुख्य स्कीमों के अन्तर्गत बजट प्रावधान

क्र. सं.	स्कीम का नाम	बजट अनुमान (1988-89) (आंकड़े लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	विजय मण्डल (बेगमपुर)	7.80
2.	जामा मस्जिद क्षेत्र	11.45

1	2	3
3.	मस्जिद बादशाह (शान्ति वन)	3.20
4.	शाहदरा जोन	7.60
5.	वजीरपुर	4.40
6.	पुराना किला क्षेत्र	5.50
7.	निजामुद्दीन क्षेत्र	3.50
8.	होजखास क्षेत्र	2.00
9.	कालिन्दी कालोनी	1.90
10.	लारेंस रोड	2.05
11.	दिलशाद गार्डन	8.00
12.	मोरी गेट	2.45
13.	मंडावली	3.40
14.	गाजीपुर काम्प्लैक्स	14.80
15.	राजोरी गार्डन	16.70
16.	ख्याला	15.00
17.	ढक्का	2.85
18.	विजय नगर	6.12
19.	कोआपरेटिव सोसाइटी शाहदरा	7.50
20.	मुलतान नगर	5.50
21.	जनकपुरी	4.10
22.	झिलमिल	4.70
23.	नानक विहार	2.00
24.	गोकलपुरी	2.00
25.	मजनू का टीला	6.90
26.	बसई दारापुर	4.00
27.	सिद्धार्थ एनक्लेव	8.45
28.	पटपड़ गंज	16.00
29.	कल्याणपुरी (सोमासिंह वन)	5.07
30.	जिला केन्द्र (कल्याणपुरी)	10.50
31.	त्रिलोकपुरी चरण-1	10-10

1	2	3
32.	मायापुरी	22,30
33.	मगलापुरी	5.00
34.	सामुदायिक केन्द्र पीतमपुरा	7.00
35.	जिला पार्क कालकाजी	4.00
36.	ममसुग्रा गांव	12.00
37.	वजीरपुर	4.85
38.	परमेश्वरी वाला बाग	8.50
39.	सत्य निकेतन	4.00
40.	दसघेरा गांव	3.20
41.	नरायण शादीपुर रिंग रोड	6.50
42.	वुड लैंडस पार्क राजेन्द्र नगर	40.75
43.	गोंडा गांव	11.80
44.	हरी नगर,	9.50
45.	पीतमपुरा	13.50
46.	फल व टिका उद्यान मण्डल	7.20
47.	विभिन्न स्थलों पर पार्क	3.70
48.	अलकनंदा	3.50
49.	सरिता विहार	9.00
50	विश्वविद्यालय क्षेत्र	20.00
51.	शालीमार बाग	9.40 +8.30
52.	पीतमपुरा-शालीमार	15.00
53.	फल वाटिका वजीरपुर	4.00

विवरण-2

क्र. सं.	व्यय शीर्ष	राशि (रुपये)
1.	वृक्षणों का अनुरक्षण	25,00,000
2.	नर्सरी अनुरक्षण	5,00,000
3.	अनुरक्षण स्टाफ और ट्रकों को किराये पर लेने सहित पार्कों, उद्यानों, बालक्रीड़ा स्थलों का सुधार	1,60,00,000

1	2	3
4.	उद्यान विकास और भूदृश्य निर्माण परियोजनायें	10,00,000
5.	शहरी पार्कों का विकास	10.00,000
6.	ग्रामीण पार्कों का विकास	10,00,0C0
7.	कुदसिया गार्डन का विकास/सुधार	1,00,000
8.	अतिरिक्त नागरिक सुविधायें (उद्यान) भूदृश्य निर्माण	5,00,000
9.	यमुना पार क्षेत्र में फल और पुष्प उद्यान का विकास	25,00,000
10.	नये इन्जीनियरी निर्माण कार्य	20,00,000
11.	बाहर दीवारी, रेलिंगों इत्यादि की मरम्मत और अनुरक्षण तथा रेलिंगों का रंग-रोगन	20,00,000
12.	निगम स्कूलों में हरियाली और बागान	7,00,000
	योग :	2,98,00,000

विवरण—3

		(रुपये लाखों में)
1.	ए.आई.एम.एस. नाले को ढकना	1.00
2.	सरोजनी नगर नाले को ढकना	1.00
3.	नेताजी नगर नाले को ढकना	1.00
4.	नेहरू पार्क का विकास	2.00
5.	खुले स्थलों में पार्कों का विकास	0.50
6.	वृक्षों का अन्तरोपण	1.00
7.	और अधिक बाल पार्कों का प्रावधान	0.50
8.	रिहायशी कालोनियों में पार्कों का विकास	0.50
9.	शहरी वन का विकास	1.00
10.	रोज गार्डन का पुनर्विकास	0.50

11.	बड़े वृक्षों का विकास	0.50
12.	विकसित वृक्षों का प्रलक्षण	0.75
13.	पुन: घास लगाना और वृक्षों का पुनरुज्जीवन	1.00
14	बाल पार्क का पुनर्विकास	1.00
15.	हरिजन बस्ती में पर्यावरणीय सुधार	1.00
16.	सड़कों और नालों के साथ-साथ पर्यावरणीय सुधार	20.00
	योग :	33.25 लाख

आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल और औषधालय

*1020. श्री बी. तुलसी राम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों और औषधालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य सरकार से राज्य में प्रत्येक तहसील/तालुका में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कम से कम एक अस्पताल खोलने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कुछ और औषधालय खोले जाने की सम्भावना है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावों के कब तक कार्यान्वित किये जाने की आशा है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आन्ध्र प्रदेश में आठ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, एक कर्मचारी राज्य बीमा उप भवन और 107 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : इस समय किसी नए औषधालय को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लद्दाख में पर्यटन का विकास

10057. श्री के. एस. राव : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्तमान "व्हाइट वाटर स्पोर्टस" में सुधार करके लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लेह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये श्रीनगर-लेह सड़क का सुधार किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सड़क की अच्छी प्रकार से मरम्मत करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव न तो मंत्रालय के विचाराधीन है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) इस सड़क की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। यह सड़क अत्यन्त कठिन भूभाग से होकर गुजरती है और भारी हिमपात के कारण सर्दियों के महीनों के इसे सामान्यतः बन्द कर दिया जाता है। सड़क मार्ग के अलावा, श्रीनगर और लेह के बीच वायु-मार्ग भी है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों की भविष्य निधि

10058. श्री राम बहादुर सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के प्राधिकारी ठेकेदारों के मजदूरों के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान को कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के पास जमा नहीं कराते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के प्राधिकारी दिहाड़ी मजदूरों के भविष्य निधि के अंशदान की राशि का कोई लेखा जोखा भी नहीं रखते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के प्राधिकारी अपने श्रमिकों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि की राशि का भी कोई लेखा नहीं रखते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) श्रमिकों के हितों की रक्षा और भविष्य निधि लेखाओं के उचित रखरखाव हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, मैसर्स बोकारो फण्ड ट्रस्ट स्टील प्लांट कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है और यह "बोकारो स्टील ईम्पलाईज प्रोवीडेंट नामक न्यास के माध्यम से अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि लेखा रख रहा है। यह बताया गया है कि वे कुछ ठेकेदारों के प्रतिष्ठानों के भविष्य निधि लेखे भी रख रहा है।

(ख) बताया गया है कि मैसर्स बोकारो स्टील प्लांट कर्मचारियों, जिनमें दैनिक मजदूरी कर्मकार शामिल हैं, से वसूल की गई भविष्य निधि राशि के पूरे रिकार्ड रख रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारी सामायिक निरीक्षणों के माध्यम से छूट प्राप्त निधि के कार्यकरण पर निगरानी रखता है और जब अधिनियम के उपबंधों या योजना का कोई उल्लंघन ध्यान में आता है, तो उसे दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

विशाखापत्तनम् इस्पात परियोजना द्वारा अपनाई गई आरक्षण समाप्त करने की प्रक्रिया

10059. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना द्वारा आरक्षण समाप्त करने की अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने संवर्ग/पद-वार कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी पदों के आरक्षण समाप्त किए गए;

(ग) क्या कार्मिक विभाग के दिनांक 17 अक्तूबर, 1986 के ज्ञापन संख्या 36011/8/84-स्था. (एस. सी. टी.) में निहित अनुदेशों का अवर प्रबंधक (वित्त) की भर्ती के संबंध में अनुपालन किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी निर्देशों के अनुसार कितने रिक्त स्थानों को आरक्षित करना आवश्यक है तथा वस्तुत: इस सिस्टम विभाग में कितने पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों में निर्धारित आरक्षण समाप्त करने सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।

(ख) वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 के दौरान, कनिष्ठ प्रबन्धक (वित्त तथा लेखा) के 10 पदों और प्रबन्ध प्रशिक्षार्थी (तकनीकी) के 44 पदों पर आरक्षण समाप्त किया गया था।

(ग) कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना द्वारा अनुपालन किया गया था।

(घ) पद्धति विभाग में की गई सीधी भर्ती में 5 रिक्त पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए थे परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की गई।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा मैसर्स लिप्टन इन्डिया लिमिटेड द्वारा ठेके पर रखे गये श्रमिकों के संबन्ध में श्रम कानूनों का लागू किया जाना

10060. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा मैसर्स लिप्टन इन्डिया लिमिटेड ने उसी प्रबंधन के साथ भंडारण, स्टेकिंग, रिपैकिंग, सामान भेजने, इनवायरिंग तथा बैंकिंग के कार्य में पूरे देश में ठेके पर रखे गये श्रमिकों के स्थान पर अन्य श्रमिक रखे हैं;

(ख) क्या यह प्रतिस्थापन पूरे देश में प्रेषक एजेंटों के निष्कासन में आवरण में किया गया है।

(ग) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को उक्त कर्मचारियों से संबंधित भविष्य निधि के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये उत्तरदायी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का उक्त कर्मचारियों को श्रम कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी सभी कानूनों का संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स लिप्टन इन्डिया लिमिटेड और मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अनुसूचित श्रम प्रथाओं को व्यवहार में लाना

10061. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिप्टन इण्डिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, जो निश्चित रूप से एक ही प्रबन्ध के अधीन है, देश में अपने बड़े एककों को बेचने जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की अनुसूचित श्रम प्रथाओं का उक्त प्रबन्धों के अधीनस्थ संगठित श्रमिकों-पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के के अनुसार, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने 23.11.83 को लिप्टन इण्डिया लिमिटेड के साथ अपने चार उपक्रमों की कार्य कर रहे प्रतिष्ठानों के रूप में बिक्री के लिए बिक्री करार किया। इनमें से दो उपक्रम खाद्य चिकनाई के विनिर्माण में लगे हैं तथा ये उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में स्थित हैं। तीसरा उपक्रम डेरी है, जो उत्तर प्रदेश में एटा में स्थित है। चौथा उपक्रम पशु और मुर्गी चारे के विनिर्माण तथा बिक्री में लगा है तथा इसके कुछ अनुषंगी प्लांट हैं, और दो शाखा कार्यालय हैं, जो भारत के विभिन्न भागों में स्थित हैं। स्थानांतरण व विलेख पर 11.5.1984 को हस्ताक्षर किए गए। कार्यरत प्रतिष्ठानों के रूप में चार उपक्रमों के स्थानांतरण के आंतरिक भाग के रूप में, चार उपक्रमों के प्रबंधकीय तथा गैर-प्रबंधकीय संवर्ग में कर्मचारियों की सेवाएं लिप्टन इण्डिया लिमिटेड को स्थानांतरित कर दी गई है तथा इनकी पिछली सेवा जारी रहेगी और उनकी मौजूदा शर्तों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों को सामान्य नोटिस देकर तथापत्राचार से इस तथ्य की सलाह दे दी गई है।

दिल्ली में सांस्कृतिक संगठन

10062. **श्री डी. पी. यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में उन सांस्कृतिक संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने उन्हें आवंटित भूमि का दुरुपयोग किया, प्रत्येक मामले में किस तरह दुरुपयोग किया गया, दुरुपयोग की अवधि क्या थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी;

(ख) क्या कोई ऐसे मामले हैं, जिनमें दुरुपयोग प्रभार लगाया गया किन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है, प्रत्येक से कितनी धनराशि मांगी गयी और अब तक प्रत्येक से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सांस्कृतिक संगठनों सहित भूमि का दुरुपयोग सभी वर्गों द्वारा पट्टा करारों की शर्तों के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। जब कभी ऐसे दुरुपयोग ध्यान में आते हैं तो प्रभारों की वसूली करके इस प्रकार के दुरुपयोग को अस्थाई रूप से नियमित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जाती है। यह सभी पट्टों के लिए एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर स्थिति में परिवर्तन होता है। दुरुपयोग के मामले व्यक्तिगत पट्टा फाइलों में निपटाए जाते हैं न कि श्रेणीवार।

मद्रास में होटल

10063. श्री एल. बैनिस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों की सहायता से मद्रास में कुछ नये होटल बनाये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा द्वारा आवंटित धनराशि का उपयोग

10064. श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाया है और उसने यह दावा किया है कि प्रभावी राहत उपाय किए जाने से राज्य सूखे के प्रतिकूल प्रभावों पर काबू पा सकता है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने सूखे के कुप्रभावों पर काबू पा लिया है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जो अभी भी सूखे के प्रतिकूल प्रभावों से पीड़ित हैं, और

(घ) सूखा प्रवण राज्यों में सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1987-88 में राज्य ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए संसाधनों के 89 प्रतिशत और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए संसाधनों के 87 प्रतिशत का उपयोग किया। केन्द्रीय सरकार को दावे के संबंध में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, जैसाकि प्रश्न के इस भाग में बताया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार 15 राज्य विभिन्न मात्रा में सूखे से प्रभावित हुए हैं। किसी राज्य ने सूखे के बुरे प्रभावों पर पूरी तरह से काबू पाने की सूचना नहीं दी है।

(घ) सूखे से प्रभावित राज्यों में रोजगार सृजन, पेयजल आपूर्ति के प्रावधान गोपशु संरक्षण और चारे की सप्लाई, कृषि आदानों तथा अनुपूरक पोषाहार के प्रावधान के लिए राहत उपाय किए गए हैं।

विवरण

सूखे से प्रभावित राज्यों के नाम

1. आन्ध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. हिमाचल प्रदेश
5. जम्मू व काश्मीर
6. केरल
7. कर्नाटक
8. महाराष्ट्र
9. मध्य प्रदेश
10. नागालैंड
11. उड़ीसा
12. राजस्थान
13. पंजाब
14. तमिलनाडु
15. उत्तर प्रदेश

पशु तथा दुग्ध प्रौद्योगिकी का निर्यात

10065. डा. वी. विजय रामा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुग्ध उत्पादन पर भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी मिशन का क्या प्रभाव पड़ा,

(ख) क्या सरकार को अन्य देशों से सूखा प्रतिरोधी दुधारू पशुओं तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिये अनुरोध प्राप्त हुए हैं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का पशु चारे का निर्यात करने और बटर आयल तथा दुग्ध चूर्ण का यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से आयात करने का विचार है जो इस समय चेरनोबिल रेडियो धर्मिता से सुरक्षित है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) पशु-वृन्द सुधार हेतु भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी से सम्बंधित विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी मिशन हाल ही में केवल कुछ मान्यताप्राप्त अनुसंधान एवम् विकास संस्थानों में ही शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पशु एवम् भैंसों के आनुवंशिक सुधार करना है, जो एक लम्बी प्रक्रिया है। दुग्ध उत्पादन पर इसके पड़े प्रभावों का पता कुछ समय के पश्चात् ही लगाया जा सकेगा।

(ख) और (ग) जी, नहीं। अन्य देशों से सूखा प्रतिरोधी दुधारू पशुओं तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, कुछ पशुओं और भैंसों की सप्लाई हेतु क्रमशः भूटान और मिश्र से प्राप्त हुए अनुरोध विचाराधीन हैं।

(घ) इस समय पशु आहार के निर्यात से सम्बंधित कोई प्रस्ताव नहीं हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सात वर्षों से अधिक अवधि (1987-1994) में 75,000 मीटरी टन स्किम दुग्ध-चूर्ण तथा 25,000 मीटरी टन बटर आयल के आयात हेतु एक समझौता किया गया है। इस समझौते की शर्त यह होगी कि यह प्रेषण भारतीय परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियत किए गए रेडियो धर्मिता मानक की सीमा के अनुरूप हो।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के केन्द्रीय विपणन संगठन को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाना

10066. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के केन्द्रीय विपणन संगठन (सी. एम. ओ.) को धीरे धीरे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि इसका कलकत्ता में इस्पात उद्योग पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : पश्चिम बंगाल की सरकार ने सितम्बर, 1987 में यह बात इस मंत्रालय के ध्यान में लाई थी कि केन्द्रीय विपणन संगठन के मुख्यालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की किसी कार्रवाई से "सेल" को लाभ नहीं होगा और उसके कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर लगाने से कर्मचारियों को काफी कठिनाई होगी। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि केन्द्रीय विपणन संगठन के मुख्यालय को समाप्त करने के सम्बद्ध में कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

हिमालय के खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण

10067. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के खनन क्षेत्रों में धूल का प्रसार बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने तथा हवा में धूल के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हिमालय के खनन क्षेत्रों में देवदार और सीदर जैसे वृक्ष लगाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता

10068. **श्री आयनल अबेदिन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित सहायता योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई और अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने किसानों को लाभ पहुंचा है; और

(ग) सातवीं योजना की शेष अवधि के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन लाभान्वित हुए किसानों की संख्या सहित राज्यों को अब तक निर्मुक्त की गई तथा उनके द्वारा प्रयुक्त कुल केन्द्रीय सहायता का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है।

(ग) राज्यों द्वारा धन की उपलब्धता के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	निर्मुक्त किया गया कुल केन्द्रीय भाग (लाख रुपयों में)	सितम्बर 87 तक प्रयुक्त केन्द्रीय भाग (लाख रुपयों में)	कुल लाभान्वित किसानों की संख्या (दिसम्बर, 87 तक)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	2796.71	2613.17	1139939
असम	715.86	226.67	398230×
बिहार	3227.41	2017.44	2987978
गुजरात	1751.41	1579.83	635870

1	2	3	4
गोवा (दमण और दीव केन्द्र शासित क्षेत्र शामिल)	(दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल किया गया है।)		
हरियाणा	594.67	384.29	260388
हिमाचल प्रदेश	535.64	387.07	141423
जम्मू और कश्मीर	388.64	321.67	198461 ×
कर्नाटक	1227.72	1088.08	811414
केरल	1191.12	1120.40	966030
मध्य प्रदेश	3817.33	2842.44	1289629
महाराष्ट्र	2964.91	3028.39	2184331
मणिपुर	157.95	35.19	123785 ×
मेघालय	81.78	56.27	13864 ×
नागालैंड	200.12	220.37	44348 ×
उड़ीसा	2253.39	1759.17	666937
पंजाब	690.79	560.92	289368
राजस्थान	1361.04	938.11	434175
सिक्किम	31.05	29.64	13477
तमिलनाडु	3040.50	2027.79	2066801
त्रिपुरा	126.96	147.81	53089
उत्तर प्रदेश	7624.43	8629.50	5108278
पश्चिम बंगाल	2110.92	1080.70	1756095 ×
अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	34.65	5.26	7256
अरुणाचल प्रदेश	473.46	225.18	58327
चण्डीगढ़	7.31	3.51	3297
दादर और नगर हवेली	4.55	2.58	3044
दिल्ली	34.65	7.94	8700 ×
दमण और दीव	130.14$	69.14$	23536$
लक्षद्वीप	44.25	32.96	17280
मिजोरम	265.74	293.26	19935
पांडिचेरी	35.85	25.79	11642
अखिल भारत	37921.44	51966.44	21736857

$=गोवा राज्य भी सम्मिलित है।

×=मुख्यत: बीजा मिनिकिट वितरण घटक के अधीन लाभान्वित किसान।

टिप्पणी: प्रयोग की गई राशि से संबंधित आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त की गई त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों पर आधारित हैं।

पश्चिम बंगाल में आलू के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्र

10069. श्री रेणुपद दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में आलू के अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार है ताकि राज्य में आलू का उत्पादन बढ़ाया जा सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) (क) जी, नहीं।

(ख) भारत कृषि अनुसंधान परिषद के शिमला स्थित केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र दार्जलिंग (पश्चिम बंगाल) में पहले से ही काम कर रहा है। इस केन्द्र के अलावा कल्याणी स्थित बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय में आलू सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित योजना भी काम कर रही है ताकि राज्य में आलू से संबंधित स्थान विशेष की परिस्थितियों के अनुसार अनुसंधान किए जा सकें।

खाद्य तेलों का आवंटन

10070. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों को गत छः महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्य तेलों की प्रति माह राज्य-वार कितनी मात्रा का आवंटन किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नवम्बर, 1987 से अप्रैल, 1988 तक विगत छः महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन

(मी. टनों में)

क्र.सं. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	नव.	दिस.	जन.	फर.	मार्च	अप्रैल
1. आन्ध्र प्रदेश	21000	21000	17000	11400	8550	7200
2. असम	800	800	600	400	300	250
3. बिहार	3600	3100	2100	1400	700	600
4. गुजरात	24000	24000	19000	12750	9600	7850
5. हरियाणा	2500	2500	2500	2000	1500	1250
6. हिमाचल प्रदेश	2600	2600	1700	1150	850	700

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जम्मू व कश्मीर	2100	2100	1800	1200	900	740
8.	कर्नाटक	11000	11000	8500	5700	4250	3500
9.	केरल	11000	11000	8500	5700	4250	4000
10.	मध्य प्रदेश	10000	10000	7500	5000	3800	3150
11.	महाराष्ट्र	27000	27000	24500	16400	12500	10250
12.	मणिपुर	1200	1200	1000	600	450	370
13.	मेघालय	900	900	600	400	300	250
14.	नागालैंड	1000	1000	750	500	400	330
15.	उड़ीसा	4800	4800	3800	2600	1200	1000
16.	पंजाब	2400	2400	2300	2000	1500	1230
17.	राजस्थान	5000	5000	4500	3000	1500	1230
18.	सिक्कम	450	450	350	250	200	170
19.	तमिलनाडु	16000	16000	10500	7000	5250	4300
20.	त्रिपुरा	600	600	500	340	260	220
21.	उत्तर प्रदेश	10000	10000	7400	4950	3750	3080
22-	पश्चिम बंगाल	22000	22000	15500	10400	7800	6400
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	140	140	100	65	50	40
24.	अरुणाचल प्रदेश	140	140	100	65	50	40
25.	चंडीगढ़	250	250	200	150	150	130
26.	दादरा व नगर हवेली	100	100	100	65	50	80
27.	दिल्ली	6000	6000	5700	3800	3250	2750
28.	गोवा, दमण व दीव	1300	1300	900	600	450	370
29.	लक्षद्वीप	70	70	70	50	40	160
30.	मिजोरम	500	500	400	270	200	400
31.	पाण्डिचेरी	800	800	500	330	250	210
32.	दमण	100	100	100	65	50	40
333.	दीव	50	50	50	35	30	30
	योग :	189400	188900	149120	100635	74380	62320

मछुआरा सहकारी समितियों को सहायता

1007I. श्री मतिलाल हंसदा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मछुआरा सहकारी समितियों को वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) मछुआरों के गांवों के विकास के लिए राज्य-वार कौन सी केन्द्रीय प्रायोजित योजना बनाई गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) राष्ट्रीय सहायता विकास निगम ने 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान मात्स्यकी सहकारी समितियों को राज्यवार निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

(लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	1985-86	1986-87	1987-88
1. आन्ध्र प्रदेश	11.188	47.669	80.999
2. गुजरात	99.537	97.958	121.568
3. कर्नाटक	—	—	—
4. केरल	234.274	92,087	152.905
5. मणिपुर	1.892	1.420	2.639
6. महाराष्ट्र	145.273	90.393	58.789
7. मध्य प्रदेश	—	—	—
8. उड़ीसा	—	1.679	15.988
9. तमिलनाडु	47.045	41.825	56.985
10. त्रिपुरा	—	—	—
11. राजस्थान	8.008	0.280	—
12. पश्चिम बंगाल	24.985	—	25.029
13. हिमाचल प्रदेश	0.750	—	—
14. पांडिचेरी	1.720	1.548	—
15. राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी फेडरेशन लिमिटेड	—	0.868	4.637
योग	574.672	375.727	520.156

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास, पीने के पानी सप्लाई, समुदाय हाल तथा ऋण समिति की सुविधाओं के साथ 62 माडल मछुआरा गांवों के विकास के लिए 400 रुपये के

परिव्यय से राष्ट्रीय कल्याण निधि नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अनुमोदित की गई है। 16 राज्यों तथा 1 केन्द्र शासित क्षेत्र के माडल मछुआरा गांवों के विकास का विवरण निम्न प्रकार है :—

राज्य	विकसित किए जाने वाले माडल मछुआरा गांवों की सं.	
1. उत्तर प्रदेश	6	
2. कर्नाटक	6	
3. केरल	6	
4. आन्ध्रप्रदेश	5	
5. मध्य प्रदेश	5	
6. बिहार	5	
7. उड़ीसा	5	
8. तमिलनाडु	5	
9. असम	3	
10. महाराष्ट्र	3	
11. पश्चिम बंगाल	3	
12. गुजरात	3	
13. जम्मू और कश्मीर	1	
14. मणिपुर	1	
15. त्रिपुरा	1	
16. गोवा	1	
17. पांडिचेरी	1	
कुल—	60	2 गांव आबंटित किए जाने हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कार्य निष्पादन सूचक को बदलने का निर्णय

10072. डा. बी. एल. शैलेश : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के कार्य निष्पादन सूचक को बदलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो परिवर्तन करने का मुख्य कारण क्या है और बिक्री योग्य इस्पात के

उत्पादन की तुलना में कच्चे इस्पात का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों के उत्पादन लक्ष्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। तप्त धातु और अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के आंकडे विक्रेय इस्पात की तुलना में संयंत्र के निष्पादन के अधिक सही सूचक होते हैं। अपरिष्कृत इस्पात, उत्पादन-निष्पादन का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सूचक है। इसका "सेल" के उत्पादन लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है "सेल" अभी तक विक्रेय इस्पात के आन्तरिक लक्ष्य निर्धारित करती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की रक्षित खानें

10073. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण की सभी रक्षित खानों को एक अलग निकाय के अन्तर्गत लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) : जी, हां।

(ख) 'सेल" कच्चा माल प्रभाग खोलने पर विचार कर रहा है, जो संयंत्रों को क्वालिटी के कच्चे माल की सप्लाई करने के लिए समग्र रूप से जिम्मेदार होगा। प्रस्तावित प्रभाग के गठन और कार्य संबंधी ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

दिल्ली नगर निगम को भूमि का अन्तरण

[हिन्दी]

10074. श्री राम करन सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के दिनांक 15 अक्तूबर, 1986 के अपने संकल्प संख्या 1271 के तहत तिलक नगर, पश्चिमी दिल्ली में मन्दिर तथा अस्पताल के पीछे खाली पड़ी 15 एकड़ भूमि में, जो पहले जन-जातियों की व्यवस्था हेतु अलग रखी थी, एक जिला उद्यान विकसित करने का निर्णय लिया था क्योंकि उक्त क्षेत्र में जिला उद्यान/मैदान की कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या शहरी विकास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए तत्काल दिल्ली नगर निगम को अन्तरिक करने का निर्णय भी लिया गया था;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम ने इस संबंध में मंत्रालय को लिखा था, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) दिल्ली नगर निगम को उक्त भूमि कब तक अन्तरिक की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से विस्थापित हुए लोगों की नियुक्ति

[अनुवाद]

10075. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र कुल 5,000 से 6,000 विस्थापित व्यक्तियों जिन्हें पहले सरकार रोजगार देने के लिए सहमत हुई थी, में से कितने व्यक्तियों को अब तक नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या पहला चरण पूरा होने पर और व्यक्तियों की नियुक्ति किए जाने की संभावना है तथा शेष लोगों को दूसरे चरण के पूरा होने पर नियुक्त किया जायेगा;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में शैक्षिक योग्यताओं आदि में कितनी छूट दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात संयंत्र द्वारा कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी सभी श्रेणियों के पदों में अलग-अलग कितने लोगों को अभी तक रोजगार दिया गया है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपयुक्त विस्थापित व्यक्तियों के मिल जाने पर विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना द्वारा 5000 व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। 24.3.88 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार के 2909 व्यक्तियों को पहले ही रोजगार दिया जा चुका है।

(ख) और अधिक विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देना, सम्बन्धित कार्यों के लिए उनके उपयुक्त पाए जाने पर निर्भर करेगा।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रियायत से सम्बन्धित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(1) वरिष्ठ प्रशिक्षार्थियों के मामले में सामन्य उम्मीदवारों हेतु न्यूनतम योग्यता, रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किए गए क्षेत्र में इन्जीनियरी में डिप्लोमा है अथवा कम से कम 60% अंकों से विज्ञान की डिग्री, विस्थापित व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा है अथवा अंकों की प्रतिशतता पर ध्यान दिए बिना सामान्य डिग्री;

(2) कनिष्ठ प्रशिक्षार्थियों के मामले में अधिसूचित ट्रेड में 60% अंकों सहित सामान्य आई. टी. आई. योग्यता के मुकाबले में आई. टी. आई. योग्यता जिसमें अधिसूचित ट्रेड अथवा अंकों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं।

(3) सामान्य उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा में 50% अर्हकारी अंकों के मुकाबले में 25% अर्हकारी अंक।

(4) वरिष्ठ तथा कनिष्ठ प्रशिक्षार्थियों के मामले में सामान्य उम्मीदवारों के लिए 25 वर्ष की आयु-सीमा के मुकाबले में 35 वर्ष की आयु-सीमा।

(5) आशुलिपि की योग्यता के बिना सहायक प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति।

(6) उन विस्थापित व्यक्तियों को 18 महीनों के प्रशिक्षण के पश्चात् सहायक तकनीशियन रखा जाता है, जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है। जिन्होंने आठवीं अथवा नौवीं कक्षा पास की है उन्हें 30 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके पश्चात् उन्हें भी सहायक तकनीशियन के पद पर रखा जाता है।

(घ) 24.3.88 की स्थिति के अनुसार कार्यपालकों तथा गैर-कार्यपालक की संख्या निम्नानुसार है :—

कार्यपालक

कर्मचारी	:	1119
प्रशिक्षार्थी	:	175

गैर-कार्यपालक

कर्मचारी	:	2927
प्रशिक्षार्थी	:	3046

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दुकानों का आवंटन

10076. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में दिल्ली के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 160 दुकानों का आवंटन करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; और

(ग) दुकानों के आवंटन के लिए ड्रा कब किया जायेगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों को दुकानों/स्टालों के आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित की जाने वाली दुकानों स्टालों की संख्या 175 है न कि 160।

(ख) प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या 12732 है।

(ग) जुलाई 1988 के प्रथम सप्ताह तक लाटरी निकाले जाने की संभावना है।

कृषि के क्षेत्र में नाभिकीय विज्ञान का प्रयोग

10077. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाभिकीय विज्ञान के प्रयोग के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे महत्वपूर्ण अनुसंधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाभिकीय विज्ञान के प्रयोग से वर्षा कराने के लिए कोई प्रयोग किया गया है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या विदेशों में ऐसे प्रयोग किए गए थे और वे सफल सिद्ध हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का पानी की कमी की समस्या के समाधान और कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु इस प्रकार की प्रौद्योगिकी का आयात करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) (क) नाभिकीय विज्ञान का उपयोग फसलों की विभिन्न उन्नत किस्मों के विकास, उर्वरकों के कारगर और विवेकपूर्ण उपयोग, पीड़कनाशियों, फलों, सब्जियों, अनाज, मसालों आदि के परिरक्षण के लिए किया जा रहा है।

(ख) नाभिकीय विज्ञान का उपयोग करके विकसित की गई विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। तिलहनों के नमूनों से तेल बीजों को बिना तोड़े उनमें मौजूद तेल का अन्श पता लगाने के लिए नाभिकीय चुम्बकीय अनुनाद (एन. एम. आर.) तकनीक विकसित की गई है। पौधों द्वारा सूखा सह सकने की सीमा को नापने के लिए भी ऐसा ही एक तरीका विकसित किया जा रहा रहा है। अनुसंधान के अन्य उन क्षेत्रों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है जिनमें नाभिकीय विज्ञान का उपयोग हो रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-I

नाभिकीय विकिरण से उत्प्रजनन द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में विकसित विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों की सूची

भारतीय कृषि अनुसंधान, नई दिल्ली		भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ट्राम्बे	
चना	पूसा 408, पूसा 413, पूसा 417	मूंगफली	टी जी-3, टी जी-4, टी जी-17 और विक्रम
कपास	पूसा अगेती, रश्मि	बोगेनवेलिया	जय लक्ष्मी, वैरीगेटा
जौ	डी एल-253	अरहर	ट्राम्बे विशाखा- 1, एल ई टी
टमाटर	पूसा लाल, मेरठी, एस-12	मूंग	टी ए पी-7
चावल	एन आर एल-48-116, एन आर एल-72-78, एन आर एल-88-94, एन आर एल-351, एन आर एल-361, एन आर एल-381		
बाजरा	पूसा 46, न्यू हाइब्रिड बाजरा-5		
फ्रेंचबीन	पूसा पार्वती		
मटर	हंस		
अरण्डी	अरुणा, सौभाग्य		
गुलाब	सुदहोक		
गेहूँ	एन पी-836, शरबती सोनोरा, कल्याणसोना, अर्ली म्यूटेंट, एन आर एल-1, एन आर एल-54, एन आर एल-178		
लोबिया	अम्बा, श्रेष्ठ, स्वर्ण, वी-240		

विवरण-II

अनुसंधान के अन्य वे क्षेत्र जिनमें नाभिकीय विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है

I उर्वरकों के उपयोग में नाभिकीय ऊर्जा

(क) चावल की खेती में प्रति हैक्टर 25 किलो नाइट्रोजन का चार खुराकों में उपयोग अधिक लाभदायक है।

(ख) गेहूं की खेती में बुआई के समय 40 किलो प्रति हैक्टर और उसके बाद क्राउन जड़े निकलने समय 60 किलो प्रति हैक्टर की दर से नाइट्रोजन का उपयोग अधिक लाभदायक सिद्ध हुआ है।

II पीड़कों और बीमारियों की रोकथाम में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग

(क) गामा किरणों की कम खुराक के विकिरण से भंडारित अनाज के पीड़िकों की रोकथाम।

(ख) फफूंदीनाशकों के उद्ग्रहण स्थानान्तरण और उनका प्रभाव बने रहने पर अध्ययन किए गए हैं जिससे यह पता चलता है कि फफूंदीनाशकों से उपचारित अनाज मनुष्यों द्वारा खाये जाने की दृष्टि से किस सीमा तक उपयुक्त है।

III फलों का पकाव और परिरक्षण

(क) 25° सें. के तापमान पर भंडारित आमों और टमाटरों का क्रमश: 25 के. आर. और 150 के. आर. वाली गामा किरणों से विकिरण कराने पर वे क्रमश: 11 और 10 दिन देरी से पकते हैं।

(ख) बटन खुम्बियों का 15° से. के तापमान पर 250 के. आर. वाली गामा किरणों से विकिरण कराने पर उन्हें लम्बे समय तक सुरक्षित रखना आसान हो जाता है।

केरल में चलाक्कुदी में मीट प्राडक्टस आफ इण्डिया में उत्पादन

10078. **श्री के. मोहनदास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में चलाक्कुदी में मीट प्राडक्टस आफ इण्डिया में कितना उत्पादन हुआ और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है,

(ख) क्या इस एकक का विकास करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) मीट प्राडक्टस आफ इण्डिया चलाक्कुदी केरल में कोई उत्पाद तैयार नहीं किया जा रहा है क्योंकि संयंत्र अभी स्थापित किया जाना है।

(ख) जी हां,।

(ग) निम्नलिखित को स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

(1) मीट व पोल्ट्री ड्रेसिंग प्लांट

(2) ब्रायलर हैचरी

(3) फीड मिक्सिंग प्लांट

(4) विपणन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं

(5) 22,800 किसानों की मदद के लिए उत्पादन समर्थन ।

(6) अनुसंधान तथा विकास कार्य ।

इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आना

10079. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकियां अपनाये जाने के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण के इस्पात संयंत्रों में रोजगार के अवसरों में कमी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम एल फोतेदार) : (क) से (ग) आधुनिकीकरण योजनाओं के अन्तर्गत नई प्रौद्योगिकियां अपनाने के पश्चात् जन शक्ति की वास्तविक आवश्यकताओं का अभी पता लगाया जाना है, जबकि जन-शक्ति के युक्तिकरण से संयंत्रों में नई नियुक्तियों की सीमा सीमित हो सकती है और डाउन-स्ट्रीम में रोजगार के बहुत अधिक अवसर उत्पन्न होंगे ।

उड़ीसा में खनिजों की खोज

10080. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज गवेषण निगत ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों में ड्रिलिंग खनन और सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या खनिज गवेषण निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कोई सर्वेक्षण, खनन या ड्रिलिंग सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) और (ख) जी हां, खनिज गवेषण निगम पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण तांबा, सीसा-जस्ता, टंगस्टन, टिन, कोयला, तथा भू-जल ड्रिलिंग के लिए विस्तृत गवेषण करता रहा है । यह कार्य कई राज्यों यथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय उत्तर पूर्वी राज्यों, उड़ीसा राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में चल रहा है ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों से खनिज गवेषण निगम कोल इण्डिया के लिये तलचर कोयला क्षेत्र में कोयले के लिये तथा उड़ीसा सरकार की ओर से नलकूपों की खुदाई के लिये विस्तृत गवेषण कर रहा है । अनंत प्रसार और नटराज खंडों में क्रमश: 291 मिलियन टन और 35 मिलियन टन अशोक कर कोयला भण्डारों का अनुमान लगाया गया है । निगम ने 1985 और 1986 के दौराम नलकूपों के लिए क्रमश: 21,033 मीटर और 12,995 मीटर ड्रिलिंग की ।

उड़ीसा के औद्योगिक एककों को आवंटित किया गया रद्दी लोहा

10081. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित कुछ प्रतिशत रद्दी लोहा उड़ीसा के औद्योगिक एककों के लिए आरक्षित किया गया है यदि हां, तो कितना प्रतिशत आरक्षित किया गया है;

(ख) क्या यह राज्य के उद्योग निदेशक के माध्यम से वितरित किया जाता है; और

(ग) राज्य के एककों को गलाया जाने वाले रद्दी लोहे रिरोलिंग रद्दी लोहे और औद्योगिक रद्दी लोहे की कितने प्रतिशत मात्रा आवंटित की जाती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राउरकेला इस्पात संयंत्र ने राज्य के उद्योगों के निदेशक से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर उड़ीसा राज्य की औद्योगिक इकाइयों को बिक्री के लिए उपलब्ध स्क्रैप की निम्नलिखित प्रतिशतता निर्धारित की है :—

मेल्टिंग स्क्रैप 22%

औद्योगिक स्क्रैप 22%

पुनर्बेलन योग्य स्क्रैप 35%

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा गृह-निर्माण अग्रिम

10082. प्रो. मधु दण्डवते : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक सरकारी क्षेत्र का एकक अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत अपने अधिकारियों को कलोनी क्वार्टर खाली करने की शर्त पर गृह निर्माण अग्रिम मंजूर करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यवहार्यता यह अनुबन्ध कुछ चुने हुए मामलों में ही किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति ने भी समान व्यवहार को सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन न किये जाने के कारण अधिकारियों में काफी असन्तोष पैदा हो गया है तथा उनमें नैतिकता का ह्रास हुआ है।

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर. सी. एफ.) अपने कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिये अग्रिम राशि की मन्जूरी इस शर्त पर करते हैं कि मकान पूरा हो जाने पर कर्मचारी कम्पनी के क्वाटर को खाली कर देगा।

(ख) परिचालन/चिकित्सा कारणों की वजह से कुछ मामलों को छोड़कर सभी मामलों में इस शर्त को समान रूप से लागू किया गया है।

(ग) इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति आन्तरिक समिति ने समान व्यवहार की सिफारिश की।

(घ) आर. सी. एफ. ने यह सूचना दी है कि कर्मचारियों में कोई असन्तोष अथवा उनके मनोबल का ह्रास नहीं हुआ है।

पर्यटन मेलों और उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

10083. **श्री. आर. एम भोये** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पर्यटन मेलों और उत्सवों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो मन्जूर की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अन्तराष्ट्रीय और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले मेलों और उत्सवों का संवर्धन के लिए पर्यटन विभाग की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत 10.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

(ख) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक कोई वित्तीय सहायता मन्जूर नहीं की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

10084. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य को जिलावार कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 31 मार्च 1988 तक मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए जिलों को केन्द्रीय और युनिसेफ अन्श के रूप में कुल 1,86,27,839 रुपये की राशि रिलीज की थी। राशि का जिलावार ब्यौरा निम्नप्रकार है।

1.	छिन्दवाड़ा	36,79,250
2.	गुना	23,28,750
3.	रायपुर	35,87,589
4.	शाहडोल	29,72,250
5.	राजगढ़	10,10,000
6.	सरगुजा	10,10,000
7.	शाजापुर	10,10,000
8.	भिंड	10,10,000
9.	टीकमगढ़	10,10,000
10.	सिहोर	10,10,000
		रु. 186,27,839

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन बनाए जाने वाले ग्रुपों की संख्या के अनुसार किया जाता है। मध्य प्रदेश को 1988-89 के लिए कुल 480 ग्रुपों का आवंटन किया गया है। प्रत्येक ग्रुप के लिए केन्द्रीय अन्श के रूप में 5,100 रुपये तथा यूनिसेफ के अन्श के रूप में 5,000 रुपये रिलीज किए जाते हैं।

गोआ की लौह अयस्क खानों का मूल्यांकन

10085. **श्री शांता राम नायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में संभावित लौह अयस्क खानों का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके दोहन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। गोआ में लौह-अयस्क के भंडारों का मूल्यांकन किया गया है और उनके लगभग 9880 लाख टन होने का अनुमान है इसमें से लगभग 6170 लाख टन अयस्क अच्छी श्रेणी का है।

(ग) गोआ में लौह अयस्क पहले से हो निकाला जा रहा है और सम्पूर्ण अयस्क का निर्यात किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्पादन निम्मानुसार हुआ है :—

1985	136 लाख टन
1986	159 लाख टन
1987	122 लाख टन

मृत आवंटितियों के फ्लैटों का अन्तरण

10086. **श्रीमती ऊषा ठक्कर** : क्या शहरी विकास मन्त्री मृत आवंटितियों के फ्लैटों के अन्तरण के बारे में 21 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3974 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) दक्षिण दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों से संबंधित कितने मामले ऐसे हैं जहां मृतक आवंटितियों के नामांकन पत्र भरे थे किन्तु उनका अन्तरण अब तक नहीं किया गया है; और

(ख) अन्तरण के मामलों का कब तक निपटारा किया जायेगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 10.

(ख) नीति निर्णय, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में लिया गया है, के अभाव में इन मामलों को पहले निपटाया नहीं जा सका। यदि संबंधित पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज सही हों, तो इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाया जायेगा।

खाद्य तेलों का आयात

10087, श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कुल खाद्य तेलों की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ख) प्रत्येक खाद्य तेल की कितनी मात्रा आयात की गई; और

(ग) वर्ष के दौरान आयातित खाद्य तेल की प्रत्येक किस्म का तुलनात्मक पोत पर्यंत नि:शुल्क मूल्य क्या था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान खाद्य तेलों की कुल लगभग 19 लाख मी. टन मात्रा आयात की गई है। तेल-वार आयात निम्नवत है :

तेल का नाम	आयात की गई मात्रा (लाख मी. टन में)
सोयाबीन तेल	4.30
रेपसीड तेल	3.23
ताड़ का तेल	11.45

(ग) राज्य व्यापार निगम लागत-बीमा और भाड़ा आधार पर खाद्य तेलों का आयात करता है।

मादीपुर में खाली भूमि

10088. श्री धर्मपाल सिंह मालिक : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मादीपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक स्कूल के सामने की खाली भूमि स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत फ्लैटों के निर्माण के लिए निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस भूमि का पहले 1308 जनता आवासों के निर्माण के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव था। 1982 से पहले यह भूमि झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्वास योजनाओं के लिए निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या दिल्ली में विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व योजनाओं के अन्तर्गत कुछ वाणिज्यक परिसरों का आवंटन किया गया था और वर्तमान योजना में उनका निर्धारण नहीं किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का वर्तमान योजना को लागू करने से पहले उन्हीं स्थलों का निर्धारण करने का प्रस्ताव है

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां। केवल अंशतः।

(ख) मूलत: यह योजना केवल 1308 जनता मकानों के लिए थी परन्तु भिन्न-भिन्न अवस्थाओं पर समय-समय पर उत्पन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न ब्लाकों को जनता, निम्न आय वर्ग, स्ववित्त पोषित योजना में परिवर्तन किया गया था।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र में दो सुविधाजनक विपणन केन्द्रों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रावधान था। इन दो में से, एक को आवश्यकताओं के अनुसार विकास और निर्माण करने के लिए मलिन बस्ती स्कंध, को अन्तरित किया गया था। मलिन बस्ती स्कंध दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम (डी. एस. आई. डी. सी.) वर्क सेंटर के निकटवर्ती पाकेट में तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य) के तिमंजिले निम्न आयवर्ग टेनामेंटों के समीप दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य) द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर मलिन बस्ती पुनर्वास टेनामेंटों का निर्माण शुरू किया है। निम्न आय वर्ग पाकेट के लिए उद्दिष्ट सुविधाजनक विपणन केन्द्र में 3 मी. × 4 मी. और 2.5 मी. × 4 मी. आकार की 15 दुकानों की योजना भी बनाई गई है। अनौपचारिक व्यापार के लिए ओपन प्लेटफार्मों का भी प्रबंध किया गया है। विपणन केन्द्र स्थल पर मौजूदा कोयला डिपो को प्रस्तावित सुविधाजनक विपणन काम्पलेक्स में बनाए रखा है। मलिन बस्ती फ्लैट निर्माणाधीन हैं जबकि विपणन केन्द्र का अनुमान लगाया जा रहा है।

सरकारी क्वाटरों की खिड़कियों और बरामदों में शीशे लगाना

10089. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडारा रोड नई दिल्ली में टाइप-डी क्वाटरों की खिड़कियों और पिछले बरामदों में, संबंधित सेवा केन्द्र के कनिष्ठ अभियन्ता से अनुरोध करने पर शीशे लगा दिये गये हैं;

(ख) क्या इस तरह की सुविधा अन्य कालोनियों के टाईप-डी क्वाटरों के लिए भी उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी टाईप-डी क्वाटरों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) जुलाई, 1987 तक, दिल्ली/नई दिल्ली में पण्डारा रोड सहित विभिन्न सरकारी कालोनियों के टाइप "डी" क्वाटरों की बालकानियों तथा पिछले बरामदों में, आबंटियों से अनुरोध तथा अतिरिक्त लाइसेंस फीस अदा करने संबंधी उनके शपथ-पत्र प्राप्त होने पर सरकार द्वारा कार्य की आवश्यकता को स्वीकार करने पर शीशे लगाये जाते थे। अगस्त, 1987 से बचत उपाय के रूप में, व्यक्तिगत हित को पूरा करने के लिये सरकारी भवनों में कोई परिवर्तन/परिवर्धन करना निषेध कर दिया गया है।

बेहतर जीवन-निर्वाह सुविधाओं के लिए कृषि श्रमिकों द्वारा आंदोलन

10090. **श्री पी एम सईद** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों ने अपनी जीवन-निर्वाह परिस्थितियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए कोई देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति का जायजा लिया है;

(ग) कृषि श्रमिकों की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सरकार देश के ग्रामीण श्रमिकों की समस्याओं से अवगत है अखिल भारतीय समस्याओं और क्षेत्र विशिष्ट समस्याओं की ओर अच्छी तरह से समझने के लिए तथा इस प्रकार समग्र विकास प्रक्रिया तथा विशिष्ट रुप से ग्रामीण श्रमिकों के वास्ते बनाए गए कार्यक्रमों से संबंधित वाद-विषयों की सही जानकारी प्राप्त करने के विचार से सरकार ने अगस्त, 1987 में ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया है।

गुलमर्ग शीतकालीन क्रीड़ा परियोजना के कर्मचारियों को नियमित करना

10091. **श्री सोडे रमैया** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलमर्ग शीतकालीन क्रीड़ा परियोजना के कर्मचारी अपने को नियमित/स्थायी किये जाने के बारे में आंदोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28 मार्च, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18011/1/86 स्थापना (घ) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अधीन उन्हें नियमित/स्थायी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) गुलमर्ग हिम-क्रीड़ा परियोजना के कर्मचारी अपने को नियमित/स्थायी किए जाने के लिए जोर दे रहे हैं। आठ कर्मचारियों को, जो नियमों के अधीन अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते हैं, पहले ही स्थायी किया जा चुका है। अधिक आयु के ऐसे कर्मचारियों के मामले, जो अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा नहीं करते, नियमों के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजे गये हैं।

दिल्ली में भूमि की कीमत

10093. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कराधान और हस्तांतरण के प्रयोजन से राजधानी में भू-सम्पत्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक 2-3 वर्ष के पश्चात आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की प्रति वर्ग/मीटर कीमत अधिसूचित करती रहती है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण दिल्ली में मालवीय नगर तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों में वर्ष 1969-70 1975-76, 1980-81 तथा 1985-86 के दौरान भूमि की क्या कीमत थी और इस समय क्या कीमत है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राजधानी में कर-निर्धारण और अन्तरण संबंधी प्रयोजनों के लिए भूमि सम्पत्ति की लागत का निर्धारण करने के लिए सरकार कोई भूमि दर अधिसूचित नहीं करती है। पट्टों को प्रशासित करने जैसे दुरुपयोग

प्रभारों की वसूली अर्नजित वृद्धि आदि से संबंधित मामलों के प्रयोजनार्थ विभिन्न कालोनियों के लिए समय-समय पर पूर्व-निर्धारित भूमि की दरें निश्चित की जाती हैं।

सरकारी आवासों की मरम्मत/रखरखाव पर रोक

10094. **श्री भरत सिंह :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा फ्लैटों/बंगलों आदि की मरम्मत किये जाने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का सरकारी आवासों की समुचित मरम्मत के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कार्यों पर व्यय करने हेतु तत्काल इस रोक में ढील देने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यह निर्णय किया गया है कि 1988-89 में सरकारी भवनों का केवल अनिवार्य अनुरक्षण किया गया। व्यक्तिगत अभिरूचियों को पूरा करने के लिये विद्यमान फर्शों, दीवारों, तथा दिलाहबन्दी (पैनलिंग) आदि में सुधार करने पर मनाही है।

कर्नाटक में पर्यटन विकास

10095. **श्री एच. जी. रामुलु :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कर्नाटक में पर्यटन विकास के लिए प्रस्तावित की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) और (ख) : केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रालय निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं करता बल्कि स्कीम-वार करता है। मन्त्रालय, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के वास्ते राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मन्त्रालय को वर्ष 1988-89 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मन्त्रालय, स्थान की साध्यता, मौजूदा आधार संरचना, वर्तमान और भावी पर्यटक यातायात, परियोजना की व्यवहार्यता, प्रस्ताव के समग्र गुणों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय स्वीकृति हेतु इन प्रस्तावों पर विचार करेगा।

पश्चिमपुरी में न्यू पैटर्न हाऊसिंग स्कीम, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

10096. **श्री रामप्यारे सुमन :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों को, जिन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण में न्यू पैटर्न हुडको स्कीम, 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन के लिए अपने नाम पंजीकृत कराए थे, कुछ समय पहले फ्लैट आवंटित किये गये थे;

(ख) क्या कुछ मामलों में फ्लैटों का आवंटन समाप्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके मामलों में आवंटन समाप्त किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का सम्बन्धित व्यक्तियों को बिना किसी विलम्ब के फ्लैटों का कब्जा देने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उन व्यक्तियों के नाम जिनके आवंटन रद्द किए गए थे, संकलित किये जा रहे हैं। आवंटन की शर्तों का अनुपालन न करने के कारण ये आवंटन रद्द किए गए थे।

(घ) और (ङ) : व्यक्तिगत रूप से गुणावगुण के आधार पर इसकी जांच की जाती है।

कृषि, औद्योगिक और सेवा (सर्विस) क्षेत्रों में मजूरी में असमानतायें

10097. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और 1985-86 के अन्त में देश में कृषि क्षेत्र में लगे मजदूरों की संख्या में औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों की कुल संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है,

(ख) सामान्य मूल्य ढांचे में हुई वृद्धि के अनुसार औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में लगे व्यक्तियों की परिलब्धियों में हुई वृद्धि की तुलना में कृषि क्षेत्र में लगे मजदूरों की मजूरी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है,

(ग) कृषि, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की परिलब्धियों में असमानताओं के क्या कारण हैं, और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) 1983-84 तथा 1985-86 के बीच कार्य बल में संरचनात्मक परिवर्तनों पर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1980-81 में कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक कुल श्रमिकों के 60.5 प्रतिशत थे।

(ख) 1983-84 के मुकाबले 1985-86 में कृषि क्षेत्र में अकुशल श्रम की औसत मजदूरी दरों में वृद्धि का प्रतिशत, थोक मूल्य सूचकांक के 8.9 प्रतिशत के मुकाबले 22.61 प्रतिशत था। परन्तु इन दोनों संकेतकों के बीच तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि कृषि मजदूरों द्वारा खरीदी गई मदों की संख्या काफी सीमित है।

(ग) किसी क्षेत्र में मजदूरी दरों के महत्वपूर्ण निर्धारक भुगतान क्षमता सामाजिक आर्थिक वातावरण तथा कार्य परिस्थितियां हैं। ये घटक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भिन्नता लिए होते हैं, जिससे मजदूरी दरों में भी भिन्नता आती है।

(घ) कृषि क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में भी न्यूनतम मजदूरी की दरों की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है ताकि व्यवहार्य सीमा तक असमानताएं कम की जा सकें।

तिलहन तथा कपास का उत्पादन

10098. श्री ई. अय्यपू रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के रबी और खरीफ मौसमों में तिलहन का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ,

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में तिलहन का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में । मिलियन टन कम हुआ था,

(ग) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान भी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई,

(घ) क्या कपास के उत्पादन में गिरावट आई है और क्या कपड़ा उद्योग ने इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार से 1 मिलियन कपास की गांठों का आयात करने का अनुरोध किया है, और

(ङ) क्या तिलहन तथा कपास का आरक्षित स्टाक रखने का कोई प्रस्ताव है कि ताकि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देना सुनिश्चित किया जा सके तथा उत्पादन में भी वृद्धि की जा सके ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) : 1985-86 के फसल वर्ष के दौरान कुल नौ तिललनों का उत्पादन 108.3 लाख मीटरी टन था, जबकि लक्ष्य 136.0 लाख मीटरी टन का रखा गया था । फसल वर्ष 1987-88 के लिये उत्पादन के निश्चित, अनुमान सभी तिलहन फसलों के लिये राज्यों से अभी देय नहीं हुये हैं .

(घ) जी, हाँ।

(ङ) तिलहनों के सम्बन्ध में बफर स्टाक तैयार करने के प्रस्ताव पर फिलहाल विचार ही किया जा रहा है । कपास का बफर स्टाक तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय बीज निगम में अनियमितताएं

प्रो .आई. एस. महाजन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम में पिछले तीन वर्षों से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं,

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम में कुछ अनियमितताओं का पता लगा है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं । पहले के पदधारी के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के बाद । फरवरी, 1986 को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त पड़ा है और इद को शीघ्र भरने के लिए सशक्त उपाय पहले ही किए गए हैं ।

(ग) और (घ) : समय-समय पर राष्ट्रीय बीज निगम के कार्य करने में अनियमितताओं

के आरोप के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस प्रकार के मामलों में जहां कहीं न्यायसंगत समझा गया, उपयुक्त कार्यवाही की गई है।

कपास के स्टाक का क्रय विक्रय

10100. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाजार आयोग ने सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों, जहां कपास का उत्पादन देर से होता है, कपास के स्टाक के क्रय विक्रय की सिपारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय लिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन के "कुथ" की तस्करी

10101. **श्री एच. ए. डोरा** :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चीन के "कुथ" की बड़े पैमाने पर तस्करी के कारण हिमाचल के "कुथ", जो एरोमेटिक रूट हैं के समाप्त होने की सम्भावना का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) क्या चीन ने हिमाचल के "कुथ" को समाप्त करने के लिए तथा विश्व बाजार में एकाधिकार प्राप्त करने के लिये अपने कुथ की कीमत को बहुत कम कर दिया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अस्पतालों के लिए औषधियों की खरीद में घोटाला

10102. **श्री एच एम नन्जे गौड़ा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों के लिए औषधियों की खरीद में किसी घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधियों की खरीद में इस घोटाले के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, कर्नाटक में ऐसे किसी रैकेट का पता लगा है।

(ख) से (घ) सूचना है कि कर्नाटक सरकार ने जो कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा देखभाल के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है, मामले की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उर्वरक उद्योग को राहत

10103. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरक उद्योग में बहुत अधिक मूल्य की माल सूची होने को ध्यान में रखते हुए उसे राहत उपभोक्ताओं को छूट देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) और (ख) उर्वरक निर्माताओं द्वारा 1 अप्रैल, 1988 से यूरिया पर दी गई 7.5 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि. केरल की केप्रोलैक्टम परियोजना

10104. श्री के. वी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड की कैप्रोलैक्टम परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) क्या इस परियोजना की लागत में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) केप्रोलैक्टम परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 315 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अप्रैल, 1989 तक।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

10105. डा. ए. के. पटेल :

श्री सी. जंगा रेड्डी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिन्होंने निदेशक मंडल स्तर पर प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना को कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन से छूट मांगी है;

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जो इस योजना को कार्यान्वित करेंगे और कब तक कार्यान्वित करेंगे ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) नवीनतम सूचना एकत्र की जा रही है तथा यह उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) योजना से छूट मांगने वाले उद्यमों के नाम निम्नानुसार हैं :—

1. भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण लिमिटेड,
2. इण्डियन मैडिकल्स फार्मासियटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड,
3. इण्डिया रोड कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड,
4. नेशनल प्रोजेक्टक कंसट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड,
5. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
6. इण्डियन रेलवे कंसट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड,
7. उड़ीसा ड्रगस लिमिटेड,
8. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड,
9. नार्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट एण्ड हैंण्डलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
10. इण्डियन डेरी कारपोरेशन लिमिटेड,
11. शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, जिन्होंने केवल बोर्ड स्तर पर छूट मांगी है।

(ग) सरकार छूट के लिए आवेदनों पर गुण-व-गुण आधार पर जांच करती है। अभी तक केवल इण्डियन डेरी कारपोरेशन को योजना से छूट दी गई है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 99 उद्यमों ने शाप फ्लोर तथा प्लांट स्तरों पर पहले ही प्रबन्ध में कर्मचारी सहभागिता योजना को लागू कर दिया है। इन उपायों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

प्रतिष्ठानों के नाम जिन्होंने प्रबन्ध में सहभागिता की योजना को कार्यान्वित किया है

1. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड।
2. एण्डरीज यूल एण्ड कं. लि.
3. आरटीफिसयल लिम्बस मेंनयू. कारपोरेशन।
4. भारत एलमूनियम कं. लि.
5. भारत डायनमिक्स लि.
6. भारत अर्थ मूवर्स लि.
7. भारत इलैक्ट्रानिक्स लि.
8. भारत गोल्ड माइन्स लि.
9. भारत हैवी इलैक्ट्रीक्स लि.

10. भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसलग लि.
11. भारत प्रोसैस एण्ड मैकेनिकल इन्जीनियर्स लि.
12. भारत पम्प एण्ड कम्प्रैसर्स लि.
13. भारत रिफ्रैक्टरीज लि.
14. बर्न स्टैंडर्ड कं. लि.
15. सीमेंटे कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड।
16. सैंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि.
17. सैंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि.
18. सैंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन।
19. कोचीन शिपयार्ड लि.
20. काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.
21. दिल्ली परिवहन निगम।
22. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.
23. इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.
24. इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नीकल डवैल्पमेंट कारपोरेशन लि.
25. भारतीय उर्वरक निगम लि.
26. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि.
27. भारतीय खाद्य निगम लि.
28. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लि.
29. हैवी इन्जीनियर्स कारपोरेशन लि.
30. हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि.
31. हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक लि.
32. हिन्दुस्तान केबल्स लि.
33. हिन्दुस्तान कापर लि.
34. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि.
35. हिन्दुस्तान इन्सैक्टोसाइड्स लि.
36. हिन्दुस्तान आरगेनिक लि.
37. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि.
38. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यू. कं. लि.
39. हिन्दुस्तान साल्टस लि.

40. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
41. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि.
42. एच. एम. टी. लिमिटेड।
43. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फारमैसिटीकल्स लि.
44. इण्डियन आयल कारपोरेशन लि.
45. इण्डियन पैटरोकैमिकल्स कारपोरेशन लि.
46. इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि.
47. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.
48. इन्टरनेशनल एयरपोर्ट एथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड।
49. लुबरिजोल इण्डिया लि.
50. मद्रास रिफाइनरीज लि.
51. मैगनीज और (इण्डिया) लि.
52. मिनरल एक्सपलोरेशन कारपोरेशन लि.
53. माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन।
54. मिश्र धातु निगम लि.
55. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन लि.
56. नेशनल फर्टिलाइजर लि.
57. नेशनल फिल्म डेव. कारपोरेशन लि.
58. नेशनल इन्स्ट्रूमेंटटेस लि.
59. नेशनल मिनरल डेव. कारपोरेशन लिमिटेड।
60. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि.
61. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
62. नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड।
63. नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
64. आयल इण्डिया लिमिटेड।
65. प्राग टूल्स लिमिटेड।
66. प्रोजेक्ट एण्ड डेव. इण्डिया लि.
67. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.
68. सपोन्गी आयरन इण्डिया लि.
69. स्टेट फार्मस कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड।

70. स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि.

71. त्रिवेणी स्टरक्चल लिमिटेड।

72. तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लि.

73. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.

74. होटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.

73. इण्डिया फायरब्रिक्स कं. लि.

76. भारत कोकिंग कोल लि.

77. नार्थन कोल फील्डस लिमिटेड।

78, सैंट्रल कोल फील्डस लिमिटेड।

79. ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड।

80. साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि.

81. वेस्टर्न कोल फील्डस लि.

82. महाराष्ट्र एण्टीबायटिक्स एन्ड फारमेसीटिकल्स लि.

83. साउथर्न पैस्टोसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड।

84. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड।

85. संध्या नेशनल पेपर मिल्स।

86. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं. लिमिटेड।

87. सांभर साल्ट्स लिमिटेड।

88. एच. एम. टो. बियरिंग लिमिटेड।

89. बिको लायरी लिमिटेड।

90. राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड।

91. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।

92. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड।

93. प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्यूमेंट्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड।

94. ईस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाउण्ड्री एण्ड कम्पनी लिमिटेड

95. इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड।

96. हिन्दुस्तान परीफैब लिमिटेड।

97. इण्डियन रेयर अर्थ लिमिटेड।

98. पायरट फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड।

99. कुडरेमुख आइरन और लिमिटेड।

कर्नाटक में बीदर में चीनी कारखानों के लिए लाइसेंस

10106. **श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में बीदर में नारंजा गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और उक्त लाइसेंस कब तक जारी किया जाएगा ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) 2500 टी. सी. डी. की एक नई चीनी फैक्ट्री अर्थात् मै. नारंजा सहकारी शक्कर कारखाना, जिला बिदार, कर्नाटक स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से कर्नाटक सरकार द्वारा अभिस्तावित एक आवेदन पत्र इस विभाग में 29.4.1988 को प्राप्त हुआ है। सरकार (खाद्य विभाग) द्वारा इस आवेदन पत्र पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिनांक 2.1.1987 के प्रैस नोट द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार शीघ्र विचार किया जाएगा।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित निधियों का उपयोग

[हिन्दी]

10107. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का ठीक से उपयोग किया जा रहा है;

(ख) कौन-सा केन्द्रीय अभिकरण सीधे अथवा राज्य की किसी एजेंसी के माध्यम से इसके उपयोग पर निगरानी रखता है;

(ग) क्या यह सच है कि जिन लोगों पर इस योजना के अन्तर्गत धन खर्च किया गया वे अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस योजना में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन करने का विचार है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके लाभ गरीब लोगों को जिनके लिए यह योजना है, मिल सके ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) के कार्यान्वयन की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में यह दर्शाया गया है कि कार्यक्रम के लिए आवंटित निधियों का उपयोग उस प्रयोजन हेतु किया जा रहा है जिसके लिए वे स्वीकृत की गई हैं।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग को राज्य सरकारों से निधियों के उपयोग के बारे में नियमित प्रगति रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा सीधे ही ग्रामीण विकास विभाग को भेजी जाती हैं।

(ग) और (घ) छठी योजना अवधि के दौरान 165 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी। छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कई संगठनों द्वारा किया गया है जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.), राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी. ई. ओ.) शामिल हैं। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के अध्ययनों के अनुसार, मूल्यांकन अध्ययन हेतु लिये गए नमूना परिवारों के : क्रमशः लगभग 47 प्रतिशत और 49.4 प्रतिशत परिवारों ने गरीबी की रेखा को पार कर लिया है। फरवरी, 1984 को कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर आय को डिस्कांउट करने के पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान था कि लगभग 17 प्रतिशत लाभार्थियों ने गरीबी की रेखा को पार कर लिया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जनवरी-सितम्बर, 1987 की अवधि के समीपवर्ती मूल्यांकन से यह पता चलता है कि अखिल भारत स्तर पर 61.04 प्रतिशत लाभार्थियों ने 3500 रुपये की पुरानी गरीबी की रेखा और 12.82 प्रतिशत ने 6400 रुपये की संशोधित गरीबी की रेखा को पार कर लिया था।

समवर्ती मूल्यांकन में यह भी दर्शाया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों में लगभग 91 प्रतिशत लाभार्थी चयन के समय पात्र थे। अतः समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ कुल मिलाकर उन व्यक्तियों तक पहुंच रहे हैं जिनके लिए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है।

सातवीं योजना अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दोहरी नीति तैयार की गई। पहली यह कि छठी योजना के दौरान प्राप्त लाभों को समेकित किया जाना है और जो लाभार्थी अपनी गलती न होने पर भी गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाये थे, उन्हें सहायता की दूसरी खेप दी जाए और दूसरी नीति यह है कि नये लाभार्थियों को इस प्रकार से सहायता पहुँचाई जा रही है कि ये गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में परिवर्तन करने हेतु किये गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नए और अभिनव कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए गतिविधियों में विविधता लाना, चुने हुए जिलों के लिए प्रायोगिक आधार पर माडल परियोजनाएं तैयार करना, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय को कार्य-योजनाओं के अनुमोदन के लिए शक्तियां प्रदान करना, राज्य मुख्यालयों में आंतरिक लेखा-परीक्षा सैलों की स्थापना करना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा बीमा के लिए विभिन्न उपाय करना।

कृषि सम्बन्धी सुधार कार्यों का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

10108. श्री श्री बी. वेंकटेश : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी सुधार कार्यों के कार्यान्वयन में बहुत विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे कार्यों का कार्यान्वित करने में विलम्ब के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि विलम्ब कम से कम हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बिचौलिया काश्तकारी को समाप्त करने, काश्तकारी सुधार करने, कृषि भूमि जोतों पर अधिकतम सीमा लगाने, जोतों की चकबंदी करने तथा समय-समय पर भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने जैसे विभिन्न भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में अब तक काफी कार्य किया गया है। चूंकि कृषि सुधार उपायों को इस प्रयोजन हेतु तैयार किए गए कानूनों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए झगड़ों का निर्णय न्यायालयों के जरिए कराना अनिवार्य होता है और विभिन्न न्यायालयों में ऐसे मामले लम्बित होने के कारण विलम्ब हो जाता है भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के आमतौर पर ये कारण हैं—अपर्याप्त कार्यान्वयन मशीनरी, भारी, मुकदमेंबाजी और न्यायालयों की अपर्याप्त संख्या, ग्रामीण निर्धनों की मुकदमें लड़ने में असमर्थता, ग्रामीण लोगों में जागरूकता और संगठन का अभाव आदि।

विभिन्न स्तरों पर विशेषकर, राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में समय-समय पर भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। मई, 1985 तथा नवम्बर, 1986 में हुए ऐसे दो सम्मेलनों में हुई आम राय के आधार पर, राज्यों सरकारों को कृषि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में विलम्ब को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की सिफारिश की गई है :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अन्तर्गत न्यायाधिकरणों की स्थापना करना/ भूमि सुधार सम्बन्धी मामलों के लिए उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायपीठों की स्थापना करना;

(2) मामलों के निपटान की मानिटरिंग के लिए राज्य मुख्यालयों में कानूनी सैलों की स्थापना करना;

(3) लम्बित मुकदमों के शीघ्र निपटान के लिए प्रशासनिक और न्यायिक तन्त्र मजबूत बनाना;

(4) ग्रामीण निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना ताकि वे मुकदमें लड़ सकें;

(5) मुकदमेंबाजी है शामिल ग्रामीण निर्धनों विशेषकर अधिकतम सीमा फालतू भूमि के आबंटितियों तथा काश्तकारों और बटाईदारों के हितों को विफल करने वाली अवस्था पर विचार करना;

(6) वकीलों को मामलों में पेश होने से रोकने की सम्भाव्यता पर विचार करना;

(7) मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना और अपीलों के प्रावधनों पर प्रतिबन्ध लगाने के कानूनी उपाय करना तथा विभिन्न भूमि सुधार कानूनों के अन्तर्गत संशोधन और समीक्षा करना;

(8) भूमि सुधार उपायों के अन्तर्गत लाभार्थियों को भूमि-स्वामियों की यातना और अन्य निहित वाले लोगों से सुरक्षा करने के लिए कड़े उपाय करना;

(9) संविधान की नवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानूनों को शामिल करना।

भूमि राज्य का विषय है, इसलिए भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। अतः यह राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे इस सम्बन्ध में विभिन्न उपचारी उपाय करें।

उड़ीसा में मत्स्य पत्तन

10109. श्री बृजमोहन महन्ती : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा में कितने मत्स्य पत्तनों के निर्माण करने का विचार है और क्या इनको स्थापित करने के स्थानों के बारे में निर्णय कर लिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) उड़ीसा में मत्स्य पत्तनों के निर्माण के लिए ऐसे कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए विचाराधीन हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान विकास करने के लिए भारत सरकार को उड़ीसा के पारादीप, गोपालपुर और अस्तरांग स्थित तीन मात्स्यकी बंदरगाहों के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 50 गहरे समुद्री जलयानों और यांत्रीकृत मत्स्यन जलयानों के लिए बनाए गए पारादीप स्थित बन्दरगाह की अनुमानित लागत 25.76 लाख रुपये है, 120 यांत्रीकृत मत्स्यन जलयानों के लिए बनाए गए गोपालपुर की लागत 797 लाख रुपए है और 140 यांत्रीकृत मत्स्यन जलयानों के लिए बनाए गए अस्तरांग बंदरगाह की लागत 374.30 लाख रुपए है।

मत्स्य कम्पनियों द्वारा देय धनराशि के भुगतान के स्थगित करने का अनुरोध

10110. श्री दौलतसिंह जी जदेजा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने मत्स्य नौकाओं द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को देय धनराशि को कम करने अथवा उसका भुगतान स्थगित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं,

(ख) क्या मत्स्य कंपनियों द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को देय धनराशि का भुगतान स्थगित करने के सम्बन्ध में विशाखापत्तनम स्थित राष्ट्रीय मत्स्य नौका और सम्बद्ध उद्योग संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मत्स्यन ट्रावलरों और उससे सम्बद्ध उद्योग विशाखापत्तनम से उपयोग के प्रभारों में कुछ छूट देने के संबंध में अभ्यावेदन विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को प्राप्त हुआ है। उपयोग के प्रभारों को कम करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि ये 1979 में निर्धारित किए गए थे और तब से अभी तक संशोधित नहीं हुए हैं।

बर्मा से चावलों के आयात के लिए समझौता

[हिन्दी]

10111. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सरफराज अहमद :
श्रीमती मनोरमा सिंह :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से चावलों के आयात के लिए कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किस एजेंसी के माध्यम से चावलों की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा और इसे किस मूल्य में आयात किया जायेगा; और

(घ) चावल आयात करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नलकूप कूओं की स्थापना में प्रगति

10112. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किसानों को और सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिये नलकूप-कूओं की स्थापना के कार्य में राज्यवार प्रगति का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि उक्त योजना राजस्थान में बन्द कर दी गई है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार का किसानों के हितार्थ इस योजना को राजस्थान में फिर से शुरू करने का विचार है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ङ) किसानों को अधिक सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए नलकूपों के समूह की स्थापना करने की कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों की सहायता की केन्द्र द्वारा प्रायोजित के लघु सिंचाई घटक के अन्तर्गत देश के किसानों को अधिक सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के लिए नल-कूप लगाने सहित विभिन्न लघु सिंचाई संबंधी कार्यों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में जारी रखी जा रही है। 1985-86 से 1987-88 (दिसम्बर, 1987 तक) तक की अवधि के दौरान निर्माण किए गए कुओं/नलकूपों के संबंध में राज्यवार प्रगति का वितरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान (दिसम्बर, 1987 तक) निर्माण किए गए कुओं/नलकूपों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्माण किए गए कूओं/ नलकूपों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	29023
2.	असम	6943
3.	बिहार	40675

1	2	3
4.	गुजरात	26673
5.	हरियाणा	7586
6.	हिमाचल प्रदेश	1192 हेक्टेयर/विभिन्न खाद्यान्नों के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।
7.	जम्मू और कश्मीर	5
8.	कर्नाटक	19583
9.	केरल	17041
10.	मध्य प्रदेश	36085
11.	महाराष्ट्र	भूगत संरचनाओं से सिंचाई के लिए समेकित पनधारा विकास संबंधी कार्यों के लिए निधियों का उपयोग किया जा रहा है।
12.	मणिपुर	सू. न.
13.	मेघालय	7
14.	नागालैंड	सू, न.
15.	उड़ीसा	10765
16.	पंजाब	9400
17.	राजस्थान	12320
18.	सिक्किम	260 हैक्टेयर/विभिन्न खाद्यान्नों से माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।
19.	तमिलनाडु	11021
20.	त्रिपुरा	485
21.	उत्तर प्रदेश	137225
22.	पश्चिम बंगाल	1687×
23.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	कार्यान्वियन नहीं किया गया।
24.	अरुणाचल प्रदेश	371
25.	दादर और नगर हवेली	सू.न.
26.	दिल्ली	कार्यान्वियन नहीं किया गया।
27.	चंडीगढ़	कार्यान्वियन नहीं किया गया।
28.	गोआ	450

29.	लक्षद्वीप	सूचित नहीं
30.	मिजोरम	2872 हैक्टेयर/विभिन्न खाद्यान्नों के माध्यम से सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है।
31	पांडिचेरी	193
		367568

सू. न.=सूचित नहीं।

×आंकड़े केवल वर्ष 1985-86 से संबंधित हैं।

"ब्ल्यू रियोल्यूशन"

[अनुवाद]

10113. श्री शरद दिघे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्री खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में देश को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने तथा मत्स्य पालन कार्य को अधिक लाभप्रद बनाने की दृष्टि से देश में "ब्ल्यू रिवोल्यूशन" लाने के लिए कोई प्रयास कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) देश में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने और मत्स्य पालन से बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(1) उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाकर परम्परागत और यंत्रीकृत क्षेत्र का दर्जा बढ़ाना आधुनिकीकरण करना और एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के मात्स्यकी संसाधनों का पता लगाने के लिए देश में निर्मित करके आयात करके और किराए पर लेकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले करीब 500 मत्स्यन जलयानों का बेड़ा बनाना;

(2) मत्स्यन बंदरगाहों और अवतरण केन्द्रों का विकास;

(3) मछली पालन योग्य जल क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर अन्तर्देशीय क्षेत्र में मछली पालन के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र लाना;

(4) खारे जल में झींगा मछली-बीज का उत्पादन, मत्स्य पालन और आहार तैयार करने के लिए बाहर देशों से उपयुक्त प्रौद्योगिकी का आयात करना;

(5) मत्स्य बीज उत्पादन की अवसंरचना का सृजन करना;

(6) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत अनुसंधान संस्थाओं के जरिए मत्स्य उत्पादन प्रौद्योगिकी में और अधिक सुधार करने के सम्बन्ध में अनुसंधान करना; और

(7) वैज्ञानिक तरीके से मत्स्यपालन में मत्स्य पालन और मछुआरों को प्रशिक्षण देना।

सूखे के कारण पशुओं की मौत

10114. श्री सी. जंगा रेड्डी :

डा. ए. के. पटेल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखे की वर्तमान स्थिति के कारण राज्यवार कितने पशुओं की मौत हुई है अथवा अशक्त हो गए हैं,

(ख) इन पशुओं के मालिकों को नए पशु खरीदने के लिए वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करने हेतु क्या विशेष योजना आरम्भ की गई है ताकि उनके कृषि तथा डेयरी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और

(ग) इन योजनाओं से कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) किसी पशु की भूख से मरने की सूचना नहीं मिली है। परन्तु सूखा प्रभावित राज्यों में बुढ़ापे, कुपोषण, बीमारियों तथा अन्य कारणों से पशुओं की मौतें हुई हैं। इन मौतों की सूचित संख्या इस प्रकार हैं :

राजस्थान—68,390 तथा महाराष्ट्र—4854। अन्य राज्यों ने ऐसी किसी मौत के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ख) और (ग) सूखा राहत कार्यक्रम के अधीन पशुधन को बदलने के लिए कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती। परन्तु समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम, विशेष अनुसूचित जाति घटक योजना आदि जैसी योजनाओं के अधीन नए पशु खरीदने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं।

बीजों का बफर स्टाक

10115. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बफर स्टाक योजना को स्वीकृति दी है, और

(ख) यदि हां, तो योजना के अनुसार कुल कितना बफर स्टाक रखा जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 1988-89 के लिए बफर भंडार में रखे जाने वाले तिलहनों, दालों, धान और मोटे अनाजों अर्थात् मक्का, ज्वार और बाजरा के प्रमाणीकृत और आधारी बीज की प्रस्तावित मात्रा 1,78,468 क्विंटल है।

कृषि में परामर्शदात्री सेवा योजना

10116. श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में और विदेशों में कृषि की विभिन्न शाखाओं में परामर्शदात्री सेवा कार्य शुरू करने हेतु संगठन स्थापित करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तैयार किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस कार्य के कब से शुरू किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कृषि मन्त्रालय का देश में और विदेशों में कृषि की किसी शाखा में परामर्शदात्री सेवा कार्य शुरू करने हेतु संगठनों को स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

किसानों को दी जा रही राज सहायता को युक्तिसंगत बनाना

10117. श्री बालासाहब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में किसानों को सब प्रकार की राजसहायता दी जा रही है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) क्या किसानों को दी जाने वाली राज-सहायता की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) कृषकों को विभिन्न योजनाओं के जरिये समान रूप से राज सहायता दी जाती है। यह राजसहायता बीजों, मिनिकिटों, वनस्पति रक्षण रसायनों और उपकरणों की राजसहायता प्राप्त आपूर्ति के रूप में दी जाती है। उर्वरकों पर उद्योग को स्रोत पर ही राजसहायता दी जाती है। इसी की वजह से उर्वरक के मूल्य सम्पूर्ण देश में आपेक्षिक रूप से कम और समान स्तर पर बनाये रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने कृषि विकास में राजसहायता की भूमिका की संवीक्षा करने के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया था। दल ने अपनी मसौदा रिपोर्ट और सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है।

बम्बई की गंदी बस्तियों के निवासियों के लिए बैंक योजना

10118. प्रो. राम कृष्ण मोरे :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का बम्बई के गंदी बस्तियों के निवासियों के लिए अद्वितीय विश्व बैंक योजना प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उपर्युक्त योजना को देश के अन्य भागों में भी आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी गंदी बस्तियों का सुधार होगा।

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) मलिन बस्ती सुधार/उन्नयन योजनायें राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार अपने स्वयं के योजना प्रावधानों में से बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं। विश्व बैंक की सहायता हेतु केवल मलिन बस्ती निवासियों की योजना के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, देश के अन्य भागों में नगर विकास परियोजनाओं की तरह अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) की सहायता से चल रही बम्बई नगर विकास परियोजना में लगभग 5 लाख लोगों को लाभान्वित करने हेतु 53.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मलिन बस्ती उन्नयन एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की मीडियम मर्चेन्ट स्ट्रक्चरल मिल

10119. **श्री वी. कृष्ण राव :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवाकिया के इन्जीनियरी विशेषज्ञों को करोड़ों रुपये के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के एक भाग के रूप 200 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण मीडियम मर्चेन्ट स्ट्रक्चरल मिल का निर्माण करने के लिए आन्ध्र प्रदेश भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्थापित करने में चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञ किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय एल्यूमिनियम प्राधिकरण की स्थापना

10120. **श्री राम भगत पासवान :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के समान भारतीय एल्यूमिनियम प्राधिकरण की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सरकारी क्षेत्र में दो तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में तीन प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादक हैं। प्राथमिक एल्यूमिनियम के मूल्य सांविधिक रूप से नियन्त्रित किये जाते हैं तथा मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के समग्र हितों को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त विद्युत चालक ग्रेड एल्यूमिनियम पर वितरण नियन्त्रण है। इसके लिए एक एल्यूमिनियम नियन्त्रक हैं, जिनकी नियुक्ति एल्यूमिनियम (नियन्त्रण) आदेश, 1970 के तहत इसी प्रयोजन हेतु की गई है। यह नीति सुचारू रूप से चल रही है।

बीड़ी तम्बाकू और नातू तम्बाकू के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

10121. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री वी. बी. रमैया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा बीड़ी तम्बाकू और नातू तम्बाकू के मूल्यों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेल गांव में स्टेट बैंक आफ इन्दौर को फ्लैटों का आवंटन

हिन्दी]

10122. श्री राजकुमार राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई खेल गांव कम्प्लेक्स, नई दिल्ली में स्टेट बैंक आफ इन्दौर को कितने फ्लैट आवंटित किए गए हैं;

(ख) आवंटित किए गए उक्त फ्लैटों में से प्रत्येक फ्लैट का नम्बर और मूल्य कितना है; और

(ग) बैंक द्वारा इन फ्लैटों का निकट भविष्य में किए प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाएगा;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पांच।

(ख) फ्लैट नं.	भूमि की लागत सहित लागत
जी.2-147	724900 रुपये
जी.2-166	724900 रुपये
जी.2-201	724900 रुपये
जी.2-202	724900 रुपये
क्यू.1-575 } क्यू.2 }	962200 रुपये

(ग) आवंटन के निबंधनों के अनुसार इन फ्लैटों का उपयोग केवल रिहायशी प्रयोजन के लिए किया जाना है।

मात्स्यिकी के लिए पृथक विभाग

[अनुवाद]

10123. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसोसिएटेड चैम्बर ग्राफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री तथा फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने 1990 तक समुद्री उत्पादों के उत्पादन और निर्यात के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सरकार से मात्स्यिकी के लिए एक पृथक विभाग बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, मात्स्यकी के लिए एक अलग विभाग बनाने के एक प्रस्ताव पर सरकार पहले ही विचार कर रही है।

पिथौरागढ़ में भारत रिफ्रेक्ट्रीज परियोजना के कार्य को बन्द करना

[हिन्दी]

10124. श्री हरीश रावत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवल-थल (पिथौरागढ़) में भारत रिफ्रैक्ट्रीज के निर्माण के लिए स्थानीय किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, यदि हां, तो अधिग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल कितना है और इस भूमि के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना पर कार्य बन्द करने का निर्णय लिया गया है और यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख को लिया गया था; और

(ग) क्या उपर्युक्त निर्णय लेते समय पिछड़े क्षेत्रों के विकास के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में भी कोई अध्ययन किया गया था और यदि हां, तो क्या इस निर्णय से पहले राज्य सरकार से भी परामर्श किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत रिफैक्ट्रीज लि. को पिथौरागढ़ मैग्नेसाइट परियोजना के लिए देवलथल (पिथौरागढ़) में 23.13 एकड़ गैर-सरकारी भूमि अधिगृहीत की गई थी। अधिग्रहण के बाद इस भूमि की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(ख) इसकी शुरुआत के तुरन्त पश्चात् ही इस परियोजना की अर्थ-सक्षमता संदेहपूर्ण हो

गई थी। अतः इस परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में मकानों का निर्माण

[अनुवाद]

10125. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत उड़ीसा में कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक वर्ष में निर्धारित लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है और कितने परिवार लाभान्वित हुए; और

यदि किसी वर्ष में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, एक वर्ष के दौरान बनाये जाने वाले मकानों की संख्या राज्यों द्वारा वित्तीय वर्ष के आधार पर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना के लिए आवंटित संसाधनों के अनुसार तय की जाती है। गत 3 वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में बनाए जाने हेतु निर्धारित मकानों की संख्या, लाभान्वित परिवारों की संख्या निर्मित किए गए सूचित मकानों की संख्या के वर्ष-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	निर्माण हेतु तय किए गए मकानों की संख्या	निर्मित किए गए मकान की सूचित संख्या × लाभान्वित परिवारों की संख्या
1985-86	7120	शून्य
1986-87	4772	4485
1987-88	4772	7091
योग :	16664	11576

(ग) इन्दिरा आवास योजना 985-86 के दौरान आरम्भ की गई थी। तथापि, उड़ीसा राज्य द्वारा इसका कार्यान्वयन 1985-86 में तत्काल आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि योजना की आयोजना बनाने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को शुरू करने में राज्य को स्वयं कुछ समय लगा। बाद के वर्षों में योजना के कार्यान्वयन की प्रगति में तेजी आई और अब इसकी स्थिति संतोषजनक है।

केसरी दाल का उत्पादन और उपभोग

[हिन्दी]

10126. डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केसरी दाल के उपभोग से लोग लकवे के शिकार हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में केसरी दाल का अब भी उत्पादन किया जाता है;

(ग) इस दाल के उपभोग से लकवे के शिकार होने वाले व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस दाल की खेती पर प्रतिबंध लगाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं । केसरी दाल के लम्बे समय तक निरंतर अधिक प्रयोग करने से लैथरिज्म नामक पक्षाघात (लकवा) रोग हो जाता है ।

(ख) बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में अभी भी केसरी की खेती की जाती है ।

(ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि हाल ही के वर्षों में उन विशेष क्षेत्रों में भी, जहां कि केसरी दाल उगाई जाती है, लेथरिज्म के कोई नए मामले नहीं हैं ।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने केसरी दाल उगाने वाले सभी राज्यों को इसकी खेती पर प्रतिबंध लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए लिखा था । उत्तर प्रदेश तथा असम, राज्यों ने इसकी खेती को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है ।

आंध्र प्रदेश में बेरोजगार मछुआरों को राहत

[अनुवाद]

10127. श्री टी. बाल गौड़ क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछले दो वर्षों में आंध्र प्रदेश में मछली पकड़ने का कार्य न होने के कारण बेरोजगार हुए मछुआरों को वित्तीत सहायता देने का विचार है;

(ख) क्या राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण निधि से कोई तदर्थ अनुदान देने का विचार है; और

(ग) मछुआरों को कम से कम सारे वर्ष कार्य पर लगाये रखने के लिए सरकार मत्स्यन उद्योग को अन्य क्या सहायता देने की व्यवस्था कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिया विभाग में रज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1985-86 से आंध्र प्रदेश में हुआ मछली उत्पादन नीचे दिया गया है :

("000 मीटरी टन)

वर्ष	समुद्री मछली उत्पादन	अन्तर्देशीय मछली उत्पादन	कुल मछली उत्पादन
1985-86	126.8	107.5	234.3
1986-87 (अनन्तिम)	140.8	108.0	248.6
1987-88 (अनुमानित)	139.4	121.1	260.5

आंध्र प्रदेश में 1985-86 की तुलना में 1986-87 (अनन्तिम) तथा 1987-88 (अनुमानित) के दौरान हुए मछली उत्पादन के आंकड़े यह नहीं दर्शाते कि पिछले दो वर्षों में मछली पकड़ने की असफलता के कारण मछली पकड़ने वाले कामगार बेरोजगार रहे हों।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में आवास का आवंटन

10128. डा. फूलरेणु गुहा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में रिहायशी आवास के आवंटन हेतु कितने आवेदनपत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अठ्टाईस।

(ख) गृह मंत्रालय की विशेष सिफारिश पर आवंटन किया जाता है। उक्त मंत्रालय की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

बीजों का आयात

10129. श्री सांभाजी राव ककाडे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीजों का आयात कर रही है, यदि हां, तो कब से और किन देशों से,

(ख) क्या सोवियत संघ से आयातित बीज बीजोढ़ रोग और कीटाणुओं संदूषित पाए गए थे, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सरकार को आयात नीति में जीवित पौधों, बीजों और अन्य पौध सामग्री के आयात की

व्यवस्था की जा रही है, बशर्ते यह आयात संबंधित वर्षों की नीति में उल्लिखित शर्तों और पद्धतियों के अनुसार हो।

बीजों का आयात अमरिका; इंगलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर आदि जैसे विभिन्न देशों से किया जाता रहा है।

(ख) और (ग) सोवियत रूस से सूरजमुखी के बीजों की खेपों का आयात जुलाई, 1987 तथा जनवरी, 1988 में किया गया था। इन दोनों खेपों की पौध रक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय ने पौध-संगरोध की दृष्टि से कई प्रकार की जांच की और इनमें कोई रोग या कृमि न पाये जाने पर, इन्हें निर्मुक्त किया गया।

राजस्थान में कोटा स्टोन की खदानों के श्रमिकों के लिए उपकर की वसूली

[हिन्दी]

10130. प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में रामगंज मंडी में कोटा स्टेशन की खदानों में 70/80 हजार श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन खदानों के मालिकों से उपकर वसूल किया जाता है; यदि हां, तो उपकर किस दर से वसूल किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और खदान मालिकों पर उपकर लगाकर इन श्रमिकों के उत्थान हेतु उपाय करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) यह सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) से (घ) किसी भी कल्याण निधि अधिनियम के अधीन पत्थर खदान मालिकों पर कोई उपकर नहीं लगाया जाता है और ऐसा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों पर राज-सहायता

[अनुवाद]

10131. श्री के. प्रधानी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों पर राज-सहायता योजना के कारण जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों की खपत में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) यह मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों में खाद्यान्नों की खपत से संबंधित कोई आंकड़े नहीं रख रहा है। तथापि,

इस योजना के अधीन 1986 की तुलना में 1587 में गेहूं और चावल के निर्गमों में मामूली वृद्धि हुई है।

हल्दिया, नामरूप और बरौनी उर्वरक संयंत्रों को अर्थक्षम बनाना

10132. श्री नारायण चौबे :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के हल्दिया, नामरूप और बरौनी उर्वरक संयंत्रों को अर्थक्षम बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच. एफ. सी.) के नामरूप, बरौनी और दुर्गापुर संयंत्रों के सम्पूर्ण सर्वेक्षण के लिए विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति की है। परामर्शदाताओं ने अपनी रिपोर्ट एच. एफ. सी को प्रस्तुत कर दी है। हल्दिया उर्वरक परियोजना के सम्पूर्ण सर्वेक्षण के लिए भी विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। उनकी रिपोर्ट मई, 1988 में प्राप्त होने की आशा है। परामर्शदाताओं की रिपोर्टों के आधार पर तीन प्रचालन यूनिटों के पुनरोद्धार के लिए और हल्दिया परियोजना के प्रारम्भण के लिए आगामी कार्यवाही की जाएगी।

विश्व बैंक की सहायता से बंगलौर में मकानों का निर्माण

10133. श्री बी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में गरीब लोगों के लिए मकान बनाने की अविलम्ब आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या शहरों में विशेष रूप से बंगलौर शहर में, गरीब लोगों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक का कोई दल बंगलौर आने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अपनी आवास योजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता का अनुरोध किया है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत बंगलौर शहर में कुल कितने मकानों का निर्माण किये जाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जैसा कि देश के अन्य बहुनगरीय क्षेत्रों में आवास की कमी बंगलौर में भी महसूस की गई है।

(ख) फरवरी, 1988 के दौरान विश्व बैंक के एक मिशन ने कर्नाटक का दौरा किया था

तथा राज्य में विश्व बैंक की पूंजी लगाने के लिए परियोजना तैयार करने की संभावनाओं पर प्रारम्भिक चर्चा की थी, जिसमें बंगलोर तथा अन्य प्रमुख शहरी केन्द्रों के लिए शहरी विकास (आश्रय तथा अवसंरचना) परियोजना शामिल है।

(ग) कर्नाटक सरकार ने अब तक कोई परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजी है, जिसे पूंजी लगाने के लिए विश्व बैंक को भेजा जाना था।

(घ) बंगलौर नगर के लिए, राज्य सरकार 200525 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 179775 तथा अन्यों के लिए 20750) मकान उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है, जो प्रस्तावित विश्व बैंक की सहायता के अन्तर्गत लगभग 55000 लाख रुपए की कुल लागत पर होगी।

सन् 2000 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

10134. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सन् 2000 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अभी तक कौन-कौन सी योजनायें तैयार की गई हैं;

(ग) सन् 2000 तक मकानों की अनुमानतः कितनी मांग होगी; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनें अपनी आवश्यकताओं तथा योजना प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी-अपनी आवास योजनायें बनाने के लिये स्वतन्त्र हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों तथा समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष विकास योजना या विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आवास को प्राथमिकता दी गई है तथा आर्थिक दृष्टी से कमजोर वर्गों के लिये आवास पर विशेष बल दिया गया है। 20-सूत्री कार्यक्रम की सूत्र संख्या 14 तथा 15 आवास क्षेत्र की निम्नलिखित योजनाओं से सम्बन्धित है :—

(I) ग्रामीण भूमिहीन कामगार को आवास स्थलों का प्रावधान;

(II) आवंटित आवास स्थलों पर निर्माण सहायता;

(III) इन्दिरा आवास योजना;

(IV) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये आवास;

(V) निम्न आय वर्गों के लिये आवास;

(VI) शहरी मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार।

(ग) 1981 तथा 2001 के मध्य परिवारों की संख्या में कुल वृद्धि का अनुमान 63.8 मिलियन है।

(घ) प्रस्तावित राष्ट्रीय आवास नीति में राष्ट्रीय आवास भण्डार और इसके संरक्षण में दीर्घ तथा त्वरित वृद्धि प्राप्त करना तथा आवस में पूंजी-निवेश को प्रोत्साहन देना तथा आवासीय उत्पादन के वितरणार्थ एक कुशल तथा सुलभ पद्धति की बाधाओं को दूर करके तथा उसका विकास करके समर्थ वातावरण का सृजन करना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण योजनायें तथा उपाय किये गये हैं या आरम्भ किये जा रहे हैं :—

—राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना तथा आवास वित्त संस्थानों के नेटवर्क को प्रोन्नत करना।

—इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बन्धुवा मजदूरों के लिये मकानों का निर्माण।

—ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिये आवास स्थल एवं निर्माण सहायता का प्रावधान।

—आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों, निम्न आय वर्गों आदि के लिये शहरी क्षेत्रों में स्थल एवं सेवाओं तथा निर्मित एककों का प्रावधान।

—हुडको के माध्यम से विभिन्न ऋण सम्बद्ध योजनायें।

संपदा महानिदेशालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों का आवंटन

[हिन्दी]

10135. **श्री लाला राम केन :** क्या शहरी विकास मंत्री संपदा महानिदेशालय और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों के आवंटन के बारे में 29 फरवरी, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1072 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण और सम्पदा महानिदेशालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अलग-अलग कितनी-कितनी दुकानों का आवंटन किया गया;

(ख) ये आवंटन किस आधार पर किये गये; और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में अलग-अलग कितना प्रतिशत आरक्षण था;

शहरी विकास मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (मुख्य) ने 228 दुकानें तथा स्लम विभाग ने 2660 स्टालों/थड़ों/दुकानों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आबंटित की।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आवंटन किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उनके लिए दुकानों और स्टालों का कोटा आरक्षित किया है।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बारे में आरक्षण की प्रतिशतता 9.9.1986 तक 12-1/8 प्रतिशत थी तथा उसके पश्चात् 25%।

भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध मण्डल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति

[अनुवाद]

10136. **श्री अनादि चरण दास :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम आगामी कई वर्षों में होने वाली रिक्तियों के लिये काफी लम्बा पेनल तैयार करता है तथा इस पेनल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सबसे नीचे रखता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 के दौरान पेनल में प्रबन्धक (जी), संयुक्त प्रबन्धक (जी) के कितने रिक्त पद भरे गये और इस पेनल में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्तियों को लिया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि सम्बन्ध में आरक्षण नियमों का पालन किये बिना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को अधिक्रमित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने 1987 के दौरान उनके द्वारा तैयार किए गए पैनल में से अब तक प्रबन्धक (सा.) और उसके समकक्ष पदों पर दस अधिकारियों और संयुक्त प्रबन्धक (सा.) पदों पर आठ अधिकारियों को पदोन्नत किया है। सतर्कता सम्बन्धी क्लीयरेंस होने पर पेनल में दिए गए मेरिट के क्रम में ये पदोन्नतियां की गई हैं। उपर्युक्त पेनलों से अब तक किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात सयन्त्र में भर्ती

10137. **श्री बल्लभ पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात सयन्त्र में भर्ती वास्तव में रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि इस संयन्त्र में गत 10 वर्षों के दौरान लगभग 10,000 गैर-कार्यकारी अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, गैर-कार्यकारी अधिकारियों की संख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही है; और

(घ) यदि हां तो उन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और, खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी, नहीं। वास्तव में पिछले 10 वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात सयन्त्र से केवल 1866 गैर-कार्यपालक कर्मचारी सेवा-नियृत्त हुए हैं। इसके बावजूद राउरकेला इस्पात सयन्त्र में गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की संख्या, जो दिनांक 1.1.1978 को 34725 थी, दिनांक 1.1.1988 को बढ़कर 35176 हो गई है।

उर्वरकों की खपत

10138. **श्रीमती डी. के. भंडारी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985, 1986, 1987 के दौरान तथा चालू वर्ष के मार्च, 1988 तक के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा की खपत हुई,

(ख) क्या उर्वरकों का उत्पादन न करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिये उर्वरकों की खपत का कुछ कोटा निर्धारित किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1995-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान उर्वरकों की राज्यवार खपत को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) : प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन फसल मौसम के शुरू होने से काफी पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों तथा उर्वरक उद्योग के परामर्श से खरीफ (अप्रैल से सितम्बर) और रबी (अक्तूबर से मार्च) मौसमों के लिए अलग से किया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए इस प्रकार मूल्यांकित की गई मांग का पूरा आबंटन देशी उत्पादन और आयातित उर्वरकों से किया जाता है।

विवरण

उर्वरकों की खपत

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 1985-86	वर्ष 1986-87	वर्ष 1987-88 (अनुमानित)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	888.12	901.51	963.86
2.	कर्नाटक	555.55	565.78	590.01
3.	केरल	141.33	151.36	173.70
4.	तमिलनाडु	668.29	674.41	675.71

1	2	3	4	5
5.	पांडिचेरी	14.79	16.26	15.31
6.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0.10	0.14	0.24
7.	गुजरात	421.31	402.29	410.10
8.	मध्य प्रदेश	437.10	493.53	519.01
9.	महाराष्ट्र	668.00	656.00	729.00
10.	राजस्थान	220.92	247.09	213.62
11.	गोवा	7.31	4.34	5.57
12.	दमण व दीव			
13.	दादर व नगर हवेली	0.38	0.44	0.50
14.	हरियाणा	372.19	414.84	385.59
15.	पंजाब	1098.22	1115.60	1114.71
16.	उत्तर प्रदेश	1972.37:अनुमानित:	1771.71	1816.07
17.	हिमाचल प्रदेश	23.66	26.11	25.20
18.	जम्मू और कश्मीर	36.08	30.33	38.11
19.	दिल्ली	9.11	10.49	10.66
20.	चंडीगढ़	1.07	1.07	0.66
21.	असम	16.74	16.80	24.16
22.	बिहार	501.46	527.50	595.99
23.	उड़ीसा	140.52	151.73	155.86
24.	पश्चिम बंगाल	408.75	499.22	536.24
25.	त्रिपुरा	5.10	6.84	8.67
26.	मणिपुर	4.79	5.66	7.38
27.	मेघालय	2.99	1.48	3.33
28.	नागालैंड	0.26	0.35	0.22
29.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.33	0.20
30.	मिजोरम	0.09	0.15	0.30
31.	सिक्किम	1.19	1.35	1.69
32.	जिन्स बोर्ड	119.43	41.65	50.32
	कुल	8737.44 (अनुमानित)	8738.36	9071.99

नाफेड द्वारा दाल का आयात

10139. श्री राधा कांत दिगाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए दाल आयात करने का कार्य नाफेड को सौंपा है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नाफेड के माध्यम से कुल कितनी मात्रा में दाल का आयात करने का विचार है,

(ग) नाफेड का किस देश से दाल का आयात करने का विचार है, और

(घ) इस सम्बन्ध में नाफेड द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में अभूतपूर्व सूखे की प्रबल परिस्थितियों के कारण, भारत सरकार ने नैफेड को सलाह दी है कि वह सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से वितरण करने के लिए 1987-88 के दौरान एक लाख मीटरी टन दालों का आयात करे, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) ने 34095 मीटरी टन विभिन्न किस्म के दालों का आयात करने का ठेका किया, जिसकी 32590 मीटरी टन की मात्रा देश में पहुंच गई है।

(ख) से (घ) : दालों का आयात ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत है। नेफेड का विचार 50,000 मीटरी टन दालों का है, बशर्ते कि उन देशों में उपलब्ध हो जिन देशों से आयात करने की संभावना है, अर्थात तुर्की आस्ट्रेलिया, थाइलैंड, बर्मा, चीन और अमेरिका। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य सार्वजनिक संस्थान और व्यवस्था भी दालों का आयात कर रहा है।

माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज द्वारा आम के गूदे की खरीद

10140. श्री मार धनुषकोडी आतीतन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज की आम के गूदे की आवश्यकता को नैफेड द्वारा पूरा न करके गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा पूरा किया जा रहा है जबकि नेफेड भी आम के गूदे का उत्पादन करता है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले की जांच करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) केवल सरकारी समस्याओं जैसे नैफेड से ही आम का गूदा खरीदने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (घ) माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि: द्वारा अपेक्षित आम का गूदा कम्पनी द्वारा राज्य कृषि औद्योगिक कारपोरेशन और नेफेड जैसे सरकारी संगठनों अथवा निजी पार्टियों से उनके द्वारा पेश किए गए मूल्यों और उत्पाद की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर खरीदा जाता है। प्रमुख समाचार पत्रों में अखिल

भारतीय आधार पर खुले टेंडर आमंत्रित कर खरीदारियां की जाती है। यदि नेफेड अथवा अन्य कोई सरकारी संगठन अपेक्षित गुणवत्ता और प्रतियोगी दरें पेश कर सकते हैं तो उस दशा में कम्पनी उनसे आम का गूदा खरीदने पर विचार करेगी।

सहायता का अभाव और उपकरणों की अनुपलब्धता

10141. **श्री गुरुदास कामत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्याप्त सुविधा के अभाव और उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण गुजरात और महाराष्ट्र के तटवर्ती समृद्ध मत्स्य क्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों का कम उपयोग किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में उचित दर दुकानों को सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुओं के नमूने

10142. **श्री स्वामी प्रसाद सिंह** :

श्री बनवारी लाल बेरवा :

प्रो. चन्द्र भानु देवी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग की यह देखने की कोई प्रक्रिया है कि सभी उचित दर दुकानों पर सप्लाई की जा रही वस्तुएं उचित दर दुकानों को दिए गए नमूनों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रवृत्त प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक वितरण के लिए दी जा रही सभी खाद्य वस्तुएं उचित दर दुकानों को दिए गए नमूनों की गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस अनियमितता को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर की दुकानों को सप्लाई करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जारी की जाने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुओं के नमूने भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम को इन वस्तुओं की सुपुर्दगी के समय दिए जाते हैं। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इन नमूनों को उचित दर दुकान के दुकानधारियों को इन वस्तुओं की सुपुर्दगी के समय प्रदर्शन के लिए देती है। खाद्य कार्ड धारक उचित दर की दुकान से खरीदारी करते समय स्टाक की गुणवत्ता का दुकान में प्रदर्शित नमूनों के साथ मिलान कर सकता है।

यह भी उल्लेख है कि वस्तुओं की सुपुर्दगी से पहले उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने की प्रणाली इस समय प्रचलित है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने इसका खण्डन किया है। तथापि, इस कार्य के आकार को देखते हुए ऐसे कुछ मामले होने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जहां उचित दर की दुकानों को सप्लाई किया गया स्टाक, सप्लाई किए गए नमूनों की गुणवत्ता के अनुरूप न हो। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली प्रशासन ने ऐसे स्टाक को बदलने की एक प्रणाली बनाई है।

पर्यटक सुविधाएं

10143. **श्री अशोक शंकरराव चव्हाण** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हम्पी और खजुराहो में पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं अन्य पर्यटक स्थलों में भी उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पर्यटन आधार संरचना की जरूरत स्थान की अवस्थिति, इसकी सम्भाव्यता, पर्यटक आयायात, आदि पर निर्भर करते हुए प्रत्येक स्थान के मामले में भिन्न-भिन्न होती है। मंत्रालय ऐसी सुविधाओं का सृजन करने के लिए निधियां प्रदान करता है जिन्हें स्थान की पर्यटक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समझा जाता है।

राज्य सरकारों के कर्मचारियों को मकानों का आबंटन

10144. **श्री प्रतापराव बी. भोसले** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1988 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों को कितने सरकारी मकान आवंटित किए गए;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितने मकान आबंटित किए गए;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित करते समय दिल्ली में राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या में हुई वृद्धि तथा सामान्य पूल के मकानों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है; और

(घ) दिल्ली में विभिन्न राज्य सरकारों को मकानों के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 149

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली में विभिन्न राज्य सरकारों को क्वार्टरों के आवंटन के लिए अपनाया गया मापदण्ड संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(I) पहले किए गए विद्यमान आवंटनों को जारी रहने की अनुमति दी जाए।

(II) भविष्य में दिल्ली में तैनात राज्य सरकारों के अधिक से अधिक पांच कर्मचारियों को सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर वास आवंटित किया जाए। जहां विद्यमान आवंटन 12 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार पांच से कम है, वहां संख्या को इस तक सीमित रखा जाय।

(III) वे सामान्य पूल भवन जिनका राज्य सरकारों द्वारा अतिथि गृहों के रूप में उपयोग किया जा रहा है, वहां उन मामलों में उन्हें सामान्य पूल में वापिस लिया जाय जहां छः महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकारों ने अपने अतिथि गृह बना लिए हैं।

(IV) दिल्ली में तैनात दिल्ली के सिवाय अन्य संघ सरकार क्षेत्रों के अधिक से अधिक दो अधिकारियों/कर्मचारियों को ही सामान्य पूल वास आवंटित किया जाय।

विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में कनिष्ठ प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति

10145. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम परियोजना के गैर-अधिसूचित व्यवसायों में कनिष्ठ प्रशिक्षार्थियों की भर्ती केवल विस्थापित व्यक्तियों में से ही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में सरकार ने कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को गैर-अधिसूचित व्यवसायों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की कनिष्ठ प्रशिक्षार्थी के रूप में भर्ती करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना में कनिष्ठ प्रशिक्षार्थियों की भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय की मार्फत की जाती है। रोजगार कार्यालय को मांग-पत्र भेजते समय परियोजना के प्राधिकारी उन व्यवसायों को अधिसूचित करते हैं जिनमें भर्ती की जानी होती है। तथापि, जिन विस्थापित व्यक्तियों की भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहीत की गई थी, उनकी भर्ती गैर-अधिसूचित व्यवसायों में की जा रही है, बशर्ते कि उनके पास आई. टी. आई. की योग्यता हो। इस रियायत के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना को अभ्यावेदन दिए गए हैं कि विस्थापित व्यक्तियों को दी जा रही रियायत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भी दी जाए। तथापि, परियोजना प्राधिकारियों को इस आवेदन में कोई औचित्य नहीं मिला क्योंकि अपेक्षित व्यवसायों में भर्ती हेतु उन्हें अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में मिल गए हैं।

इस्पात के लिए भाड़ा समकरण निधि

10146. श्री समर कुमार मंडल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस्पात के लिए भाड़ा समकरण निधि के सम्बन्ध में इस बीच कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की विपणन को कलकत्ता से अन्यत्र ले जाने के लिए प्रस्तावित डिवीजन कार्यवाही पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इस मामले पर अभी विचार किया जाना है।

(घ) "सेल" के विपणन प्रभाग को कलकत्ता से स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूध का उत्पादन

10147. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध के उत्पादन में सूखा प्रतिरोधी गायों और भैंसों तथा आपरेशन फ्लड एक, दो और तीन के अन्तर्गत उत्पादित चारे के कारण वृद्धि हुई है; और

(ख) गाय तथा भैंस की राज्य-वार वर्तमान उत्पादकता की तुलना में वर्ष 1973-74 की उत्पादकता कितनी थी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि नियंत्रित प्रजनन बेहतर आहार तथा प्रबंध साधनों, स्वास्थ्य देख-रेख आदि जैसे उपायों के संबंध में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा किये गए ठोस प्रयासों के फलस्वरूप हुई है। राज्य डेरी संघों, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा की गई विपणन व्यवस्था ने भी दूध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने में मदद की है। उन्नत देशी तथा संकर प्रजनित गोपशु और उन्नत भैंसों के योगदान से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा किये गए नमूना—सर्वेक्षण के आधार पर उस वर्ष के लिए गायों और भैंसों की उत्पादकता की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। वर्ष 1973-74 में इस प्रकार के कोई सर्वेक्षण नहीं किये गए थे।

विवरण

1986-87 में प्रतिदिन (दूध देने वाली और दूध न देने वाली) प्रति दुधारू पशु की औसत दूध उत्पादकता

(कि.ग्राम में)

क्र.सं.	राज्य	गाय	भैंस
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.601	1.241
2.	अरुणाचल प्रदेश	×	×
3.	असम	0.580	1.196
4.	बिहार	0.689	1.453
5.	गोवा	×	×
6.	गुजरात	1.410	2.246
7.	हरियाणा	2.029	2.936
8.	हिमाचल प्रदेश	0.812	1.831
9.	जम्मू व कश्मीर	×	×
10.	कर्नाटक	0.893	1.250
11.	केरल	1.963	1.785
12.	मध्य प्रदेश	×	×
13.	महाराष्ट्र	0.571	1.543
14.	मणिपुर	×	×
15.	मेघालय	0.634	1.146
16.	मिजोरम	0.893	—
17.	नागालैंड	×	×
18.	उड़ीसा	0.232	0.639
19.	पंजाब	2.248	2.750
20.	राजस्थान	1.184	2.082
21.	तमिलनाडु	1.712	2.133
22.	त्रिपुरा	×	×
23.	उत्तर प्रदेश	1.033	2.006
24.	पश्चिम बंगाल	1.372	3.796
25.	सिक्किम	1.226	—

टिप्पणी : 1. × इन राज्यों में दूध उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए कोई नमूना सर्वेक्षण नहीं किये गए थे।

2. 1985-86 के नमूना सर्वेक्षण के परिणाम दोहराए गए हैं।

खाद्य तेल का उत्पादन, आयात और निर्यात

10148. श्री रेणुपद दास : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 के दौरान देश में खाद्य तेल का कितनी मात्रा में उत्पादन, आयात तथा निर्यात किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : वर्ष 1987-88 के लिए खाद्य तेल के उत्पादन के अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

वित्तीय वर्ष 1987-88 में खाद्य तेल की लगभग 19 लाख मी.टन मात्रा आयात की गई और कोई निर्यात नहीं किया गया।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

10149. श्री के. एस. राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अधीन उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें स्वयंसेवी संगठन भाग लेते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्वयंसेवी संगठनों को योजना-वार अनुदान दिया गया; और

(ग) अनुदान किस आधार पर मंजूर किए गए ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से से (ग) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण तकनीकी विकास परिषद (कापार्ट) जो ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसायटी है, को गरीबी निवारण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

इस विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को कापार्ट द्वारा सहायता दी गई, उनकी संख्या नीचे दी गई है—

क्र. सं.	योजना का नाम	उन स्वयंसेवी संगठनों की संख्या जिन्हें कापार्ट द्वारा अनुदान दिए गए
1.	ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा	138
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा शिशु विकास कार्यक्रम	146
3.	गरीबी निवारण कार्यक्रमों के लाभार्थियों का संगठन	410
4.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2
5.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	115
6.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	75

7.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा प्रौद्योगिकी मिशन परियोजनाएं	121
8.	कापार्ट को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण प्रौद्योगिकी योजनाओं का विकास	147

स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त परियोजनाओं और इसकी सम्बन्धित समितियों की सिफारिशों के आधार पर कापार्ट द्वारा अनुदान स्वीकृति किए गए थे।

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने इन कार्यक्रमों अर्थात् (1) अल्पकालिक प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, (2) देश में किसानों की अदला-बदली, (3) स्टाफ के रख-रखाव के लिए प्रशासनिक अनुदान के कर्यान्वियन में निम्नलिखित स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया है :

(1) भारत कृषक समाज,

(2) राष्ट्रीय किसान संगठन,

इन संगठनों को अनुदान, सहायता अनुदान समिति जिसे इस प्रयोजन हेतु विभाग में गठित किया गया है, की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत किया गया था

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जिन स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई, उनकी संख्या नीचे दी गई है:—

क्र.सं.	योजना का नाम	जिन स्वयंसेवी संगठनों का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुदान दिया गया, उनकी संख्या
1.	लैब टू लैण्ड प्रोग्राम	36
2.	कृषि विज्ञान केन्द्र	21
3.	आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट	1
4.	ट्राईबल एरिया रिसर्च प्रोजेक्ट	1

कार्यक्रम के उद्देश्यों की उपलब्धियों, प्रगति रिपोर्टों और समय-समय पर सम्बन्धि क्षेत्रीय समन्वयकों द्वारा की गई समीक्षाओं के आधार पर अनुदान रिलीज किये गए थे।

आलू सम्बन्धी अनुसंधान और विकास केन्द्र

10150. **श्री मति लाल हंसदा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में आलू सम्बन्धी अनुसंधान और विकास केन्द्रों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहीं स्थित हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत काम कर रहे केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के 10

क्षेत्रीय केन्द्र देश में नीचे लिखे स्थानों पर हैं—(1) पटना (बिहार), (2) कुफरी-फागू (हि. प्र.), (3) ग्वालियर (म. प्र.) (4) राजगुरू नगर (महाराष्ट्र), (5) शिलांग (मेघालय), (6) जालंधर (पंजाब), (7) ऊटकमंड (तमिलनाडु), (8) मोदीपुरम और (9) मुक्तेश्वर (उ. प्र.) तथा (10) दार्जिलिंग (पश्चिमी बंगाल)।

आलू सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना भी काम कर रही है जिसके पांच केन्द्र हैं। ये पांच केन्द्र केन्द्रीय आलू अनुसंधान सस्थान के पटना, राजगुरू नगर, शिलांग, जालंधर और ऊटकमंड स्टेशनों पर हैं। इनके अलावा 16 अन्य केन्द्र पोर्टब्लेयर (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह), जोरहट (आसाम), रांची (बिहार), दीसा (गुजरात), हिसार (हरियाणा), पालमपुर (हि. प्र.), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), चिन्तामणि (कर्नाटक), छिन्दवाड़ा (म. प्र.), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), भुवनेश्वर (उड़ीसा), कोटा (राजस्थान), फैजाबाद, कानपुर और पंतनगर (उ. प्र.) तथा कल्याणी (प. बंगाल) में भी स्थित हैं।

छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों के विकास की एकीकृत योजना

10151. श्री मति लाल हंसदा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक कस्बे के लिए, कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है, जिन्हें वर्ष 1988-89 के दौरान छोटे और मध्य दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना में सम्मिलित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : केन्द्र द्वारा परिवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत आज तक 1988-89 के दौरान कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

मछली उत्पादन के विकास के लिए आवंटित धनराशि

10152. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान प्रत्येक राज्य में समुद्री क्षेत्र में तथा अन्तर्देशीय जल में मछलियों का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ख) मछली उत्पादन के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) 1987-88 के दौरान राज्यवार अनुमानित मछली उत्पादन तथा चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1988-89 के दौरान मछली उत्पादन के विकास के लिए स्वीकृत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1987-88 के दौरान अनुमानित मछली उत्पादन (मीटरी टन में)			राज्य वार्षिक योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1988-89 के दौरान मछली उत्पादन के विकास के लिए स्वीकृति राशि
	समुद्री	अन्तर्देशीय	कुल	(लाख रुपयों में)
1. आंध्र प्रदेश	139399	12110[illegible]	260505	700.00
2. असम	—	60990	60990	476.00
3. बिहार	—	152548	152548	270.00
4. गुजरात	327203	22562	349765	600.00
5. हरियाणा	—	18654	18654	165.00
6. हिमाचल प्रदेश	—	3970	3970	60.00
7. जम्मू व कश्मीर	—	15353	15353	125.00
8. कर्नाटक	137303	42000	179303	332.00
9. केरल	292458	26510	318968	700.00
10. मध्य प्रदेश	—	68405	68495	294.00
11. महाराष्ट्र	310337	41146	351533	404.00
12. मणिपुर	—	6550	6550	105.00
13. मेघालय	—	758	758	45.00
14. नागालैंड	—	660	660	130.00
15. उड़ीसा	57000	60000	117000	632.00
16. पंजाब	—	6000	6000	140.00
17. राजस्थान	—	10919	10919	79.00
18. सिक्किम	—	141	141	22.00
19. तमिलनाडु	232000	98000	330000	413.00
20. त्रिपुरा	—	14012	14012	310.00
21. उत्तर प्रदेश	—	83130	83130	307.00
22. पश्चिम बंगाल	55230	403852	459082	अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

1	2	3	4	5
23. अरूणाचल प्रदेश	—	610	610	56.00
24. गोआ	34644	1432	36076	100.00
25. मिजोरम	—	2400	2400	40.00
26. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10951	21	10972	60.00
27. चण्डीगढ़	—	55	55	2.00
28. दिल्ली	—	2600	2600	28.00
20. दमण और दीव	—	—	—	50.00
30. लक्षद्वीप	× 5699	—	5699	82.82
31. पांडिचेरी	20241	1090	21331	100.00
32. दादर और नगर हवेली	—	—	—	2.00

× 1988-89 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के 5300.00 लाख रुपए के परिव्यय में से अप्रैल, 1988 के दौरान राज्य सरकारों के लिए कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई थी।

पूर्वी क्षेत्रों में फलों के उद्यानों का विकास

10153. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में फलों के उद्यानों के विकास के लिए राज्यवार कौन-कौन सी योजनायें शुरू की हैं;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान इन राज्यों में विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ लगाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) भारत सरकार बागबानी के विकास के लिए पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में कुछ योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं की राज्यवार जानकारी नीचे दी गई है :—

योजना का नाम	राज्यों के नाम, जहां योजना चलाई गई
1. अच्छे सेब उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी	अरुणाचल प्रदेश
2. अन्नानास से सम्बन्धित पैकेज कार्यक्रम	अरुणाचल प्रदेश
3. नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नारियल विकास की योजनाएं क्रियान्वित की गई।	बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा
4. काजू विकास के लिए पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी	त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में फल वृक्षों की विभिन्न किस्मों के पौध रोपण के लिए कोई विशिष्ठ लक्ष्य निश्चित नहीं किया है। -

डी. आई. जेड. क्षेत्र में अभियंताओं द्वारा क्वाटरों पर कब्जा

10154. श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी. आई. जेड. क्षेत्र में सहायक अभियंताओं, कार्यकारी अभियंताओं तथा अधिशासी अभियंताओं ने काफी संख्या में अनिवार्य सेवा के कर्मचारियों के स्टाफ क्वाटरों पर कब्जा कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) डी. आई. जेड. क्षेत्र में अनिवार्य स्टाफ क्वार्टर निम्नलिखित अधिकारियों को आवन्टित किये गये हैं।

1· निर्माण अधिशासी सर्वेक्षक (नई दिल्ली मन्डल-I)

2. कार्यपालक इन्जीनियर (एम. आई. एस.)

3. सहायक इन्जीनियर (सिविल)

4. सहायक इन्जीनियर (विद्युत)

ऐसे आवंटन के लिये पात्र अनिवार्य स्टाफ होने के कारण सहायक इन्जीनियरों को आवटन किया गया है। निर्माण अधिशासी सर्वेक्षक (नई दिल्ली मन्डल-I) तथा कार्यपालक इन्जीनियर को आवन्टित क्वार्टर इन आवासों के लिये पात्र अनिवार्य अनुरक्षण स्टाफ के अभाव में खाली पड़े रहे। इसलिये, ये, क्वार्टर उक्त मन्डल के उन दो वरिष्ठ अधिकारियों को आवन्टित किये गये जो निम्न श्रेणी का आवास लेने के इच्छुक थे।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए भूमि की आवश्यकता

10155. श्री भट्टम श्रीरामभूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए अब तक कितनी भूमि अर्जित की गई है और इसमें से सरकार के स्वामित्व की भूमि तथा निजी भूस्वामियों की भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस्पात संयंत्र के लिए कितनी और भूमि की आवश्यकता है तथा इसके लिए भूमि अर्जन प्रक्रिया को वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार निजी भूस्वामियों को और राज्य सरकार की भूमि के लिए किस दर से मुआवजा देने पर सहमत हुई है और इन दोनों को अलग-अलग कुल कितनी राशि देय है;

(घ) क्या अन्नापुडी में आंध्र प्रदेश की रिफ्रेक्टरियों के लिए अर्जित की गई भूमि के लिए उतना ही दर से भूमि का मुआवजा दिया गया है, जैसा कि इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित की गई भूमि के लिए दिया गया है क्योंकि इसे एक सम्बद्ध औद्योगिक एकक माना जाता है; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या आंध्र प्रदेश की रिफ्रेक्टरियों के लिए अर्जित की गई भूमि के लिए अतिरिक्त मुआवजा देने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) और (ख) 31.3.88 की स्थिति के अनुसार पहले से अधिगृहीत की जा चुकी भूमि और अभी अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :—

भूमि की श्रेणी	पहले से अधिगृहीत भूमि	अभी अधिगृहीत की जाने वाली भूमि
	एकड़	एकड़
गैर-सरकारी भूमि	11,768.26	1083·61
ग्राम स्थल	188.98	13.78
राज्य की भूमि	8,340.68	1561.44
	20,297.92	2658.83

शेष भूमि के अधिग्रहण से सम्बन्धित मामले पर सम्बन्धित पार्टियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ग) गैर-सरकारी भूमि :

शुष्क भूमि	17,000 रुपये प्रति एकड़
नम भूमि	20,000 रुपये प्रति एकड़
ग्राम स्थल	6 रुपये प्रति वर्गगज
देय कुल राशि :	20.99 करोड़ रुपये

राज्य सरकार की भूमि : 1050 रुपये-1270 रुपये प्रति एकड़

ग्राम स्थल : 2.7 रुपये-4 रुपये प्रति वर्गगज

राज्य सरकार को दिया गया कुल मुआवजा : 1,38,34,714 रुपये

(घ) और (ङ) इस्पात विभाग में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आर. के. पुरम, नए दिल्ली में उपरली टंकी

1015. श्री डी. पी. यादव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 के दौरान सैक्टर-3 आर. के. पुरम, नई दिल्ली-22 में बनी उपरली टंकी का पानी जमा करने और वितरण के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्षेत्र के निवासियों द्वारा महसूस की जा रही पेयजल की कमी की समस्या को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार है ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सहकारी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए योजना

10157. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहयोग संघ देश में तुलनात्मक अल्पविकसित राज्यों में सहकारी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत शुरू की गई 14 परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनके कार्यकरण का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सहकारी रूप से अल्पविकसित 8 राज्यों की 14 परियोजनाओं के नाम निम्नलिखित हैं :—

(1) नालबाड़ी (असम), (2) पटना (बिहार), (3) रांची (बिहार), (4) माशोबरा (शिमला), (हिमाचल प्रदेश), (5) (जम्मू व कश्मीर), (6) श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) (7) इम्फाल (मणिपुर), (8) पुरी (उड़ीसा), (9) गन्जम (उड़ीसा), (10) कियोन्झार (उड़ीसा), (11) जयपुर (राजस्थान), (12) उदयपुर (राजस्थान), (13) 24 परगंना (पश्चिम बंगाल) और (14) दीनाजपुर (पश्चिम बंगाल)। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना की कार्यप्रणाली का संक्षिप्त सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सहकारी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की योजना के संबंध में

कृषि और सहकारिता विभाग में 1976 में सहकारी रूप से अल्प विकसित 9 राज्यों में सहकारी शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय संघ के जरिए कार्यान्वित किए जाने के लिए स्कीम को स्वीकृति दी। इस स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई शत प्रतिशत अनुदान सहायता से इन राज्यों में क्षेत्रीय असन्तुलनों को कम करना तथा सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करना है। इस स्कीम के प्रयोजन हेतु मूल रूप से राजस्थान सहित 9 उत्तर-पूर्वी राज्यों का पता लगाया गया था तथा 15 परियोजनाएं चल रही थीं। इस समय सहकारी रूप से अल्पविकसित 8 राज्यों, अर्थात असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, उड़सी, राजस्थान, और पश्चिम बंगाल में 14 परियोजनाएं चल रही हैं। तथापि, हाल ही में सिक्किम राज्य को भी अभिज्ञात किया गया है ताकि वहां एक परियोजना स्थापित की जा सके।

2. इस योजना का मूल उद्देश्य सहकारी शिक्षा और तकनीकी मार्गनिर्देश के जरिए सहकारी समितियों के सदस्यों और भावी सदस्यों के ज्ञान, कौशल और अभिरुचि को प्राथमिक स्तर बनाना है ताकि सामान्य तौर पर उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में और विशेष रूप से उनकी उत्पादक क्षमताओं में सुधार लाया जा सके। ये परियोजनाएं जिला-स्तर पर संचालित फील्ड-परियोजनाएं हैं, जो सम्बन्धित राज्य के जिला सहकारी संघ/जिला सहकारी बैंकों अथवा सहकारिता विभागों से सम्बद्ध हैं।

3. इन परियोजनाओं के प्रमुख कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं :—

शैक्षणिक कार्यकलाप

1. सेक्रेटरी/ प्रबन्धक पाठ्क्रम
2. प्रबन्ध समिति सदस्य पाठ्यक्रम
3. नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम
4. ग्राम आधार सदस्य पाठ्यक्रम
5. प्रारम्भिक/शैक्षणिक बैठकें
6. युवा कैम्प/कक्षाएं/बैठकें
7. परिवार कल्याण कैम्प
8. महिला कैम्प/कक्षाएं
9. प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं
10. स्वास्थ्य कैंप/कक्षाएं
11. वसूली/जमा राशि के परिचलन संबंधी बैठकें
12. अन्य कार्यकलाप

फार्म— मार्गनिर्देश संबंधी कार्यकलाप

1. फसल विकास पाठ्यक्रम
2. डेरी विकास पाठ्यक्रम
3. बागबानी विकास पाठ्यक्रम
4. प्रौध रक्षण पाठ्यक्रम
5. सब्जी/आलू विकास पाठ्यक्रम
6. पशु विकास पाठ्यक्रम
7. फसल विपणन/श्रेणीकरण संबन्धी पाठ्यक्रम
8. उर्वरक के उपयोग से संबन्धित पाठ्यक्रम
9. तिलहन विकास पाठ्यक्रम
10. चारा विकास पाठ्यक्रम
11. कृषक—बैठक
12. दलहन विकास पाठ्यक्रम

लक्ष्य और उपलब्धियां

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के समग्र लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	विषयों की संख्या	सदस्यों की संख्या	विषयों की संख्या	प्रशिक्षित किए गए सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5
1984-85	2500	45000	2780	46617
1985-86	2500	45000	2763	48976
1986-87	2500	45000	2792	48042

बहु-राज्यीय सहकारी समितियां

10158. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत स्थापित की गयी 180 बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के नाम क्या हैं,

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान इस अधिनियम के अन्तर्गत नई समितियों के पंजीकरण सबन्धी कोई प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 16 सितम्बर, 1985 से लागू हुआ। अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम 16 सितम्बर, 1985 तथा 28 अक्तूबर, 1985 को अधिसूचित किए गये। पहले बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम, 1942 को निरस्त कर दिया गया है।

2. 20 राष्ट्रीय सहकारी समितियों सहित, 181 बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के नाम जो 30 अप्रैल, 1988 को बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अधीन पंजीकृत हैं या पंजीकृत की गई समझी गई, संलग्न विवरण में दिए गये हैं। ये राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गये ब्यौरों पर आधारित हैं। सूची में निम्नलिखित चार नई समितियां भी शामिल हैं जो कि बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अधीन इसके प्रभावी होने की तिथि 16 सितम्बर, 1985 से पंजीकृत हैं :—

(1) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली।

(2) भारतीय जन-जाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली।

(3) अखिल भारतीय सहकारी कपास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली।

(4) दि ब्रिटिश काऊन्सिल, कलकत्ता डिविजन एल/ई स्टाफ सहकारी ऋण समिति लिमिटेड कलकत्ता।

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी समितियां

1. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, 3, सारी इन्डस्ट्रियल एरिया, पंचशील मार्ग, नई दिल्ली ।
2. भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) सपना बिल्डिंग, 54, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065
3. राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड, 3. सारी इन्डस्ट्रियल एरिया, चौथा तल, नई दिल्ली ।
4. राष्ट्रीय हेवी इन्जीनियरिंग लिमिटेड, 16, महात्मा गांधी रोड, पुणे ।
5. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, वैज्ञानिक प्रयोगशाला परिसर, मार्फत राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल, आनन्द
6. अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड, 14, मुर्जबान रोड, दूसरा तल, बम्बई-400001
7. अखिल भारतीय औद्योगिक सहकारी बैंक संघ, 11, बुल टैम्पल रोड बेसावनगुड्डी, बंगलौर-4 (परिसमापन के अधीन)
8. राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ लिमिटेड, गारमेंट हाउस, डा. ऐनी बीसेंट रोड, वर्ली बम्बई-400018
9. कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड (कृभको), 49-50, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली- 110019
10. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड, 3, सारी इन्डस्ट्रियल एरिया, पंचशील मार्ग, नई दिल्ली .
11. भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, 34, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली ।
12. राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, बैकुंठ, तीसरा तल, 62-63, नेहरु प्लेस नई दिल्ली ।
13. पैट्रोफिल्स सहकारी लिमिटेड, पो. आ.-पेट्रोकेमिकल्स, जिला-बड़ोदा (गुजरात)
14. राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, एम-5 मैग्नम हाऊस, कर्मपुरा कम्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली
15. राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकसंघ लिमिटेड, शिवशक्ति, दूसरा तल, बी. जी. खेर रोड, वर्ली, बम्बई ।
16. राष्ट्रीय सहकारी बैंक एवं ऋण समिति संघ लिमिटेड, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली ।
17. अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, कांशी राम हाऊस, प्लाट नं. 11, कम्यूनिटी सेंटर, वारेंस रोड, इन्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035

18, राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड, पाकेट (सी), जे-ब्लाक, साकेत नई दिल्ली।

19. राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी संघ लिमिटेड, जे-9/29, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली।

20. राष्ट्रीय सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लिमिटेड, गणेश दुग्धशाला के सामने, आनन्द

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र बैंक कर्मचारी सहकारी बैंक लिमिटेड, 4-3-260/1, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500195

2. सहकारी प्रैस लिमिटेड, गनफाउन्ड्री, हैदराबाद

3. हैदराबाद सहकारी केन्द्रीय व्यापार समिति लिमिटेड, स्टेशन रोड, नामपल्ली, हैदराबाद।

4. हैदराबाद सहकारी व्यावसायिक निगम, बिलाग मली लेन, हैदराबाद

5. हैदराबाद एग्रिकल्चर कोआपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड, पब्लिक गार्डन्स के सामने, हैदराबाद।

6. दक्षिणी केन्द्रीय रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड, सिकंदराबाद-500025

7. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद अधिकारी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड, हैदराबाद।

असम

1. नार्थ ईस्ट फ्रन्टियर रेलवे एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, माली गांव (पांडू, जिला-गोहाटी)

गुजरात

1. दिल्ली अहमदाबाद मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रशासकीय स्कन्ध, रायल बिल्डिंग, जमीदार मस्जिद, तिलक रोड, अहमदाबाद।

2. कोआपरेटिव बैंक आफ हैदराबाद, अहमदाबाद बैंक चैम्बर्स, रिलीफ रोड, अहमदाबाद।

3. दि मधुपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड नवा मधुपुरा, अहमदाबाद।

हरियाणा

1. दि पंजाब कोआपरेटिव स्पिनिंग एण्ड टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, डकलैंड, जिला-हिसार (बन्द की जा रही है)

2. दि अम्बाला डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, अम्बाला कैंट (बन्द की जा रही है)

3. दि अम्बाला इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, अम्बाला (बन्द की जा रही है)

4. दि पंचशील इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, फरीदाबाद (बन्द की जा रही है)

5. दि पोस्टल एण्ड आर. एम. एस. एम्प्लाइज कोआपरेटिव बैंकस लिमिटेड, अम्बाला कैंट।

6. आई. एन. बी. ई. सी. कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, चण्डीगढ़।

कर्नाटक

1. हिरण्यकेशी सहकारी कारखाना नियमित संकेश्वर, जिला-बैलगांव।
2. केन्द्रीय सुपारी विपणन तथा परिसंस्करण सहकारी, मंगलौर-575001

राजस्थान

1. जनता परिवहन सहकारी लिमिटेड, भरतपुर।
2. प्रजा सहकारी उद्योग लिमिटेड, भरतपुर।
3. पश्चिमी रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति लिमिटेड उदयपुर।
4. रेलवे कर्मचारी सहकारी बैंकिंग समिति लिमिटेड, रेलवे इन्स्टीट्यूट, स्टेशन रोड, जोधपुर।
5. रेलवे श्रमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बीकानेर।

महाराष्ट्र

1. दि बोम्बे मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, 78, मोहम्मद अली रोड, बम्बई-400003
2. विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, 154, एस. बी. पटेल रोड (पूर्वी) बम्बई-400009
3. सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, सारस्वत बैंक बिल्डिंग, गिरगांव, बम्बई-4
4. शामराव बिठ्ठल सहकारी बैंक लिमिटेड, ग्रांट रोड, बम्बई-7
5. दि इण्डियन टूल मैन्यूफैक्चरर्स एम्प्लाइज कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, 101, सियोन रोड, बम्बई-22
6. ट्वेन्टिएथ सेन्चुरी,—फोक्स स्टाफ कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, पैट्रोहाऊस एम. जी. रोड, बम्बई-400020
7. मफतलाल डाई एण्ड कैमिकल एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., "हाक्स्ट हाऊस" चौथा तल, 193, बैक वे रिक्लेमेशन, नरीमन प्वाइन्ट, बम्बई-400021
8. ज्योफी मैनर्स एण्ड कम्पनी लिमिटेड एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, हैटर सेले मिल्स एस्टेट, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, घाटकोपर, बम्बई-400009
9. गोडफ्रे फिलिप्स इन्डिया लिमिटेड, एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., चकला, अन्धेरी, बम्बई-400009
10. एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड स्टाफ एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., 341, भविष्य निधि भवन, बांदरा (ईस्ट), बम्बई।
11. हिंदुस्तान पैट्रोलियम एम्प्लाइज क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, श्रमजीवी आवाज, 34-सेरवारी क्लास, बम्बई-400015
12. दि फिजर एम्प्लाइज वेलफेयर कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, एक्सप्रेस टावर्स नरीमन प्वाइन्ट, बोम्बे रिक्लेशन, बम्बई-400021

13. इन्डियन श्रायल एम्प्लाइज वेलफेयर कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, 254-सी, डा. ऐनी बीसेंट रोड, प्रभावेवी, बम्बई-25

14. एस. सी. एम. ई. एस. ई. एस. एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., 194, रास्ता पेठ, पुणे।

15. सी. ए. आई. एल. एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., ब्राउन ब्रोवरी हाउस, 264, डा. ऐनी बीसेंट रोड, बम्बई-25

16. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारटी कोपोरेशन एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, बम्बई।

17. बी. ए. एस. एफ इन्डिया लि., कोआपरेटिव सोसायटी लि. मे बेकर हाऊस, एस. के. अहिरे मार्ग बम्बई-25

18. सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. मायकुला रेलवे स्टेशन के पास, बम्बई-400027

19. कुक्स एंम्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., कुक्स बिल्डिग, डा नारोजी रोड, फोर्ट, बम्बई।

20. इन्डोफिल केमिकल्स एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. हाऊस, डा. ऐनी बीसेंट रोड, बम्बई-25

21. फायरस्टोन टायर एण्ड रबर इन्डिया कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., मेबन्दर रोड, बम्बई-33

22. सेंडोज श्रोलेस एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., सेंडोज हाऊस, डा. एनी बीसेंट रोड, बर्ली, बम्बई

23. बाम्बे मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक लि., एम्लाइज कोआपरेटिव केडिट सोसायटी लिमिटेड मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक बिल्डिग 78 मोहम्मद अली रोड, बम्बई-3

24. बजाब इलैक्ट्रोकल्स एम्प्लाइज क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 15-17, विक्टोरिया, बम्बई-400014

25. रिजर्व बैंक आफ इंडिया आफिसर्स एंम्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., मार्फत रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, बम्बई

26. डब्ल्यू. एच. ब्राडो एण्ड कं. एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., ब्राडो हाऊस 12/14, डा. नरीमन रोड, बम्बई-23

27. अमजेल एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., 95-के औरेर पार्क बी, देसाई, रोड, बम्बई-400026

28. दि जैक्सन कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी आफ दि वैस्टर्न रेलवे, सौशिव भरुचा मार्ग, ग्रांट रोड, वर्ली, बम्बई-17

29. रेप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., 47, डा. ऐनी बीसेंट रोड, वर्ली, बम्बई-25

30. पौष इन्डस्ट्रियल कं. एम्पलाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., 8, कालबा इन्डस्ट्रियल एरिया, थाणे, बेलापुर रोड, थाणे-400061
31. दि ओवरसीज कम्युनिकेशन कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. अपोलो बन्दर, बम्बई-11
32. दि. काथन कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., एयर इण्डिया बिल्डिग, 12वां तल, नरीमन प्वाइन्ट, बम्बई
33. स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम्प्लाइज (एम.एस. पटेल) कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. स्टेट बैंक बिल्डिंग, बाम्बे समाचार मार्ग, बम्बई-400023
34. आई. डी. बी. आई. स्टाफ कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., मार्फत आई. डी. बी. आई. नरीमन भवन, 9वीं तल विनय के शाह मार्ग, बम्बई।
35. बाम्बे टायर्स इन्टरनेशनल लि. एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., हेवन्स रोड, बम्बई-400023
36. दि सैंट्रल एक्साइज कलेक्ट्रेट कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, नासिक डिविजन, बम्बई
37. श्री सतपुडा तापो रेरोजर एस. एस. के लि., पुरषोत्तम नगर, तेल, शहादा, जिला-धुले
38. आर. एम. एस. कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. सराफा जेम्बर्स, नागपुर।
39. पी. एण्ड टी. सैन्ट्रल कोआपरेटिव सोसायटी लि., खिरिपेठ, नागपुर-10
40. डिस्ट्रिक्ट रेल्वे कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. नागपुर
41. श्री पंचांगना एस. एस. के लि., गंगानुगर इचलकरंजी, तालुका-हादकनांगटे, जिला-कोल्हापुर।
42. श्री दत्त शेतकरी एस. एस. के. लि., शिरोल, जिला-कोल्हापुर।
43. अखिल भारतीय सहकारी प्रकाशन लि., 23, बैल बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, फोर्ट बम्बई-1
44. जैन सहकारी बैंक लि., हिबाबनोग, सिफी टैंक, खट्टावली लेन, बम्बई-400004
45. बूटस एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. बम्बई।
46. सिएट एम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि. भांडुप, बम्बई।
47. इण्डियन आयल कोर्पोरेशन एम्प्लाइज, कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि., 254, सी, डा. एनी बीसेंट रोड, बम्बई-25

तमिलनाडु

1. रेल्वे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति लि., मार्फत दक्षिणी रेल्वे कार्यालय, मद्रास-3
2. भारत पैट्रोलियम कर्मचारी सहकारी समिति लि., इण्डियन बैंक बिल्डिंग, 17, नार्थ बीच रोड, मद्रास-1

3. हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम कर्मचारी सहकारी समिति, कमरा नं. 21, बम्बई म्यूचल बिल्डिंग एनेक्सी, लिंगी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1

4. भारतीय स्टेट बैंक, स्टाफ सहकारी समिति मार्फत भारतीय स्टेट बैंक, फर्स्ट लेन भेल, मद्रास-1

5. इण्डियन बैंक स्टाफ सहकारी समिति, 39, सेकण्ड लाइन, बीच रोड, मद्रास-1

6. रैल्लीज इण्डिया स्टाफ सहकारी थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी, 320, लिंगी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1

7. दक्षिणी रेल्वे कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी लि., पोस्ट बाक्स नं. 9, तिरूचिरापल्ली,

8. भारतीय चिकित्सा व्यवसायकर्ता सहकारी फार्मेसी और स्टोर्स लि., उपचार, मद्रास

9. रेल्वे सहकारी श्रम कांट्रेक्ट समिति लि., नं. 70, चौचरीन बेसीन रोड, बेसीन ब्रिज, मद्रास।

10. प्रत्यावर्तन सहकारी वित्त और विकास बैंक लि., 142, ए. सैंथमे हाई रोड, मद्रास-4

11. स्पेनर्स कर्मचारी सहकारी ऋण समिति लि., नं. 38 पैरूमल मुदली स्ट्रीट, रामापेटा, मद्रास-14

12. केनरा बैंक कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., नं. 135, मोरी स्ट्रीट, मद्रास

13. एयर निगम कर्मचारी ऋण समिति लि., 5 और 6 माऊंट रोड, मद्रास-2

14. न्यू इण्डिया एशयोरेंस कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट समितियां, 4/5, फर्स्ट लाइन बीच रोड, मद्रास-1

15. केनरा बैंक अधिकारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी, 1/155, मांऊट रोड, मद्रास-1

16. तमिलनाडु सर्कल पोस्टल सहकारी बैंक, 73/79, अंगप्पा नायकेन स्ट्रीट, मद्रास-1

17. ग्लैक्सो कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी, मार्फत ग्लैक्सों लैबोटरीज, 30 वैक्षाचरी रोड, गुइंडी, मद्रास-32

18. इण्डियन आइल कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., नं. 50-ए, अन्ना सेल्लई, माऊंट रोड, मद्रास-2

19. शां वैलेस सहकारी ऋण समिति लि., 7, लिंगी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1

20. हार्वेस्ट कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., मैकडाल हाऊस, 1-6, सेकेण्ड लाइन बीच, मद्रास-1

21. मद्रास नमक विभाग कार्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., मार्फत बिक्री उपायुक्त का कार्यालय, शास्त्री भवन, नं. 35, हाडज रोड, मद्रास-6

22. भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., भारतीय स्टेट बैंक बिल्डिंग, मद्रास-1

23. इण्डियन ओवरसीज बैंक लि., स्टाफ सहकारी ऋण समिति, 151, मांऊट रोड, मद्रास

24. वायु निगम कर्मचारी सहकारी मृत्यु लाभ निधि समिति लि., एयर लाइन्स हाऊस मद्रास एयरपोर्ट, मोनामबुक्कम, मद्रास-27

25. कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी, 43, स्ट्रलिंग रोड, मद्रास-34

26. गिलैंडर्स स्टाफ सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., 30 नार्थ बीच रोड, मरकंटाइल बैंक बिल्डिंग, मद्रास-1

27. थानथाई पेरियार ट्रांसपोर्ट निगम कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., बिल्लूपुरम।

28. इण्डियन केबल कम्पनी (आई. सी. सी.) कर्मचारी सहकारी ऋण समिति लि., 768 मांऊट रोड, मद्रास-2

29. लक्ष्मी विलास बैंक अधिकारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी, 21, कुमारप्पा मुल्लाई स्ट्रीट, मद्रास-34

30. कवर व्यास बैंक स्टाफ सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., 169, मिंट स्ट्रीट, मद्रास-1

31. बेस्ट एंड काम्पशन कर्मचारी सहकारी ऋण समिति लि., मद्रास-1 29, राजाजी सालाई-1

32. यूनियन बैंक आफ इण्डिया अधिकारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी, मद्रास 1

33. जनरल इंश्योरेंस कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., कांटिनेंटल प्लाजा, 705, अन्नासालाई, मद्रास-6

34. सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया, कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि. मद्रास, 11, सैकण्ड लाइन बीच, मद्रास 1

35. सरकारी दूर-संचार कर्मचारी सहकारी ऋण समिति लि., 5, मिलीन स्ट्रीट, मद्रास

36. साऊथ इण्डिया हाऊस कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि., 36 अरमानियन स्ट्रीट, मद्रास-1

37. लिपटन (इण्डिया) लि. कर्मचारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि, 25 मोरे स्ट्रीट, मद्रास-1

38. लक्ष्मी विकास बैंक स्टाफ सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि, 29, बालाजाह रोड, मद्रास-5

39. सिंडिकेट बैंक अधिकारी सहकारी थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसायटी लि, 16, श्रीनिवास पेरुमल सन्नधी स्ट्रीट, मद्रास-4

पश्चिम बंगाल

1. गेस्टेटनर कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित, 2 अब्दुल हमीद रोड, कलकत्ता-700069

2. दि ब्रिटिश परिषद प्रभाग एल/ई स्टाफ सहकारी ऋण समिति मर्यादित 5 शेक्सपियर सरानी, कलकत्ता-700071

3. बंगाल प्रतिरक्षा कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 44 गोपाल लाल टैगोर रोड, बारानगर कलकत्ता-700036

4. दि टाटा तेल मिल्स कर्मचारी ऋण समिति मर्यादित, 26, आर.एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001

5. भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 4 मांगो लेन, कलकत्ता-700001

6. राष्ट्रीय कार्बन कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 5 रुस्तमजी पार्सी रोड कोसीपोरे, कलकत्ता-700002

7. एसोसिएटेड एलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज कर्मचारी कल्याण सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 6सी. आर. एवेन्यू, कलकत्ता.700072

8. रक्षा लेखा (एफ.वाई.एस.) सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 10-ए ओकलेण्ड रोड, कलकत्ता-700035

9 भारतीय सांख्यिकी संस्थान सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 203 बी. टी. रोड, कलकत्ता-700035

10. पूर्वी रेलवे/सहकारी कालोनी समिति मर्यादित, 131-ए बी.बी. गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता-700001

11. पूर्वी रेलवे कर्मचारी सहकारी बैंक मर्यादित, 17, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001

12. ई.एन.एन.एफ. रेलवे कनिष्ठ सहकारी ऋण समिति मर्यादित, पूर्वी रेलवे प्रभागीय अधिकारी बिल्डिंग, सियाल्दा, कलकत्ता-14

13. ई. एन एफ रेलवे सहकारी बैंक मर्यादित, 34, ए. एवं बी. शशि भूषण दे स्ट्रीट कलकत्ता-700012

14. दक्षिण पूर्वी रेलवे कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 93 सर्कुलर गार्डन रीच रोड, कलकत्ता-700045

15. स्टेवाडंस एवं लोयडंस अण्डियन टेबल कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 2 महा-निर्वान रोड, कलकत्ता-700029

16. भारतीय तेल कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 1 शेक्सपियर्स, सरानी, कलकत्ता-700016

17. बैंक आफ बीकानेर कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 14 एन. एस. रोड, कलकत्ता-700001

18. दि ग्रामोफोन कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 33 जेसोरे रोड, कलकत्ता-700028

19. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 203, बी.टी. रोड, कलकत्ता-700035

20. ए.आर.सी.ओ. कर्मचारी ऋण समिति मर्यादित, 13/सी, रसेल स्ट्रीट कलकत्ता-700016

21. डनलप कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 67/सी. मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-700016

22. स्टेट बैंक आफ इन्डिया कर्मचारी एसोसियेशन (बंगाल सर्कल) सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 8 ओल्ड पोस्ट, आफिस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001

23. स्टेट बैंक आफ इन्डिया स्टाफ एसोसिएशन सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 11, अब्दुल हमीद रोड, कलकत्ता-700069

24. जे. स्टोन स्टाफ कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 16 तारा टोला रोड, न्यू अलीपुर, कलकत्ता-700013

25. इंफर कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 38 जे.एल. नेहरू रोड, कलकत्ता-700071

26. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादिय 10, नेली सैनगुप्ता, सरानी, प्रथम, मंजिल, कलकत्ता-700087

27. किलबर्न कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 4, फैरली प्लेस, कलकत्ता-700001

28. ग्रीवर्स कर्मचारी सहकारी ऋण समिति मर्यादित, 25 आबोर्न रोड, कलकत्ता-700001

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र/पंजाब

1. पंजाब राज्य औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित, एस.सी.एफ.-1-2 सैक्टर 19-सी, चण्डीगढ़
2. पंजाब राज्य एपैक्स सहकारी हथकरघा बुनकर समिति मर्यादित, 2062/21-सी, चण्डीगढ़
3. पंजाब राज्य महिला औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित एण्डीगढ़
4. अम्बाला भूतपूर्व सैनिक, सी.आई.एस. मर्यादित, 264/10-ए, चण्डीगढ़
5. पंजाब कृषि उपकरण सी.आई.एस. मर्यादित, 264/10-ए, चण्डीगढ़
6. अम्बाला भूतपूर्व सैनिक सहकारी परिवहन समिति मार्यादित 18, परिवहन क्षेत्र, चण्डीगढ़

7. जनता सहकारी परिवहन समिति मर्यादित, 1077/27-बी, चण्डीगढ़

8. चण्डीगढ़ सहकारी शीत भण्डार मर्यादित, 6 औद्योगिक क्षेत्र, चण्डीगढ़

9. मनी मजरास सहकारी विपणन तथा संसाधन समिति मर्यादित, चण्डीगढ़
(टिप्पणी : सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इन सहकारी समितियों की बहु-राज्य स्थिति की अभी पुष्टि की जानी है)

दिल्ली

1. नव भारती सहकारी प्रकाशन प्रतिष्ठान लि., ए-8/12, प्रताप बाग, दिल्ली-6

2. इण्डियन काफी वर्कस सहकारी समिति लि., 10-यू.बी, बांगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली

3. आल इण्डिया काफी वर्कस कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लि., 10 यू.बी. बांगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली

4. कृष्णा सहकारी गृह निर्माण समिति लि., 18/340, लोधी कालोनी, नई दिल्ली।

5. हिन्दुस्तान समाचार सहकारी समिति लि., समाचार भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली

6. भारतीय लेखक संघ, सहकारी समिति लि., डी-44, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110049

7. भारतीय पटसन औद्योगिक और विपणन लि., दिल्ली

8. भारतीय पर्यटन सहकारी लि., नई दिल्ली

9. राष्ट्रीय सहकारी फिल्म लि., नई दिल्ली

10. भारतीय किसान सहकारी बैंक लि., पश्चिमी निजामुद्दीन, नई दिल्ली

11. उतरी क्षेत्र रेलवे कर्मचारी सी.टी.सी. समिति लि., बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।

12. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि., नई दिल्ली

13. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति लि., नई दिल्ली

14. अखिल भारतीय कपास सहकारी संघ, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन खण्ड के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन

10159. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन खंड का विशेष अध्ययन कराया था;

(ख) क्या इसकी परियोजना रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है और उक्त

परियोजना सम्बन्धी कार्य कब आरम्भ किया गया था और रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ने हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के नादौन ब्लाक में एक अध्ययन कराया था ।

(ख) से (घ) अध्ययन की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है । अध्ययन पहले मार्च, 1983 में शुरू किया गया था । इसमें विलम्ब इसलिए हुआ था क्योंकि अध्ययन के प्रभारी संकाय सदस्य को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के गोहाटी केन्द्र में स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा वे गौहाटी में नए केन्द्र की स्थापना के कार्य में व्यस्त होने के कारण अध्ययन को पूरा करने के लिए समय नहीं दे सके । इसी बीच एकत्रित की गई सूचना पुरानी हो चुकी थी । नया सर्वेक्षण शुरू किया गया था और आंकड़े एकत्रित किये गये थे और जनवरी/फरवरी 1988 में तयार किये थे । प्रशासनिक समस्याओं के कारण अप्रैल के अन्त तक रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के आश्वासन को पूरा नहीं किया जा सका । रिपोर्ट 15 मई, 1988 तक पूरी हो जायेगी ।

नए कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय

10160. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजना के शेष वर्षों में कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये विश्वविद्यालय किस तारीख तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) सातवी योजना के आगामी बचे हुए वर्षों में सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कृषि/बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के सात राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ।

(ख) प्रायोजना सम्बन्धी दस्तावेजों तथा बिल के मसौदे तैयार करके विभिन्न राज्यों/केन्द्र सरकार के मन्त्रालयों को परिचालित किए गए हैं । इन दस्तावेजों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

किसानों की समस्याओं से सम्बन्धित समिति

10161. चौधरी राम प्रकाश : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसानों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक उच्चाधिकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो समिति कब तक स्थापित की जायेगी और उसके विचारार्थ विषय क्या होंगे, और

(ग) क्या सरकार इस समिति में कृषि विशेषज्ञों और अन्य गैर-सरकारी विशेषज्ञों को शामिल करेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में किसानों की समस्याओं पर उच्चाधिकार समिति गठन करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मात्स्यकी के विकास सम्बन्धी योजनाएं

10162. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मात्स्यकी विकास के लिये देश में मत्स्य निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) पूर्वी समुद्र तट, विशेषकर उड़ीसा के समुद्र तट के साथ मात्स्यकी विकास को बढ़ावा देने के लिये और अधिक मत्स्य बन्दरगाह स्थापित करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार मात्स्यकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सहित देश के समुद्र तट के साथ अधिक मत्स्यन बन्दरगाहों का विकास करने के लिए बड़े पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जलयान से माल उतारने और ठहरने की सुविधाओं की केन्द्रीय योजना और छोटे पत्तनों पर जलयानों के लिए माल उतारने तथा ठहरने की सुविधाओं को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना जारी रख रही है।

अभ्रक के उत्पादन में कमी

10163. **श्री चिन्तामणि जैना :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक के उत्पादन में हर वर्ष धीरे-धीरे कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अभ्रक के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है और उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिनके उत्पादन में कमी आई है और मांग पूरी करने के लिये उनका आयात किया जा रहा है; और

(घ) इन धातुओं का और विशेष रूप से अभ्रक का और भंडारों का पता लगाकर तथा उनका खनन करके उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) और (ख) यद्यपि चालू खानों में ऊपरी सतह में भंडार समाप्त होने और मांग की बदली हुई प्रकृति के कारण अभ्रक के उत्पादन

में प्राय गिरावट का रुख रहा है, लेकिन हाल ही में छीजन और स्क्रैप अभ्रक के उत्पादन में वृद्धि हुई है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, गत तीन वर्षों में उत्पादन इस प्रकार रहा :—

(टन में)

वर्ष	क्रूड	छीजन व स्क्रैप
1985	4820	2515
1986	4746	2773
1987	4240	6307

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गोवा से मांडवी पैलेट सयन्त्र का स्थानान्तरण

10164. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने मांडवी पेलेट सयन्त्र को गोवा से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इसके कारण मजदूरों की छंटनी करनी पड़ेगी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1988-89 के दौरान गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण

18165. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान राज्यों के इस प्रयोजन के लिए कुछ राशि का उपयोग किया था; यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़कों के निर्माण में, विशेष रूप से उड़ीसा और मध्य प्रदेश में, अब तक क्या प्राप्ति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कार्य राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग

के रूप में किया जाता है, जिसके लिये निधियां, राज्य योजनाओं में मुहैया की जाती हैं : ऐसी कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाती हो। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो राज्यों के लिए शत-प्रतिशत सहायता अनुदान वाला एक केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो राज्यों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान वाला एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है, के अन्तर्गत सड़क निर्माण, उनके अन्तर्गत शुरू किए जाने हेतु अनुमेय कार्यों की एक मद है।

(ख) 1986-87 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क-निर्माण कार्यों पर उपयोग की गई राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) मार्च, 1988 के अन्त तक मध्य प्रदेश में 70883 गांवों में से 16560 गांवों तथा उड़ीसा में 54606 गांवों में से 8247 गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत बारहमासी सड़कों से जोड़ दिए जाने की सम्भावना है। सातवीं योजना के दौरान दिसम्बर, 1987 तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में 1504 किलोमीटर लम्बी सड़कें तथा उड़ीसा में 3675.96 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई गई/सुदृढ़ की गई थी। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में 9563 किलो-मीटर लम्बी सड़कें तथा उड़ीसा में 13705 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई/सुदृढ़ की गई थी।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 के दौरान सड़क निर्माण कार्यों पर उपयोग में लाई गई निधियां :

(लाख रुपए में)

क्र. सं	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	आंध्र प्रदेश	असूचित	1361.24	450.00
2	अरुणाचल प्रदेश	14.58	20.25	500.00
3	असम	असूचित	392-71	870.00
4	बिहार	2817.36	अप्राप्य	4420.00
5	गोआ	24.03	23.36	7.00
6	गुजरात	428.37	1232.89	380.00
7	हरियाणा	133.30	6.28	5.00

1	2	3	4	5
8	हिमाचल प्रदेश	134.19	7.81	1035.00
9	जम्मू और काश्मीर		अप्राप्य	525.00
10	कर्नाटक	630.84	631.67	970.00
11	केरल	1169.91	1320.36	875.00
12	मध्य प्रदेश	1521.39	1800.64	1779.00
13	महाराष्ट्र	530.88	191.07	987.00
14	मणिपुर		20.72	275.00
15	मेघालय		7.93	150.00
16	मिजोरम	184.88	10.64	500.00
17	नागालैंड	27.11	26.26	40.00
18	उड़ीसा	955.54	691.08	950.00
19	पंजाब		331.00	
20	राजस्थान	605.18	148.92	944.00
21	सिक्किम		21.36	268.00
22	तमिलनाडु	765.45	279.26	713.00
23	त्रिपुरा	17.89	अप्राप्य	450.00
24	उत्तर प्रदेश	3978.00	अप्राप्य	11066.00
25	पश्चिम बंगाल	2147.12	1599.41	637.00
26	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	असूचित	22.47	160.00
27	चंडीगढ़		—	—
28	दादर और नगर हवेली	0.21	3.12	20.00
29	दिल्ली		—	—
30	दमन और दीव		$	$
31	लक्षद्वीप	2.27	7.56	6.00
32	पांडिचेरी	असूचित	18.67	35.00
	अखिल भारत	16089.10	10176.68	29070.00

$ गोआ में शामिल है।

सरसों की खेती

10166. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरसों की खेती गेहूं के साथ (दोहरी फसल के रूप में) की जाती है और फसल की सिंचाई करने से सरसों की फसल लगभग नष्ट हो जाती है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं,

(ग) किन-किन राज्यों में सरसों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, और

(घ) सरसों की खेती में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरसों की फसल केवल अकेली फसल के रूप में ही नहीं उगाई जाती है अपितु गेहूं के साथ मिश्रित या अन्तःवर्ती फसल के रूप में भी उगायी जाती है। सरसों की फसल के लिए मामूली सिंचाई से अच्छी उपज सुनिश्चित रहती है।

(ग) और (घ) असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में तोरिया-सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशाल क्षमता विद्यमान है। इसलिए दो योजनाएं अर्थात् केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि (प्रस्ट) परियोजना इन राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है। बड़े पैमाने पर तोरिया-सरसों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु राज्यों को विभिन्न महत्वपूर्ण आदानों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित धनराशि

10167. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के बजट में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) उड़ीसा को उक्त अवधि में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु विकास हेतु कितनी धनराशि का ऋण देने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्र क्षेत्र में वर्ष 1988-89 हेतु 355.00 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। इसमें से 345.00 करोड़ रु. कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटन हेतु केन्द्रीय अंश के लिए हैं। कुछ बजट प्रावधान में से 10.00 करोड़ रुपए खण्ड स्तरीय प्रशासन व मानिटरिंग सैलों को सुदृढ़ बनाने, समवर्ती मूल्यांकन करने तथा अनुसंधान अध्ययन करने, स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने आदि हेतु प्रदान किए गये हैं।

(ख) कार्यक्रम के लिए राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चुने हुए परिवारों जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4800/-रु. से कम है, को सहायता दी जाती है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में ऋण से सम्बद्ध परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए सहायता दी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

उड़ीसा के लिए आबंटन का केन्द्रीय अंश 17.788 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम के लिए राज्य अंश सहित कुल आबंटन 35.577 करोड़ रु. है। उड़ीसा में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु-विकास सहित विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत सहायता देने के लिए 55.68 करोड़ रु. का आवधिक ऋण जुटाये जाने की संभावना है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-89 के लिए राज्यों को आबंटन

(लाख रुपये)　　　(अनन्तिम)

क. सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल आबंटन
1.	आन्ध्र प्रदेश	2461.042	2461.042	4922.084
2.	अरुणाचल प्रदेश	213.600	213.600	427.200
3.	असम	746.880	746.880	1493.760
4.	बिहार	4804.665	4804.665	9609.330
5.	गोआ	44.500	44.500	89.000
6.	गुजरात	1153.320	1153.320	2306.640
7.	हरियाणा	345.538	345.538	691.076
8.	हिमाचल प्रदेश	184.530	184.530	369.060
9.	जम्मू और काश्मीर	286.047	286.047	572.094
10.	कर्नाटक	1486.650	1486.650	2973.300
11.	केरल	902.894	902.894	1805.788
12.	मध्य प्रदेश	3299.895	3299.895	6599.790
13.	महाराष्ट्र	2538.268	2538.268	5076.536
14.	मणिपुर	59.305	59.305	118.610
15.	मेघालय	96.150	96.150	192.300

1	2	3	4	5
16.	मिजोरम	89.000	89.000	178.000
17.	नागालैंड	93.450	93.450	186.900
18.	उड़ीसा	1778.871	1778.871	3557.742
19.	पंजाब	359.248	359.248	718.496
20.	राजस्थान	1614.818	1614.818	3229.636
21.	सिक्किम	17.800	17.800	35.600
22.	तमिलनाडु	2348.758	2348.758	4697.516
23.	त्रिपुरा	82.091	82.091	164.182
24.	उत्तर प्रदेश	6593.185	6593.185	13186.370
25.	पश्चिम बंगाल	2694.795	2694.795	5389.590
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	44.500	—	44.500
27.	चंडीगढ़	8.900	—	8.900
28.	दादर और नगर हवेली	8.900	—	8.900
29.	दिल्ली	44.500	—	44.500
30.	दमण और द्वीव	17.800	—	17.800
31.	लक्षदीप	44.500	—	44.500
32.	पांडिचेरी	35.600	—	35.600
		34500.000	34295.300	68795.300

संयुक्त संयंत्र समिति का वार्षिक बजट

10168. डा. बी. एल. शैलेश : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात उद्योग संबंधी संयुक्त संयंत्र समिति का वार्षिक बजट क्या है और संयुक्त संयंत्र समिति उपकार के रूप में प्रति वर्ष अनुमानतः कितना एकत्र करती है;

(ख) क्या संयुक्त संयंत्र समिति नए मूल्य निर्धारण करने और अन्य क्षेत्रों में भी मंत्रालय के साथ धीरे-धीरे अपना महत्व खो रहा है, क्योंकि मंत्रालय ने इसके कुछ कार्य अपने हाथ में ले लिये हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने संयुक्त संयंत्र समिति में अपने प्रतिनिधियों की संख्या कम करने का निर्णय किया है, और

(घ) क्या मूल्य निर्धारण में संयुक्त संयंत्र समिति की घटती हुई भूमिका को हुए सरकार वर्तमान ढांचे में इसकी उपयोगिता की पुनः जांच करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) संयुक्त संयंत्र समिति का 1988-89 का वार्षिक बजट 1.8 करोड़ रुपये का है और चालू वर्ष के दौरान संयुक्त संयंत्र समिति के उपकर की अनुमानित वसूली भी 1.8 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संयुक्त संयंत्र समिति में "सेल" के महाप्रबन्धक (विपणन) के प्रतिनिधित्व की बजाए अब तक उप महा-प्रबन्धक का प्रतिनिधित्व है। यह प्रतिनिधित्व पर्याप्त समझा गया है।

(घ) ऊपर भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

गेहूँ की वसूली

10169. डा. बी. एल. शैलेश :

श्री राधाकांत डिगाल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चालू मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गेहूं की अनुमानित कितनी मात्रा में वसूली करने का विचार है;

(ख) क्या निगम ने स्वयं को गेहूँ भारी मात्रा की वसूली के लिए तैयार कर लिया है और इसके भंडारण के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिए हैं; और

(ग) वर्ष 1988-89 में कितना रक्षित-भंडार बनाने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप और भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर सरकार के समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए पेश किया गया सारा गेहूँ भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा जाएगा।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली और भण्डारण के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध कर लिए गए हैं।

(ग) बफर और परिचालन स्टाक बनाने के लिए चालू रबी विपणन मौसम के दौरान गेहूँ की अधिक से अधिक वसूली करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है चालू वर्ष के दौरान 10 लाख मीटरी टन गेहूं आयात किया जाएगा।

उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग

10170. श्री एच. बी. पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार मिले हैं कि किसानों द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग किये जाने से भूमि में नमी न रहने के कारण मिट्टी पूर्णतः सूख जाती है और किसानों को सिंचाई के अन्य साधन अपनाने पड़ते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि वैज्ञानिक ऐसे रासायनिक उर्वरक तैयार करने के बारे में कोई अनुसंधान कर रहे हैं, जो मिट्टी में पानी की मात्रा बनाये रख सकें, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चने की खेती

10171. **श्री एच. बी. पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई सुविधाओं के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के साथ-साथ चने की खेती में कमी होती गई है और देश को चने की दाल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्षानुवर्ष चने की खेती के अन्तर्गत के क्षेत्र में उतार-चढ़ाव होता रहा है, यद्यपि क्षेत्र में दीर्घावधि वृद्धि में कमी आने का रुख दिखाई पड़ता है।

(ख) चने का उत्पादन सुधारने के लिए निम्नलिखित नीति कार्यान्वित की जा रही है :—

(1) चना सहित दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में 1986-87 से केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना शुरू की गई है।

(2) चने के उन्नत बीज का संवर्धन तथा उपयोग, पौध संरक्षण उपायों को अपनाना, फास्फेट युक्त उर्वरकों तथा राइजोबियम कल्चर का उपयोग।

मिलों द्वारा गन्ने की पेराई

10172. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में 15 मार्च, 1988 तक चीनी मिलों द्वारा 190.85 लाख टन गन्ने की पेराई की गई;

(ख) क्या सरकार का अन्य राज्यों को भी अधिक चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी, हां, चीनी फैक्ट्रियों ने मार्च, 1988 के मध्य तक लगभग 190 लाख मीटरी टन गन्ना पेरा था।

(ख) से (घ) सरकार की नीति का उद्देश्य सभी राज्यों में गन्ने की अधिकतम पिराई करवाना सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य की दृष्टि में अन्य नीति विषयक उपायों के अलावा सरकार ने मौसम के प्रारंभिक भाग अर्थात् अक्तूबर और नवम्बर, 1987 के दौरान और मौसम के बाद के भाग अर्थात् मई, जून और जुलाई, 1988 के दौरान पिराई करने के लिए उत्पादन शुल्क में रिबेट प्रदान किया है। चीनी फैक्ट्रियों ने 15.4.88 तक लगभग 76.44 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन कर लिया है जबकि पिछले मौसम में, जोकि रिकार्ड उत्पादन का मौसम था, तदनुरूपी तारीख तक 73.15 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया गया था। इसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में अधिक पिराई के जरिये प्राप्त किया गया है।

पशु चारे को पौष्टिक बनाने के लिए नई विधि

10173. **श्री पी. आर. कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास संस्थानों ने घास फूंस (पलाल) का प्रयोग कर निम्न गुणता के पशु तथा मुर्गी चारे को पौष्टिक बनाने के लिए नई विधि का विकास किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नई विधियों के अन्तर्गत वर्षवार कितनी पौष्टिक घास का उत्पादन किया गया है;

(ग) क्या विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में पशु चारा पौधे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब खाद्यानों का आयात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) जी, हां। कम पोषक गुण वाले भूसे जैसे आहारों को पौष्टिक बनाने की एक विधि विकसित की गई है। इस विधि में यूरिया का उपयोग करके अमोनिया करण प्रक्रिया द्वारा आहारों को उपचारित किया जाता है।

(ख) गोविन्द बल्लभ पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और करनाल स्थित राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान द्वारा पाइलट पैमाने पर इस विधि से केवल कुछ टन आहार ही पौष्टिक बनाया गया है, जबकि भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउंडेशन महाराष्ट्र और गुजरात, द्वारा काफी अधिक मात्रा में आहार को संसाधित किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत को दान-स्वरूप मक्का देने के प्रस्ताव का करार हुआ है। इसमें से 75,000 टन मक्का भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नफेड) और 25,000 टन मक्का राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को दी जानी है। इसके अलावा अधिकांश मक्का सरकार द्वारा प्रायोजित संगठनों और सहकारिताओं द्वारा बांटी जाएगी। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को मिलने वाली मक्का का उपयोग "आपरेशन फ्लड" के अन्तर्गत पशु आहार तैयार करने के लिए किया जाएगा।

दुग्ध उत्पादों के बारे में "यूरोपियन पार्लियामेंट रिपोर्ट"

10174. श्री पी. ग्रार. कुमारमंगलम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपियन पार्लियामेंट ने वर्ष 1986-87 के लिए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम भारत को दुग्ध उत्पादों के बजाय नकद सहायता अनुदान देने को तैयार थे ताकि भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादों की खरीद कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपरेशन फ्लड-3 के कार्यान्वयन के लिए खाद्य सहायता के रूप में 75,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 25,000 मीटरी टन बटर आयल देने के लिए राजी हो गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा भारत के बीच हस्ताक्षरित वित्त सम्बन्धी नयाचार में कुछ स्थिति में खाद्य मदद के स्थान पर वित्तीय सहायता की प्रतिस्थापना की व्यवस्था है।

उड़ीसा को उर्वरकों की सप्लाई

10175. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा को कौन-कौन से उर्वरक कारखाने उर्वरक सप्लाई करते है और गत तीन वर्षों में उन्होंने प्रति वर्ष कितना उर्वरक सप्लाई किया ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) उड़ीसा को उर्वरक सप्लाई करने वाली फैक्ट्रियों और उर्वरक संभाल एजेन्सियों के नाम नीचे दिये गए हैं :—

1. **देशी उर्वरक**

   1. कारोमण्डल उर्वरक
   2. भारतीय उर्वरक निगम
   3. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम
   4. भारतीय कृषक एवं उर्वरक सहकारी लिमिटेड
   5. भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड
   6. पारादीप फोस्फेट्स लिमिटेड
   7. ओ. ई. सी. उर्वरक
   8. दी धरमसी मोराजी कैमिकल कम्पनी लिमिटेड
   9. पूर्व तट उर्वरक
   10. पाइराट्स एण्ड फोस्फेट्स कम्पनी लिमिटेड
   11. पश्चिम बंगाल खनिज विकास निगम।

2. आयातित उर्वरक

1. भारतीय पोटाश लिमिटेड

2. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम

3. भारतीय उर्वरक निगम

4. नागार्जुन उर्वरक लिमिटेड

पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त सप्लायरों द्वारा सप्लाई की गई उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है :—

(.000 मीटरी टन एन+पी+के)

वर्ष	सप्लाई किया गया उर्वरक
1985-86	114.55
1986-87	162.75
1987-88	199.59

स्टेट फार्मिंग कारपोरेशन की स्थापना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

10177. प्रो. मधु दण्डवते : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्टेट फार्मिंग कारपोरेशन की स्थापना करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;

(ख) क्या स्टेट फार्मिंग कारपोरेशन विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों और भूमिहीन मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कारपोरेशन को समाप्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार को यह कारपोरेशन समाप्त न करने के लिए आग्रह करने का विचार है जिससे भूमिहीन और कमजोर वर्गों के लोग अपने रोजगार से वंचित न हों ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य फार्म निगम में विभिन्न श्रेणियों में लगभग 29,000 कामगार कार्यरत हैं, जिनमें कुछ समय के लिए रखे जाने वाले कामगार शामिल है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में कालोनाइजरों की अवैध गतिविधियां

10179. श्री पी. एम. सईद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कुछ कालोनाइजर अनुचित व्यापारिक तरीके अपनाकर लोगों को ठगते हैं;

(ख) क्या सरकार का इस बारे में कोई कानूनी उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम इस प्रकार से ठगे गए लोगों की सहायता कर सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में लिए जाने वाले आवश्यक कदमों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) एकाधिपत्य तथा निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने सूचित किया है कि इसने एकाधिपत्य तथा निर्बंधकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 2 (ओ) तथा 36क में यथा परिभाषित या तो निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा या अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल कालोनाइजरों, ठेकेदारों और निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की है। उनमें से अधिकतर दिल्ली के हैं। एकाधिपत्य निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग (क) किसी व्यापार संघ या किसी उपभोक्ता या पंजीकृत उपभोक्ता संघ चाहे ऐसा उपभोक्ता उस उपभोक्ता संघ का सदस्य है या नहीं; से तथ्यों की कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर या (ख) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इसको लिखेगए संदर्भ पर अथवा (ग) महानिदेशक द्वारा इसको किये गए आवेदन पर या (घ) स्वयं अपने ज्ञान या जानकारी पर किसी अनुचित व्यापार प्रथा/निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा पर सुनवाई कर सकता है।

शिकायतकर्ता को मुआवजे के रिवार्ड के लिए आवेदन देने का भी अधिकार है, यदि उसे कोई हानि या चोट पहुंची हो।

सूरत में कृभकों के सम्मेलन पर किया गया व्यय

10179. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

हाल ही में सूरत में आयोजित कृभको के वार्षिक प्रबन्ध सम्मेलन पर कितना व्यय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : दिनांक 12 फरवरी से 15 फरवरी, 1988 तक सूरत में आयोजित कृभकों के वार्षिक प्रबन्ध सम्मेलन में कृभकों द्वारा 7.30 लाख रुपए का व्यय किया गया था।

सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों द्वारा प्रचार पर किया गया व्यय

10180. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक संयंत्रों ने गत तीन वर्षों के दौरान विशेष परिशिष्टों के अतिरिक्त विज्ञापनों की छपाई, प्रेस कर्मचारियों तथा अन्य संचार माध्यमों के कर्मचारियों सहित अधिकारियों के खान-पान, आवास तथा यात्रा व्यय और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कितनी धन राशि व्यय की है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंवला स्थित जल परिष्करण संयंत्र के उद्घाटन समारोह पर किया गया व्यय

10181. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार द्वारा आंवला स्थित जल परिष्करण संयंत्र के उद्घाटन समारोह, सूरत में कृभको के मैनेजमेंट कान्फ्रेंस पर तथा एशियाई खेल गांव परिसर, नई दिल्ली के समारोह पर मंत्री महोदय तथा असंख्य अधिकारियों के लिए आयोजित की गई चार्टर्ड उड़ानों तथा उनको दी गई वाहन सुविधाओं पर कितना व्यय किया गया।

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : सरकार द्वारा इन अवसरों पर कोई खर्च नहीं किया गया। तथापि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किये गए खर्च के विवरण निम्नलिखित हैं :—

क्र.सं.	समारोह	किया गया खर्च (लाख रु. में)	टिप्पणी
1.	आंवला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन	4.26	इफ्को द्वारा खर्च किया गया।
2.	सूरत में आयोजित कृभको का वार्षिक प्रबन्ध सम्मेलन	7.30	कृभको द्वारा खर्च किया गया।
3.	एशिया खेल गांव कम्प-लैक्स, नई दिल्ली में 17-2-1988 को हुआ समारोह।	4.90	11 उर्वरक कम्पनियों द्वारा संयुक्त रूप से खर्च किया गया।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

[हिन्दी]

10182. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1977 में और इससे पहले दिल्ली में अनेक स्थानों पर लोगों से भूमि का अधिग्रहण किया था और और उन्हें इसके बदले प्लाटों, निर्मित मकान आवंटित करने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 तक प्रत्येक वर्ष किन-किन और किस-किस स्थान के लोगों को मकान-प्लाट आवंटित किये गए और इनकी संख्या कितनी है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अब तक मकान/प्लाट आवंटित नहीं किये गए; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इनका निपटान कब तक किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरकों पर राज-सहायता में वृद्धि

[अनुवाद]

10183. श्री विमल कांति घोष :

डा. वी. वेंकटेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों पर राज-सहायता में वृद्धि करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग के हितों की सुरक्षा करने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) और (ख) उर्वरक आर्थिक सहायता में वृद्धि करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि 1-4-1988 से सरकार ने यूरिया के 2350/- रुपए प्रति टन के उपभोक्ता मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) उर्वरक उद्योग को इस रियायत के लिए प्रतिपूर्ति दी जाएगी बशर्ते कि यह रियायत पूर्णत: किसानों को पहुंचाई जाय और कुछ अन्य शर्तें भी पूरी की जाएं।

हानिकारक कीटनाशक

10184. श्री सी. माधव रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बनाये और बेचे जा रहे हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग की समीक्षा करने के लिए एस. एन. बनर्जी की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों की एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) क्या समिति ने अपनी कोई उप समिति गठित की है, यदि हां, तो उसके सदस्यों और उसके सौंपे गए कामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या समिति गत तीन वर्षों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रही है यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्यामलाल यादव) : (क) कीटनाशी दवाओं, जिनके प्रयोग पर अन्य देशों में प्रतिबन्ध या रोक लगाया गया है, का भारत में उपयोग जारी रखने की जांच करने के लिए अगस्त, 1984 में डा. एस. एन. बनर्जी की अध्यक्षता में वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की गई थी।

(ख) इस समिति ने विभिन्न कीटनाशी दवाओं पर मूल कागजात (बेस पेपर्स) तैयार करने के लिए कुछ और उप-समितियां गठित की हैं। उप-समितियों का गठन तथा उनको नियत किए गए कार्य विभिन्न प्रकार हैं :—

क्रम सं.	उप-समिति का नाम	सदस्यों का नाम	नियत किया कार्य
1	2	3	4
1.	डी.डी.टी	1. डा. के. एन. मेहरोत्रा 2. डा. के. डी. पहाडिया 3, डा. एस.के. मुखर्जी 4. डा. शावेन्द्रनाथ 5. डा. डी. कानूनगो	डी. डी. टी. पर मूल कागजात तैयार करने के लिए
2.	बी.एच.सी.	1. डा. के.एन. मेहरोत्रा 2. डा. एच.एल बामी 3. डा. ए.आर. पाणिकर 4. डा. एम.जी. श्रीवास्तव 5. डा. डी. कानूनगो	बी.एच.सी. पर मूल कागजात तैयार करने के लिए
3.	एल्ड्रीन क्लेरडेन और हेप्टाक्लोर	1. डा. एच.एल. बामी 2. डा. एस.बी.डी. अग्रवाला 3. डा. एम.जी. श्रीवास्तव 4. डा. एस.के. कश्यप 5. डा. डी. कानूनगो	एल्ड्रीन डील्ड्रीन और हेप्टाक्लोर
4.	ई.डी.बी	1. डा. एन.एस. अग्रवाल 2. डा, एच.एल. बामी 3. डा. एस.के. कश्यप 4. डा. एस.के मजुमदार 5. डा. सोने लाल 6. श्री एम.सी. मुथायान 7. डा. एच.एन मोहन राव 8. डा. डी. कानूनगो	ई.डी.बी. पर प्रारूप रिपोर्ट तैयार करने के लिए

1	2	3	4
5.	क्लोरबेंजिलेट डी. बी. सी. पी. टोक्साफेन सोडियम साइनाईड पी..सी.एन.बी.	1. डा. एच.एल बामी 2. डा. शान्ति स्वरूप 3. डा. टी.एस.एस. दीक्षित 4. डा. एस.के. खेतान 5. डा. के.डी. धमरे 6. डा. डी. कानूनगो	क्लोरबेंजिलेट डी.बी.सी.पी. सोडियम साइनाईड टेक्साफेन और पी.सी.एन.बी. पर मूल कागजात तैयार करने के लिए
6.	' कप्तान, केप्टाफोल	1. डा. एम.जी. मुल्की 2. डा· एच.एल. बामी 3. डा. बी. रघुनाथन 4. डा. डी कानूनगो 5. डा एम.एस.एस. मिथयान्ता 6. डा. शांति स्वरूप	कप्तान और कप्टाफोल पर मूल कागजात तैयार करने के लिए।
7.	2,4-डी,	1. डा बी.एम. भान 2. डा. एच.एल बामी 3. डा. पी.के. गुप्ता 4. डा. सी. रामचन्द्रन 5. डा. शांति स्वरूप 6. डा. डी, कानूनगो 7. डा. बिबसरे 8. डा. जी.बी. माने 9. डा. राजसिंह	2.4-डी पर मूल कागजात तैयार करने के लिए।

(ग) जी, नहीं। समिति डी.डी.टी., बी.एच.सी., एल्ड्रीन, डील्ड्रीन क्लोरडेन, हेप्टाक्लोर और ई.डी.बी. पर पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है।

कीट-नियंत्रण

10185. श्री सी. माधव रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 12-25 मार्च, 1988 के "बिजनेस अपेडट) में कृषि और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कीट नियंत्रण के लिए "सैटिंग ए बग टू कैच ए बग" नामक एक नया प्रौद्योगिकी मिशन प्रारम्भ करने की दी गई दलील की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) जी, हां।

(ख) कृषि और जन स्वास्थ्य में कृमियों पर काबू पाने के लिए "सेटिंग ए बग टू कैच ए

बग', नामक एक नया प्रौद्योगिकी मिशन कोई नया विचार नहीं है, क्योंकि इसका संबंध कृमियों और खर-पतवारों के जैव-वैज्ञानिक नियंत्रण से है जिसका उपयोग भारत में पुरातन काल से किया जाता रहा है। प्रकृति में हर जीवित प्राणी, जिनमें कृमि भी शामिल हैं, पर परजीवी, परभक्षी और रोग आक्रमण करते हैं, जिन्हें आम तौर पर प्राकृतिक शत्रु कहा जाता है।

कृमियों के जैव-वैज्ञानिक नियंत्रण का उद्देश्य है-फसलों, मनुष्य और पालतू पशुओं के कृमियों या अन्य हानिकारक प्राणियों का उनके प्राकृतिक शत्रुओं के उपयोग से नाश करना। जैव-वैज्ञानिक नियंत्रण समेकित कृमि प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे अब पौध रक्षण और जन स्वास्थ्य के एक मुख्य उपाय के रूप में अपनाया गया है। वैज्ञानिक आधार पर जैव वैज्ञानिक नियंत्रण भारत में 1898 में शुरू किया गया था जब दक्षिण भारत में कॉफसविरिडिस नामक काफी के ग्रीन-स्केल पर काबू पाने के लिए आस्ट्रेलिया से क्रिप्टोलिमस-मोन्ट्रोजोरी नामक काकसाइनेलिड बीटल का आयात किया गया था। इसके बाद अनेक विदेशी परजीवी और परभक्षी कीटों को भारत में प्रचलित किया गया।

केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा फसलों के कृमियों और खर-पतवारों पर जैव-वैज्ञानिक ढंग से काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस समय कृषि मंत्रालय के पौध रक्षा, संगरोध और भण्डारण निदेशालय के 11 केन्द्रीय जैव-वैज्ञानिक केन्द्र और एक परजीवी बहुलीकरण यूनिट विभिन्न फसलों के 10 मुख्य कीट-कृमियों पर नियंत्रण के लिए परिजीवियों और परभक्षियों की 20 प्रजातियों का बड़ी संख्या में प्रजनन कर रहे हैं। 1987-88 में इन केन्द्रों के विभिन्न फसल कृमियों और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए देश में 4920 लाख परजीवी और परभक्षी छोड़े हैं। इसके अतिरिक्त केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और संघ शासित प्रदेश पाण्डिचेरी भी नारियल के काले-सिर वाले केटरपिलर, गन्ने के बेधक, गन्ने के स्केल कीट, मूंगफली के लाल बालों वाले केटरपिलर और हीलियोथिस और स्पोडोप्टेरा जैसे पालिफैगस कृमियों पर जैव-वैज्ञानिक विधि से नियंत्रण कर रहे हैं। फसलों और खरपतवारों के जैव-नियंत्रण के संबंध में अनुसंधानात्मक सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रों की फसल-कीटों और खरपतवारों पर जैव-वैज्ञानिक नियंत्रण संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तत्वावधान में सुलभ की जाती है। कई राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी कृमियों और खरपतवारों पर जैव-वैज्ञानिक नियंत्रण सम्बन्धी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान भी जन स्वास्थ्य से संबंधित कृमियों के जैव-वैज्ञानिक नियंत्रण पर क्षेत्रीय परीक्षण कर रहे हैं।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा विपणन कार्य किया जाना

10786. **श्री सी. माधव रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड दूध के अतिरिक्त फलों और सब्जियों की बिक्री भी कर रहा है; और

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अन्य किस सामान और उद्यमों का संचालन किया जा रहा है और इसका औचित्य क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की गतिविधियों में डेयरी विकास के लिए आपरेशन

ब्लाक कार्यक्रम के कार्यान्वियन के अलावा दिल्ली में दिल्ली मदर डेयरी के माध्यम से फलों तथा सब्जियों का प्रबंध, तिलहन तथा वनस्पति तेल परियोजना, वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना समेकित परिवार कल्याण कार्यक्रम, नामक परियोजना आदि शामिल हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण का मूल्यांकन

10187. **श्री पी. आर कुमार मंगलम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चलने वाले अस्पतालों औषधालयों की सेवाओं का स्तर गिरता जा रहा है जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कमजोर और असुरक्षित वर्ग के श्रमिकों में स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) क्या परिवर्तन करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना का स्वतंत्र रूप से कोई नियमित मूल्यांकन किया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी. नहीं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं सामान्यतः संतोष जनक हैं।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कामकाज की दो उच्च अधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समितियों, नामतः क. रा. बी. योजना पुनरीक्षा समिति, 1966 तथा क. रा. बी. योजना पुनरीक्षा समिति, 1982 द्वारा पिछली बार पुनरीक्षा की गई थी। हाल में, देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के कागजात का मूल्यांकन करने के लिए तीन तदर्थ समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों का कार्य प्रगति पर है।

कपास के लिए समर्थन मूल्य

10188. **श्री एम. रघुमा रेड्डी :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री श्रीहरि राव :

श्री सुभाष यादव :

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब तक घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपास का समर्थन मूल्य कब तक घोषित किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां। 1988-89 मौसम के लिए कच्चे कपास की मूल किस्मों के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा पहले ही घोषित किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कारण जल संकट

[हिन्दी]

10189 श्री रामधन :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "वाटर क्राइसिस ड्यूट डी. डी. ए." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में जल की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ भोगियों के लिए समूह बीमा योजना

[अनुवाद]

10190. श्री जी. एस. बसवराजू :

श्री एस. एम. गुरड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभभोगियों के लिए समूह बीमा योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो नई योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यह योजना किन-किन राज्यों में लागू की गई है;

(घ) इस योजना से गरीब लोगों को कितना लाभ होगा; और

(ङ) वर्ष 1988 के दौरान कुल कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थियों के सामूहिक बीमा योजना 1.4.88 से प्रारम्भ की गई है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों जो 18-60 वर्ष की आयु-सीमा में आते हैं, तथा जिन्हें कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.4.88 के बाद सहायता दी जा रही है, को योजना के अन्तर्गत कवर किया जायेगा। बीमा सुविधा 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी और लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में देय धनराशि 3,000 रुपये होगी। दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में योजना के अन्तर्गत देय राशि 6,000 रुपये होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम को 4 मिलियन प्रति वर्ष तक सभी लाभार्थियों को कवर करने हेतु 1988-89 के दौरान कुल देय प्रीमियम राशि 15 करोड़ रुपये तथा

1989-90 के दौरान 20 करोड़ रुपये होगी। केन्द्रीय अंश की राशि 50 प्रतिशत होगी तथा शेष 50 प्रतिशत को राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। लाभार्थी द्वारा प्रीमियम का कोई हिस्सा नहीं देना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से परामर्श करके दो वर्ष समाप्त होने से पूर्व तथा अनुभव के आधार पर योजना की समीक्षा की जायेगी। संशोधित प्रीमियम ढांचा बाद के वर्षों के लिए तैयार किया जाएगा।

(ग) योजना देश के सभी राज्यों में शुरू की जाएगी।

(घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को कवर करता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4800/-रुपये से कम है। इससे पूर्व, लाभार्थी की अचानक मृत्यु होने के मामले में, परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दिए बिना छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार, सामूहिक बीमा योजना से लाभार्थी की मृत्यु के कारण तत्काल उत्पन्न हुई कठिनाईयों का समाधान करने में परिवारों को सहायता मिलेगी।

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 3-4 मिलियन लाभार्थियों के लाभान्वित होने की संभावना है।

नए मूल्य सूचकांक लागू करना

10191. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का वर्ष 1982 को आधार वर्ष मानकर नई मूल्य सूचकांक श्रृंखला आरम्भ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्तमान श्रृंखलाओं के स्थान पर नई श्रृंखला आरम्भ करने से क्या लाभ होंगे;

(ग) नई श्रृंखलाओं के कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(घ) क्या कुछ मजदूर संघों ने नई श्रृंखलाओं को लागू करने का विरोध किया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला को 1960 आधार वर्ष के रूप में समेकित किया गया है। आधार वर्ष को 1960 से 1982 में परिवर्तित करना वांछनीय समझा गया है ताकि यह 1981-82 में आयोजित परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण द्वारा प्रदर्शित वास्तविक उपभोग व्यय पेटर्न को उपयुक्त रूप से दर्शाए। 1960 का उपभोग व्यय पैटर्न अब पुराना पड़ चुका है क्योंकि यह सत्ताईस वर्ष से भी अधिक पुराना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला अधिक व्यापक होगी जिसमें चालू श्रृंखला के 3 क्षेत्रों की तुलना में नियोजन के 7 क्षेत्र शामिल होंगे। नई श्रृंखला में वर्तमान श्रृंखला के 50 केन्द्रों के आंकड़ों की तुलना में पूरे देश के 70 केन्द्रों के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। बाजारों की संख्या को 142 से बढ़ाकर 226 कर दिया गया है। नई श्रृंखला वर्तमान श्रृंखला की तुलना में उपभोग बास्केट में अधिक वस्तुओं को शामिल करती है।

(ग) नई श्रृंखला को अन्तिम त्रिपक्षीय विचार विमर्श के बाद शुरू किया जाएगा।

(घ) जी, हां।

गैर-कानूनी वायदा व्यापार

10192. श्री मत्रेश्वर सांतो : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैर-कानूनी वायदा व्यापार अभी भी निरन्तर जारी है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-कानूनी व्यापार प्रथा पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) कुछ प्रतिबन्धित वस्तुओं में गैर-कानूनी वायदा व्यापार के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत गैर-कानूनी वायदा व्यापार को रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। कुछ प्रतिबंधित वस्तुओं में गैर-कानूनी वायदा व्यापार के बारे में रिपोर्टों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार तथा वायदा बाजार आयोग ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आग्रह किया है कि वे गैर-कानूनी वायदा व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें और ऐसे व्यापार पर रोक लगाएं। गैर-कानूनी वायदा व्यापार के विरुद्ध अभियान को तेज किया गया है।

दिल्ली/बाहरी दिल्ली में पानी का संकट

10193. श्री चिन्तामणि जेना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों कालकाजी से परे, अलकनंदा, मंदाकिनी एन्क्लेव, नियमित कालोनियों जैसे उत्तम नगर, कंझावला और नजफगढ़ ब्लाकों के गांव और दक्षिण पश्चिम ब्लाकों, जैसे महरौली और मुनीरिका के कुछ भागों सहित दक्षिण तथा पश्चिम दिल्ली की कालोनियां पानी के संकट के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जैसा कि 3 अप्रैल, 1988 के इन्डियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों के लिए आवास योजना

10194. श्री राम प्यारे पनिका :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री रामधन :
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों और झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को उपयुक्त आवास प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उनका कब तक पुनर्वास किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है कि किन झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों का हटाया जाना है;

(ग) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी हैं; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को कितनी धनराशि देनी होगी;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार की वर्तमान नीति गन्दी बस्तियों को व्यापक रूप से हटाने और फिर से बसाने की अपेक्षा उनके पर्यावरणीय सुधारों पर बल देने की है। शहरी गन्दी बस्ती पर्यावरण सुधार (ई.आई.यू.एस.) की राज्य क्षेत्र योजना के अन्तर्गत शहरी गन्दी बस्तियों में पेय जल पूर्ति, मल निर्यास, बरसाती पानी की नालियां, सामुदायिक स्नानागार एंव शौचालय, विद्यमान लाइनों को चौड़ा करना तथा खड़ंजे बिछाना, गलियों में प्रकाश आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आवास तथा शहरी विकास राज्य का विषय होने के नाते राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सम्पूर्ण नीति मार्ग निर्देशनों के अन्तर्गत अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उपयुक्त योजनायें बनाती तथा कार्यान्वित करती हैं। तथापि, मलिन बस्ती निवासी स्थल एंव सेवा तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये आवास योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बोकारो और राउरकेला संयन्त्रों का आधुनिकीकरण

10 95. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के बोकारो और राउरकेला इस्पात संयन्त्रों को अद्यतन बनाये जाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन था,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं,

(ग) उपर्युक्त दो इस्पात संयन्त्रों को अद्यतन बनाए जाने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है, और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी नीचे दी गई है :

बोकारो इस्पात संयन्त्र

बोकारो इस्पात संयन्त्र के आधुनिकीकरण के लिए सोवियत रूस से एक तकनीकी और

आर्थिक पेशकश प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षमता को 40 लाख टन से बढ़ाकर 45 लाख टन करने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना में लगभग 1080 करोड़ रुपये पूंजी-निवेश का अनुमान लगाया गया है। सोवियत रूस से प्राप्त प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

राउरकेला इस्पात सयन्त्र

राउरकेला इस्पात संयन्त्र की वर्तमान 18 लाख टन की नेमप्लेट क्षमता के मुकाबले में 19 लाख टन क्षमता करने हेतु इस सयन्त्र के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आधुनिकीकरण में 1600 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सातवीं योजना में, इस स्कीम के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

धान के खेती के नये तरीके

10196. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा जैसे धान की पैदावार करने वाले राज्यों में, जो प्राय: सूखा बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहते हैं, खेती के नये तरीके अपनाये जाने की आवश्यकता है; और

(ख) फसल की पैदावार करने के तरीकों के विविधीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में धान की खेती से सम्बन्धित उन्नत प्रौद्योगिकियां तथा किस्में लगातार विकसित की जा रही हैं और उसे सम्बन्धित जानकारी को अद्यतन बनाया जा रहा है।

(ख) फसल पद्धतियों के विविधीकरण से सम्बन्धित अध्ययनों का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पती तेल विकास बोर्ड द्वारा बीजों का आयात

10197. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तिलहन और वयस्पति तेल विकास बोर्ड बीजों का आयात करता रहा है,

(ख) यदि हां, तो कब, और

(ग) बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के बीजों का कितना आयात किया?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड ने वर्ष 1986-87 के दौरान रूस से पैरीडोविक किस्म के सूरजमुखी बीज का ही आयात किया है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त कृषि परियोजनाएं

10198. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में ऐसी कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की लागत क्या है और वह किस स्थान पर कार्यान्वित की जा रही है और तत्सम्बन्धी अन्य ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) इस समय देश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य तथा कृषि संगठन के वित्त पोषण से बारह कृषि परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) से (ग) जी, हां। स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान सम्बन्धी उच्च केन्द्रों की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर के सहयोग से मीठे पानी में जल कृषि के केन्द्रीय संस्थान, कौशलयागंज में अन्तर्देशीय मात्स्य की केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

इस उप-परियोजना के अन्तर्गत दो संस्थान नियमनुसार सहायता प्राप्त करेंगे :—

		अमेरिकन डालर
—परामर्शदात्रा	—30 मानव-माह	313,000
—छात्रवृत्ति	—48 मानव-माह	167,568
—उपस्कर		413,000
	योग :	893.568

इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में कटौती

10199. **श्री बिमल कांति घोष** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने अपनी उत्पादन में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सप्लाई स्थिति का प्रस्ताव करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) "सेल" का प्रस्ताव है कि वर्ष 1987-88 के 74.8 लाख टन के अपने अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 1988-89 में 89.4 लाख टन किया जाए। इससे सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार होगा।

पश्चिम बंगाल में तीर्थ स्थलों के विकास हेतु सहायता

10200. **श्री बिमल कांति घोष** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को किसी तीर्थस्थल के विकास के लिए वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान कोई सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं योजना अवधि में पश्चिम बंगाल में पर्यटन स्थलों और तीर्थ स्थलों के विकास के लिए कोटा निर्धारित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने गंगासागर और मायापुर में क्रमशः लगभग 18.00 लाख रुपये और 12.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर यात्रियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। निर्माण कार्य भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसे 1987-88 के दौरान इस प्रयोजन हेतु गंगासागर के लिए 5.00 लाख रुपए और मायापुर के लिए 8.00 लाख रुपये पेशगी दिये गए हैं।

(ग) और (घ) निधियों का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता।

ग्रामीण विकास तथा खाद्यान्न सुरक्षा के लिए योजना परिव्यय

10201. **श्री बिमल कांति घोष** :

डा. वी. वेंकटेश :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए कुल कितनी धन राशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या कृषि के लिए योजना परिव्यय में खाद्यान्न सुरक्षा की विस्तृत प्रणाली का निर्माण करने पर जोर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के सातवीं योजना के परिव्यय इस प्रकार हैं :—

शीर्ष	केन्द्र	राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	योग
कृषि	4056.71	6516.91	10573.62
ग्रामीण विकास	6166.81	6512.32	12679.13

(ख) और (ग) देश में खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार करने पर योजना परिव्ययों में पर्याप्त बल दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा की इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं हैं—अनाज का भण्डार बनाना, सामाजिक सुरक्षा, पोषण सम्बन्धी शिक्षा, कीमतों की स्थिरता आदि।

खाद्य और कृषि संगठन द्वारा टिड्डियों से निपटने का आह्वान

10202. श्री जी. एस. बसवराजू :

श्री एस. बी. सिदनाल

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने टिड्डयों की महामारी, जिससे विश्व के अनेक भागों में भारी खाद्य संकट का खतरा पैदा हो गया है, से निपटने के लिए तेज तथा निर्णायक कार्यवाही करने का आह्वान किया है;

(ख) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने इस सम्बन्ध में भारत को भी सचेत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा टिड्डियों के हमले के बारे में भारत को विशेष रूप से सचेत नहीं किया गया है तो भी कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत टिड्डी चेतावनी संगठन निर्धारित मरु क्षेत्र में टिड्डियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रख रहा है। यह संगठन कृषि एवं खाद्य संगठन/पाकिस्तान के मरु टिड्डी संगठन से भी सम्पर्क बनाये हुए हैं ताकि टिड्डियों की गतिविधियों के बारे में नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त की जा सके और सीमा की दूसरी ओर से टिड्डियों के किसी दल द्वारा हमला किए जाने के मामले में निवारक कदम उठाने के लिए तैयार रहा जा सके। जनशक्ति, वाहन, हवाई-जहाज और कीटनाशी दवाओं के संदर्भ में टिड्डियों के नियंत्रण सम्बन्धी क्षमता तैयार रखी जा रही है। निकट में टिड्डियों के सम्भावित हमले के बारे में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब की राज्य सरकारों को भी सचेत किया गया है। किसी आपातिक स्थिति से निपटने के लिए सामरिक महत्व के विभिन्न स्थानों पर मजदूरों और सामग्री को लगाने के लिए टिड्डी रोधी आकस्मिक योजना तैयार की गई है।

आवास के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव आवास आयोग से सहायता

10203. श्री जी. एस बसवराजू :

श्री वी. तुलसीराम :

श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव :

श्री आर. एम. भोये :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र मानव आवास आयोग का अधिवेशन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अधिवेशन में भाग लेने वाले शिष्टमंडलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अधिवेशन में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र मानव आवास आयोग द्वारा भारत को आवास के लिए कितनी आवश्यक धन-राशि उपलब्ध कराई जाएगी ?

शहरी विकास मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) जी, हां।

(ख) 450 से अधिक प्रतिनिधि/प्रेक्षक जिनमें 48 सदस्य राज्यों, 30 प्रेक्षक राज्यों, 12 संयुक्त राष्ट्र निकायों, 3 अन्तर सरकारी संगठन, 3 मुक्ति संगठन तथा 39 गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, ने इस अधिवेशन में भाग लिया।

(ग) इस अधिवेशन की मुख्य विषयवस्तु "वर्ष 2000 तक आश्रय पर सम्बन्धी विश्व नीति" थी। अपने संकल्प के मसौदे में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक परिसर द्वारा अपनाने की सिफारिश की गई थी, आयोग ने निर्णय लिया कि विश्व आश्रय पर संबंधी नीति वर्ष 2000 तक सबके लिए पर्याप्त आश्रय उपलब्ध कराने की होगी तथा इसका प्रमुख केन्द्र ध्यान वंचित लोगों तथा निर्धनों की स्थिति को सुधारने पर होगा। आयोग ने राष्ट्रीय सरकारों से भी आग्रह किया कि वे कार्यकारी निदेशक द्वारा आयोग को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में सुझाये गए मार्ग निर्देशनों के संदर्भ में आवास के लिए अपनी स्वयं की उपयुक्त राष्ट्र तथा उपराष्ट्रीय नीति का विकास करें।

(घ) संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती आयोग आवास के लिए निधियां प्रदान नहीं करता है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी द्वारा निर्यात

10204. **श्री जी. एस. बसवराजु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी ने वर्ष 1987-88 के दौरान अपने निर्यात में वृद्धि की है;

(ख) लौह अयस्क चूरा और पिण्डों का किस सीमा तक निर्यात किया गया;

(ग) पिछले वर्षों में निर्यात निष्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी; और

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान कुद्रेमुख एककों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. ने 31.8 लाख टन लौह अयस्क और 7.9 लाख टन पलेटों का निर्यात किया था।

(ग) पिछले दो वर्षों के मुकाबले में वर्ष 1987-88 में अधिक निर्यात किया गया है, जैसाकि नीचे दिखाया गया है :—

वर्ष 1986-87 में मात्रा की दृष्टि से 13% अधिक तथा मूल्य की दृष्टि से 25% अधिक।

वर्ष 1985-86 में मात्रा की दृष्टि से 93% अधिक तथा मूल्य की दृष्टि से 102% अधिक।

(घ) एक सुनियोजित और उद्यमशील विपणन नीति अपनाई जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1988-89 के लिए कुल मिलाकर 50 लाख टन के निर्यात आर्डर बुक किए जा चुके हैं।

इस्पात उत्पादन में गिरावट

10205. **श्री सोमनाथ रथ :**

चौधरी राम प्रकाश :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 2000 तक इस्पात के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस्पात के वर्तमान उत्पादन के अनुसार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सन् 2000 के लिए उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) वर्तमान इस्पात कारखानों में आधुनिकीकरण और विस्तार के जरिए तथा विशाखापत्तनम में नए इस्पात संयंत्र की स्थापना के जरिए उत्पादन मे वृद्धि की जा रही है।

उड़ीसा में जल भण्डारों का पता लगाना

10206 **श्री सोमनाथ रथ :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में जल-भण्डारों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की तथा कितनी जारी की है;

(ख) अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा कितनी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के लिए बराबर धनराशि दी जायेगी यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) :

(क) भारत सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा में जल भण्डारों को संरचनां के लिए 382.77 लाख रुपए की धनराशि का योगदान किया है।

(ख) 429.76 लाख रुपए की धनराशि 949 परियोजनाओं पर खर्च की गई है,

(ग) वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाग विकास कार्यक्रम तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों की सहायता की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई जल भण्डार संरचनाओं के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत के बराबर योगदान की

व्यवस्था करती है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत धनराशि प्रदान की जाती है।

उड़ीसा में विदेश गए श्रमिक

10207. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा से गत एक वर्ष के दौरान रोजगार के लिए विदेश गए हुए कुशल और अकुशल श्रमिकों का ब्यौरा क्या है और वे श्रमिक दिल्ली की किन कम्पनिया के माध्यम से गए हैं;

(ख) इस श्रमिकों की भर्ती का तरीका क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान इन श्रमिकों से कदाचारों और धन लेने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुसार, विदेशों में रोजगार के लिए श्रमिकों की केवल पंजीकृत भर्ती एजेंसियों, परियोजना नियोतकों या भारतीय मिशनों द्वारा जारी परमिट के आधार पर विदेशी नियोजकों द्वारा सीधे भर्ती की जा सकती है।

(ग) और (घ) विनिर्माण कम्पनियों के कुछ उप एजेंटों द्वारा धन ऐंठने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मामले को जांच के लिए पुलिस को भेज दिया गया है।

कृषि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी

[हिन्दी]

10208. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री रामधन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्व के अनेक देशों में कृषि सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों को इन प्रदर्शनियों में भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो इन प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए इन अधिकारियों के चयन की प्रतिक्रिया क्या थी;

(ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(च) इन प्रतिनिधियों द्वारा देश में अपनाए जाने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय सुझाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) कृषि पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां विभिन्न देशों में आयोजित की जाती हैं लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास इनका कोई रिकार्ड नहीं है। न ही परिषद को कभी ऐसी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। फिर भी परिषद ने भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण तथा भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में थोड़ा बहुत हिस्सा लिया है। उल्लेखनीय है कि वे प्रदर्शनियां विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित की जाती हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण और भारत सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भा. कृ. अनु. प. के कुछ प्रतिनिधियों को भेजा गया है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1)	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, मास्को	—एस. के शर्मा, मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी —गुरचरण सिंह, वरिष्ठ फोटो अधिकारी —पी. पी. जोहर, फोटोकॉल अधिकारी —बी. एन. चट्टोपाध्याय वैज्ञानिक
(2)	भारत प्रदर्शनी दोहा (कतर)	—एस. के. शर्मा मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी —गुरचरण सिंह, वरिष्ठ फोटो अधिकारी
(3)	कृषि प्रदर्शन, हरारे (जिम्बबावे) (भारत पंडाल में भाग लिया)	—एस. के. शर्मा मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी —गुरचरण सिंह, वरिष्ठ फोटो अधिकारी
(4)	भारतीय प्रदर्शनी रंगुन	—वही—
(5)	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी (रूस में भारत महोत्सव	
	(I) मास्को	—जे. एस. बेदी प्रदर्शनी अधिकारी
	(II) ताशकंद	—गुरुचरण सिंह वरिष्ठ फोटो अधिकारी

(घ) उपरोक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का मुख्य आधार उनकी उपयुक्तता और प्रदर्शनी सम्बन्धी काम को संभालने का लम्बा अनुभव था।

(ङ) प्रत्येक प्रदर्शनी में उपरोक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर हुआ खर्च इस प्रकार है :—

मास्को	—68,788 रु.	(हवाई यात्रा का खर्च तथा भत्तों सहित)
दोहा	—70,180 रु.	,, ,, ,, ,,
हरारे	—1,00,084 रु.	,, ,, ,, ,,
रंगून	—83,590 रु.	,, ,, ,, ,,
मास्को	—14,890 रु.	(केवल हवाई यात्रा का खर्च)
ताशकंद	—6,497 रु.	,, ,, ,,

(च) इन अधिकारियों द्वारा प्रदर्शों को दिखाए जाने की तकनीकों में सुधार के उपायों (सामान्य तौर पर कृषि के क्षेत्र और विशेष तौर पर कृषि अनुसंधान की उपलब्धियों से संबंधित) को देश के भीतर व बाहर अपनाया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश को चारे की ढुलाई के लिए सहायता

[अनुवाद]

10209. श्री वी. तुलसीराम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश को अन्य राज्यों से चारे की ढुलाई के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार दी गई वित्तीय तथा अन्य प्रकार की केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य की आवश्यकता की तुलना में यह सहायता कितनी कम रही; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य की चारे की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) आंध्र प्रदेश के सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए चारे की ढुलाई/प्रबंध करने के लिए व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमाएं मंजूर की गई थीं :—

वर्ष	अधिकतम सीमाएं (करोड़ रुपये)
1985-86	0.50
1986-87	0.20
1987-88	0.54

(ख) राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता के अपर्याप्त होने के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा था।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं के आने पर चारे की आवश्यकता पूरी करने के लिए कदम उठाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

केरल में धान की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी

10210. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में पिछले दस वर्षों के दौरान धान की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा धान की खेती में वृद्धि के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं या दिए जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) केरल में धान की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में गिरावट संभवत: धान की खेती को बागान फसलों में परिवर्तन करने से आई है।

(ग) चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केरल में नई प्रौद्योगिकी के प्रसार सहित चावल के मिनिटिक कार्यक्रम से संबंधित केन्द्र क्षेत्र की एक स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत, किसानों में स्थान विशिष्ट उच्च उपज वाली किस्मों के हाल ही में विकसित/निर्मुक्त किए गए चावल के बीज मिनिटिक मामूली लागत पर इस बात को ध्यान में रखते हुए वितरित किए जाते हैं कि ऐसा निर्मुक्त किस्मों की खेती को लोकप्रिय बनाया जा सके तथा कृषकों की परिस्थितियों के हिसाब से हाल ही में विकसित किस्मों की जांच की जा सके। इस कार्यक्रम से उच्च उपज वाली किस्मों की खेती को लोकप्रिय बनाने तथा राज्य में ऐसी किस्मों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है। राज्य में उच्च उपज वाली किस्मों के अन्तर्गत चावल का क्षेत्र 4.5 लाख हैक्टेयर तक पहुंच गया है, जो कुल चावल क्षेत्र का लगभग 67 प्रतिशत है।

राज्य में चावल की खेती की उन्नत पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए विस्तार कार्यकर्ताओं, जो किसानों हेतु फील्ड-स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं, के लिए राज्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम हेतु, आयोजन केन्द्र को 7200 रुपये प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें 30 प्रशिक्षणार्थी हों, की दर से सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत किए गए वित्तीय आबंटन निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	वित्तीय आबंटन (लाख रुपये में)
1986-87	3.452 (उपलब्धियां)
1987-88	2.563 (परिव्यय)
1988-89	2.563 (परिव्यय)

विदेशों से लौटने वाले भारतीय मजदूरों पुनर्वास के लिए एक कोष की स्थापना

10211. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

श्री टी. बशीर :

श्री के. मोहनदास :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने खाड़ी के देशों से स्वदेश लौटने वाले भारतीय मजदूरों के पुनर्वास के लिए एक कोष स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जैसा कि केरल राज्य सरकार ने बताया है, इस संबंध में मुख्य मन्त्री ने हाल हीं में (8.4.88 को) प्रधान मन्त्री को लिखा है।

(ख) चूंकि निधि सृजित करने के राज्य सरकार के सुझाव में काफी कार्य निहीत है, इस लिए प्रस्ताव के सभी पहलुओं तथा इसकी जटिलताओं की ध्यानपूर्बक तथा व्यापक जांच करने की आवश्यकता है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के लिए कल्याण निधि

10212. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों के कानूनी विवादों को निपटाने के लिए एक कल्याण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की आशा है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। इसमें उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के संशोधन की आवश्यकता है और उचित कार्रवाई की जा रही है।

सेलम इस्पात संयंत्र में निवेश

10213. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सेलम इस्पात संयंत्र में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है और पिछले तीन वर्षों में इसकी "क्षमता के उपयोग" और इसके अनुरक्षण पर किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्षमता के बेहतर उपयोग और लागत मूल्यों में कमी लाने के लिए कुछ प्रस्ताव किए गए हैं ?

(ग) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं और उन पर कब से विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस बारे में निर्णय लिए जाने में होने वाली देरी से हुई अर्थ क्षति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) 31 मार्च, 1988 तक सेलम इस्पात संयंत्र पर कुल पूंजी-निवेश 186.05 करोड़ रुपये हुआ है। वर्ष 1984-85 से 1986-87 के दौरान रख-रखाव सम्बन्धी व्यय निम्नानुसार हुआ है :—

वर्ष	करोड़ रुपये
1984-85	2.46
1985-86	1.85
1986-87	2.18

पिछले तीन वर्षों के दौरान सेलम इस्पात संयंत्र में क्षमता का उपयोग निम्नानुसार हुआ है :—

(यूनिट प्रतिशत)

वर्ष	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में प्रोडेक्ट-मिक्स पर आधारित समान टन भार के सन्दर्भ में क्षमता का उपयोग
1985-86	94
1986-87	107
1987-88	116

(ख) और (ग) : सेलम इस्पात संयंत्र में दूसरी सेंडजिमिर मिल तथा सम्बद्ध सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव पहली बार अगस्त, 1978 में सरकार को प्राप्त हुआ था। दो और संशोधित प्रस्ताव अब प्राप्त हुए हैं। धन की कठिनाई तथा मांग के अभाव के कारण सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति स्थगित कर दी थी। सरकार द्वारा लगाए गए मांग सप्लाई के नवीनतम अनुमानों के आधार पर यह पाया गया है कि दूसरी सेंडजिमिर मिल की स्थापना करने का अब औचित्य है। सरकार ने अब दिनांक 2.3.1988 को स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना की सक्षमता सिद्ध होने के पश्चात निर्णय लेने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक उत्पादकों द्वारा की गई छूट की प्रतिपूर्ति

10214- श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उर्वरक उत्पादकों द्वारा किसानों को दी गई 7.5 प्रतिशत की छूट की प्रति पूर्ति करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तारीख से की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. प्रभु) : (क) और (ख) उर्वरक उत्पादकों द्वारा यूरिया पर 1 अप्रैल, 1988 से दी गई 75 प्रतिशत की छूट की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

चीनी फैक्ट्रियों की क्षमता में वृद्धि

10215. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार 19 नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने पर सहमत हो गई है और वर्तमान कुछ चीनी फैक्ट्रियों को अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति भी दे रही है;

(ख) नई चीनी फैक्ट्रियां कहां-कहां स्थापित की जाएंगी; और

(ग) इस निर्णय से देश में चीनी के उत्पादन में सुधार करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उद्योग में लाइसेंस देने के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धांतों की घोषणा करने के बाद, अब तक प्रत्येक 2500 टी. सी. डी. की नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 20 मामलों और वर्तमान यूनिटों में विस्तार करने के लिए 57 मामलों, जिनमें 15.66 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन की वार्षिक क्षमता अन्तर्ग्रस्त है, में स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

देश में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित चीनी फैक्ट्रियों के स्थान

क्रम सं.	जिला सहित प्रस्तावित स्थल
तमिलनाडु	
1.	तहसील पेरियाकुलम, जिला मदुरै
2.	तालुक : शिवगंगा, जिला पासुमपोन, मुथुरामलिंगम
3.	तालुक: कुम्बाकोनम, जिला थंजावूर
4.	तालुक : शिवगिरि, जिला तिरूनेलवेली
5.	तहसील हरूर, जिला धर्मपुरी
6.	सेतियाथोपे, तहसील चिदम्बरम, जिला साउथ अरकाट
7.	तहसील चेययार/वांडीवाश, जिला नार्थ अरकाट
8.	तहसील अरनथंगी, जिला पुदुकोटई
9.	तहसील वलंगईमान, जिला थंजावूर

1	2
(2) पंजाब	
10.	हयूर कमलपुर, जिला लुधियाना
11.	तहसील प्रजनाला, जिला प्रमृतसर
12.	प्ररन्द कड़ी चेतसिंहवाला, जिला फरीदकोट
13.	बुधलाडा, तहसील मंसा, जिला भटिण्डा
(3) महाराष्ट्र	
14.	कुन्ड, तहसील इदलाबाद, जिला जलगांव
15.	प्रन्जनगांव-सुरजी जिला प्रमरावती
(4) उत्तर प्रदेश	
16.	स्नेह रोड ग्राम नजीबाबाद कोटद्वार रोड, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर
17.	एम्यू, तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़
(5) दादर प्रौर नगर हवेली	
18.	सयाली ग्राम, तहसील सिलवासा, जिला दादर प्रौर नगर हवेली
(6) हरियाणा	
19.	कैथल जिला कुरुक्षेत्र
20.	महम, जिला रोहतक

विशेष पटसन कृषि विकास कार्यक्रम

10216. श्रीमती बसवराजेश्वरी :

डा. वी. एल. शैलेश :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वय की कमी तथा उपयुक्त कार्य-योजनाएं तैयार करने में राज्य सरकारों की प्रसमर्थता के कारण विशेष पटसन विकास निधि द्वारा वित्तपोषित विशेष पटसन कृषि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वित न किये जाने की प्राशंका है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा पहले न किए जाने के क्या कारण हैं; प्रौर

(ग) इस धन राशि का उपयोग करने तथा इस प्रमुख गतिरोध को दूर करने के लिए राज्य सरकारों पर दबाव डालने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि प्रौर सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार ने मौसम के प्रारंभ में इसका कार्यान्वयन करने वाले सभी राज्य सरकारों को 1988-89 के लिए विशेष पटसन विकास कार्यक्रम को प्रशासनिक मंजूरी जारी कर दी है उसमें आवंटित धनराशि का उपयोग करने के लिए सभी सम्भव उपाय करने के संबंध में उनसे अनुरोध किया गया है ।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्य योजना

10217. श्रीमती बसवराजेश्वरी :

श्री वी. कृष्ण राव :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों की कार्य योजना के अन्तर्गत किसी नई योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) कार्य योजना से कौन-कौन से राज्य और जिले लाभान्वित होंगे; और

(घ) वर्ष 1988 में इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा घोषित कार्य योजना में उन विशिष्ट इलाकों को निर्दिष्ट किया गया है, जिनमें सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कतिपय उपाय शुरू किए जाने हैं । यह अनिवार्य रूप से नीति के वांछनीय विकल्पों का संकेत देती है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में गगन चुम्बी इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध

10218. श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में गगन चुम्बी इमारतों के निर्माण पर 17 अक्तूबर, 1985 से प्रतिबन्ध लगाया गया था जिसके कारण दिल्ली-2001 के लिए मास्टर प्लान की योजना अधूरी पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या 17 अक्तूबर, 1985 को लगाये गए प्रतिबन्ध को वापिस ले लिया गया है और यदि हां, तो किस आधार पर;

(घ) क्या अब गगन चुम्बी इमारतों की ऊंचाई के बारे में कोई विशिष्ट प्रतिबन्ध नहीं है; और

(ङ) क्या कनाट प्लेस क्षेत्र में फर्श क्षेत्र के अनुमान में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली 2001 के लिए वृहत योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में भारत सरकार के पास दिल्ली में ऊंचे निर्माणों के फर्शी क्षेत्र अनुपात, ऊंचाई आदि से सम्बन्धित व्यापक संशोधित मार्ग निर्देशन 8.2.88 को जारी किए गए थे। संशोधित मार्ग निर्देशनों में यह अनुबन्ध है कि निर्मित किया जाने वाला क्षेत्र केवल फर्श आच्छादन (कवरेज) तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात से मार्ग निर्देशित होना चाहिए और सामान्य तौर पर ये भवन की ऊंचाई को प्रभावित करेंगे। इन परिस्थितियों में बहु-मंजिले भवनों के निर्माण पर 17.10.75 से लगाए गए प्रतिबन्ध को हटा लिया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) संशोधित मार्ग निर्देशनों से कनाट प्लेस क्षेत्र में फर्शी क्षेत्र अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रोहिणी में प्लाटों की नीलामी

[हिन्दी]

10219. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1,70 लाख मकानों के लिए भूमि की व्यवस्था करने तथा लगभग 8.5 लाख की जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए पश्चिमोत्तर दिल्ली में 2,497 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र पर 'रोहिणी आवास योजना' की घोषणा की थी;

(ख) क्या यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर, निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए बनाई गई थी तथा योजना में 26 वर्ग मीटर से 120 वर्ग मीटर के प्लाट देने की व्यवस्था की गई थी;

(ग) क्या सात साल के बाद, दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट आवंटित करने के स्थान पर इन प्लाटों की नीलामी करना शुरू कर दी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का प्लाटों की नीलामी को तुरन्त रोकने के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुदेश जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/जनता/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग की श्रेणियों को प्लाट आबंटित करने की योजना थी। 26 वर्ग मीटर से 90 वर्ग मीटर के प्लाट आबंटित करने के लिए थे तथा 120 वर्ग मीटर के प्लाट उच्च आय वर्गों को नीलामी द्वारा बेचने के लिए थे।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट आबंटित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्लाटों की नीलामी करना प्रारम्भ करा दी है। वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/जनता/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग की श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को कम्प्यूटर द्वारा लाटरी निकाल कर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्लाट आबंटित किए हैं/कर रही है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठते ।

मत्स्य नौकाएं लेने में विलम्ब

[अनुवाद]

10220. श्री दौलतसिंह जी जडेजा : क्या कृषि मंत्री झींगा मछली के पकड़े जाने में कमी के बारे में 11 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6675 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई मत्स्यन कम्पनियों ने मत्स्य नौकाओं के निर्माताओं से मत्स्य नौकायें लेने में या तो विलम्ब किया है अथवा इन्हें लेने से इन्कार कर दिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) किन-किन निर्माताओं से ये नौकायें लेने मे विलम्ब किया गया है अथवा नौकायें लेने से इन्कार किया गया है; और

(ग) वर्ष 1987 और 1988 में ऐसे कितने मामलों में ये कम्पनियां निर्माताओं के साथ किए गए खरीद ठेकों से पीछे हट गई थी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

गोदामों का निर्माण

10221. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में गोदामों के निर्माण के लिए कितना वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) इसमें से केन्द्र/राज्य की भागीदारी किस अनुपात में है;

(ग) क्या मांग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में वर्तमान भण्डारण क्षमता अपर्याप्त है, और

(घ) यदि हां, तो कितनी कमी होने की सम्भावना है और स्थिति मे सुधार करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों द्वारा गोदामों के निर्माण में सहायता करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 35.40 करोड़ रु. का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग एक अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन ग्रामीण गोदामों की स्थापना के लिए 3.50 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था करने के लिए इस समय अनुसरण किया जा रहा अनुपात, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सहकारी समितियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता की समीक्षा की है और 17.2 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3.66 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन के लिए वित्तीय सहायता के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से अनुरोध किया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने विश्व बैंक की सहायता से चल रही सहकारी भंडारण परियोजना के अधीन इस कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/केन्द्र सरकार और राज्य सरकार आदि द्वारा भागीदारी का अनुपात

क्र. स.	राज्यों/क्षेत्रों का वर्ग	निम्नलिखित द्वारा गोदामों की लागत के अंशदान की प्रतिशतता		
		राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	राज्य सरकार	समिति का शेयर
क.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दी गई सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा गोदामों का निर्माण			
1.	सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्य× और संघ राज्य क्षेत्र	95	—	5
2.	अन्य राज्य और क्षेत्र	75	20	5
ख	ग्रामीण विकास विभाग की योजना के अधीन ग्रामीण गोदामों का निर्माण	निम्नलिखित द्वारा गोदामों की लागत के अंशदान की प्रतिशतता		
		केन्द्र सरकार (राज सहायता)	राज्य सरकार (राज सहायता)	बैंकों से ऋण
1	नीचे क्र. सं. 2 पर दर्शाए गए राज्यों और क्षेत्रों के अलावा, अन्य राज्यों और क्षेत्रों में	25	25	50

2. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज सहायता का स्तर लागत 50 प्रतिशत है, जबकि शेष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को निधि द्वारा वहन किया जा सकता है। देश के अन्य समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के क्षेत्रों में केन्द्रीय राज सहायता का स्तर लागत का 50 प्रतिशत है. राज्य का शेयर 25 प्रतिशत है और शेष 25 प्रतिशत ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम निधि द्वारा वहन किया जा सकता है।

× अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर. मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।

उड़ीसा में वनस्पति संयंत्र

10222. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक फेडरेशन लिमिटेड भुवनेश्वर द्वारा वनस्पति संयंत्र की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी करने संबंधी कोई आवेदन पत्र मंजूरी के लिए रुका हुआ है और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) उड़ीसा में चल रहे वनस्पति संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) उड़ीसा में वनस्पति संयंत्र स्थापित करने के लिए छः आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें मै. उड़ीसा राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लिमिटेड, भुवनेश्वर का भी एक आवेदन पत्र शामिल था। इन आवेदन-पत्रों की जांच की गई थी और इन्हें प्रथम दृष्टया रद्द कर दिया गया। राज्य में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए यदि अतिरिक्त क्षमता सृजित करने की आवश्यकता हुई तो उस पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

उड़ीसा में इस्पात सिल्ली, धातु की छड़ की निर्माण इकाइयां

10223. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस्पात सिल्ली धातु की छड़ की निर्माण इकाइयों की संख्या कितनी है जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं और उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है,

(ख) क्या ऐसी इकाइयों के क्षमता के स्तर को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एक इकाई को प्रतिवर्ष 18,000 टन इस्पात पिण्ड/बिलेटों की क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था।

(ख) और (ग) इस इकाई ने अपनी लाइसेंस-प्राप्त वार्षिक क्षमता को 18,000 से बढ़ाकर 50,000 टन करने के लिए आवेदन दिया था, जिसे अब अनुमोदित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र खोलना

10224. श्री सी. सम्बु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के कुछ और क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुवाहाटी में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का पहले ही एक क्षेत्रीय केन्द्र है। ग्रामीण विकास के राज्य संस्थानों की स्थापना करने/मजबूत बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का कोई नया क्षेत्रीय केन्द्र खोलना आवश्यक नहीं समझा गया है।

मछलियों में "इपिजोटिक अल्सरेटिव सिनड्रोम" बीमारी

10225. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् इसके सहयोगी संस्थानों द्वारा यह पता लगाने के लिए कि भारतीय जल में मछलियों पर "इपिजोटिक अलसरेटिव सिनड्रोम" बीमारी का कितना प्रभाव पड़ता है, कोई अध्ययन कराया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस बीमारी से कौन-कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है,

(ग) इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं. और

(घ) इस बीमारी से ग्रस्त मछलियों के उपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) से (घ) जी, हां। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के कुछ तालाबों में इस बीमारी की छुट-पुट घटनाओं की रिपोर्टें मिली हैं। प्रभावित मछलियों के तालाबों में ही उपचार की तकनीकें भी विकसित की गई हैं। लेकिन अभी तक यह बीमारी "इपिजोटिक" स्तर तक नहीं पहुंची है। मछलियों की बीमारी की इन घटनाओं का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने से इस बीमारी से बचने के उपाय विकसित करने में मदद मिलेगी।

असम में पर्यटन विकास

10226. श्री मद्रेश्वर तांती : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में पर्यटन विकास और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सातवीं योजना में शामिल किए गए प्रस्तावों अथवा अन्तिम रूप दिए जाने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या असम सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके लिए अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई और सातवीं योजना की शेष अवधि में कितना व्यय करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) असम राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को निम्नलिखित प्रस्ताव भिजवाए हैं :—

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
1.	मजुली द्वीप का विकास
2.	समागुड़ी झील का विकास
3.	नलबाड़ी, रावता और फुलाबी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
4.	भैरवकुण्ड में पर्यटक परिसर
5.	कारबी अंगलांग जिले में सिलभाटा फाल्स पर स्टेंडिंग/सिटिंग गैलरी सहित पर्यटक परिसर का निर्माण
6.	गुवाहाटी और उमानन्दा के बीच रज्जुमार्ग
7.	गुवाहाटी में यात्री निवास

(घ) सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय ने विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के वास्ते असम सरकार को 33.79 लाख रुपये स्वीकृत किए और 32.24 लाख रुपये रिलीज किए हैं। मंत्रालय निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं करता बल्कि स्कीम-वार करता है। स्थान की संभाव्यता, मौजूदा आधार संरचना, वर्तमान और भावी पर्यटक यातायात, परियोजना की व्यवहार्यता, प्रस्ताव के समग्र गुणों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर हुए असम सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाएगा।

महाराष्ट्र में बन्धुआ मजदूर

10227. प्रो. रामकृष्ण मोरे :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में अब भी बहुत बड़ी संख्या में बन्धुआ मजदूर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध की गई नवीनतम सूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 1988 तक पुनर्वास के लिए केवल 32 कर्मकार उपलब्ध थे ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए उनकी व्यक्तिगत पसंद और मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं । यह योजनाएं भूमि पर आधारित और बिना भूमि पर आधारित दोनों ही सकती हैं । राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिया जाए । स्वैच्छिक एजेन्सियों को बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और पुनर्वासित करने के कार्य में शामिल करने की एक योजना भी 30.10.87 से शुरु की गई है ।

विशेष राशनकार्ड प्रणाली

10228. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "महंगाई विरोधी संयुक्त महिला मंच" ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें 10,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले उपभोक्ताओं के लिए विशेष राशन कार्ड प्रणाली आरम्भ करने और इन कार्ड धारकों को अतिरिक्त रियायती मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस प्रकार की कोई प्रणाली कुछ राज्यों में पहले ही आरम्भ की जा चुकी है; और

(ग) क्या सभी राज्यों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) नागरिक पूर्ति विभाग में ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) जी हां । आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदि जैसी कुछ राज्य सरकारों ने एक निश्चित वार्षिक आय, जो इन राज्य सरकारों द्वारा नियत की गई है, वाले परिवारों को गेहूं/चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरों से कम दर पर बेचने की योजनाएं अपनाई है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए पहले ही 2000 करोड़ रुपये से अधिक राशि राजसहायता के रूप में खर्च कर रही है ।

उपभोक्ता संगठनों को अनुदान

10229. **प्रो. मधु दंडवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विगत समय में केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ता संगठनों को

परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों सहित उनके कार्य कलापों के लिए अनुदान दिया जाता था;

(ख) क्या ये अनुदान दिया जाना बंद कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ये अनुदान बंद किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ये अनुदान दिया जाना पुनः आरम्भ करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) जी हां। पहले केन्द्रीय सरकार एक योजना चला रही थी, जिसमें स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता संरक्षण की विशिष्ट परियोजनाओं, जिसमें परीक्षण प्रयोगशालाएं, उपभोक्ता शिकायत कक्ष आदि शामिल हैं, के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही थी। इस योजना को अब समाप्त कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार का विचार है कि स्वैच्छिक उपभोक्ता आन्दोलन का आधार मजबूत हो और वह केन्द्रीय सरकार पर कम से कम निर्भर रहते हुए स्वयं विकसित हो। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार सीमित मात्रा में उपलब्ध अपनी निधि का उपयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा उपभोक्ता जागरुकता से संबंधित प्राथमिकता वाले अन्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कर रही हैं।

(घ) जी नहीं।

कृषि के क्षेत्र में राजसहायताओं की पुनरीक्षा

10230. **श्री वी. कृष्ण राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि कृषि क्षेत्र में राजसहायताओं के सम्पूर्ण विषय की पुनरीक्षा की जानी चाहिये ताकि इन राज सहायताओं का लाभप्रद उपयोग किया जाये।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) क्या सरकार से ब्याज की दर में कमी करने का भी अनुरोध किया गया है, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(घ) क्या बैंक ऋणों पर ब्याज की दर में कमी करने के लिए सहमत हो गये हैं, और

(ङ) लाभप्रद उपयोग के लिये राजसहायताओं के पुनरीक्षण हेतु सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ङ) भारत सरकार ने कृषि विकास में राजसहायता की भूमिका की संवीक्षा करने के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया था, 1 दल ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तथा सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया।

भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड ने 1.3.1988 से फसल ऋणों पर ब्याज की दर में कटौती कर दी है तथा इस आशय के निर्देश सभी बैंकों को जारी कर दिये गये हैं। कम की गयी दरें पहले ही लागू हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालक विकास एजेंसियां

10231. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान पश्चिम बंगाल में कितनी मत्स्य/पालक विकास एजेंसियों की स्थापना करने का विचार है,

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय मत्स्य बीज विकास कार्यक्रम और मत्स्य पोतों के यंत्रीकृत नौकाओं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों को लंगर डालने की और घाट सुविधायें प्रदान करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी सहायता देने का विचार हैं, और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को पारम्परिक मछुओं के कल्याण के लिये कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) शून्य ।

(ख) मत्स्य बीज विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है क्योंकि मत्स्य बीज उत्पादन कार्यक्रम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत शुरू किया गया है। मत्स्यन जलयान, यंत्रीकृत नौकाओं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए अवतरण और ठहराने सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के बारे में सरकार के अनुरोध और प्रस्ताव का स्वीकृत करने में हुई प्रगति के आधार पर ही सहायताउपलब्ध करायी जाती है ।

(ग) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के लिए पश्चिम बंगाल हेतु आवंटित की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि 1988-89 और 1989-90 के दौरान सरकार द्वारा बीमा किए जाने वाले प्रस्तावित मछुआरों की संख्या पर निर्भर करेगी। राष्ट्रीय मछुआ कल्याण निधि के अन्तर्गत 3 मछुआ गांवों को निर्माण करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय अनुदान की समूची मात्रा, जो 19,23,600 रुपये है, 1987-88 के दौरान निर्मुक्त कर दी दी गई है ।

चावल, पटसन और नारियल विकास कार्यक्रम

10232. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के दौरान पूर्वी राज्यों में केन्द्रीय विशेष चावल, पटसन और नारियल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : 1988-89 के दौरान पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन का विशेष कार्यक्रम विशेष पटसन विकास कार्यक्रम, नये रोपण के लिए राज सहायता की व्यवस्था करके नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र के विस्तार की योजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :—

कार्यक्रम	1988-89 के लिए परिव्यय
	(रु. लाख में)
1. पूर्वी राज्यों में चावल उत्पादन का विशेष कार्यक्रम	576.010
2. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम	506.220
3. नये रोपण के लिए राज सहायता प्रदान करके नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने की योजना	2.463

फुटपाथों पर रहने वालों को आश्रय

[हिन्दी]

10233. श्री राम भगत पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक पटरी पर रहने वाले कितने लोगों को आवास दिए गए हैं; और

(ख) कितने रैन-बसेरों का निर्माण किया गया है;

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न भागों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिनबस्ती स्कन्ध द्वारा निर्मित तथा चलाये जा रहे। रैन बसेरों में सर्दी के मौसम (नवम्बर-मार्च) के दौरान लगभग 2100 पटरी निवासियों ने रात बिताकर उसका फायदा उठाया।

(ख) हाल ही में बस्ती निजामुद्दीन, आजादपुर, सब्जीमण्डी तथा एस.पी. मुकर्जी मार्किट में तीन रैन बसेरों का निर्माण किया गया है तथा उन्हें चालू किया गया है। हालांकि पहाड़गंज में बनाये गये रैन बसेरे को जनता के प्रयोगार्थ शीघ्र ही खोला जाना है। इसके अतिरिक्त, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा कटरा मौला में रैन बसेरों का नवीकरण भी किया गया है तथा बेहतर सेवाओं के लिये सुदृढ़ किया गया है तथा सार्वजनिक उपयोगार्थ खोल दिया गया है। अन्धा मुगल, दिल्ली गेट, जी.टी. रोड, शाहदरा, लाहौरी गेट तथा तुर्कमान गेट पर अन्य रैन बसेरों में भी पटरी निवासियों को आश्रय मुहैया किया जाता है।

सामुदायिक शौचालय/स्नानागार, जूट कारपेट, चटाइयां, कम्बल, पठन-पाठन सामग्री, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक उन्नयन के लिये टेलीविजन की विशेष सुविधायें हैं तथा प्रवेश प्रभार 50 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति रात्रि है।

सरकारी कार्यालयों को अन्यत्र ले जाना

10234. श्री राम भगत पासवान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु केन्द्रीय सरकार के कितने कार्यालयों को अन्यात्र ले जाने का विचार है, और यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

विद्यमान निर्णय के अनुसार राजधानी में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिये उद्देश्य से केन्द्र सरकार के 7 कार्यालयों को विकेन्द्रीयकरण किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता।

केले के पेड़ों का बीमा

[अनुवाद]

10235. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में केले के पेड़ लगाने वाले किसानों को तूफानों के कारण भारी हानि उठानी पड़ती है,

(ख) यदि हां, तो क्या सामान्य बीमा निगम ने केले के पेड़ों के लिए फसल बीमा योजना तैयार की है,

(ग) क्या योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) आन्ध्रप्रदेश के गुन्टूर, कृष्णा और पूर्वी गोदावरी जिलों में अक्तूबर-नवम्बर, 1987 में झंझावात/भारी वर्षा के कारण केले और केले के पौधों को हुई हानि की सूचना दी गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

(ङ) भारी हानि के कारण यह निर्णय लिया गया है कि बृहत फसल बीमा योजना में अन्य फसलों को शामिल करने के पहले इसके कार्यान्वयन में अभी और अधिक अनुभव की जरूरत है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र को पानी की आवश्यकता

10236. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव** :
श्री बी. बी. रमैया :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है,

(ख) येलेरू नहर, इस्पात संयन्त्र को येलेरू जलाशय से पानी सप्लाई करता है, नवीनतम स्थिति क्या है,

(ग) इस नहरके पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और

(घ) इस नहर से इस्पात संयन्त्र को कब से पानी की सप्लाई शुरू होने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) : पूरी क्षमता के उपभोग के स्तर पर प्रतिदिन 730 लाख गैलन।

(ख) नहर का अधिकतम नाजुक भाग 2000 मीटर लम्बी सुरंग है। अब तक केवल लगभग 600 मीटर लम्बी सुरंग बनाने का कार्य पूरा किया गया है।

(ग) विलम्ब का मुख्यकारण ठेका श्रमिकरणों द्वार कम मजदूर जुटाना है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी नवीनतम सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1988.

डी.आई.जैड. एरिया में राशन की दुकानों में घटिया किस्म का गेहूं और चावल

[हिन्दी]

0237. श्री राजकुमार राय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सप्लाई की जाने वाली आवश्यक सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद नई दिल्ली में डी.आई.जैड. एरिया में उपभोक्ताओं को घटिया किस्म का गेहूं और चावल सप्लाई किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) दिल्ली प्रशासन ने इसका खण्डन किया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

अधिकृत एवं अनाधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाएं

10238. श्री राजकुमार राय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी अधिकृत एवं अनाधिकृत कालोनियों में अब तक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है;

(ख) उन कालोनियों के नाम क्या हैं जिनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) किन-किन कालोनियों में दिसम्बर, 1988 तक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का सन्तनगर कालोनी तथा समीपस्थ गांव बुराड़ी कालोनी में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में डाक व तार विभाग के क्वार्टरों में पानी का संकट

10239. श्री रामकुमार राय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय दिल्ली में पीने के पानी का गम्भीर संकट बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाक व तार विभाग के गोल मार्किट, डी. आई. जैड. एरिया क्वार्टरों में इस संकट ने और भी गम्भीर रूप धारण कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से)घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी नीति में परिवर्तन

10240. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सहकारी चीनी मिलों से नई चीनी नीति में परिवतंतन करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह सहकारी क्षेत्र के लिए अधिक लाभप्रद नहीं रही है चीनी नीति में परिवर्तन करने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) और (ख) सातवीं योजनावधि के लिए चीनी लाइसेंसिंग नीति के कुछेक पहलुओं में परिवर्तन करने के लिए चीनी उद्योग के सहकारी क्षेत्र से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी मुख्य मांग विशेषतया औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए इलाकों में नये चीनी यूनिट स्थापित करने के लिए निर्धारित की गई प्रति दिन 2500 मीटरी टन मात्रा पेरने की प्रारम्भिक क्षमता को कम करने तथा वर्तमान चीनी फैक्ट्री और स्थापित किए जाने वाले नये यूनिट के बीच निर्धारित की गई 40 किलोमीटर की हवाई दूरी के बारे में ढील देने के संबंध में है।

(ग) सरकार ने सातवीं योजनावधि के लिए अपनाई गई चीनी लाइसेंसिंग नीति की सीमित समीक्षा करने का निर्णय किया है।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा नई परियोजनाओं में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

10241. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स का अगले 4-5 वर्षों के दौरान अनेक नई परियोजनाओं में पूंजी निवेश करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स का निवेश करने का विचार है; और

(ग) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स का कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है और इस संबंध में सरकार का कितनी सहायता देने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर. प्रभु) : जी, हां,।

(ख) और (ग) मै. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. के कारपोरेट योजना में शामिल नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं तथा उनकी यथा उपलब्ध अनुमानित लागत का विवरण निम्न प्रकार है :

परियोजना	अनुमानित लागत
1. मौजूदा मेथानल संयंत्र का आधुनिकीकरण	16 करोड़ रुपये
2. डिमिथाइल फोर्मामाइड	5.91 करोड़ रुपये
3. बगासे से प्रति वर्ष 101 लाख टन न्यूजप्रिंट/उत्तम कागज का उत्पादन	300 करोड़ रुपये
4. 60,000 मी. टन सिन्थेटिक बुटाडीन स्ट्रेन रबड़ सहित सिन्थेटिक इलास्टोमर्स	400 करोड़ रुपये

वर्तमान संकेतों के अनुसार इन परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था कम्पनी के आन्तरिक स्त्रोतों द्वारा की जानी है।

भारत पर्यटन विकास निगम के "पैकेजटूर"

10242. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पर्यटन विकास निगम का इस वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल के बच्चों को सस्ते "पैकेज टूर" उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) क्या इन पैकेज टूरों में सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे जा सकेंगे अथवा पब्लिक स्कूलों के बच्चे भी जा सकेंगे;

(घ) क्या सरकार बच्चों के लिए इन टूरों पर राज सहायता दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पर्यटन विकास निगम दिल्ली प्रशासन के अधीन एक स्वायत संगठन है और इसीलिए इन्हें सरकार का अलग से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) सभी स्कूली बच्चे इन यात्राओं का लाभ उठा सकते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ

10243. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1987- 8 के दौरान लाभ में वृद्धि हुई है और उसने विदेश में अपने अधिक केन्द्र खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम को कुल कितना लाभ हुआ ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का वर्ष-वार लाभ इस प्रकार है :—

वर्ष	निवल लाभ (कर से पहले)	निवल लाभ (कर के बाद)
	(लाख रुपयों में)	
1985-86	508.06	507.96
1986-87	658.85	575.52
1987-88 (अनन्तिम)	774.50	574.50

1987-88 के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने विदेश में केवल एक रेस्तरां, ट्रस्ट आफ स्टेशन मास्को के सहयोग से सोवियत संघ, मास्को में स्थापित किया है।

भविष्य में इस्पात की मांग

10244. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** :

डा. बी. एल. शैलेश :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने भविष्य में होने वाली इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए विद्यमान एकीकृत इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण, उनकी क्षमता के अधिकतम उपयोग में और विस्तार के लिए दो चरण वाली कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण योजना की मुख्य बातें क्या हैं, इस्पात का अनुमानित: प्रति टन लागत कितनी है और आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर कितना व्यय होगा और इसकी कितनी क्षमता होगी; और

(ग) आधुनिकीकरण के पश्चात् भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों की बिक्री योग्य इस्पात क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

दुर्गापुर इस्तात संयंत्र की 16 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात की निर्धारित क्षमता के आधुनिकीकरण पर 1357 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसके सितम्बर, 1992 तक पूरा होने की संभावना है ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

राउरकेला इस्पात संयंत्र की अपरिष्कृत इस्पात की वर्तमान 18 लाख टन नेमप्लेट क्षमता के मुकाबले 19 लाख टन क्षमता के आधुनिकीकरण पर 1600 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । और इसके सरकार की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से 6 वर्ष 3 महीने की अवधि में पूरा होने की सम्भावना है ।

इस्को (बर्नपुर)

इस्को के बर्नपुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण पर 2928 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है । इस संयंत्र के आधुनिकीकरण से इसकी अपरिष्कृत इस्पात की क्षमता 10 लाख टन से बढ़कर 25 लाख टन हो जाएगी और इसके सरकार की स्वीकृति की तारीख से 6 वर्ष की अवधि में पूरा होने की आशा है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

बोकारो इस्पात संयंत्र की अपरिष्कृत इस्पात की 40 लाख टन से 45 लाख टन क्षमता के आधुनिकीकरण पर 1080 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है और आशा है कि यह सरकार की स्वीकृति मिलने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में पूरा हो जाएगा ।

दुर्गापुर इस्पात संयत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण योजनाओं में विशिष्ट पूंजी-निवेश क्रमश: 30,000 रुपये और 32,000 रुपये बैठता है जबकि इस्को और बोकारो इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण में प्रति टन अपरिष्कृत इस्पात की वृद्धि के लिए क्रमश: 18,000 रुपये और 22,000 रुपये बैठता है ।

(ग) चूंकि विक्रेय इस्पात की क्षमता उत्पादन-निष्पादन की सही सूचक नहीं है, अत: सामान्यत: क्षमताओं का हिसाब अपरिष्कृत इस्पात के संदर्भ में लगाया जाता है। "सेल" के संयंत्रों में उपर्युक्त आधुनिकीकरण योजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् अपरिष्कृत इस्पात की कुल क्षमता के प्रतिवर्ष लगभग 140 लाख टन तक बढ़ जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम और परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा डेयरी योजनाएं

10245. श्री ए. जे. वी. बी. महेश्वर राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु बिजली संयंत्र विभाग और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम का आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत डेयरी योजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इन्जीनियरों की संख्या

10246. श्री ए. जे. वी. बी महेश्वर राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1986 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इन्जीनियर (सिविल और इलक्ट्रिकल) के पदों की स्वीकृत संख्या कितनी थी;

(ख) क्या वर्ष 1988 के दौरान इन पदों की संख्या कम कर दी गई, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य कर रहे सिविल तथा इलैक्ट्रिकल के पृथक-पृथक मुख्य इन्जीनियरों, अधिशासी इन्जीनियरों, कार्यकारी इन्जीनियरों, सहायक कार्यकारी इन्जीनियरों, सहायक इन्जीनियरों तथा कनिष्ठ इन्जीनियरों की संख्या तथा इनके स्वीकृत पदों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) खोले जाने वाले अथवा बन्द किए जाने वाले नए एककों का ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में पशुधन को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

10247. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पशुधन के संवर्धन और विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना हेतु राष्ट्रीय डेयरी-अनुसंधान संस्थान करनाल के लिए भी सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए कार्यदल का गठन

10248. श्री हरीश रावत : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की संभावनाओं का अध्ययन करने और उन क्षेत्रों जिनमें केन्द्र से सहयोग मांगा जा सकता है, का पता लगाने के लिए एक कार्य दल गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य दल को कब तक गठित करने का विचार है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों क विकास हेतु राज्य पर्यटन विकास निगम और भारतीय पर्यटन विकास निगम के बीच परस्पर सहयोग के लिए कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) फिलहाल, केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के पास उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों मे पर्यटन का विकास करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्य दल गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत पर्यटन विकास निगम ने ऐसा कोई करार नहीं किया और न ही उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का कार्यकरण

10249. श्री हरीश रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनियमितताएं बरते जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी.एल. बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) उपयुक्त एजेंसियों द्वारा शिकायतों की जांच की जा रही है और जांच कार्य पूरा होने

पर यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जाएगी। कुछ मामलों में, जिनमें जांच पूरी हो चुकी है, उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में आलू की खेती का विकास

10250. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आलू की खेती का विकास करने और इसे बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में आलू के बीज आदि के सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए कोई केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आलू विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है, तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केन्द्रक बीज के विकास तथा आलू के बीज के उत्पादन के लिए मुक्तेश्वर में एक केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है, ताकि कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

(ख) केन्द्रीय आलू अनुसंधान केन्द्र, मुक्तेश्वर का वार्षिक व्यय 4.10 लाख रुपये का है।

(ग) और (घ) गोविन्द बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर को हाल ही में केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के सहयोग से प्रजनक बीज उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय के तहत उत्पादित प्रजनक बीज कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी उपयोग में लाया जायेगा।

उड़ीसा में आदिवासियों के लिए मकानों का निर्माण

[अनुवाद]

10251. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्धन आदिवासियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता से इस समय चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इन योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(घ) अब तक की उपलब्धि क्या है ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) "आवास" राज्य का विषय है तथा सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी योजना संसाधनों में से प्रतिपादित एवं

कार्यान्वित की जाती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में बिना किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष को सम्बद्ध किए, दी जाती है। केन्द्रीय सरकार तो केवल योजनाओं की वास्तविक प्रगति का प्रबोधन करती है।

तथापि, ग्रामीण भूमिहीन कामगारों और कारीगरों सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए "आवास स्थलों का आवंटन एवं निर्माण सहायता" की योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में उड़ीसा में प्रचलन में है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना की प्रगति इस प्रकार है:—

वर्ष	नियतन	आवास स्थल (परिवार)		निर्माण सहायता (परिवार)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (29-2-88 तक)
1985-86	100 लाख रुपये	30000	79815	6667	6667
1986-87	100 लाख रुपये	20000	28480	3333	3523
1987-88	100 लाख रुपये	20000	50536	3333	2000

उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान 16864 अनुसूचित जनजाति के परिवार लाभान्वित हुए तथा 1986-87 में 8386 अनुसूचित जनजाति के परिवार लाभान्वित हुए।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं मुक्त बंधवा मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की एक अन्य योजना अर्थात् इन्दिरा आवास योजना केन्द्रीय क्षेत्र की ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1985-86 से प्रचलन में है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को 1544 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई तथा राज्य सरकार की योजना 16664 आवास एककों की थी जिसमें से 31-3-1988 तक 11, 5, 76 एककों का पूर्ण होना सूचित किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण पर कमीशन

10252. प्रो. के. वी. थामस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी के वितरण पर दिये जाने वाले कमीशन में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि करने का विचार है और किस तारीख से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये लेवी चीनी का वितरण करने के लिए लेवी चीनी के खुदरा विक्रेताओं को देय मार्जिन केन्द्रीय

सरकार द्वारा निवेश पर ब्याज, ढुलाई, स्थापना लागत, कमीशन आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर, सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से, समय-समय पर निश्चित किया जाता है। इस प्रकार निश्चित किये गए मार्जिन के अलावा, खुदरा विक्रेता को खाली बोरियां भी अपने पास रखने की अनुमति है।

लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग, जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संयंत्र

10253. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग, जल-आपूर्ति तथा मल-व्ययन संयंत्रों में अप्रशिक्षित लोक कार्य कर रहे हैं जैसाकि 25 जनवरी, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जल पूर्ति तथा स्वच्छता राज्य के विषय हैं। लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरी स्थापनाओं/पद्धतियों के उचित तथा पर्याप्त व्यवस्था के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। केन्द्र सरकार इसके लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति के विकास में राज्य सरकारों को सक्रिय रूप से सहयोग दे रही है।

आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) की आवास निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां

10254. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास एवं शहरी विकास निगम मुख्य रूप से आवास तथा शहरी विकास कार्यक्रमों के लिए धन प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास निर्माण कार्य पर ध्यान देता है;

(ग) यदि हां तो गत तीन महीनों में आवास एवं शहरी विकास निगम ने कुल कितनी योजनाओं को मंजूरी दी है; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत कितने आवासों का निर्माण तथा प्लाटों का आवंटन किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) हुडको का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से समाज के निर्धन वर्गों के लिए आवास तथा नगर विकास क्रियाकलापों की वित्त व्यवस्था करना या आरंभ करना है। यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों में राज्य आवास, बोर्डों, विकास प्राधिकरणों नगर निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा प्रतिपादित विभिन्न योजनाओं की वित्त व्यवस्था करता है। जैसाकि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रतिवर्ष इसे स्वीकृत ऋण का 30% समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए उद्दिष्ट है, इसके अतिरिक्त,

प्रत्येक वर्ष स्वीकृत ऋण का 25% निम्न आय वर्गों के लिए है। पिछली तिमाही (जनवरी, 1988 से मार्च, 1988) के दौरान हुडको ने विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत कुल 226 योजनायें स्वीकृत की हैं। इन योजनाओं में सम्मिलित रिहायशी एककों और प्लाटों की संख्या क्रमश: 102551 और 4249 होगी।

समस्या ग्रस्त गांवों की सूची

10255. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत जल-स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे होता जा रहा है और इसलिए समस्याग्रस्त गांवों की सूची में संशोधन करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के कुछ गांवों को पेय जल प्रयोजन से तैयार की गई समस्याग्रस्त गांवो की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र के ऐसे गांवों को समस्याग्रस्त गांवों की सूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) अधिकांश राज्यों में लगातार सूखा पड़ने और अपर्याप्त वर्षा के कारण, देश के कुछ भागों में जल का स्तर घट रहा है। ऐसे क्षेत्रों में जहां जल का स्तर काफी नीचे चला गया है अथवा जल स्रोत सूख गए हैं वहां नये कुओं/ट्यूबैलों का निर्माण करके तथा मौजूदा कुओं को गहरा करके पेय जल सप्लाई की व्यवस्था के द्वारा इन गांवों को कवर करने हेतु सूखा राहत सहायता के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इसलिए, समस्याग्रस्त गांवों की सूची को संशोधित करने की आवश्कता नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार ने ऐसे गांवों का पता लगा कर और उचित सर्वेक्षण करने के पश्चात् सभी समस्याग्रस्त गांवों की सूची प्रस्तुत की थी।

"प्यूरीफाइंग वाटर विदआऊट यूजिंग कैमिकल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

10256. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्यूरीफाइंग वाटर विदाआऊट यूजिंग कैमिकल्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जर्मनी से प्रौद्योगिकी प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

संगमरमर की खानों में अवैज्ञानिक खनन तकनीक का प्रयोग

10257. डा. ए. के. पटेल : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संगमरमर का मूल्य अधिक होता है कि मकराना की संगमरमर की खानों में खनन की वैज्ञानिक तथा लगभग प्रतिकूल की तकनीक अपनाये जाने के कारण 30 प्रतिशत पत्थर ही प्रयोग किये जा सकने योग्य रह जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिससे कि प्रयोग किये जा सकने योग्य पत्थर अधिक मात्रा में उपलब्ध हों ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) संगमरमर की कीमत उसकी किस्म और लोकप्रियता के अनुसार अलग-अलग होती है और वह पूर्णतः खान निकासी पर निर्भर नहीं होती सम्बन्धित क्षेत्र से प्राप्त की गई सूचनाओं के अनुसार, लगभग 60% संगमरमर शिला-खंडों (पट्टियों) के रूप में निकलता है. 25% छोटे असमान टुकड़ों के रूप में निकलता है, जिससे टाइलें आदि बनती हैं और बाकी बचा पत्थर मकराना चिप्स और संगमरमर चूर्ण बनाने के काम आता है। मकराना खानें छोटे आकार के भूखंडों में तथा 30 मीटर गहरी होने के कारण उनमें आधुनिक खनन मशीनें लगाने की संभावना कोसों दूर है। तथापि, उत्पादन स्तर बढ़ाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने ड्रिलिंग सूराखों में वायु सम्पीडकों, चट्टान तोड़ने में नुकीले हथौड़ों का प्रयोग शुरू कर दिया है, ताकि सही शिलाखण्ड प्राप्त हो सकें।

पालतू पशुओं के लिए बन्ध्याकरण प्रक्रिया

10258. श्री दिग्विजय सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्ध्याकरण के लिये कामवासना में कमी के बिना एक इन्जेक्शन की प्रक्रिया की खोज, सांड, भेडा, बकरी और घोड़े जैसे पालतू पशुओं की नस्ल में सुधार के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है,

(ख) क्या इस प्रक्रिया का पशुपालन के क्षेत्र में प्रचार नहीं किया है और यदि हां, तो क्या उसके कारण हैं, और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभागों में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोगरोध संस्थान (एन. आई. आई.) द्वारा विकसित काम वासना में कमी के बिना बन्ध्याकरण की एक इन्जेक्शन वाली तकनीक का राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर द्वारा सांडों और बकरों पर सीमित मात्रा में परीक्षण किया गया है :

(ख) चूंकि इस परीक्षण का प्रभावी होना अभी हाल ही में सिद्ध हुआ है और बड़े पैमाने पर परीक्षण नहीं किए गए हैं, इसलिए इसे अभी बड़े पैमाने पर उपयोग में नहीं लाया गया है।

(ग) नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोगरोध संस्थान (एन. आई. आई.) द्वारा एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है ताकि बन्ध्याकरण के इस तरीके से निकम्मे नर पशुओं को बधिया बनाया जा सके और इस प्रकार कृत्रिम गर्भाधान द्वारा उच्च कोटि के नरों का प्रयोग करके पशुओं की नस्ल सुधारने के कार्यक्रम में सहायता पहुंचाई जा सके।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की छटनी

10259. **श्री पी. एम. सईद** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भारी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन कर्मचारियों के लाभ की कुछ योजनाएं प्रस्तुत की है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोटा पत्थर खदान, रामगंज मंडी के कामगारों के लिए मकान

[हिन्दी]

10260. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोटा पत्थर खदान, रामगंज मण्डी (राजस्थान) में काम करने वाले कामगारों के लिए मकान बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का खान, कामगारों, के लिये एक आवास योजना तैयार करने हेतु कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कल्याण निधियों के अन्तर्गत आने वाले खान कर्मकारों के लिए कुछ आवास योजनाएं बनाई गई हैं। तथापि, पत्थर खदानों के कर्मकार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई किसी कल्याण निधि के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए रोजगार कार्यालय

10261. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों का शोषण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक बेरोजगारों को शोषण से बचाने और अतिरिक्त जनशक्ति का निर्यात सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट एक रोजगार कार्यालय स्थापित करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। सरकार के ध्यान में शोषण के कुछ मामले आए हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु पंजीकृत भर्ती एजेंसियों और राज्य के जनशक्ति निगमों द्वारा भर्ती की जाती है।

राजस्थान को अतिरिक्त खाद्यान्न

10262. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गत चार वर्षों से निरन्तर सूखे की स्थिति रहने के कारण वहां भुखमरी की आशंका है;

(ख) क्या सरकार का उस राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो आगामी चार महीनों के लिये कितना अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मार्च, 1988 में 1,00,000 मीटरी टन गेहूं और अप्रैल तथा मई, 1988 में प्रत्येक मास में 80,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान उन्हें प्रति मास 4,000 मीटरी टन चावल और मार्च, 1988 से जून, 1988 के दौरान सूखा राहत प्रयोजनों के लिए 80,000 मीटरी टन गेहूं भी आवंटित किया गया है। 1988-89 की पहली दो तिमाहियों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत 19,105 मीटरी टन गेहूं का आवंटन भी किया गया है।

पोटाश की कमी

[अनुवाद]

10263. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पोटाश की कमी है;

(ख) क्या सरकार का पोटाश का आयात बढ़ाकर इसकी मांग पूरी करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किस देश से पोटाश का आयात करने का विचार है; और

(घ) इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं;

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर. प्रभु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) पोटेसिक उर्वरकों की कुल मांग आयातों द्वारा पूरी की जाती है क्योंकि देश में इस सामग्री के ज्ञात वाणिज्यक स्रोत नहीं है। पोटेसिक उर्वरकों का आयात मुख्यत: कनाडा, जोर्डन, फ्रांस, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी और जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से किया जाता है।

निर्यातकों को इस्पात की सप्लाई

10264. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का निर्यातकों को "आफ द-शैल्फ सलक्ट आइटम्स आफ स्टील" सप्लाई करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से तैयार की गयी है;

(ग) क्या निर्यात के लिए स्टील के सामान का चयन कर लिया गया है;

(घ) क्या इससे किसी बिना विलम्ब के निर्यातकों को स्टील की सप्लाई करने में सुधार होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से विचार-विमर्श करने के पश्चात स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने कुछेक निर्धारित स्थानों पर इन्जीनियरी माल के निर्यातकों को अधिक खपत वाली कुछ वस्तुओं की आफ द शेल्फ सप्लाई करने पर विचार करना सिद्धांत रूप में मान लिया है :

(ग) से (ङ) "सेल" ने इस योजना की शक्यता तथा प्रभावोत्पादकता पर विचार करने के लिए इन्जीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद से मदों, खपत तथा स्थानों की सूची प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

10265. **श्री रघुनाथ पटनायक** :

श्री एच. बी. पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन "प्रौद्योगिकी मिशन" ने हाल ही में छोटे तथा सीमांत किसानो को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु योजनायें शुरू की हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार का प्रादेशिक भाषाओं में पत्रिकायें प्रकाशित करने का विचार है ताकि किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास की जानकारी दी जा सके ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री) : (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के अधीन पेयजल और तिलहनों पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नामक दो प्रौद्योगिकी मिशन काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना 17 राज्यों में चलाई जा रही हैं जिसके अन्तर्गत किसानों को तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें छोटे और सीमांत किसानों को धन संबन्धी मदद पहुंचाने में प्राथमिकता दी जा रही है। उदाहरण के लिए इस कार्यक्रम में उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों व बीजोपचार करने वाले रसायनों (मूंगफली और सोयाबीन के मामले में जैविक उर्वरक) वाली थैलियां केवल छोटे और सीमांत किसानों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के किसानों, को मुफ्त दी जाती है। इसी प्रकार अधिक से अधिक 300/-रु. प्रति मद की दर से पादप सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को खरीदने के लिए 50% तक का अनुदान केवल छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है। इसके अलावा छिड़काव (स्प्रिंकलर) सेटों की खरीद के लिए 50% तक की सहायता छोटे और सीमांत किसानों को दी जाती है, जबकि अन्य किसानों को यह सहायता केवल 25% तक दी जाती है। हर हालत में इस अनुदान की उच्चतम सीमा प्रति किसान प्रति सैट पर 5000/-रु है। इसके अलावा 500/-रु. या इससे कम मूल्य कृषि औजारों में छोटे तथा सीमांत किसानों को 50% तक अनुदान मिलता है।

(ग) जी, नहीं। स्थानीय भाषाओं में पत्रिकाएं आदि प्रकाशित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है।

भू-संरक्षण

10266. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भू-संरक्षण संगठन (उड़ीसा) ने भूमि कटाव के कुप्रभावों से निपटने के लिए भूमि का कटाव रोकने सम्बन्धी अनेक उपाय किये हैं,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से भी सहयोग करने का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी हां। ऊड़ीसा के मृदा संरक्षण संगठन ने जल एवं वायु क्षरण का नियंत्रण करने, झूम खेती का नियंत्रण करने, बंजर भूमि का विकास करने, बागवानी फसलों को उगाने, बायोमास उत्पादन में सुधार करने के लिए बहाव-जल को इकट्ठा करने और फिर से चालू करने आदि के लिए विभिन्न राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र के मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत भू-क्षरण रोधी विभिन्न उपाय स्वीकृत किए हैं।

(ख) जी, हां केन्द्रीय सहायता प्राप्त अनेक योजनाएं, जिसके मृदा संरक्षण शामिल है, उड़ीसा राज्य में चल रही हैं। उनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं :—

(I) हीराकुण्ड, मचकुण्ड-सिलेरू और रंगाली-मंदिरा की नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(II) छः जिलों में झूम खेती का नियंत्रण।

(III) चार जिलों के 39 प्रखण्डों में सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

(IV) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्यकलाप।

(V) कोरापुट जिले में वर्षासिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कोरापुट जिला के सिमिलिगुडा में मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित कर रहा है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उद्देश्यों, लक्ष्यों और शुरू किए जाने वाले विशिष्ट मृदा संरक्षण संबन्धी उपायों के अनुसार संघ सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त विभिन्न कार्यक्रमों के लिए समय से मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराए गए हैं। अधिकांश योजनाओं के लिए समेकित जल विभाजक, प्रबन्धन नीति अपनायी जाती है, जिसमें सभी प्रकार की भूमि, चाहे वह कृष्य हो अथवा अकृष्य, का उनकी समस्याओं सम्भावनाओं और मृदा संरक्षण संबन्धी आवश्यकताओं के अनुसार उपचार किया जाता है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में फसलों, बागानों, ईंधन, चारा और अन्य उपयोगी वृक्षों के उत्पादन में सुधार करने पर भी विचार किया जाता है। नदी घाटी परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपचारित जल विभाजकों से तलछट और जल बहाव का प्रबोधन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भी उपलब्ध कराए गए हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के लिए कुल आबंटन का 30 प्रतिशत बांध बनाने, सीढ़ीदार खेती करने, भूमि को व्यवस्थित करने, जल कृषि डांचे का निर्माण करने आदि जैसे मृदा एवं नमी संरक्षण कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाना है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रमों की योजना के लिए जल विभाजकों का चयन करने में उन जल विभाजकों को तरजीह दी जाती है जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास क्षेत्र की कम से कम 25 प्रतिशत भूमि है। झूम खेती के नियंत्रण की योजना के अन्तर्गत चुनिंदा गांवों का समेकित विकास किया जाता है जिसमें कृषि, बागवानी, नकदी फसल, बागान, सामाजिक वानिकी आदि के लिए भूमि का विकास करना और सुअर पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन आदि जैसे सहायक व्यवसायों के लिए झूमिया परिवारों को आर्थिक सहायता देना शामिल है।

इस्पात संयंत्रों में जापान की एक्विटी भागीदारी आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव

10267. श्री राम बहादुर सिंह : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में जापान की एक्विटी भागीदारी आमन्त्रित करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या भागीदारी अथवा विदेशी सहायता का दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो इस्पात संयंत्रों के लिए उपयोग किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दुर्गापुर, राउरकेला तथा बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए कोई विदेशी इक्विटी भागादारिता की कल्पना नहीं की गयी है। तथापि, विदेशी वित्तीय सहायता स्वीकार्य शर्तों पर उपलब्ध होने पर इन इस्पात संयंत्रों के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को बिजली की अनियमित सप्लाई

10268. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित दुर्गापुर इस्पात और मिश्रित इस्पात संयंत्र का उत्पादन दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली उपलब्ध नहीं पाने/बिजली की अनियमित सप्लाई होने के कारण काफी घट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान वर्ष-वार कितने मूल्य का और कितने टन भार का घाटा हुआ;

(ग) दामोदर घाटी निगम में बिजली उपलब्ध न हो पाने/बिजली की अनियमित सप्लाई होने के कारण कुल कितनी राशि का समयोपरि भत्ता दिया गया; और

(घ) निर्धारित बिजली की सप्लाई न करने के कारण भारतीय इस्पात प्राधिकरण को हुए घाटे के सम्बन्ध में सरकार का दण्डात्मक उपाय करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयंत्र में दामोदर घाटी निगम से बिजली की अपर्याप्त सप्लाई मिलने के कारण उत्पादन में हुई वर्ष-वार कमी और उसका मूल्य निम्नानुसार है :

अवधि	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र			मिश्र इस्पात संयंत्र	
	विक्रेय इस्पाय		इस्पात पिंड	विक्रेय इस्पात	मूल्य
	मात्र (टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	मात्रा (टनों में)	मात्रा (टनों में)	(लाख रुपयों में)
1984-85	27089	420	1643	155	27
1985-86	44660	898	383	शून्य	5
1986-87	9[illegible]826	1860	10834	2047	164

(ग) उपर्युक्त अवधि में दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली की सप्लाई में कमी के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयंत्र में समयोपरि पर कोई खर्च नहीं किया गया था।

(घ) पार्टियों के बीच हुए ठेके में सम्मत मांग के अनुसार बिजली की पर्याप्त सप्लाई न मिलने के लिए किसी प्रकार का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है : तथापि इस्पात क्षेत्र को बिजली देने की स्थिति पर अन्त: मंत्रालय स्तर पर सतत समीक्षा की जा रही है। अन्य ग्रिडों से दामोदर घाटी निगम को यथासम्भव अतिरिक्त बिजली अन्तरित करने के भी उपाय किए गए हैं।

दीर्घकालिक उपाय के रूप में तथा इन इस्पात संयन्त्रों की बाहरी विद्युत सप्लाई पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र में 60×60 मेगावाट के दो गृहीत विद्युत संयन्त्रों की स्थापना करके अतिरिक्त गृहीत उत्पादन की क्षमता उत्पन्न की जा रही है, ऐसा करने से दुर्गापुर के मिश्र इस्पात संयन्त्र की आवश्यकतायें भी पूरी हो जायेंगी।

बसन्त कुंज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

(हिन्दी)

10269. राम प्यारे सुमन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बसन्त कुंज, नई दिल्ली में कुल कितनी दुकाने बनाई गई हैं और उनमें से कितनी बेची गई हैं और कितनी दुकाने अभी बेची जानी हैं और उनमें से कितनी दुकाने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आवंटित की गई हैं; और

(ख) यदि ये दुकानें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आवंटित नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) बसन्त कुन्ज में निर्मित दुकानों की संख्या 28 है। नीलामी में बेची गई दुकानों की संख्या 12 है, तथा अभी बेची जाने वाली दुकानों की संख्या 16 है। वाणिज्यिक संबन्ध को व्यवस्था पर सौंपी गई दुकानों/स्टालों में से कोई दुकान स्टाल अभी तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित नहीं की गई है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मार्किट-वार आरक्षण नही है, हालांकि आरक्षण कोटे के लिए एक पंजीकृत को अपने विकल्प के आधार पर तीन कोलोनियों तक विचार करने के लिए अनुरोध करने की छूट है।

अनुसूचित जातितों/अनुसूचित जनजातियों के विकलांग व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

10270. श्री रामप्यारे सुमन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विकलांग व्यक्तियों को आवंटित की गई दुकानों की संख्या कितनी हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में अपनाए गए मापदण्डों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों को भी उसी मापदण्ड के अन्तर्गत दुकाने आवंटित की गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विकलांग व्यक्तियों ने भी दुकानों के लिए आवेदन किया था;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किन्हीं विकलांग व्यक्तियों को भी कभी दुकानें आवंटित की गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विकलांग व्यक्तियों को बिना बारी के दुकानें आवंटित की हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को बिना बारी के दुकानें आवंटित की हैं, यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) वर्ष 1985-86 86-87 और 1987-88 के दौरान आवंटित दुकानों की कुल संख्या 47 थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के सक्षम विभाग ने विकलांग व्यक्तियों को 72 स्टालें/दुकानें आवंटित की हैं।

(ख) विकलांग व्यक्तियों को दुकानों/स्टालों/कियोस्को के आवंटन के लिए 5% का कोटा निर्धारित है तथा आवंटन उन व्यक्तियों के मध्य लाटरी द्वारा किया जाता है जिनकी अनसंख्या 40% या इससे अधिक हो।

(ग) स्टालों/कियोस्कों का आवंटन अत्यधिक कठिनाई के मामलों में किया जाता है।

(घ) और (ङ) इस बात का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता कि विशिष्ट शारिरिक रूप से विकलांग व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है या अन्य। यहां तक कम लागत के वाणिज्यिक स्टालों/थड़ों की पंजीकरण योजना 1985 को समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित अनुसूचित जातियों के लिए है, का संबन्ध है, इसमे विकलांग व्यक्तियो सहित अनुसूचित जातियों के लिए 1 प्रतिशत स्टालों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों सहित विकलांग व्यक्तियों को वाणिज्यिक उन निवासियों के पुनर्वास की योजना जिसका विभाग द्वारा आवधिक सर्वेक्षण किया जाता है और अनुसूचित जातियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पंजीकरण योजना-1985 जिसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत का आरक्षण है, के अन्तर्गत का आवंटन किया जाता है।

(च) जी, हां। ब्यौरे संकलित किए जा रहे हैं।

(छ) जी, हां। यह आवंटन श्री चन्द्र प्रकाश सुपुत्र श्री बेलीराम को किया गया था।

अरविंद प्लेस मार्किट में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दुकानों का आवंटन

10271. श्री रामप्यारे सुमन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरविंद प्लेस मार्किट में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुल कितनी दुकानों का निर्माण किया है;

(ख) इनमें से कितनी दुकानों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित कोटे में से आवंटित करने का विचार है; प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितनी दुकानें आवंटित की गई हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 25 प्रतिशत दुकानें अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रत्येक मार्किट में उन्हें 25 प्रतिशत दुकानें आवंटित की जा रही हैं; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या अरविंद प्लेस (हौज खास, गिर्जाघर के निकट) से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित कोटे की तुलना में कम संख्या में दुकानें आवंटित की गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के व्यक्तियों को दुकानों की तुलना में अधिक संख्या में स्टाल आवंटित किए गए है ;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 83 दुकानें तथा एक स्टाल।

(ख) 6 दुकानें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित की गई हैं। आरक्षित श्रेणियों को आवंटित दुकानों के विवरण इस प्रकार हैं :—

विकलांग	...	1
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति		6
बेदखल किए गए	...	1
वे व्यक्ति जिनकी भूमि अर्जित की गई		2
भूतपूर्व सैनिक	...	1

(ग) जी, हां। सितम्बर, 1986 से 1 अनुसूचित जाति/अससूचित जनजाति के लिए पहले पहल आरक्षित कोटा 12.8% था।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सम्पूर्ण रूप में दुकानों का 25% आवंटित किया जाता है न कि प्रत्येक मार्किट में।

(ङ) दुकानों और स्टालों के आवंटन के मामले में कोई भेद-भाव नहीं बरता जा रहा है।

दिल्ली में बेघरों को आश्रय स्थल प्रदान करने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्लैटों (मकानों) का निर्माण

10272. **श्री लाला राम केन** : क्या शहरी विकास मंत्री दिल्ली में बेघरों को आश्रय स्थल प्रदान करने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष कार्यक्रम के अन्तर्गत फ्लैटों (मकानों) के निर्माण के बारे में 14 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2855 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तैयार की गई आवास योजनाओं के नाम क्या हैं और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जायेगी ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गन्दी बस्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

10273. **श्री लालाराम केन :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधीन गन्दी बस्ती क्षेत्रों और झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मकानों, दुकानों आवासीय और व्यापारिक भूखंडों का कितना प्रतिशत आरक्षण किया गया है;

(ख) क्या गन्दी बस्ती विभाग, गन्दी बस्ती कालोनियों मे काम करने वाले स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान और भूमि का प्रबन्ध करके उनकी सहायता करता है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गन्दी बस्ती विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मकानों का निर्माण किया गया और कितने आवासीय/व्यापारिक भूखण्डों को बेचा गया ?

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"हाट राल कायल" का उत्पादन करने के लिए इस्पात का आयात

[अनुवाद]

10274. **श्री विजय एन. पाटिल :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिए हाट राल कायल का उत्पादन करने हेतु इस्पात का आयात करने की मंजूरी दी है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से इस्पात का आयात करने की संभावना है और आयात किए जाने वाले इस्पात का मूल्य कितना है,

(ग) क्या भारत अपने इस्पात से ही हाट राल कायल का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है, और

(घ) सरकार वर्ष 1988-89 के दौरान अपने स्वदेशी उत्पादन से ही इस्पात की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी. नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एकीकृत इस्पात संयंत्र अपने इस्पात संयंत्रों में उत्पादित इस्पात से तप्त बेल्लित क्वायलों का निर्माण करते रहे हैं।

(घ) इस्पात की देशी उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से "सेल" ने वर्ष 1987-88 के 74.8 लाख टन अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन को बढ़ाकर वर्ष 1988-89 में 89.4 लाख टन करने की योजना बनायी है। गौण उत्पादकों से भी कुछ वृद्धि होने की संभावना है; तथापि वर्ष 1988-89 में देशी उत्पादन से सम्पूर्ण मांग को पूरा कर पाना सम्भव नहीं होगा और इस प्रकार कुछ आयात करना आवश्यक होगा।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड की आम सभा की बैठकें

10275. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रबन्ध समिति द्वारा दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड की आम सभा की नियमित बैठकें वर्ष 1975 से नियमानुसार आयोजित की जा रही हैं, जैसाकि नियम के अनुसार अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1975 से प्रबन्ध समिति द्वारा कितनी बैठकें आयोजित की गई और किस-किस तारीख को आयोजित की गई हैं और ये बैठकें किस उद्देश्य से आयोजित की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो नियमानुसार बैठकें आयोजित न करने तथा मनमाना निर्णय करने के लिए पंजीकार, सहकारी समिति द्वारा प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली स्कूल शिक्षक सहकारी आवास निर्माण समिति द्वारा भूमि के विकास पर किया गया व्यय

10276. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल शिक्षा सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड द्वारा भूमि के विकास और वर्ष 1975 से आज तक की गई सेवाओं के प्रबन्ध पर प्रत्येक वर्ष मदवार ब्यौरे के साथ कितना व्यय किया गया;

(ख) विकास कार्यों के लिए नियुक्त ठेकेदारों और अन्य पार्टियों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किन शर्तों पर नियुक्त किया गया था;

(ग) ठेकेदारों और अन्य पार्टियों को प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(घ) क्या समिति ने प्रत्येक कार्य के लिए कोई निविदायें आमंत्रित की थी और यदि नहीं, तो ठेकेदारों को कार्य के लिए कैसे नियुक्त किया गया;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सहकारी न्यायाधिकरणों की स्थापना

10277. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली भवन निर्माण, आवास समूह, ऋण और वित्त आदि के सहकारी समितियों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले बहुत लम्बे समय से उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इससे देश में सहकारी आंदोलन की प्रगति में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का सहकारी न्यायाधिकरणों को स्थापित करना और सहकारी समितियों में विवादों को संक्षिप्त प्रक्रिया से निपटाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण पहले ही अस्तित्व में है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

खनन कार्यों के कारण वन क्षेत्र में कमी

10278. प्रो. मधु दंडवते : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कोयला तथा मैंगनीज खानें तथा पत्थर खदानें देश भर में फैली हुई हैं तथा खनन कार्यों के कारण वन क्षेत्र में कमी आती जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या खान मालिकों तथा पट्टाधारियों पर पेड़ पौधों को लगाने की सांविधिक बाध्यता है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का समझौते के भाग के रूप में बंजर भूमि के दुगने क्षेत्र में वनरोपण करने के लिए खान-मालिकों को बाध्य करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम. एल. फोतेदार) : (क) से (ग) खनन और उत्खनन से वनों का कुछ अवकर्षण होता है। वन भूमि में खनन पट्टों के अनुदान या नवीकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान आकर्षित हैं और इसके लिए, केन्द्र सरकार की पूर्व-अनुमति अपेक्षित होती है। ऐसे मामलों में, केन्द्र सरकार की अनुमति इस स्पष्ट शर्त के साथ दी जाती है कि खनित क्षेत्रों में वृक्षारोपण द्वारा हरियाली बहाल की जाएगी। संशोधित खनिज रियायत नियम, 1960 के अन्तर्गत, प्रत्येक पूर्वेक्षण लाइसेंस धारी और खनिज पट्टाधारी से यह अपेक्षा की गई है कि वह पूर्वेक्षण/खनन कार्यों के कारण नष्ट हुए वृक्षों से दो गुने वृक्ष उसी क्षेत्र में अथवा इस

प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा चुने गये अन्य क्षेत्रों में लगाने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करेगा, लाइसेंस/पट्टा की अवधि के दौरान, उनकी देखभाल करेगा तथा पूर्वेक्षण/खनन कार्यों से नष्ट हुई अन्य वनस्पतियों को सम्भावित सीमा तक बहाल करेगा। कोई भी खनन पट्टा तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक उसके साथ केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित खनन योजना (पर्यावरण प्रबंध योजना जिसका अभिन्न अंग है) संलग्न न की गई हो।

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बकाया रिक्त पद

10279. **श्री अनादिचरण दास :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए आरक्षित पदों के कोटे की पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले बकाया कोटे की भरी गई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है और सभी श्रेणियों में इस समय पिछला कोटा कितना है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा अपने सभी जोनों/क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

आप्रेशन फ्लड-III का कार्यान्वयन

10280. **डा. कृपासिंधु भोई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्रेशन फ्लड-III को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है,

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत उड़ीसा के किन-किन जिलों को सम्मिलित किया गया है, और

(ग) इस योजना से राज्य के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) कटक, ढेन्कनाल, क्योंझर और पुरी के जिले आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत शामिल किए गए हैं।

(ग) दिसम्बर, 1987 तक इस कार्यक्रम में लगभग 22565 सदस्य-उत्पादकों ने अब तक भाग लिया है।

दिल्ली के आस-पास कस्बों का विकास

10282. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के आस-पास के कस्बों का विकास करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उन कस्बों के नाम क्या हैं और उनके विकास की विस्तृत योजनायें क्या हैं; और

(ग) इस विकास के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इसमें कितना समय लगेगा।

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (ग) : काउन्टर मैगनैट क्षेत्रों के रूप में विकसित किये जाने के लिये सम्भावित नगरों का पता लगाने के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा एक अध्ययन किया जा रहा है। अपेक्षित निधियों तथा समय के विवरण तभी उपलब्ध होंगे जब काउन्टर मैगनैट कस्बों का चयन अन्तिम रूप से किया जायेगा। तथापि, काउंटर मैगनैट के रूप में शामिल करने हेतु विचारार्थ प्रस्तावित क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित नगर निर्दिष्ट किये गये हैं :—

उत्तर प्रदेश

1. बरेली/मुरादाबाद
2. साहरनपुर
3. इलाहाबाद

हरियाणा

4. अम्बाला/करनाल
5. हिसार

पंजाब

6. पटियाला
7. लुधियाना

राजस्थान

8. कोटा
9 अजमेर

मध्य प्रदेश

10. ग्वालियर

सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शनी

10283. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कितनी राष्ट्रीय प्रदर्शनियां लगाई गई,

(ख) क्या यह सच है कि प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं और संबंधित विभाग तथा शिक्षा संस्थान भी किसानों को उचित जानकारी प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरि कृष्ण शास्त्री । (क) वर्ष 1983-84 से 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय प्रदर्शनी की प्रायोजना के अन्तर्गत सरसों की खेती से संबंधित दो सौ पच्चीस प्रदर्शन किए गए।

(ख) जी, नहीं। प्रदर्शनों को आयोजित करने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण लागतों पर होने वाला खर्च जिन किसानों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं, उनके द्वारा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिल-जुल कर उठाया जाता है।

(ग) ऊपर दिए गए (ख) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों/जनजातियों गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण

10284. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या इस्पात और खान मन्त्री विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिये आरक्षण के संबंध में 22 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4257 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिये अन्तिम रूप से क्या पदोन्नति तैयार की गई है।

(ख) इस नीति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की क्या विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है, और

(ग) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अर्हता अवधि में कितनी छूट दी गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) से (ग) : विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में गैर-कार्यपालकों की पदोन्नति नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

दिल्ली में रिहायशी मकानों की कमी को दूर करने के लिए योजनाएं

10285. **डा. ए. के. पटेल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन की दिल्ली में रिहायशी मकानों की कमी को दूर करने के लिए प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं और उनकी विस्तृत रूप रेखा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में समाज के कमजोर वर्गों के लिए किये जा रहे विशेष प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मन्त्री तथा पर्यटन मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) (क) : दिल्ली विकास प्राधिकरण की 1988-89 के वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ किए गए मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :—

1. सामान्य आवास योजना, नवीन पद्धति आवास योजना और स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास निर्माण क्रियाकलाप, 1988-89 के दौरान लगभग 15000 मकानों का निर्माण आरम्भ किया जाएगा। ब्यौरे इस प्रकार है :—

स्ववित्त पोषित योजना	322
मध्यम आय वर्ग	36
निम्न आय वर्ग	30
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	14922

2000 प्लाटों में स्थल तथा सेवा—विकास, लगभग 2000 प्लाटों में कोर आवास और निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्गों सहित 5000 मकानों के लिए हुडको की सहायता प्राप्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यमान स्टाक से निम्नलिखित मामलों में मकानों को पूरा करने तथा उन्हें कब्जे के लिए उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है :—

मध्यम आय वर्ग	5876
निम्न आय वर्ग	9876
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	14008
	29760

रोहिणी में मूल भूत सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ, पपनकलां का विकास महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होगा। रोहिणी में पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंड सौंपने के लिए एक नई कार्य योजना बनाई गई है और यह वर्ष 1988-89 के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। यह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि लाभ-भोगियों को भूखंडों का कब्जा एक समयबद्ध कार्यक्रम में सौंपा जाए।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की मलिन बस्ती स्कंध ने मलिन बस्ती निवासियों के लिए रिहायशी फ्लैटों और दिल्ली के ऐसे अन्य क्षेत्रों के निवासियों के लिए पंजीकरण योजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना को प्रारम्भ करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में जिन परिवारों के पास अपना कोई रिहायशी मकान नहीं है परन्तु जो मलिन बस्ती क्षेत्रों झुग्गी झोंपड़ी पुनर्वास कालोनियों, अनधिकृत कालोनियों, झुग्गियों और शहरी गांवों में रह रहे हैं, उनके लाभार्थ पर्याप्त आवास भंडार बनाना था। आसान शर्तों/नकद आधार पर रिहायशी फ्लैट प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 27,000 व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये। लगभग 3000 फ्लैट जो पूर्ण होने की अवस्था में है, निकट भविष्य में आवंटित किए जाने की आशा है।

इस बात को मान्यता देते हुए कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आश्रय सम्बन्धी आवश्यकताएं स्वयं-सहायता के माध्यम से बखूबी पूर्ण की जाती हैं, अब गरीबों को विकसित स्थल और सेवाएं मुहैया करने का प्रस्ताव है। अपने संसाधनों के हिसाब से इंक्रिमेंटल फैशन के तौर पर वे अपने रिहायशी एकक स्वयं बना सकते हैं।

खाद्यान्नों के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन

10286. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं योजनावधि के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धनराशि का आवंटन करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां तो उक्त आवंटन कब करने का विचार है, और

(ग) विभिन्न राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) से (ग) 1988-89 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम के लिए 70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार तथा योजनावार धनराशि का आवंटन प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम 1988-89 को केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत धनराशियों का राज्यवार आवंटन प्रदर्शित करने वाला विवरण (लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम 88-89					योग
		चावल	गेहूं	मक्का	उर्वरक	ऋण	
1.	आन्ध्र प्रदेश	306.80			9.60	145.00	461.40
2.	असम	132.80			3,60	40.00	176.40
3.	बिहार	256.34	145.00	106.90	21.60	300.00	829.84
4.	गुजरात	153.25	112.45	35.20	8.40	42.00	351.30
5.	कर्नाटक	306.80			10.80	53.00	370.60
6.	हरियाणा	192.28	98.70		8.40	93.00	392.38
7.	मध्य प्रदेश	65.83	145.00	89.80	36.00	630.00	966.63
8.	महाराष्ट्र	268.76			14.40	55.00	338.16
9.	उड़ीसा	41.27			6.00	160.00	207,27
10.	पंजाब	115.31	48.75		3:60	90.00	257.66
11.	राजस्थान		173.65	106.90	16.80	130.00	427.35

12	तमिलनाडु	306.80			9.60	70.00	386.40
13	उत्तर प्रदेश	91.25	332.45	161.20	45.60	610.00	1240.50
14.	पश्चिम बंगाल	112.89			8.40	170.00	291.29
15.	त्रिपुरा	36.18					36.18
		2386.56	1056.00	500.00	202.80	2588.00	6733.46

मध्यावधि समीक्षा करने के बाद विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-गेहूं के अन्तर्गत खर्च किया जाना है 263.44

वित्त मन्त्रालय द्वारा कुल आवंटन 6096.80 या 7000.00

आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में भूख से हुई मौतों की घटनाओं की जांच हेतु समिति

[हिन्दी]

10287. श्री रामधन :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में कपास उत्पादकों द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटनाओं की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उड़ीसा में कालाहाण्डी और उसके आसपास के क्षेत्रों में समय पर सहायता न मिल पाने के कारण भूख से हुई मौतों के मामलों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में संक्षिप्त ब्योरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भूख से हुई मौतों की रिपोर्टें, समय-समय पर सरकारी तथा न्यायिक जांच करने पर सच नहीं पाई गई हैं।

टूथपेस्ट निर्माताओं द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह अंकित करना

[अनुवाद]

10288. डा. बी. एल. शैलेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ब्यूरो आफ इण्डियन स्टैंडर्ड" ने टूथपेस्ट पर कोई चिन्ह अंकित किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) आज तक कितने टूथपेस्ट निर्माताओं ने भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह अंकित करने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है; और

(घ) टूथपेस्ट, मंजन आदि फार्मूलेशन्स में आमतौर पर दांतों को चमकाने वाले कौन-कौन से प्रमुख तत्वों को मिलाने की अनुमति है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1971 में टूथपेस्ट के लिए एक भारतीय मानक आई. एस. 6356 विशिष्ट प्रकाशित की गई थी। इससे 1978 में पुनरोक्षित किया गया और 1980 में संशोधित किया गया।

इस भारतीय मानक में दो प्रकार के टूथपेस्टों अर्थात् झाग वाले तथा बिना झाग वाले का

उल्लेख किया गया है और उसमें गाढ़ेपन (कंसिस्टेंसी), समांगता, स्थायित्व, शुद्धता, जलीय निलम्बन का पी. एच. (पी. एच. आफ एक्विअस सस्पेंशन कठोर तथा तीक्ष्ण अपघर्षक कण, भारी धातुएं, झाग देने की शक्ति तथा आधान का उसमें रखी वस्तु पर प्रभाव के बारे में अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, इस मानक में सूचना के लिए उन घटकों की सूची दी गई है, जिनका टूथपेस्ट बनाने में पारस्परिक तोर पर इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) टूथपेस्ट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन योजना स्वैच्छिक है। भारतीय मानक ब्यूरो ने ब्यूरो के मानक चिह्न के प्रयोग के लिए लाइसेंस देने हेतु दो आवेदनों को रजिस्टर किया था और क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की जा सकी, अतः इन आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की गई। औषध और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 1982 (संदर्भ 26 जुलाई, 1982 का सा. का. नि. 510 (अ) के अनुसार औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में प्रसाधन सामग्री के लिए मानकों की एक नई अनुसूची "एस" शामिल की गई है। इस अनुसूची में, तैयारशुदा प्रसाधन सामग्री के लिए, टूथपेस्ट सहित ग्यारह मदों के बारे में मानक दिये गए हैं और इन सभी प्रसाधन सामग्रियों का भारतीय मानकों की विशिष्टयां, जिन्हें भारतीय मानक संस्था (अब भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, के अनुरूप होना आवश्यक है। इस प्रकार औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त संगठनों द्वारा विनिर्मित टूथपेस्ट के सम्बन्धित भारतीय मानक विशिष्टि के अनुरूप होने की उम्मीद की जाती है।

(घ) टूथपेस्ट में आमतौर पर चमकाने वाले जिन प्रमुख तत्वों, जो जानकारी के लिए आई. एस. 6356-1978 में दिये गए हैं, का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं:—

(क) प्रिसिपिटेटिड कैल्शियम कार्बोनेट;

(ख) मेगनेशियम कार्बोनेट

(ग) डीकैल्शियम फास्फेट

(घ) इनसोल्यूबिल सोडियम मेटाफास्फेट, और

(ङ) हाइड्रेटिड एल्यूमिना।

आपरेशन फ्लड के सम्बन्ध में "यूरोपीय आर्थिक समुदाय की लेखा-परीक्षा-रिपोर्ट

श्री वी. आर. एस वेंकटेशन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपरेशन फ्लड के सम्बन्ध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की ताजा लेखापरीक्षा रिपोर्ट देखी है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कार्यवाही की गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु को सेला चावल की सप्लाई

10289-क. श्री एम डेनिस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के कुछ जिलों में सेला चावल खाने वालों की मांग पूरी करने के लिए सेला चावल सप्लाई करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी. एल. बैठा) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम का स्टाक की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राज्य सरकारों की चावल की किस्मवार तरजीह को यथा संभव पूरा करने का प्रयास रहता है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन. वी. एन. सोमू (मद्रास उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, जबकि संसद का सत्र चल रहा है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने एक वित्तीय मामले की घोषणा की है एक नीति विषयक मामला···

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमू, मेरी बात सुनिये···।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें यही बात तो बता रहा हूं। श्री सोमू, मुझे आपका प्रस्ताव काफी देर से प्राप्त हुआ···।

श्री एन. वी. एन. सोमू : स्थगन प्रस्ताव की सूचना।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव देरी से आया हुआ है। 11 बजे म. पू. के बाद। दूसरे, आपने मुझे कोई और प्रस्ताव भी दिया है। मुझे यह पता लगाना होगा कि इसके क्या परिणाम होंगे।

श्री एन. वी. एन. सोमू : यद्यपि करों में जो राहतें घोषित की गई हैं मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, फिर भी इससे संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई और प्रस्ताव दीजिए। मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो. के के. तिवारी (बक्सर) महोदय, मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है···।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात हो गई ?

प्रो. के. के. तिवारी : बात पंजाब और हरियाणा में लगातार हो रहे नरसंहार के बारे में है। आपको याद होगा कि पंजाब में श्री दरबारा सिंह के नेतृत्व वाली हमारी सरकार को छः या

सात हत्याओं के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। अब इन हत्याओं का सिलसिला वास्तव में बहुत आगे बढ़ गया है जो हरियाणा तक पहुंच गया है और यह तीसरी घटना है··· । (व्यवधान)

केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि इसके सभी पड़ौसी राज्यों में भी इस बढ़ते हुए आतंकवाद को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करने की आवश्यकता है। देश के अन्य भागों में भी आतंकवाद को फैलाने की एक योजना है, एक जाल है। अतएव, हम सरकार की ओर से एक वक्तव्य चाहते हैं। यह एक सामान्य स्थिति नहीं है। यह देश के अस्तित्व के लिए भी खतरा है। (व्यवधान)। ये लोग इसे एक पक्षीय मामला बनाने के आदी हैं। हम इसे एक पक्षीय मामला नहीं बनाते हैं। यह केवल आतंक है जिसे अब फैलाया जा रहा है। अतएव, सरकार को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : वह (श्री तिवारी) प्रतिदिन किसी न किसी राज्य सरकार पर हमला करने के लिए संसद के मंच का इस्तेमाल करते रहते हैं। आपको इस पर हमेशा के लिए रोक लगा देनी आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : ऐसी बातों से टैरोरिस्ट्स की हौसला-अफजाई होती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : हरियाणा में पूर्ण रूप से हार जाने के बाद वे हरियाणा सरकार को बर्खास्त करना चाहते हैं···।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : करना है तो पंजाब के गवर्नर को डिसमिस कीजिए, उसके बाद हरियाणा की बात लीजिए।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : क्या राज्य सरकारें केन्द्र की निजी सम्पत्ति हैं ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे हैं। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, घबराते क्यों हैं। आप तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : प्रतिदिन वह किसी न किसी राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए संसद का उपयोग करते हैं और इसके लिए उन्हें प्रसिद्धि मिल जाती है।

प्रो. के. के. तिवारी : वे ही इसे एक पक्षीय मामला बना रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। मैं बोल रहा हूँ। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए. आप लोग। आप कोई सुनते नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। आप कोई नहीं सुनते हैं। आप क्या कर रहे हैं, बैठिए।

[अनुवाद]

हमारा एक संविधान है और संवैधानिक उपबन्धों के बिना आप कुछ नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात में व्यवधान मत डालिए। हमारा एक संविधान है और संविधान के अन्तर्गत आप काम कर रहे हैं। श्री तिवारी जी भी अथवा आप कुछ भी कह सकते हैं परन्तु संवैधानिक उपबन्धों के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकता हूं और मैं सहमत हूँ कि इस बात में पूरी सभा मेरे साथ है, कि वहां जो जितनी हत्याएं हुई हैं, यह बहुत ज्यादा है और हम सबको उस समस्या के बारे में कुछ प्रयास करना आवश्यक है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं। श्री भजन लाल।

12.06 म. प.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक तथा ऋण सोसायटी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा समीक्षा, आदि

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक तथा ऋण सोसायटी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक तथा ऋण सोसायटी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक तथा ऋण सोसायटी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6119/88]

खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1988

इस्पात और खान मंत्रालय इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्री एम. एल. फोतेदार की ओर से खान और खनिज विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1988 जो 13 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 449(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 6120/88]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) संशोधन विनियम, 1988

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भर्ती) संशोधन विनियम, 1988 जो 13 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-12/11/10/83-स्था० 1 (ए) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल टी 6121/88

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत की आवासीय योजनाओं के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1927 के 7 मार्च, 1988 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

शहरी विकास मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं श्री दलबीर सिंह की ओर से (एक) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत की आवासीय योजनाओं के बारे में श्री जगन्नाथ पटनायक, संसद सदस्य, के अतारांकित प्रश्न संख्या 1927 के 7 मार्च, 1988 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 6122/88]

कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड बंगलौर के वर्ष 1985-86 तथा गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड अहमदाबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण समीक्षा, आदि

कृषि मंत्रालय में कृषि तथा सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1985-86 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6123/88[

(ख) (एक) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6124/88

(ग) (एक) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(द) मध्य प्रदेश राज्य डेरी विकास निगम का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 6125/88]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6123 से 6125/88]

(3) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेट, जयपुर के वर्ष 1980-81 तथा बाद के वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखे को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6126/88]

(4) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1984-85 तथा बाद के वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखे को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6127/88]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री नटवर सिंह।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। मैंने किसी भी व्यक्ति को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक विवरण पढ़ा जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। विदेश मंत्री के अलावा किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

12.08 म. प.

अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 'प्रभारित व्यय' करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि में से 1.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि निकलने के बारे में वक्तव्य

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. नटवर सिंह) : भारत के उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल द्वारा क्रमशः करम सिंह बनाम भारत संघ तथा पी. एन. टंडन बनाम भारत संघ के दो मामलों में दिए गए एक जैसे निर्णयों के बाद 83 अतिरिक्त पदों के सृजन तथा 272 पदों का दर्जा बढ़ाने के लिए विदेश मन्त्रालय को "प्रभारित शीर्ष" के अन्तर्गत 1.80 करोड़ रु. की तत्काल आवश्यकता है। ये दोनों ही मामले पदोन्नत सहायकों की वरीयता सूची में संशोधन तथा उन्हें पिछली तारीख से पदोन्नति देने से संबंधित हैं। उक्त पहला मामला उच्चतम न्यायालय में 1980 में दायर किया गया था और इसका फैसला 11.12.1987 को दिया गया है। "पी. एन. टंडन बनाम भारत संघ" का दूसरा मामला पहले उच्च न्यायालय में 1974 में दायर किया गया था तथा इसे बाद में 1985 में केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्युनल को स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मामले में फैसला 12.2 1988 को दिया गया और इसे 3 महीने के भीतर (यानी 11.5.1988 तक) क्रियान्वित किया जाना है। इन दोनों ही मामलों में न्यायालयों ने फैसला दिया है कि वरीयता सूची में संशोधन किया जाए और इस प्रकार पदोन्नत सहायकों को पूर्ववर्ती तारीख से पदोन्नति प्रदान की जाए। न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि विरोधात्मक वरीयता सूची के आधार पर जिन कर्मचारियों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है उन्हें प्रत्यावर्तित न किया जाए और अतिरिक्त पदों का सृजन करके उन्हें बरकरार रखा जाए। इन फैसलों को क्रियान्वित करने के लिए तथा वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अनुमानित 1.80 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। चूंकि यह निर्णय बजट के बाद लिया गया है और "प्रभारित शीर्ष" के अन्तर्गत कोई धन उपलब्ध नहीं है अतः यह फैसला किया गया है कि भारत की आकस्मिक निधि से यह अग्रिम निकाला जाए जिसका समायोजन 1988-89 में प्रथम बैच में अनुपूरक मांगों को प्राप्त करके किया जाएगा।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर : बांगला देश की संसद में ढाका स्थित भारतीय उद्योग को बन्द करने की मांग की गई है। बांगला देश के राष्ट्रपति ने भारत सरकार पर चकमा जाति को हथियार देने तथा हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार सदन का समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आपको मेरी अनुमति लेनी होगी ।

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय आप मुझे अनुमति क्यों नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको नियमों के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव पर ही अनुमति दे सकता हूँ। इस तरह नहीं। श्री तिवारी आपके पास नियम प्रस्तक है, आपको नियमों के अनुसार काम करना चाहिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं ।

———

12.11 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(एक) फारबिसगंज के निकट कोसी नदी पर एक पुल का निर्माण करना

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सन् 1962 के चीन आक्रमण के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों को शेष भारत से जोड़ने के लिए सीमावर्ती सड़कों तथा जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण शुरू किया था, परन्तु दुर्भाग्यवश यह काम बीच ही में रोक दिया गया।

सड़क सिर्फ दरभंगा तक ही बनी तथा नेपाल की तरफ सिर्फ फारबिसगंज तक बन सकी। सड़क को पूरा करने के लिए फारबिसगंज के निकट कोसी नदी पर एक पुल बनाना जरूरी है। यह काम

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सिर्फ केन्द्र द्वारा ही किया जा सकता है। भारतीय क्षेत्र में कोसी नदी पर कोई पुल नहीं है। लोगों को नेपाल बराज पर जाने में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इसलिए यह अनुरोध है कि केन्द्र सरकार शीघ्र इस परियोजना को पूरा करे।

(दो) दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को लागू करना

श्री विजय एन. पाटिल (इरन्दोल) : दिल्ली वायु-प्रदूषण के भयंकर शिकंजे में है। दिल्ली के वातावरण के प्रमुख प्रदूषक ताप ऊर्जा संयंत्र हैं। जो वातावरण में घना काला धुंआ छोड़ते हैं। उद्योग से निकलने वाले रासायनिक प्रदूषक तत्व तथा वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले सत्सर्जक पदार्थ हैं। वातावरण में प्रदूषक-तत्वों का स्तर सभी सुरक्षा-सीमाओं को पार कर गया है। तथा यह धुंआ-कोहरा के रूप में दिखायी देता है। दिल्ली में आधे से अधिक वायु-प्रदूषण बड़ी संख्या में भारी मात्रा में वाहनों द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन-मोनो-आक्साइड, हाइड्रो-कार्बन सल्फर डायआक्साइड इत्यादि के कारण है। दिल्ली में रसायन उद्योगों तथा प्लास्टिक उद्योगों सहित 15000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं।

कैंसर तथा अन्य छूत की बीमारियों की अत्याधिक वृद्धि से दिल्ली में वायुमण्डलीय गंभीर स्वस्थ्य सम्बन्धी समस्यायें पैदा कर रहा है। प्रदूषण के सम्बन्ध में निवारक कार्रवाही की तत्काल जरूरत है। उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी समुचित उपकरण उपलब्ध करके कठोर कार्रवाही की जानी चाहिए। खतरनाक उद्योगों को दिल्ली से हटाने की तत्काल जरुरत है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

(तीन) सिंचाई प्रयोजनों के लिए नहरों का निर्माण करने हेतु उड़ीसा सरकार को धनराशि प्रदान करना

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उड़ीसा में चालू किए जाने की लम्बी प्रक्रिया में फंसी हुई रेंगाली, अपर कोलाब तथा अपर इन्द्रावती जैसी कुछ बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजनाओं को विद्युत उत्पादन की स्थिति में ले आया गया है। बांधों में पानी भर दिया गया तथा वह पानी बड़ी सिंचाई के लिए उपलब्ध है। लेकिन इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि इस कार्य के लिए जरुरी नहर प्रणालियों की अभी तक व्यवस्था नहीं की गयी है। प्रतिवर्ष बढ़ती हुई लागतों के कारण नहरों के निर्माण के लिए निधियों की बड़ी जरूरत है। नहर निर्माण के अनुमान भी बढ़ रहे हैं तथा जब तक इन परियोजनाओं के लिए योजनाओं की सहायतार्थ आवंटित रकमों से बाहर विदेशी सहायता अथवा केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जाती। तब तक इस पानी को कृषि के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। ये परियोजनाएं राष्ट्रीय परिसम्पित्तयां हैं एकत्र किए गए पानी की बरबादी वास्तव में राष्ट्र की बरबादी है। यदि इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सकता तो आधे मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकेगी जिसका अर्थ एक मिलियन टन से अधिक अनाज का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

(चार) मध्य प्रदेश में एक पर्यटक काम्पलेक्स विकसित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करना

[हिन्दी]

श्री के. एन. प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, 1986 में पश्चिमी क्षेत्रीय पर्यटन विकास समिति की बैठक में तत्कालीन पर्यटन मंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख

पर्यटन केन्द्र विकास की योजना बनाई जाए। जिसमें केन्द्र सरकार अधिकांश व्यय वहन करेगी परन्तु उसके बाद से केन्द्र की ओर से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और एक सुन्दर योजना केवल घोषणा मात्र हो कर रह गई।

इसलिए वर्तमान पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध है कि वह उक्त योजना को अमली जामा पहनाएं जिससे कि सभी राज्यों में एक-एक पर्यटन काम्पलैक्स विकसित हो सके। मध्य प्रदेश में भी भोपाल-उदयगिरी-सांची-रायसेन-भीमबेटिका-सलकनपुर काम्पलेक्स को विकसित किया जाए।

भोपाल के देश के प्रसिद्ध ताल, प्राकृतिक सौन्दर्य की विश्व विख्यात ताजुल मस्जिद, सांची के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, उदयगिरी आकर्षक गुफायें, रायसेन का गोंड राजाओं के जमाने का किला, भीमबेटिका की गुफाओं की चित्रकारी और सलकनपुर का देवी जी का दूर-दूर तक प्रसिद्ध मन्दिर देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र रहे हैं। परन्तु वहां हर प्रकार की सुविधाओं का नितांत अभाव रहा है।

आशा है इस पर्यटन का काम्पलेक्स के लिए केन्द्र शीघ्र ही धन की समुचित व्यवस्था करेगा।

(पांच) "बालको" द्वारा सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन देना

डा. प्रभात कुमार मिश्र (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एस. ई. सी. एल., बालको, एन. टी. पी. सी., आई. बी. पी. इत्यादि बहुत से सार्वजनिक उपक्रम हैं। वहां दो सीमेंट फैक्ट्री एवं दो पेपर मिलें भी स्थापित हैं। इन सब उपक्रमों के लिए वहां के लोगों की जमीनें अधिग्रहित की जाती हैं एवं मुआवजे का प्रकरण भी काफी दिनों तक लंबित पड़ा रहता है। जैसाकि बोगो बांध के अन्तर्गत हो रहा है। इन कारखानों पर आधारित, इनकी जरूरत के मुताबिक लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि वे सहायक उद्योग (एन्सीलरीज) लगावें। पिछले कई वर्षों से कोरबा बालको में लोगों ने जरूरत के अनुसार बैंक से लाखों रुपया लोन ले कर एन्सीलरीज इन्डस्ट्रीज लगायी है। परन्तु वहां के अधिकारीगण के रवैये के कारण उद्योगपति अपना कार्य सुचारू रुप से नहीं कर पाते। परिणामतः उद्योग बन्द हो जाते हैं। उन्हें बैंकों का ब्याज अधिक देना पड़ता है तथा वहां के मजदूरों को काम मिलना बन्द हो जाता है। इधर तो सरकार उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है और उधर मेनेजमेंट हतोत्साहित करते जाते हैं। इस अवस्था में उद्योगपतियों को अपने प्रकरणों का निपटारा करने के लिए बार-बार दिल्ली कोर्टों में जाना पड़ता है।

मैं इस नियम के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिल्ली स्थित बालको के सी. एम. डी. को निर्देश दिये जाएं कि इन समस्याओं को जो कि सरलता से निपट सकती है, उन्हें गंभीरतापूर्वक लेकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जन-प्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दें। मैं इस्पात और खान मन्त्री से विशेष आग्रह करूंगा कि कोरबा बालको की इन अनियमितताओं पर विशेष ध्यान दें।

(छः) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खलीलाबाद स्थित चीनी मिल के प्रबन्धकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को बकाया धनराशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना

[अनुवाद]

डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : यह पता चला है कि खलीलाबाद, जिला बस्ती

(उ. प्र.) स्थित चीनी मिल लगातार घाटा होने के कारण बन्द की जा रही है। इस मिल के प्रबन्धकों द्वारा गन्ना उत्पादकों को अभी लगभग 50 लाख रु. का भुगतान किया जाना शेष है। इस लिए मैं केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूँ कि मिल के प्रबन्धकों द्वारा किसानों की बकाया धनराशि का भुगतान किया जाए तथा इस मिल को बन्द नहीं किया जाए।

(सात) काकीनाडा स्थित कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदलना

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : काकीनाडा में तथा इसके आस-पास रहने वाले लोग दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने से वंचित हैं क्योंकि श्रीलंका के कार्यक्रम न केवल दूरदर्शन पर छा जाते हैं बल्कि काकीनाडा के कार्यक्रमों को धुन्धला कर देते हैं। काकीनाडा में टी. वी. के स्क्रीन पर चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते तथा आवाज सुनाई नहीं देती। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि काकीनाडा नगर समुद्र से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म तरंगों की पहुंच के अन्तर्गत स्थित तटीय नगर है।

हैदराबाद में यह घोषणा की गयी थी कि कुछ कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदला जाएगा। अतः, मैं यह अनुरोध करता हूं कि काकीनाडा स्थित कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहा है, को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदल दिया जाए।

(आठ) भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय के कार्यों का विकेन्द्रीकरण न करने की मांग

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : बैंकों के लेनदेन कार्यों का इस आधार पर कि विदेश विभाग कलकत्ता का बंगाल से बाहर से मुख्य केन्द्रों से दूरसंचार सम्पर्क कायम रखने में कठिनाई के कारण इनके विकेन्द्रीकरण करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई के अन्तर्ष्ट्रीय प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय ने निर्णय लिया है जिसके फलस्वरूप बैंक के विदेशी मुद्रा व्यापार और देश तथा विदेश के बैंकों की दृढ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने हेतु और निश्चित प्रतिस्पर्धा तक विदेशी मुद्रा विनियम दरें कोट करने में बाधायें उत्पन्न हुई हैं।

लेकिन वास्तवकता तो यह है कि पिछले कई महीनों के दौरान ऐसी शाखाएं भी संचार व्यवस्था में पर्याप्त सुधार से प्रतिदिन या तो टेलेक्स द्वारा या टेलीफोन द्वारा विदेशी विभाग में पहुंच सकती है विदेशी विभाग हैदराबाद, नई दिल्ली, मद्रास तथा बम्बई के कार्यालयों के साथ हाट लाइनें भी बनाये रखता है। इन केन्द्रों पर स्थित शाखाएं शीघ्रता से और दिन को प्रायः कई बार विदेशी विभाग तक पहुंच सकती हैं। वस्तुतः, अभी हाल के दिनों में संचार में व्यापक सुधार होने के कारण तेल भवन जैसी शाखाएं भी या तो टेलेक्स के माध्यम से या फिर दूरभाष के माध्यम से प्रतिदिन विदेशी विभाग तक पहुंच सकती है। अतः भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकारियों के प्राधिकारियों का संचार की कठिनाइयों के सम्बन्धी तर्क का कोई आधार नहीं है। चूंकि राष्ट्रीकृत बैंकों जिनमें उनके व्यापार बढ़ाने वाले बैंक शामिल हैं में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। अतः शीघ्र तथा दक्ष सेवाएं देने के लिए तन्त्र को तेज करने की जरुरत है ताकि किसी स्वीकार्य लाभप्रद व्यापार में बैंक पीछे न रह जाये।

अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि बैंक के कार्य व्यवहार के विकेन्द्रीकरण के प्रस्ताव को छोड़ दें तथा इसके कार्यों को भारतीय स्टेट बैंक विदेशी विभाग कलकत्ता से संचालित करें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करना चाहती थी कि आज की कार्यसूची में नियम 193 के अन्तर्गत हुई चर्चा 3 बजे की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि सदन इसे स्वीकार कर लेगी।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां,

12.22 बजे

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं।

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 तथा भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 में फैक्टरियों तथा अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के आवश्यक भविष्य निधि परिवार पेंशन तथा बीमा निधि जमाराशि के बारे में प्रावधान है ये योजनाएं कर्मचारियों के लिए उनके बुढ़ापे में तथा उनके परिवारों के लिए तथा उनका असामयिक मृत्यु के समय पर उनके आश्रितों के लिए आय की सुरक्षा के मुख्य साधन हैं। हमारी भविष्य निधि योजना विश्व में बड़ी योजनाओं में सबसे बड़ी है, यदि यह सबसे बड़ी नहीं है तो यह बीमा व्याप्ति तथा दिये जाने वाले लाभों की दृष्टि से सबसे बड़ी है। यह योजना अधिकांशतः 20 तथा इससे अधिक व्यक्तियों को जो औद्योगिक तथा अन्य प्रतिष्ठानों में लगे हैं को कवर करती है। 30.9.1987 को इसके अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की कुल संख्या लगभग 170 लाख थी, जबकि अंशदाताओं की संख्या 1.41 करोड़ थी। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का मुख्य प्रयास इसके विस्तार को बढ़ाना, लाभों को बढ़ाना तथा अंशदाताओं को शीघ्र सेवा प्रदान करना रहा है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये सरकार ने अप्रैल, 1980 में भविष्य निधि अंशदान के बढ़ते हुये बकाया की समस्या के विशेष संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्य की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति से यह भी अपेक्षा की गई थी कि यह वर्तमान दंडात्मक उपबन्धों की पर्याप्ता का अध्ययन करे और आवश्यक संशोधनों का सुझाव दे। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशें की जिनमें अधिनियम संशोधन भी शामिल हैं। ई. पी. निधि के न्यासी केंद्रीय बोर्ड ने भी समय-समय पर अधिनियम संशोधन के लिए कतिपय सिफारिशें की। इन सिफारिशों पर विचार किया गया है और अब ई. पी. एफ. अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

कर्मचारियों के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन भविष्य निधि अंशदान की दर में वृद्धि है इस समय अधिनियम की धारा छः में मूलवेतन तथा महँगाई भत्ते के सवा छः प्रतिशत की दर पर अंशदान को भुगतान का प्रावधान है। तथापि अंशदान की दर को 8 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक समर्थक प्रावधान है इस प्रावधान के अन्तर्गत 132 उद्योगों प्रतिष्ठानों के क्षेत्रियों में लगे पचास अथवा अधिक व्यक्तियों के सम्बन्ध में अन्शदान की दर पहले ही आठ प्रतिशत बढ़ा दी गई है। अंशदाताओं के सम्बन्ध में इन प्रतिष्ठानों में निधि में कुल अंशदाताओं की संख्या 68 प्रतिशत बैठती है। शेष 32 प्रतिशत अंशदाता $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से अन्शदान कर रहे हैं।

अंशदान की दर में उचित बढ़ोतरी के लिए मजदूर संघों द्वारा मांग की जा रही है। स्थाई श्रम समिति, जोकि एक त्रिपक्षीय निकाय है, ने सितम्बर 1986 में हुई अपनी बैठक में इस मामले पर विचार किया और समिति ने सर्व सम्मति से अंशदान की दर में $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत और दूसरी सीमा में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की थी। तदनुसार अंशदान की दर में वृद्धि करने के लिए उचित उपबन्ध का प्रस्ताव किया गया है।

चिन्ता का दूसरा मुख्य क्षेत्र भविष्य निधि अंशदान में बढ़ती हुई बकाया राशि का है। कर्मचारियों की बड़ी संख्या से अंशदान इकट्ठा किया जाता है और उनमे से कुछ कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान अथवा उनका अपना हिस्से का भुगतान न करने के दोषी हैं। वस्तुतः सरकार इन अंशदानों की अदायगी के दोषियों के विषय में अधिक चिन्तित है, जो यद्यपि संचालित निधियों की कुल मात्रा की तुलना में कम है और चिन्ता में वृद्धि करने के लिए अधिक है। कभी कभी यह चूक आर्थिक कारणों से होती है। लेकिन सभी चूकें इन्हीं कारणों से नहीं हो सकती। और कुछ मामलों में जानबूझ कर की गई चूकों को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कारण कुछ भी हो किसी नियोक्ता द्वारा अंशदान में की गई अदायगी की चूक का कामगारों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब कभी किसी कामगार को अग्रिम अदायगी अथवा उसकी बकाया राशि का भुगतान किया जाता है और धन उपलब्ध नहीं होता है तो कामगार भावी सुरक्षा से वंचित रह जाता है, जबकि उसे इसकी अत्यधिक आवश्यकता होती है। 30-9-1987 का कर्मचारी भविष्य निधि के बकाया की कुल धनराशि (जिसमें छूट दिए गए प्रतिष्ठानों के मामले में बकाया धनराशि भी शामिल है) लगभग 185 करोड़ रुपए बैठती थी। कर्मचारी भविष्य निधि के प्राधिकारी बकाया धनराशि की वसूली के लिए सभी कानूनी तथा दाण्डिक कार्यवाही कर रहे हैं परन्तु अभी भी बकाया धनराशि धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि

(एक) भविष्य निधि की बकाया धनराशि की वसूली करने के लिए आयकर विभाग के वसूली तंत्र की तरह का एक स्वतन्त्र वसूली तन्त्र स्थापित किया जाय।

(दो) अब छूट न दिए गए प्रतिष्ठान के लिए से लागू, छूट दिए गए ऐसे प्रतिष्ठानों के लिए लागू, जो अपनी ओर से दोषी हों, (इस समय छूट दिए गए प्रतिष्ठानों की ओर भारी धनराशि बकाया है जिसे वसूल करना मुश्किल है) सभी उपबन्ध करने के लिए अधिनियम में एक उपयुक्त उपबन्ध किया जाए; और

(तीन) अधिनियम में विभिन्न दाण्डिक उपबन्धों को और सख्त बनाया जाए।

अधिनियम के लागू होने, बकाया धनराशि का आकलन करने तथा हरजानों की उगाही के

मामले में कर्मचारी भविष्य निधि के प्राधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में इस समय कोई विशिष्ट उपबन्ध नहीं है। अतः कर्मचारी आमतौर पर मामले को न्यायालयों तक ले जाते हैं और मामले कई वर्षों तक लम्बित पड़े रहते हैं। अतः अब यह प्रस्ताव किया गया है कि भविष्य निधि के प्राधिकारियों के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक या एक से अधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने के लिए अधिनियम में एक विशिष्ट उपबन्ध किया जाए। न्यायाधिकरणों में अपीलें केवल इसी शर्त पर दायर की जा सकेंगी कि भविष्य निधि के प्राधिकारियों के दावों की धनराशि का 75 प्रतिशत जमा हो। किन्तु. न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ कोई अपील स्वीकार नहीं होगी।

भविष्य निधि योजना के प्रशासन का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्वायत्तता से सम्बन्धित है जो अधिकांशतता अपने लिए निधि की व्यवस्था खुद करती है। कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड के सदस्य, विशेष रूप से नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि पर्याप्त स्वायत्तता तथा बोर्ड के स्वतन्त्र कार्य के लिए वकालत कर रहे हैं। योजना में अंशदान देने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा संचालित निधियों की काफी धनराशि पर विचार करते हुए सरकारी नियंत्रण सम्बन्धी किए गए कतिपय उपाय अपरिहार्य प्रतीत होते हैं। संगठन पर सरकार के कठोर नियन्त्रण से कामगारों के हितों तथा उनकी निधियों को सुरक्षित रखते हुए पहल को दबाया जा सकता है और सेवा पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः सुरक्षा तथा सेवा की मांगों के बीच एक संकलन पर पहुँचने की आवश्यकता है : सरकार ने इस पहलू पर ध्यान पूर्वक विचार किया है और अब यह प्रस्ताव किया गया है कि पदों के सृजन अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति. अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों से सम्बन्धित सरकारी नियमों के लागू होने के मामले में बोर्ड को अधिक शक्तियां सौंपी जाएं। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि बोर्ड में नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संख्या में प्रत्येक में से 10 की वृद्धि की जाये ताकि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जा सके।

कर्मचारी भविष्य निधि समीक्षा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि 100 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि के खाते रखने की अनुमति दी जाए ताकि अंशधारियों को तुरन्त सेवा प्रदान की जा सके। उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्र/राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने वाले विभागीय उपक्रमों, जिनके कर्मचारी उन्हें शासित करने वाले नियमों/विनियमों के अन्तर्गत पहले ही अंशदायी भविष्य निधि अथवा पेंशन का लाभ पाने के हकदार हैं, को अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सकता है। इस विचार के पीछे यही आशय था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनके कर्मचारी किसी अन्य कानून अथवा योजना के अन्तर्गत भविष्य निधि अथवा पेन्शन पाने के हकदार नहीं हैं, को अपने अन्तर्गत लाने पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकेगा।

यह प्रस्ताव किया गया है कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध प्रस्तावित अत्यधिक महत्वपूर्ण संशोधनों में से ही हैं।

मैं आशा करता हूं कि सदस्य इन प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश... ..

"कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 तथा भारतीय दण्ड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई. अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। हम मुख्य बातों से सहमत हैं जिनका विधेयक के विषय और कारणों के विवरण में वर्णन किया गया है। लेकिन हमारे पास इस अधिनियम के कार्यों और क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अधिक आंकड़े नहीं हैं। यह बताया गया है कि लगभग 1.66 लाख प्रतिष्ठान इसके अन्तर्गत लाये जा चुके हैं और इस अधिनियम के अन्तर्गत 1.88 करोड़ अंशदाता भी लाये जा चुके हैं। लेकिन वित्तीय आंकड़ों के बारे में हमें प्रतिवर्ष एकत्र राशि प्रतिवर्ष भुगतान की गई राशि तथा न्यासी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा शुरू की गई योजनाओं और न्यासी केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा लगाई गई राशि तथा न्यासी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निवेशों पर प्राप्त लाभ के सम्बन्ध में सूचना नहीं भेजी गई है।

अभी-अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि प्रतिष्ठानों से अंशदान अथवा चन्दे का बकाया 185 करोड़ रुपया है यह बात चौंकाने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है और बकाया राशि बढ़ रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रतिष्ठानों ने 185 करोड़ के लगभग अंशदान एकत्र कर लिया है और इसकी और अधिक बढ़ाने की सम्भावना है क्योंकि रुग्ण उद्योगों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। हमारे उद्योगों के असफल होने अथवा रुग्ण उद्योगों में वृद्धि होने के अनेक कारण हैं। लेकिन इस अधिनियम का क्रियान्वयन नियमित रूप से नहीं हो रहा है और अनेक आर्थिक समस्याओं तथा मुद्दों जिनका सामना अनेक प्रतिष्ठान कर रहे हैं, के कारण स्थिर नहीं रहा है। हमारे छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों की वृद्धि में कोई स्थिरता नहीं आई है और यही कारण है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कोई स्थिरता नही है। हमें इस अधिनियम में स्थिरता तथा दक्षता प्राप्त करनी है क्योंकि यह एक सामाजिक सुरक्षा के एक प्रशंसनीय लक्ष्य को पूरा करता है। एक कल्याणकारी राज्य में ऐसी योजनाओं को बड़ी दक्षता से कार्यान्वित करना पड़ता है ताकि कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति के समय पर्याप्त राशि दी जा सके। मुझे खुशी है कि अंशदान की प्रतिशतताओं में वृद्धि हुई है। यह पहले सवा छः प्रतिशत थी और अब आप इसे 8⅓ प्रतिशत कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कर्मचारियों को भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। इसका असली कारण रुपये का गिरता मूल्य है। आज बचाए गये एक रुपये की 10 वर्ष बाद कोई कीमत नहीं होगी।

श्री जगदीश टाइटलर : एक रुपया चार गुना हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, क्या यह सही नहीं है ?

श्री जगदीश टाइटलर : आप इसे सावधि जमा राशि में डाल दें।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : यह सावधि जमा का प्रश्न नहीं है जहां तक कर्मचारी का सम्बन्ध है, इसके लिए क्या प्रोत्साहन है। उसके लिए यह प्रोत्साहन होना चाहिए कि उसे उसकी कीमत मिलनी चाहिए। मैं श्रम विभाग को दोषी नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि सामान्य आर्थिक स्थिति इस प्रकार की है कि मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति और रुपये का अवमूलन उन लोगों को प्रभावित कर रहे हैं जो बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे व्यक्ति जो वास्तविक सम्पत्ति सोना

और दूसरी चीजों में निवेश कर रहे हैं, धनी बनाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो कि एक कस्बे या एक नगरपालिका या एक शहर में कुछ अर्थात दो या तीन प्लाट खरीदता है, तो उसकी सम्पत्ति की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाता है लेकिन एक कर्मचारी जोकि सभी चीजों को मिलाकर मुल वेतन का $8\frac{1}{3}\%$ अंशदान कर रहा है तो उसके द्वारा किया गया अंशदान अन्त में जब उसे 10 या 15 या 20 वर्ष बाद भुगतान किया जाता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। यह एक कटु सत्य है। ये जीवन और भारतीय अर्थव्यवस्था के तथ्य हैं। हम इन पर काबू नहीं पा सकते। अतः मेरा यह सुझाव है कि इस भविष्य निधि में अंशदान के दृष्टिकोण का हमारे आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिये, विशेषतः उनके द्वारा जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है और उन्हें यह सुझाव देना चाहिए कि एक कर्मचारी के द्वारा बचत की गयी रकम की कीमत न हो अथवा उसने जो रुपया आज बचाया है और न्यासियों के बोर्ड की निधि में निवेश किया है वह खण्ड 5 के अन्तर्गत बेकार हो जाता है अतः इस समस्या का अध्ययन करने की जरूरत है।

मूल अधिनियम में केन्द्र सरकार को जीवन बीमा के विषय में कार्यवाही करने के बारे में प्रावधान है। अन्ततः जीवन बीमा और कुछ ऐसे प्रावधान भी किये जाने चाहिये ताकि कर्मचारी $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत अंशदान के लिए प्रोत्साहित हो सके अथवा स्वेच्छा से $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक अंशदान करने के लिए तैयार हो। अतः कई सुझावों में से मैं उस एक सुझाव को भी देना चाहूंगा।

अब एक अन्य पहलू के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा अर्थात् केन्द्रीय बोर्ड ने बोर्ड में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया है। यह बात बिल्कुल स्वागत योग्य है। आपने इसे 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया है।

आपने दोनों ओर समानता रखी है लेकिन कठिनाई सम्भवतः यह है कि प्रतिनिधित्व नामांकन के माध्यम से है और यदि आप कहते हैं कि 1.66 लाख प्रतिष्ठानों में से केवल 10 प्रतिशत को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हो तो हमारे विचार में यह सभी किस्मों के प्रतिष्ठानों को 'कवर' नहीं कर सकेगा क्योंकि सूची I में ही लगभग 180 किस्म के उद्योग हैं। अतः यह दस प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने पर क्षेत्रों तथा कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों तथा वर्गों तथा उद्योगों को 'कवर' करने के लिए किसी चक्र क्रमयुक्त प्रणाली की जरूरत होगी। यह बात ध्यान में रखी जाये और प्रत्यायोजित विधान में व्यवस्था की जाये।

केन्द्रीय बोर्ड की सहायता कार्यकारी समिति द्वारा की जा रही है यह भी एक स्वागत योग्य पहलु है। परन्तु इस कार्यकारी समिति के गठन में सरकार का अधिक बोलबाला होगा और इसकी सबसे अधिक जिम्मेदारी होगी क्योंकि इस अधिनियम के कुशल क्रियान्वयन के लिए आखिरकार केन्द्रीय बोर्ड और कार्यकारी समिति का कार्यकरण ही जिम्मेवार होगा।

फिर महोदय, एक अपीलीय, न्यायाधिकरण एक सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का एक नया प्रावधान है। यहां मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पहलू पर मेरी आलोचना को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें क्योंकि इस पहलू में एक कानूनी समस्या है। अब आप एक अपीलीय न्यायकरण गठित करना चाहते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण से सम्बद्ध खण्ड धारा 7 घ (3) और 7 क में अन्तर्विष्ट हैं। आप इन 1.606 लाख प्रतिष्ठानों के लिए कितने अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करेंगे ? मंत्री महोदय के अनुसार इस कार्यवाही का उद्देश्य विवादों के निपटान में लगने वाले समय

को कम करना है, क्योंकि इस अधिनियम के अन्तर्गत विवादों के निपटान में सामान्य न्यायालयों में अधिक समय लग जाता है। अतः इस प्रयोजनार्थ आप यह अपीलीय न्यायाधिकरण बनाना चाहते हैं। अपने अनुभव से मेरा निवेदन यह है कि इस अपीलीय न्यायाधिकरण से कोई समस्या नहीं सुलझेगी। दूसरी ओर, यह आपकी समस्याएं बढ़ा देगा क्योंकि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश प्राप्त करने पर पीड़ित पक्ष को संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उसका उपचार मिल जाएगा। वह अपीलीय न्यायाधिकरण के अर्ध न्यायिक आदेश को रद्द करने के लिए अवश्य ही याचिका दायर करेगा। अतः आपने केवल यह किया है कि मुकद्दमें की प्रक्रिया में एक और प्रक्रम जोड़ दिया है।

परन्तु यहां, मेरी इससे बड़ी आपत्ति न्यायाधिकरण के गठन के तरीके पर है। माननीय मंत्री कृपया पृष्ठ 8 पर 7 ख (3) देखें। खण्ड 7ख (3) में कहा गया है :

> कोई व्यक्ति किसी न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जिसे इसमें इसके बाद अध्यक्ष कहा गया है। के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो, या न रहा हो या के लिए अर्ह न हो।

फिर खण्ड 7ङ में कहा गया है :

> अध्यक्ष, किसी न्यायाधिकरण में अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या बासठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।"

अब उच्च न्यायालयों के लिए भी हमें उपयुक्त उम्मीदवार मिलने में कठिनाई हो रही है। उदाहरणार्थ, बम्बई और कलकत्ता में, मुख्य न्यायाधीश हमेशा यह शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं; जो न्यायाधीश का पद स्वीकार कर सकें। ऐसा पिछले अनेक वर्षों से हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि उच्चतम श्रेणी के वकील न्यायाधीश के पद की परवाह नहीं करते हैं। आप किसी व्यक्ति को केवल पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए केवल न्यायाधिकरण का प्रमुख बनने के लिए कह रहे हैं। उच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश भविष्य निधि अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख बनना चाहेगा और वह भी केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए ? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास बहुत बड़े सिविल, आपराधिक और संवैधानिक क्षेत्र का क्षेत्राधिकार होता है और वह हर तरह के मामले में फैसला देता है, चाहे वह श्रम; औद्योगिक आदि क्षेत्र का ही हो आप चाहते हैं कि इतने बड़े क्षेत्राधिकार का व्यक्ति केवल एक सामान्य से कानून-भविष्य निधि अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आगे आए। कौन सा न्यायाधीश अपना इतना बड़ा क्षेत्राधिकार छोड़ना चाहेगा और एक अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाना चाहेगा। कोई भी वर्तमान न्यायाधीश अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख बनने के लिए आगे नहीं आएगा। एक सेवानिवृत न्यायाधीश को यह पद स्वीकार करने का आकर्षण हो सकता है, परन्तु दुर्भाग्यवश आपने इस आशय का एक खण्ड जोड़ दिया है कि उसे 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सेवानिवृत्त न्यायाधीन के प्रमुख बनने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख बनने की सोच भी नहीं सकता है। अतः, कोई सेवानिवृत्ति न्यायाधीश प्रमुख नहीं बन सकता है। वर्तमान न्यायाधीश निश्चय ही ऐसा नहीं चाहेगा क्योंकि पांच वर्ष की अवधि के लिए यहां आने में उसे कोई बड़ा प्रलोभन दिखाई नहीं देता है। जबकि उच्चतर न्यायालय जाने के उसके अवसर

और अन्य बातों की संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि वह केवल एक सामान्य कानून का क्रियान्वयन कर रहा होगा जब कि उसके पास प्रतिदिन सैंकड़ों कानून आते हैं जिन पर वह फैसला दे सकता है।

अन्त में, हम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिये व्यक्तियों की श्रेणी पर आते हैं। अर्थात, एक वकील जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्ह है उसका कार्यकाल केवल पांच वर्ष का होगा। मान लीजिए, कोई व्यक्ति, जो दस वर्ष या पंद्रह वर्ष की वकालत के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्ह है और अपनी वकालत छोड़ना चाहता है और अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख बनना चाहता है, उसका कार्यकाल केवल पांच वर्ष का होगा अतः, पांच वर्ष के लिए क्या वह अपनी वकालत छोड़ देगा? एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्ह है, क्या वह अपनी वकालत छोड़कर यहां आ जाएगा? मैं इन पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं और आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह कितना अव्यवहार्य होगा। इसीलिये मैंने एक संशोधन दिया है कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता के बजाय, आप इसे जिला या सत्र न्यायाधीश रख सकते हैं। आप भारत जैसे विशाल देश में, ये सारे अपीलीय न्यायाधिकरण कहां-कहां पर बनाएंगे, जहां इतने अधिक प्रतिष्ठान हैं? मैंने एक संशोधन भी दिया कि जहां यह प्रतिष्ठान 250 कि. मी के भीतर हो, वहां अपीलीय न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार होगा अन्यथा नहीं।

मान लीजिए, आप तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के लिए हैदराबाद में एक अपीलीय न्यायाधिकरण खोलते हैं, तो केरल और दूर-दराज के स्थानों वाले प्रतिष्ठानों के लिए यहां रुकना और अपने मामले को लड़ना कितना कठिन होगा। यदि आप राज्यों की राजधानियों में भी अपीलीय न्यायाधिकरण खोलते हैं, तो भी बहुत कठिनाई होगी। इसलिए सर्वोत्तम तथा सबसे आसान बात यह है कि प्रत्येक जिले तथा सज न्यायाधीश को एक अपीलीय न्यायाधिकरण बना दिया जाये। फिर अब आप अलग से एक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करके एक पृथक प्रतिष्ठान की मांग कर रहे हैं। उसके पास अवश्य अलग से एक न्यायालय कमरा अथवा न्यायालय हाल होना चाहिए। उसके पास अलग से एक आशुलिपिक होना चाहिए। उसके पास अलग से एक टाइपिस्ट तथा अन्य कार्मिक भी होने चाहिए। यह एक काफी लागत वाला कार्य होगा। मैंने अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को कठिनाई के बारे में पहले ही विश्लेषण कर दिया है और सुझाव दिए हैं। यदि एक सामान्य सिविल न्यायालय, जिसका अध्यक्ष एक जिला तथा सेशन न्यायाधीश होता है, को एक अपीलय न्यायाधिकरण का कार्य सौंपा जाता है तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। इसका कारण यह है कि उसके पास पहले से ही एक सुस्थापित, कार्यालय चल रहा है। इस अधिनियम के बारे में वह कौन-सी बड़ी बात है जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं? यह एक पेचीदा अधिनियम नहीं है। यह एक साधारण- सा अधिनियम है।

अब मैं तथ्यों पर आता हूं। यदि कोई ऐसे विवादग्रस्त तथ्य मौजूद हैं जिनके-बारे में भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्णय नहीं लिया गया है अथवा जिसे उसने ध्यान में नहीं रखा है, एक जिला न्यायाधीश इस पर कार्यवाही कर सकता है। इस प्रकार एक जिला तथा सज न्यायाधीश इस पर आसानी से कार्यवाही कर सकता है। अतएव, जिला तथा सज न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार का प्रत्येक प्रतिष्ठान तथा अधिकारियों द्वारा पर्याप्त स्वागत किया गया है। इसलिए इन प्रारूपों को तैयार करते

समय, आपको व्यवहारिक कार्यान्वियन के पक्ष के बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमारे साधारण सिविल न्यायालयों को उनके प्राकृतिक क्षेत्राधिकार से वंचित करने के लिए विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना करना अथवा विशेष कानून बनाना आवश्यक है। जब तक एक विशेषीकृत तथा अत्याधुनिक विशेषज्ञता की आवश्यकता न हो तब तक इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए यह एक ऐसा मामला है जिसमें आपको इन सब बातों की आवश्यकता नहीं है।

फिर आपने न्यायाधिकरण की समीक्षा करने का भी उपबन्ध किया है। समीक्षा करने का यह अधिकार वहां जन्मजात है। परन्तु उसकी अवधि सीमित है। इस कानून की समीक्षा करने हेतु, अवधि की सीमा रखना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह कहेगा कि मैं 10 वर्ष अथवा 15 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा करूंगा। इसलिए आपको इसमें अवधि की ऐसी सीमा को भी शामिल करना चाहिए जिसके अन्दर समीक्षा की जा सके। इसलिए, विधेयक के उद्देश्यों का पूर्णतया समर्थन करने के साथ-साथ मुझे यह कहते हुए दुःख है कि कुछ उपबन्ध जिन्हें उद्देश्यों की प्राप्ति अथवा उपलब्धि के लिए शामिल किया गया है, अपने आप में उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं, और लाभदायक नहीं हो सकते हैं, बल्कि अलाभकारी हो सकते हैं। विधेयक को अन्तिम रूप से पारित करने से पूर्व इन बातों की जांच की जाए।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसमें मुख्यतया नियोजकों से धनराशि वसूलने में आने वाली अड़चनों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इससे नियोजकों के अंशदान का प्रतिशत $6\frac{1}{4}$ से बढ़ाकर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत करने की लम्बे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो जाती है। उस वृद्धि से स्वैच्छिक अंशदान भी 8 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है।

जैसाकि मैंने कहा, इस विधेयक में इन अंशदानों में वृद्धि करने की लम्बी समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का प्रयास किया गया है। इसमें एक कार्यकारी समिति की स्थापना करने की भी व्यवस्था है जो इस विधेयक के कई उद्देश्यों के कार्यान्वियन में भी मदद करेगी। अन्त में, जैसा कि मैंने कहा वसूली करने वाला तन्त्र, जो दोषपूर्ण था और इन खामियों के कारण कर्मचारियों को नुकसान हो रहा था, को भी अधिक से अधिक कुशल बनाने का प्रयास किया गया है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, ये इसके कुछ सर्वोत्तम मुद्दे हैं। समय की कमी को देखते हुए मैं इसकी उन कई अच्छी बातों की गहराई में नहीं जाऊंगा जिन्हें इस विधेयक में शामिल किया गया है।

जहां तक यहां प्रस्तुत किए जा रहे नए उपबन्धों का सम्बन्ध है मैं कुछ कहना चाहूंगा। प्रथमतया, जहां तक नियोजकों का सम्बन्ध है कई अन्य उपचारों की व्यवस्था करने के लिए पुरानी धारा 7क में आमूल संशोधन किया जा रहा है और उस बारे में यह कहूंगा कि यदि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों को केवल धनराशि के निर्धारण की शक्ति देने की बजाय कुछ और भी शक्तियां दी जाती तो मैं इस विधेयक का स्वागत करता। इस अधिनियम के लागू होने के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह यह है कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने की शक्ति भी दी जानी चाहिए।

निस्सन्देह, इस धारा में शामिल की गई बातें काफी प्रशंसनीय हैं परन्तु मैं इसमें अन्य विस्तृत उपबन्ध शामिल करवाना नहीं चाहूंगा जिनसे अन्ततोगत्वा धनराशि के निर्धारण में और देरी

होगी। उदाहरण के तौर पर खण्ड 10 धारा 7क में उपधारा 4 जोड़ता है जो नियोजक के खिलाफ एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और इससे नियोजकों के विलम्ब करने में वृद्धि होगी। इसमें 3 मास का समय दिया गया है। सामान्यतौर पर सिविल न्यायालयों में भी किसी एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए एक मास का समय दिया जाता है। इसलिए मैं नहीं जानता कि जहां तक उपधारा 4 का सम्बन्ध है इस एकतरफा आदेश को रद्द करने के लिए इतना अधिक समय क्यों दिया गया है। तत्पश्चात् पुनः इसी विधेयक में अभी शामिल किए जाने वाले खण्ड 7ख के अन्तर्गत समीक्षा जैसी अन्य बातों की भी व्यवस्था की गई है। और इससे नियोजकों द्वारा विलम्बकारी तरीके अपनाने की भी काफी गुन्जाइश हो जाती है। अतएव नये महत्वपूर्ण मामलों की खोज की आड़ में नियोजक खण्ड 7ख के अन्तर्गत समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इससे भी बकाया धनराशि के निर्धारण में और विलम्ब होगा।

हमने इस विधेयक में एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करने का भी प्रस्ताव रखा है। अब यह एक अच्छी बात है कि सिविल न्यायालयों में विलम्ब से बचने के लिए हम इस अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना कर रहे हैं। परन्तु, जैसाकि पूर्व वक्ता द्वारा भी यह जिक्र किया गया है कि इससे अनुच्छेद 226 और 227 के अन्तर्गत आवेदन पत्र अथवा संवैधानिक मामलों को अस्वीकार करने के लिए उच्च न्यायालय के दरवाजे बन्द नहीं हो जाएंगे, उसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत सुविचारित न्यायाधिकरण एक न्यायाधिकरण है यद्यपि धारा में एक अथवा अधिक न्यायाधिकरणों के बारे में कहा गया है। इस समय, कम से कम वित्तीय ज्ञापन में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली में एक न्यायाधिकरण होगा। अतएव, ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम दिल्ली में एक न्यायाधिकरण होगा और इस समय कम से कम एक केन्द्रीय न्यायाधिकरण होने पर विचार किया गया है। अतएव जहां तक इन न्यायाधिकरणों का सम्बन्ध है उनसे भी कुछ और विलम्ब होगा।

अब वसूली की प्रक्रिया को सख्त किया गया है परन्तु कुछ मामलों में हमने आवश्यक रुप से कतिपय प्रक्रिया की व्यवस्था की है जिससे द्वारा नियोजन लाभ उठाएगा और वसूली की प्रक्रिया में में विलम्ब करेगा।

जैसाकि मैं बता रहा था कि जहां तक इस वसूली का संबंध है, नियोजक को खुली छूट होती है कि वह राशि की सत्यता के लिए वसूली अधिकारी के समक्ष प्रतिवाद करे। इस प्रकार राशि की वसूली करने के लिए प्रमाणपत्र जारी हो जाने के पश्चात जब वसूली अधिकारी धारा 8 (घ) के अन्तर्गत दुबारा कार्यवाही शुरु करता है तो नियोजक को राशि की सत्यता को चुनौति देने तथा प्रमाणपत्र वापस लेने की अनुमति है। मेरा यह कहना है कि इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया जाएगा और नियोजक इस उपबंध का फायदा उठायेगा और इस खण्ड का फायदा उठाकर वसूली की कार्यवाही को रोकेगा। फिर खण्ड 8 (ङ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भुगतान के लिए समय दे सकता। इस प्रकार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद और वसूली अधिकारी द्वारा कार्यवाही दुबारा शुरु किए जाने के बाद नियोजक खण्ड 8(ङ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी के पास जाकर भुगतान के लिए और समय मांगेगा और उस मामले में वसूली अधिकारी से कार्यवाही रोकने के लिए कहा जाता है, ये कुछेक बातें मामले को लम्बा करने के तरीके हैं जिन्हें नियोजक अपनाएगा। अत: मेरा यह अनुरोध है कि विधेयक में खण्ड 8 (घ) तथा खण्ड 8 (ङ) का

उपबंध नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि खण्ड 8 व उप-खण्ड (2) में यह उपबंध

1.00 म. प.

किया गया है कि यदि किसी नियोजक की भविष्य निधि की कोई राशि किसी अन्य व्यक्ति पर बकाया है तो उसे भी वसूल किया जा सकता है, और भविष्य निधि के सम्बन्ध में वसूली के लिए उपबंध किया गया है। यह बहुत अच्छा उपबन्ध है, इससे वसूली अधिकारियों को धनराशि की वसूली करने में मदद मिलेगी।

आजकल उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता के कारण कर्मचारियों के लिए नियोजक की तरफ बकाया अपने अन्य लाभों के अलावा अपनी भविष्य निधि वसूलना एक बड़ी समस्या बन गया है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कर्मचारी के लिए वसूली की प्रक्रिया को अधिकाधिक सुदृढ़ तथा उपयोगी बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए। किन्तु इसके साथ ही मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कुछेक उपबन्धों, जो नियोजकों को विलम्बकारी तरीके अपनाने की अनुमति देते हैं तथा जो उस उद्देश्य को अन्ततः निष्फल कर देंगे जिसके लिए यह विधेयक बनाया गया है, पर दुबारा विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कुछेक उपबंधों पर दुबारा विचार करें और विधेयक के पारित होने से पहले इसी सत्र में संशोधन करें।

1.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई

2.05 म. प.

लोक सभा 2.05 म. प. मध्याह्न भोजन के पश्चात् पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष पीठासीन हुए]

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक-जारी

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : उपाध्यक्ष जी, अभी जो भविष्य निधि के लिए अनिवार्य कटौती श्रमिकों, कर्मचारियों के वेतन से की जाती है वह राशि उनके सेवा मुक्त होने के बाद एक मुश्त उनको मिलनी चाहिए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे और वे अपने भविष्य में जीवन-निर्वाह ठीक-ठाक से कर सकें।

यह प्रथा आज से नहीं, अपने देश में अंग्रेजी काल से चली आ रही है। लेकिन आजादी मिलने के बाद जब यह देखा गया कि बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई हैं जिसमें श्रमिकों और कर्मचारियों को समय से उनकी राशि का भुगतान न करना और मालिकों द्वारा अपना अंशदान जमा न करना और अपनी राशि के भुगतान के लिए कर्मचारियों द्वारा दफ्तरों के वर्षों तक लगातार चक्कर लगाना आदि है। किसी-किसी केस में तो यहां तक देखा गया है कि कर्मचारी ने अपनी राशि के भुगतान के लिए दफ्तर के चक्कर लगाते-लगाते दम तोड़ दिया और उसके बाद में उसकी विधवा

को उसकी राशि का भुगतान नहीं किया गया ऐसा भी हुआ है कि उसकी विधवा ने हार मान कर दावा ही छोड़ दिया है।

इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सबसे पहले 1952 में कानून बनाया गया था : लेकिन गड़बड़ियां ज्यों की त्यों बरकरार रहीं। 1952 में कानून बनने के बाद भी इसमें संशोधन हुआ, कई कमेटियां बिठाई गयीं। उसके बाद भी गड़बड़ियां ज्यों की त्यों रहीं। आमतौर पर जिन गड़बड़ियों की चर्चा मैंने की है वे गड़बड़ियां अगर बरकरार नहीं रहती तो इस संशोधन को लाने का कोई मतलब नहीं था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि रोज-रोज कानून बनते हैं, कानूनों में संशोधन किये जाते हैं उनके बाद भी गड़बड़ियां बाजार घटने के, नये-नये तरीके से अपना सिर उठाती जा रही हैं। इसका कारण क्या है ? मेरी समझ में यह है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि उस कानून को अपने ऊपर अमल में लाएं। जब हम कानून का स्वयं पालन नहीं करेंगे तो हममें इतना नैतिक बल नहीं होगा कि हम किसी और से यह अपेक्षा करें या किसी और को इसके लिए मजबूर करें कि वह कानून का पालन करे। गैर-सरकारीक्षेत्र में ये गड़बड़ियां हैं लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी बहुत बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ियां हैं।

अभी भी भविष्य निधि को लेकर के गड़बड़ियां चल रही हैं। हमें जानकारी मिली है कि हावड़ा में एक केन्द्रीय प्रतिष्ठान है। वहां के नौ सौ कर्मचारियों को इसलिये अवकाश ग्रहण नहीं करने दिया गया कि प्रतिष्ठान के पास भविष्यि निधि के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे। आमतौर पर कर्मचारियों को यह शिकायत रहती है कि भविष्य निधि का हिसाब रखने वाले जो कार्यालय हैं, केन्द्र या क्षेत्रों में जो भविष्य निधि आयुक्त हैं, इन सब कार्यालयों में आये दिन मजदूरों, कर्मचारियों और श्रमिकों को परेशान किया जाता है। वहां लाल-फोता-शाही का बोलबाला है।

खास तौर पर मुझे महालेखाकार के कार्यालय के बारे में कहना है। वहां जो लालफीताशाही है, कर्मचारियों में अकर्मण्यता है. उसकी वजह से कर्मचारी और श्रमिक बहुत बड़े पैमाने पर तंग और परेशान है। वहां के कर्मचारी अक्सर सस्पेंश अकाऊंट का बहाना बना देते हैं। जिस किसी भी राशि के बारे में थोड़ा-सा संशय हुआ, उसको लेकर के सस्पेंश अकाऊंट में डाल देते हैं और बहाना यह बना देते हैं कि इसका सम्बन्धित वाऊचर नहीं था। किसी भी कर्मचारी या श्रमिक का वेतन बिल तब तक पारित नहीं होता जब तक अनिवार्य रूप से उसकी भविष्य निधि की राशि की कटौती नहीं हो जाती। बिल पास करने के बाद सम्बन्धित कोषागार के कार्यालय में भेजते हैं और कोषागार का कार्यालय नियमित रूप से सम्बन्धित वाउचर महालेखाकार के कार्यालय में भेज देता है। अब रास्ते में अगर वह गुम जाए तो सम्बन्धित कर्मचारी का क्या कसूर है। जो कर्मचारी इसको देखता है, उसको इस बात की चिन्ता होनी चाहिए कि सम्बन्धित कर्मचारी जब अवकाश ग्रहण करेगा तो उसको यह सुविधा किस प्रकार मिलेगी, लेकिन वह इसके लिए चिन्तित न होकर उस राशि को ससपेंस अकाउन्ट में डाल देता है। सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे में ही 2 करोड़ 65 लाख रुपये भविष्य निधि के ससपेंस अकाउंट में पड़े हुए हैं। इसी तरह से करोड़ों रुपया कर्मचारियों का ससपेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं यदि किसी राशि की जानकारी इस कार्यालय को 4 साल बाद प्राप्त होती है तो उसको 4 साल का ब्याज भी नहीं भराया जाता। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस काम को बैंकिंग पद्धति से करना चाहिए। जब तक इस पद्धति से इसका संचालन नहीं होगा, तब तक किसी कर्मचारी को अवकाश प्राप्ति के बाद समय पर सहायता नहीं मिल सकेगी। ऐसा

नियम बना देना चाहिए कि कर्मचारी को सेवा ग्रहण करते समय उसी क्षण सारी भविष्य निधि में जमा राशि प्राप्त हो जाएगी। किसी समय सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु में यह व्यवस्था की गई थी, जिस समय कामराज मुख्यमंत्री थे। उन्होंने व्यवस्था की थी कि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय उसी क्षण भविष्य निधि का पैसा प्रदान किया जाए। इस तरह की व्यवस्था सभी जगहों पर लागू होनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

कई जगहों पर सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अपना अंशदान जमा नहीं किया जाता और न ही मजदूर का पैसा भविष्य निधि में जमा किया जाता है, इसके बावजूद उनको दूसरे उद्योग लगाने की स्वीकृति दे दी जाती है। आपको आश्चर्य होगा कि दूसरा उद्योग लगाने की स्वीकृति प्राविडेंट फण्ड कमिश्नर के यहां से मिलती है, इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। गैर-सरकारी संस्थानों पर इस तरह की रोक लगाई जानी चाहिए और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जो कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार हो, कर्मचारियों को परेशान करता हो, हिसाब-किताब पूरा न रखता हो, उसके खिलाफ अमानत में खयानत का चार्ज लगाकर 406 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इन कानूनों से काम चलने वाला नहीं है। कर्मचारी अपना खून-पसीना एक करके इस उम्मीद से कटौती करवाता है कि अवकाश प्राप्ति के समय वह पैसा उसके भविष्य के काम आएगा; लेकिन इसमें अड़गा लगाया जा रहा है। उसके भविष्य के साथ उसे खिलवाड़ करने वाले कर्मचारी के विरुद्ध धारा 406 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज अवश्य किया जाना चाहिए।

महालेखाकार कार्यालय की बात मैं आपको बताता हूँ कि वहां विरले कर्मचारी की प्रविष्टियां आपको पूरी मिलेंगी। जो कर्मचारी दौड़-धूप कर लेते हैं, बाबू लोगों को प्रभावित करके या दूसरे तरीकों से उनको तैयार कर लेते हैं, उनकी प्रविष्टियां पूरी होती हैं। इस सबका कारण वहां की लाल-फीताशाही है, अकर्मण्यता है। इसके कारण ही ये सारी गड़बड़ियां होती हैं। यह सब ऊपर के अधिकारियों के कारण होता है। हर जगह हर चीज की जड़ जमीन में होती है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ आसमान में होती है। ऊपर का अधिकारी ठीक होगा तो नीचे के कर्मचारी की कभी हिम्मत नहीं होगी कि वह कोई गड़बड़ी करे। इसलिए ऊपर के लोगों के खिलाफ भी दण्ड का प्रावधान होना चाहिए। इस राशि को वसूलने के लिए वही तरीका अपनाया जाना चाहिए, जो तरीका केन्द्रीय राजस्व की वसूली के लिए अपनाया जाता है और उसी सख्ती के साथ इस राशि को वसूलने के लिए सरकार को कोई न कोई प्रावधान निश्चित रूप से तय करना चाहिए। यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि हर वर्ष के अन्त में हर किसी मजदूर या श्रमिक को चाहे वह सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में हो, पूरा ब्यौरा उसकी भविष्य निधि का उसको मिल जायेगा और उसकी पास-बुक भी मिल जायेगी ताकि उसको कहने का मौका न रहे कि ब्याज का रुपया नहीं मिला और अंशदान जमा नहीं किया गया या प्रविष्टियां पूरी नहीं हैं। सारी गड़बड़ियों से मुक्ति मिल जायेगी। प्रति वर्ष पूरा ब्यौरा भविष्य निधि से सम्बन्धित पास-बुक में उसको हाथ में मिल जायेगी। इन सुझावों के साथ मैं इस बिल की मंशा का स्वागत करता हूं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस मंशा से इस बिल को लाए हैं, वह मंशा इस बिल से पूरी नहीं हो सकती है इसलिए कि यह बिल अधूरा है।

(अनुवाद)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों की भविष्य निधि न केवल उन कर्मचारियों, जिनका असामयिक विकास हो जाता है बल्कि उन कर्मचारियों, जो किसी अन्य काम

के बिना सेवानिवृत हो जाते हैं, के परिवारों के लिए सुरक्षा का मुख्य साधन है। महोदय यह देखा गया है कि देश में श्रमिकों की संख्या काफी अधिक है और इस योजना द्वारा लगभग 21.88 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा। अतः महोदय, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि निधियों की उचित व्यवस्था हो और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नियोजक उस निधि का दुरुपयोग न कर पाये और कर्मचारियों को पैसा उचित समय पर मिले।

महोदय, लम्बे समय से गलत लेखा-जोखा रखने विशेषकर उस नियोजक द्वारा गलत प्रबन्ध करने जो उचित समय पर धनराशि नहीं दे पाते जैसा कि इस योजना में बताया गया है, के बारे में बहुत सी शिकायतें मिली हैं। ऐसे भी मामले हैं कि अंशदायी भविष्य निधि के मामले में जहां नियोजक कर्मचारियों से धनराशि एकत्र करता है उसी धनराशि का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या उन नियोजकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने कानूनी उपबन्धों का उल्लंघन किया है और कर्मचारियों की मेहनत से कमाए गए पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। यह दुरुपयोग पर्याप्त कानूनों के पारित न किए जाने से नहीं होता, बल्कि यह विकट स्थिति पैदा करने वाले उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की इच्छा की कमी के कारण हैं।

महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा बताए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अब तक 185 करोड़ रुपया कर्मचारियों को दिया जाना बकाया है। महोदय, 1959-60 में केवल 3.6 करोड़ रुपया बकाया बताया गया था।

वर्ष 1971-72 में यह राशि बढ़कर 20.65 करोड़ रुपया हो गई और 15 वर्षों के बाद यह बढ़कर सर्वाधिक 185 करोड़ रु. हो गई। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को भविष्य निधि की राशि का भुगतान करने के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं। सामान्यतः सेवाकाल के अन्तिम समय में कर्मचारियों की आय का एकमात्र स्रोत उनकी भविष्य निधि का पैसा ही रह जाता है और वह भी यदि रोक लिया जाता है या सेवानिवृत्ति के समय नहीं दिया जाता है तो सेवा निवृत कर्मचारी की परेशानियां बढ़ जायेंगी और यह संकटपूर्ण होगा। मैं जानना चाहूँगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। दोषी अधिकारियों तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामले दायर किए गए हैं, कितनों को सजा दी गई है तथा भुगतान के कितने मामले लंबित पड़े हैं। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि उन अधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई है जिन्होंने सेवा निवृत्ति के तत्काल बाद भविष्य निधि क्या भुगतान करने के लिए अपना कर्तव्य नहीं निभाया : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें गरीब कर्मचारियों पर 85 करोड़ रुपए की भविष्य निधि की राशि कर्मचारियों द्वारा रोकी गई और दुरुपयोग की गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।

महोदय, यह भी देखा गया है कि लेखों के रखरखाव की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। अनेकों जटिल प्रपत्र हैं, जिन्हें भरना होता है तथा गरीब कर्मचारी इस बात से भी अवगत नहीं होते कि उनके लेखों में कितनी राशि बची है। सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी राशि के बारे में सूचित नहीं किया जाता है तथा लेखाओं के उचित रख रखाव में बहुत समस्यायें होती हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूँ कि वे प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने के लिए सम्बन्धित

अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश दें ताकि हर इच्छुक व्यक्ति को यह पता चल सके कि उसके लेखे में कितनी राशि है। इसलिए लेखा को सरल बनाया जाना चाहिए।

मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कानून सदन के समक्ष लाया गया है और मुझे विश्वास है यह कमी को पूरा करेगा तथा यह राशि के उचित भुगतान में सहायक होगा। परन्तु मैं, मन्त्री महोदय से वर्तमान बकाया राशि के वितरण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि राशि बहुत बड़ी है। यह उचित नहीं होगा यदि इसे योग्य कर्मचारियों या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को न देकर कर्मचारियों या भविष्य निधि संगठन के पास रखा जाए। ऐसा बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कामों की समीक्षा तथा सुधार के लिए सुझाव देने हेतु 1980 में सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की थी। यह भी कहा जाता है कि समिति का प्रतिवेदन मन्त्रालय को प्रस्तुत किया गया है परन्तु दुर्भाग्यवश प्रतिवेदन की प्रति सदस्यों को नहीं दी गई। इसलिए हम यह नहीं जान सके कि सिफारिशें क्या हैं तथा उनमें कितनी सिफारिशों का कार्यान्वयन किया गया है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी ऐसा विधेयक विचारार्थ लाया जाए। हमें इसकी विस्तृत जानकारी भी दी जाए।

महोदय, दो या तीन मिनट में मैं उस विधेयक की विशेषता बताऊंगा जो स्थिति में सुधार करने में सहायक होगा। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को शक्तियों के प्रत्यायोजन से निश्चय ही अनावश्यक विलम्ब जो अब हो रहे हैं, टाला जा सकेगा।

विधेयक का दूसरा अच्छा सुझाव, नैमित्तिक श्रमिक के रूप में ठेकेदारों द्वारा नौकरी पर लगाए गए कर्मचारियों को शामिल करना है। उसी प्रकार प्रशिक्षु श्रमिकों को भी सेवा निवृत्ति लाभ इत्यादि अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे लाखों श्रमिक हैं जो वैसे क्षेत्र में ठेके के आधार पर लिए जाते हैं. जहां काम नियमित होते हैं। विशेषकर रेल विमानपत्तन तथा अनेकों सरकारी तथा निजी क्षेत्र जहां अनेकों नैमितक श्रमिकों को बिना मासिक वेतन के नौकरी दी जाती है। वे श्रमिक जो 1961 प्रशिक्षु अधिनियम की परिसीमा के बाहर आते हैं, को केवल इस उद्देश्य से प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया जाता है कि उन्हें सामान्य वेतन नहीं दिया जाए। श्रमिको के ऐसे संवर्ग को अधिनियम की सीमा में लाया गया है और यह एक अच्छा कदम है। इससे कर्मचारी और नियोक्ता का प्रतिनिधित्व 6 से बढ़कर 10 हो गया है। यह नियोक्ता तथा कर्मचारियों को अपने मामले को रखने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है।

एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव है जिससे नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक को भविष्य निधि मन्त्रालय के पूरे खातों की समुचित लेखा परीक्षा का अधिकार दिया गया है। इसका भी स्वागत है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। यह संसद को भी यह जानने का अवसर देगा कि लेखों के रखरखाव में क्या गलतियां हैं और क्या लेखे समुचित रूप से रखे गये हैं।

इस संशोधन विधेयक का अन्य मुख्य लाभ शायद नियोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई भविष्य निधि अंशदान की प्रतिशतता में वृद्धि है। $6\frac{1}{4}$ प्रतिशतत से बढ़ा कर $8\frac{1}{3}$ प्रतिशत कर दिया गया है। यह श्रमजीवी वर्ग की एक बहुत पुरानी मांग है। मेरा विश्वास है कि देश का श्रमजीवी वर्ग माननीय मन्त्री तथा उन सभी लोगों का जिन्होंने इस वृद्धि के लिये कदम उठाए हैं, आभारी रहेगा।

इसी बीच कर्मचारियों का अंशदान भी बढ़ाया जा रहा है। मुझे विश्वास है यदि इसका समुचित प्रबन्ध और कार्यान्वयन हुआ तो यह सेवा निवृति के समय गरीब कर्मचारियों को उस समय राहत प्रदान करेगा जबकि उनके पास जीवन यापन के लिए आय का कोई अन्य स्रोत न हो।

विधेयक के पृष्ठ 13, खण्ड 8 ङ (1) में यह कहा गया है कि :

"ऐसा होते हुए भी कि प्रमाण पत्र वसूली अधिकारी को किसी रकम की वसूली के लिए जारी किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी रकम की वसूली के लिये समय मंजूर कर सकेगा और तब वसूली अधिकारी इस प्रकार मंजूर किए गए समय के समाप्त होने तक कार्यवाहियों को रोक सकेगा।"

इससे पहले वाला खंड व्यापक रूप से वसूली अधिकारी तथा वसूली की प्रक्रिया के बारे में है। परन्तु मुझे डर है कि यह खंड पिछले खंड के सभी अधिकारों को छीन लेता है। छः महीने या एक साल जैसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि ये कुछ समय सीमा जैसे कि 3 महीने या 6 महीने की अवधि सीमित करें। कुछ सीमा होनी चाहिए। यदि नहीं तो वे सारे लाभ जो पिछले खंड से मिले हैं बेकार हो जायेंगे तथा उपबन्धों का दुरुपयोग एवं कुव्यवस्था होगी क्योंकि कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसलिये मैं यह अनुरोध करता हूं कि कुछ समय सीमा होनी चाहिये।

बकाया राशि पर 6% ब्याज देने का सुझाव है। यह बहुत ही कम है। सावधी जमा राशि पर हम 11 प्रतिशत ब्याज देते हैं, और यदि वे 6% ब्याज देते हैं तो यह नियोक्ताओं के लिए ही लाभकारी होगा। 6 प्रतिशत साधारण ब्याज के बजाय उच्च दंड ब्याज दर दोषी नियोक्ताओं पर लगाया जाना चाहिये। इसका भुगतान कर्मचारियों को किया जाना चाहिये।

मेरे विचार में यह परिवर्धित स्वागत योग्य है इतनी बड़ी बकाया राशि को देखते हुए इन परिस्थितियों में यह परिवर्तन काफी नहीं है। अब मैं मुझे खण्ड 2 के बारे में संदेह है। मैं आश्वस नहीं हूं। यदि मैं गलत हूं तो आप सही बतायें। मैं नहीं समझता कि श्रम मन्त्रालय द्वारा लाये गये कानून से भारतीय दंड संहिता की धारा 4.5 में संशोधन उचित नहीं होगा। यदि मेरी धारणा ठीक है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4.5 में संशोधन गृह मन्त्रालय या विधि मन्त्रालय द्वारा एक अलग कानून से होना चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय से इस पहलू पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं और यह देखने का अनुरोध करता हूं कि क्या श्रम मन्त्रालय द्वारा जो श्रम मामलों पर कानून बनाती है, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4.5 में संशोधन करना उचित है। मैं जानता हूं कि यह संशोधन भविष्य निधि अंशदान से संबंधित है। इसके बावजूद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 4.5 में संशोधन के लिए एक अलग कानून की जरूरत है. मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय इस मामले की ओर ध्यान देंगे।

मुझे खुशी है कि इस विधेयक के पास होने तथा लागू किए जाने पर भविष्य निधि के प्रबन्ध तथा संचालन के सम्बन्ध में अब तक अनुभव की जा रही अधिकांश कठिनाइयां काफी हद तक दूर कर दी जाएंगी।

मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं

श्री एन. वी. एन. सोमू (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए द्रमुक दल की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, अंग्रेजी भाषा में एक कहावत है, "देर आये दुरुस्त आये" इसी तरह यह विधेयक भी एक विलम्बित विधेयक है। हमने 1947 में आजादी प्राप्त की थी किन्तु मजदूरों को आजादी मिलने के 17 साल बाद वर्ष 1965 में ही बोनस अधिनियम प्राप्त हुआ।

मन्त्री महोदय ने बताया है कि नियोक्ता भविष्य निधि में 185 करोड़ रु. की राशि न देने के दोषी हैं। किन्तु उन्होंने उन दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में नहीं बताया है। वास्तव में नियोक्ता बच निकलते हैं क्योंकि दण्ड विधि अथवा भविष्य निधि अधिनियम इतना कठोर नहीं है। इस प्रकार महोदय के वक्तव्य के अनुसार भी देश में करोड़ों रुपयों की भविष्य निधि की राशि से नियोक्ता बच रहे हैं।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऐसे जानबूझकर चूक करने वाले नियोक्ताओं को दंडित करने के लिए कठोर कार्यवाही की जाए। मैं नहीं जानता कि इस दावा न की गई रकम के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। मजदूर यह भी नहीं जानते कि ऐसी भी राशि है जिसका किसी ने दावा नहीं किया है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसकी ऐसी रकम जिसका दावा न किया गया हो, को मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च किया जाए :

मजदूरों को भविष्य निधि से ऋण प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाईयां हो रही हैं। आवास निर्माण ऋण, वैवाहिक ऋण तथा सेवा निवृत्ति के पश्चात रकम प्राप्त करने के संबंध में, जिसके लिए उनको बहुत से प्रमाण-पत्र देने पड़ते हैं, इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। मजदूरों को भविष्य निधि से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए इन जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए।

वस्त्र तथा जूट उद्योगों में नियोक्ताओं का भविष्य निधि से बचने की प्रवृति अधिक है। इन मजदूरों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है तथा मन्त्री महोदय द्वारा ऐसे नियोक्ताओं को दंडित करने के लिए कठोर कार्यवाही करके मजदूरों का बचाव करना चाहिए।

धारा 20 में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि ऐसे प्रतिष्ठान, जो एक बीमार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी है, के मामले में इस धारा के अन्तर्गत की गई क्षति की राशि को केन्द्रीय बोर्ड घटा अथवा बढ़ा सकता है। भविष्य निधि, मजदूरों के सेवा-निवृत्त जीवन के लिए एक बीमाकृत रकम है। इस विधेयक को मजदूरों को मिलने वाली रकम को कम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह ऐसी ही स्थिति का नियोक्ता सहारा ले रहे हैं।

भारत में 689 बड़े उद्योग बन्द हैं। भारत में 128656 और उद्योग बन्द हैं। विशेष रूप से तमिलनाडु में 35 बड़े उद्योग तथा 1500 लघु उद्योग बन्द हैं। नियोक्त "रुग्ण" शब्द के अन्तर्गत शरण लेते हैं। मैं तमिलनाडु में रुग्ण सूची के अन्तर्गत बन्द की गई कुछ महत्वपूर्ण मिलों का उल्लेख कर सकता हूँ। जनता मिल, बसन्ता मिल, भवानी मिल, राधाकृष्ण मिल, अस्वार्य टैक्सटाइल्स, वासुदेव मिल, अमर जोति मिल, पदमा मिल, जय लक्ष्मी मिल

तिरुपुर काटन मिल, धनलक्ष्मी मिल, तमिलनाडु स्पिनिंग मिल, पीठूर टैक्सटाइल्स, अलैक्जेंडर मिल्स, लक्ष्मी षण्मुगा मिल, कावेरी स्पिनिंग मिल, महालक्ष्मी मिल, लक्ष्मी कॉटन मिल, रामू टैक्सटाईल्स तथा लक्ष्मी टैक्सटाइल्स इत्यादि। बहुत से कारखाने तथा मिलें "बीमारी" के अन्तर्गत शरण लेती हैं तथा बन्द हो रही हैं। हजारों मजदूर सड़कों पर बेरोजगार तथा भूखे पेट घूम रहे हैं तथा वे वर्षों से भूखे मर रहे हैं। मजदूरों को मिलों की "बीमारी" के बहाने तकलीफें नहीं भुगतने देनी चाहिए। हजारों मजदूर वर्षों से बेकार हैं। मैं इस विषय पर जोर देना चाहता हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र मद्रास उत्तर में एक मैटल बाक्स कम्पनी है, जो महीनों से बन्द पड़ी है। प्रबन्धक चाहते हैं कि मजदूर अपने वेतन को 25% कम कर दें। हजारों मजदूर आन्दोलन पर हैं। प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों को कारगर ढंग से तथा सफलतापूर्वक धोखा दिया जा रहा है। चूंकि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू है, अतः, मैं श्रम मन्त्री से इस मामले में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप करने तथा मैटल बाक्स कम्पनी को तत्काल खोलने का अनुरोध करता हूं।

इसी प्रकार, तमिलनाडु सरकार के कर्मचारी तथा अध्यापक भी वेतनमानों में समानता के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिए।

श्री जगदीश टाइटलर : यदि आप ठोस सुझाव दे सकें तो मुझे खुशी होगी क्योंकि यह मामला मिलों के बन्द होने से संबद्ध है। मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपका आभारी हूँ। यदि आप कुछ सुझाव दे सकें तो मुझे खुशी होगी।

श्री एन. वी. एन. सोमू : तमिलनाडु में यह कार्य वर्षों से निरन्तर हो रहा है।

श्री जगदीश टाइटलर : यह विषय भविष्य निधि अधिनियम के संबंध में है। मैं भविष्य निधि अधिनियम के संबंध में आपके बेहतरीन सुझाव प्राप्त करना चाहूँगा तथा उन सुझावों को लागू किया जाएगा।

श्री एन. वी. एन. सोमू : ये सुझाव देना सरकार की जिम्मेवारी है। हमें इस वर्ष समय-सीमा के कारण श्रम मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के संबंध में कुछ भी कहने का अवसर नहीं मिला है। मैं इस अवसर का उपयोग कुछ शब्द कहने के लिए करना चाहता हूँ।

श्री जगदीश टाइटलर : पिछले सप्ताह शुक्रवार को बेरोजगारी पर आधा घंटे की चर्चा थी। दुर्भाग्य से, एक सदस्य के अलावा किसी एक भी विपक्षी सदस्य ने देश की इस समस्या पर सुनने की भी चिन्ता नहीं की। अब जबकि एक मंच कुछ अन्य कार्य के लिए है, आज आप चर्चाधीन विषय पर नहीं बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एन.वी.एन. सोमू : कांग्रेस के कितने सदस्य उपस्थित थे? (व्यवधान) मैं अपने विषय पर आते हुए यह कहना चाहता हूँ कि वे बोनस के रूप में एक माह का वेतन चाहते हैं। केवल यही नहीं, मैं माननीय श्रम मन्त्री के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को समेकित वेतन स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। सरकार को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए। यदि सरकार स्वयं समेकित वेतन स्वीकार करती है तो वह गलती करने वाले गैर सरकारी प्रबंधकों को कैसे नियंत्रित कर सकती है। अतः, सरकार द्वारा उनकी मांगों को तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए। सरकार को उनकी शिकायतें दूर करनी चाहियें।

महोदय, मैं अन्तिम बात कह रहा हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक औद्योगिक विधेयक अति-शीघ्र पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वे बहुत जल्दी ही 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि एक दिन में आठ घण्टे काम करना एक पुरानी बात हो गयी है। अब कर्मचारी एक दिन में छः घण्टे काम करना चाहते हैं। मेरे नेता डाक्टर करुणानिधी ने भी मई दिवस शताब्दी समारोह में इस विषय के प्रचार-प्रसार को पढ़ा। यदि एक फैक्ट्री में 24 घण्टों में तीन पारियां चल रही हैं, और छः घण्टों का काम कर्मचारियों को दिया जाये तो हमारे पास 4 पारियां हो सकती हैं और हजारों कर्मचारियों को रोजगार के अवसर मिल जायेंगे। इससे काफी हद तक रोजगार की समस्या हल हो जाएगी।

जैसाकि माननीय सदस्य श्री अय्यपु रेड्डी ने इस विषय को स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है, तथा कहा है कि जिला एवम् सत्र न्यायधीशों को अपीलीय न्यायाधिकिरण की शक्तियां दी जायें। मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूँ। इससे काफी सीमा तक कर्मचारियों को मदद मिलेगी।

इससे भी अधिक न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड में प्रांतीय ट्रेड यूनियनों को भी अवसर दिये जाने चाहियें। ऐसा करने पर ही तो वे प्रभावशाली ढंग से अपने विचार प्रकट करने की स्थिति में होंगे।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह बिल पेश करके कर्मचारियों के अन्दर एक खुशी की लहर दौड़ायी है। इससे कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा और कर्मचारियों के साथ उनके अपने डिपार्टमेंट को बहुत फायदा होगा। इसमें कुछ ऐसे सैक्शन रखे हैं जिससे डिपार्टमेंट में और अधिक मजबूती आयेगी और जो पैसा रुक जाता था वह पैसा कोलैक्ट करने में आसानी होगी। इनके अलावा कर्मचारियों को ज्यादा फायदा देने की आपकी जो भावना है, वह भी इस बिल में हमें देखने को मिलती है। मैं अब इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा जिससे कि उनको आगे चलकर काफी फायदा हो।

आपके यहां से जो कंट्रीब्यूशन कार्ड कर्मचारियों को मिलना चाहिये, उसको मिलने में महीनों लग जाते हैं। किसी वजह से अगर एम्प्लाई उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता है तो उसके लिये एम्प्लायर को दस्तखत की जरूरत पड़ती है। अगर किसी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ होता है तो एम्प्लायर दस्तखत करने से मना कर देता है। ऐसे में एम्प्लाई के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। वह आखिर में किसी तरह पैसा देकर या हाथ-पैर जोड़कर कार्ड बनवाता है मैं चाहता हूं कि इसकी तरफ आप ध्यान दें।

दूसरा, जब एम्प्लाई रिटायर हो जाता है तो उसको जो रिफंड मिलने वाला होता है उसके लिये उसके पास कोई ऐसा कागज नहीं होता है जिससे वह कोई प्रूफ साबित कर सके और उस पैसे को वापिस ले सके। इसमें उसके कई साल निकल जाते हैं और कई बार इस बीच में उसकी डैथ भी हो जाती है। उसके परिवार वालों को जो चक्कर लगाने पड़ते हैं उसमें उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

एक अलावा एक रसीद होती है जो पी.एफ. की तरफ से इशू होती है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि उस रसीद को नहीं रखा जा सकता है? एम्प्लाई या एम्प्लायर दोनों में से किसी

एक के लिये भी इसको सम्भाल कर रखना मुश्किल होता है उसमें कहीं कोई डेट नहीं होती है। उसमें खानें बने हुए होते हैं जैसे कि कोड/एकाउन्ट नम्बर, नाम प्रोपनिंग बैलेंस, इन्टरस्ट प्रान प्रोपनिंग बैलेंस (एम्प्लाइज का और एम्प्लायर का) रिफंड प्राफ विदड्राल्स, टोटल क्रेडिट, विदड्राल्स, क्लोजिंग बैलेंस, फार आर. पी. एफ. सी, दिल्ली। यह पीस प्राफ पेपर कहीं ले जाकर दिखाया जाय तो इसका कोई फायदा नहीं है। यहतो प्रूफ भी नहीं माना जा सकता और इसको संभालकर रखना भी बहुत मुश्किल है। तो इसकी जगह अगर पास बुक इश्यू कर दें और पास बुक में क्रेडिट होता रहे और बाद में भी बैंक काउण्टर पर आप कोई ऐसा कायदा बना दें कि वहां जाकर पास बुक सबमिट करें और पैसा ले सकें तो उससे उनको बहुत फायदा होगा।

अब मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जिनको एम्पलायर भी पेस करते हैं, उनको भी परेशानी होती है। अब जैसे एक ही प्रिमिसिस में दो यूनिट लगे हुए हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं लेकिन उनमें आपस में नहीं बनती, बाप बेटे भी हो सकते हैं, मियां बीबी भी हो सकते हैं, भाई-भाई भी हो सकते हैं तो आपके डिपार्टमेण्ट के आदमी वहां जाते हैं और वह दोनों को क्लब करने की कोशिश करते हैं : वह यह कहते हैं कि हम इन दोनों यूनिटों को अलग-अलग नहीं मानेंगे। हालांकि उनका इनकम टैक्स अलग होता है उनका सेल्स टैक्स अलग होता है लेकिन वह उस बात को नहीं मानते हैं और उससे उन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से किसी एम्पलायर के फैब्रिकेटर होते हैं और उनसे वह माल बाहर बनवाता है, जो उसके लिए माल बनाते हैं तो उसको भी आपके प्रोविडेण्ट फण्ड वाले उसकी फैक्टरी के साथ क्लब करने की कोशिश करते हैं जिससे फैब्रिकेटर को भी परेशानी होती है और एम्पलायर को भी परेशानी होती है, फैक्टरी प्रानर को भी परेशानी होती है और इससे निकलने का कोई रास्ता उनकी समझ में नहीं आता सिवा इसके कि वह उनको ग्रैटन करते हैं चिट्ठयां लिखते हैं, और तंग करने की कोशिश करते हैं।

नम्बर तीन, कोई यूनिट जो बन्द होते हैं और उनके जो एम्पालयर या एम्पलाइज होते हैं उनके केस को फाइनल करने में कई-कई साल लग जाते हैं और वह आपके डिपार्टमेण्ट के चक्कर ही काटते रहते हैं और उनका केस फाइनल नहीं होता। इससे एम्पलाइज को भी दिक्कत होती है और एम्पलायर को भी दिक्कत होती है।

इसके अलावा जब कोई एम्पलाई लोन लेने जाते हैं, आपके डिपार्टमेण्ट में, तो लोन लेने के लिए, चाहे वह हाऊस के लिए हो या जाति परेशानी की वजह से हो, तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

एक बात और मैं जरूरी समझता हूं। हर बार प्रॉनर्स प्राफ पूफ एम्पलायर के ऊपर या एम्पलाइ के ऊपर रखा जाता है। आपके डिपार्टमेण्ट वाले, अगर उसके पास कोई रसीद खो जाय तो वह जिम्मेदारी उसके ऊपर थोप देते हैं। आपके डिपार्टमेण्ट की फाइल में वह चैक करने की कोशिश नहीं करते या आपके डिपार्टमेण्ट की फाइल में से कुछ कागज गायब हो जायें तो यह उनके ऊपर है कि वह कोई प्रूफ रखें या नहीं रखें तो यह जिम्मेदारी भी आपके किसी आफिसर के ऊपर होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई व्यक्ति तंग होता है, आप कोई ऐसी टाइम लिमिट रखें कि अगर किसी व्यक्ति को नाजायज तंग किया जाता है तो उस आफिसर की जिम्मेदारी रखी जाय और उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हमेशा उन लोगों को ही परेशान न किया जाय जो आपको पैसा

देते हों, चाहे किसी के लिए देते हों, चाहे एम्पलाइ के फायदे के लिए होता हो लेकिन लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

मेरा लास्ट पाइण्ट यह है कि जो कण्ट्रीब्यूशन है वह आपकी कुछ सलैक्ट जगह हैं जहां कण्ट्रीब्यूशन जमा होता है। मैं यह चाहता हूं कि आप नेशनलाइज्ड बैंक की कुछ स्पेशल ब्रांचेज कर दें जैसे बैंक आफ इण्डिया, यूनियन बैंक, सैंट्रल बैंक ऐसे बैंक हैं जिनमें वह स्लिप जमा हो जायें जैसे इनकम टैक्स की होती हैं तो इससे भी सब को बड़ा फायदा होगा।

एक बात और है। जो बहुत बड़ी यूनिट्स है जिनसे आपको बहुत पैसा कण्ट्रीब्यूशन का मिलता है, उनमें और जो छोटी यूनिट्स हैं, जिनमें 10-20 एम्पलाइज हैं, आप फर्क जरूर करें क्योंकि छोटी फैक्टरीज पर पी.एफ., बोनस ई.एस.आई. इस्पैक्टर फैक्टरीज, मिनिमम वेजिज, लेबर डिपार्टमेण्ट एम.सी.डी. लाइसैंसिंग, वाटर पोल्यूशन और डायरैक्टर इण्डस्ट्रीज, क्वालिटी कण्ट्रोल का इतना बोझ होता है। एक आदमी जो 20 आदमी रखता हो, वह बहुत बड़ा एस्टेबलिशमैण्ट नहीं रखता है, वह एक या दो क्लर्क रखेगा तो इस तरह सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। मैं यह चाहता हूं कि कुछ ऐसा सिस्टम आप रखें, मेरे पास कोई सजेशन नहीं है वरना मैं जरूर देता, कि बड़े आदमियों पर ज्यादा सख्ती हो, उनका सिस्टम कुछ और हो और छोटी इण्डस्ट्रीज वालों को जरूर रियायत मिलनी चाहिए।

तो यह मेरे थोड़े से सजेशन हैं।

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं दो तीन बातें इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि प्रोविडैण्ट फण्ड का कन्सैप्ट इस देश में वेस्ट से आया और यही सोचकर आया कि जो मजदूर हैं, इण्डस्ट्रियल फील्ड में उनको रिटायरमैंट के समय में कुछ ऐसा एमाउण्ट मिले, इतना पैसा मिले जिससे जीवन के शेष भाग को वे आराम से बिता सकें, इसी से इसे प्रोविडैण्ट फण्ड या भविष्य निधि कहते हैं। लेकिन इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो खामियां हुईं, उसके कारण सरकार भी परेशान हो गई और इसी बात को लेकर सरकार यह बिल लाई है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य है। इस संबंध में मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। मैंने इस बिल का विस्तार से अध्ययन किया है और इसमें बहुत से प्रोवीजन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है।

मैं सबसे बड़ी एक बात कहना चाहता हूं। कोई आदमी बीस वर्ष की उम्र में नौकरी में आता है और 60 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। बीस वर्ष की उम्र में मान लीजिए कि वह 1948 में उसकी नौकरी शुरू होती है। उस समय एक साल का प्रोवीडेंट 1500 रु. रखा था और आप उसमें 6-7 परसेंट इन्टरैस्ट लगाकर उसको कितना पैसा देंगे 1988 में। यदि उसने 1948 में 500 रु. का सोना खरीद लिया होता या जमीन खरीद ली होती, तो आज उसकी क्या कीमत होती। आप ही मानने लगे कि डबल डिजिट-इन्फलेशन आ गया है।

श्री जगदीश टाइटलर : माना कहां है;

डा. गौरी शंकर राजहंस : वित्त मन्त्री जी ने मान लिया है कि डबल-डिजिट-इन्फलेशन आ गया है। आप मार्केट में देखिए कि मंहगाई कितनी है। इनएडवर्टेंटली मन्त्री जी ने कह दिया कि

फिक्स्ड-डिपाजिट में लगाओ। यही बात मैं कहना चाहता हूं, उसमें आपका कन्ट्रीब्यूशन कितना है। एम्पलाईज देते हैं, एम्पलायर्स देते हैं और आप उसमें थोड़ा सा सुपरविजन कर लेते हैं। मेरा सुझाव है कि प्रोवीडेंट फण्ड का 90 प्रतिशत पैसा आप इन्दिरा-विकास-पत्र में दे दीजिए और पांच साल में दुगुना हो जाएगा, उसको फिर दे दीजिए और प्रोवीजन इस तरह से कीजिए कि वह लोन ले सके। यह मैं आपको ठोस सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि मजदूरों का पैसा बेकार पड़ा रहता है।

श्री जगदीश टाईटलर : बेकार कहां पड़ा रहता है, फाइनेंस. मिनिस्टर के पास संभाल कर रखा रहता है।

डा. गौरी शंकर राजहंस : मजदूरों का पैसा आप ऐसे ही क्यों रखेंगे। आप न्याय दीजिए, वैलफेयर स्टेट है। न्याय करने के लिए आप हैं। आप मजदूरों के कन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लायर्स के कन्ट्रीब्यूशन का 90 प्रतिशत पैसा इन्दिरा विकास पत्र में दीजिए। वह भी तो आपके ही पास रहेगा और जब मजदूर उसको किसी कारणवश लेना चाहे तो उसमें उसको सुविधा प्राप्त हो : मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज प्रोवीडेंट फण्ड से पैसा लेना अपहिल-टास्क है। यदि कोई लोन लेना चाहता है, तो सर्टेन प्रोवीडन्स हैं कि वह इस पर्पज के लिए लोन ले सकता है। इतने साल का कन्ट्रीब्यूशन हो जाए, तब वह लोन ले सकता है। आदमी तबाह-तबाह हो जाता है, मैं कहता हूं कि जब किसी का पैसा जमा किया है, तो पहले दिन से ही सुविधा होनी चाहिए कि उसमें से वह 80 परसेंट लोन ले सके। आप कर हाउसिंग के लिए, फ्लैट बनाने के लिए एन्करेज करते हैं, कोई लोन लेना चाहे तो वह प्रोवीडेंट फण्ड से लोन ले सकता है। लेकिन उसमें भी कठिनाई होती है, मैं तो कहूंगा कि आप इसमें थोड़ा सा सुधार और कर दीजिए।

लोग गांवों से भाग कर शहरों की ओर आ रहे हैं। जो लोग गांवों में छोटी सी झोंपड़ी भी बनाना चाहे, उसे आप प्रोवीडेंट फण्ड से तुरन्त लोन दिला दीजिए। हो सके तो एडवांस लोन दिला दीजिए, जो कि उनको कटता रहेगा। हमारा ऐसा तजुर्बा है कि किसी-किसी इन्डस्ट्री में एक गांव या उसके आस पास के गांव के लोग बहुत से हो जाते हैं, जैसे हमारी न्यूज पेपर इन्डस्ट्री में सुलतानपुर के बहुत से लोग हैं। या ईस्टर्न यू.पी. के बहुत से लोग हैं। तो आप एम्पलायर को प्रोत्साहित कीजिए कि हम इन्कम टैक्स में छूट देंगे यदि आप इन लोगों के लिए गांव में ग्रुप हाऊसिंग बनवा देगें और प्रोवीडेंटफंड से उसमें आप मदद करेंगे।

दूसरी जरूरी बात मैं यह कहना चाहताहूं कि आप ऐसे लोगों के नाम, ऐसे एम्पलायर्स के नाम कम से कम 6 महीने में अखबार में अपने खर्च से प्रकाशित करें, जिन्होंने एम्पलाईज का प्रोवीडेंट फण्ड खा लिया है। बड़ी विडम्बना है और मैं जानता हूं पर्सनल नौलिज से ऐसे लोगों को जिन्होंने 40, 40 और 50, 50 हजार मजदूरों के प्रोवीडेंट फण्ड खा लिए हैं और आज वे सेठ बने फिरते हैं और हमारे मंत्री जी बड़े आराम के साथ उनके साथ घूमते हैं और फंक्शन एटेंड करते हैं। उनका तो सोशल बायकाट होना चाहिए और अखबारों में लिस्ट छपनी चाहिए कि इन लोगों ने मजदूरों का प्रोवीडेंट फंड खा लिया है और दूसरी इन्डस्ट्री शुरू करने की उनको इजाजत नहीं होनी चाहिए। वे यदि किसी एवार्ड को घोषित करें किसी काम के लिए किसी लिटरेरी फीगर को देने के लिए, तो वह एवार्ड लेने नहीं जाना चाहिए क्योंकि 50 हजार मजदूरों को उन्होंने सड़कों पर खड़ा कर दिया है और ऐसे मालिक एवार्ड घोषित करते हैं। व्हाट ए शेम। और अखबार निकाल कर हमें उपदेश देते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह तो कलक्टिवली सोचिये और

उनका बहिष्कार कीजिए ऐसे लोगों का सोशल बायकाट करना चाहिए। जिन लोगों ने प्रोवीडेंट फण्ड का पैसा खा लिया है, और उनका असली चेहरा लोगों को दिखाइए।

एक बात और कहना चाहूँगा। आपने बोर्ड में कह दिया है कि रेप्रेजेन्टेटिव्ज के बदले 10 लेंगे एम्पलाईज के और 10 लेंगे एम्पलायर्स के आर्गेनाइजेशन के। मेरा निवेदन यह है कि इस संख्या को बढ़ाकर आप 15 कर दीजिए। फिर मैं यह कहूँगा कि प्रोवीडेंट फण्ड का एमाऊन्ट, जो आपने सवा 6 से बढ़ाकर 8½ कर दिया है, इसको मिनीमम 10 कर दें और 15 तक अगर कोई इम्पलायर करना चाहे, तो उसको इन्कम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए।

आपने बड़ा अच्छा काम किया है कि यदि कोई लिक्वीडेशन में चला जाए, तो फर्स्ट चार्ज प्रोवीडेंट फण्ड का होगा। अक्सर लोग एक इन्डस्ट्री सिक कर देते हैं और दूसरी इन्डस्ट्री बैठा देते हैं। यदि कोई आदमी एक इन्डस्ट्री को सिक कर देता है और उसने एम्पलाईज का पैसा खा लिया, तो सरकार ऐसा कानून बनावे कि दूसरी इन्डस्ट्री से प्रोफिट निकाल कर प्रोवीडेंट फण्ड का पैसा देना होगा चाहे वह कोई भाई भतीजे के नाम से शेयर दिखावे। जैसा कि दिघे साहब ने कहा है कि इस बिल पर सैकेन्ड लुक होना चाहिए, जिससे प्रोवीडेंट फण्ड का पैसा खाने वालों के साथ कड़ाई से व्यवहार किया जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 185 करोड़ रुपये का जो एरियर है, यह अपने आप में कोई छोटा एमाऊन्ट नहीं है। इस 185 करोड़ रुपये को निकालने का प्रयास कीजिए।

अन्त में मैं यही कहूंगा जैसा कि एक मित्र ने कहा कि कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जिस दिन आदमी रिटायर करता है, प्रोवीडेंट फण्ड के पैसे का चैक उसी दिन उसको मिल जाए। कुछ इन्डस्ट्रीज में ऐसा होता है लेकिन सब में नहीं होता है। इसके लिए आप जोर-शोर से प्रयास करें क्योंकि एक आदमी की जीवन भर की वह कमाई है और बड़ी मुसीबत से उसने उसको जमा किया है। उसको वह पैसा लेने में बड़ी कठिनाई होती है और उस पैसे को विद ड्रा करने में वह जमीन-आसमान एक कर देता है। मैं यह कहूँगा कि प्रोवीडेंट फण्ड इन्श्योरेंस लिंक्ड हो। कोई आदमी मर जाता है, तो आटोमेटीकली उसके घर वालों को पैसा मिल जाए। एक बात यह कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद अनुभव किया है कि नोमीनी न होने से बाद में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए प्रोवीडेंट फण्ड में आप यह कम्पलसरी कर दीजिए कि जिस दिन एम्पलाई प्रोवीडेंट फण्ड के कागज भरे, उसी दिन नोमीनी नोमीनेट करने के कागज भी भरें।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

श्री के. एन. प्रधान (भोपाल) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ और और साथ-साथ श्रम मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्हें बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं उनमें विशेष रूप से जो हमारे लेबर लाज है, उनमें नये कानूनों को बनाना या जो वर्तमान कानून है उनमें संशोधन करना बड़ी हिम्मत की बात समझा जाता है। जिस देश में इतने पुश एण्ड पुल्स है, इतने अलग-अलग क्षेत्र हैं उनमें कानूनों में संशोधन करके समन्वय लाना हिम्मत की बात है। इन्डस्ट्रीज के हितों को सामने रखना है, मजदूरों के हितों की सुरक्षा करनी है, विकास और उत्पादन को बढ़ाना है। इन सबको सामने रख कर कानूनों में संशोधन करना

निश्चित रूप से हिम्मत की बात है और श्रम मंत्री जी ने हिम्मत से काम लिया है। इसकेलिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।

हमारे देश में प्रोविडेंट फण्ड का जो उद्देश्य रहा है उससे मजदूरों को फायदा पहुंचा है। उद्देश्य यह रहा है कि जब वे रिटायर हो, मरे या अपंग हों तो उन्हें सुरक्षा मिले। लाखों मजदूरों को निश्चित रूप से इससे फायदा पहुंचा है लेकिन यह भी सही है कि हजारों मजदूर इस देश में ऐसे भी रहे हैं जिनका अपना पैसा होते हुए भी, आवश्यकता पड़ने पर वे उससे लाभ नहीं उठा पाये हैं। कई इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने न केवल अपना पैसा बल्कि मजदूरों के वेतन से जो पैसा काटा उसको भी उन्होंने जमा नहीं किया।

मेरे भोपाल में जब कपड़ा मिल बन्द हुई तब श्रीमान् मजदूरों की इतनी बुरी हालत थी कि इसको वे ही लोग समझ सकते हैं जो उनके बीच में रहते हैं कि किस तरह से वे अपने बाल-बच्चों को पालते-पोसते थे। मैंने वहां देखा है कि कुछ मजदूरों को तो भीख मांगने पर मजदूर होना पड़ा था जबकि उनका हजारों रुपया प्रोविडेंट फण्ड में जमा था। लेकिन चूंकि मालिकों ने पैसा जमा नहीं किया था इसलिए उन्हें वह पैसा नहीं मिल सकता था।

श्रीमान्, खुशी की बात है कि जहां एक ओर 1980 में कमेटी बनाई थी, उसकी भी अपनी सिफारिशें थी, उसी तरह से आपके सेन्ट्रल बोर्ड ने भी समय-समय पर अपनी सिफारिशें की हैं, अपनी राय दी हैं। स्टेंडिंग लेबर कमेटी ने भी कई बार अपने सुझाव दिये हैं और इन सभी का आपसे समन्वय करने की कोशिश की है। बधाई देना चाहता हूँ कि जहां पर आपने सेन्ट्रल बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज में रिप्रेजेन्टेटिव्ज बढ़ाये हैं, 6 के बजाए 10 किये हैं, एक्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाई है, वहीं आपने अंशदान को $8\frac{1}{3}$ या $8\frac{1}{4}$ परसेंट किया है। इसकी बड़ी मांग थी और यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

जो बकाया राशि है उसके लिए भी आपने इन्डीपेंडेंट मशीनरी बना करके अच्छा काम किया है। एक और अच्छा काम किया है कि यह प्रोविजन किया है कि लिक्विडेशन होने की सूरत में जो सरचार्ज मजदूरों की बकाया रकम पर लिया गया है वह निश्चित रूप से सराहनीय हैं और मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन् इसी तरह से आपने पीनल प्रोविजन भी किए हैं। वे भी मदद करेंगे कि कम से कम ज्यादा बकाया न रहे।

एक बात का आपने और प्रोविजन किया है कि जहां पर दो या इससे अधिक मजदूर काम करते हैं वहां पर अगर 60 परसेंट से ज्यादा मजदूर चाहें तो वहीं पर खाता खोल सकते हैं। इसमें एहतियात रखने की बात है। कहीं ऐसा न हो कि जो मालिक हैं वे उसी तरह से काम करना शुरू कर दें। इस पर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

15.00 म. प.

आप प्रोविडेंट फण्ड महंगाई भत्ते पर काटते हैं लेकिन ओवर टाइम पर प्रोविडेंट फण्ड नहीं काटा जाता है। इसका दुरुपयोग अपने देश में कई संस्थाएं कर रही हैं। जहां पर आठ घंटे के बाद ओवर टाईम होना चाहिए वहां पर उनमें आठ-आठ घंटे की एक शिफ्ट पूरी की पूरी ओवर टाइम में कराई जाती है। वे ओवर टाइम की पेमेंट करके मजदूरों से काम लेते हैं और उस ओवर टाईम

में से ई. एस. आई. और प्रोविडेंट फण्ड की जो राशि काटी जानी चाहिए वह काटने से वे बच जाते हैं। इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा।

श्रीमान् अब वह समय आ गया है कि इन सब कानूनों के रहते हुए भी लेबर डिपार्टमेंट का अपना एक बहुत इम्पार्टेन्ट रोल है। आज के हालात से उसकी क्या पावर हो, उसको किस तरीके से काम करना चाहिए, इस पर भी आप नये सिरे से विचार करें मैं समझता हूं कि इन कानूनों के इम्पलीमेन्टेशन से और ठीक तरह ने इम्पलीमेन्टेशन से खराबियों को आप बहुत हद तक दूर कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

नियम 193 के अधीन चर्चा

जर्मन संघीय गणराज्य की मैसर्स एच. डी. डब्ल्यू. से पनडुब्बियों की खरीद में भारतीय एजेण्टों को कमीशन दिये जाने के आरोप के बारे में 22 अप्रैल, 1988 को रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 11 अर्थात् 193 के अन्तर्गत चर्चा को लेते हैं। कृपया श्री दिनेश गोस्वामी बोलें।

श्री दिनेश गोस्वामी (गुवाहाटी) : अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत मैं जर्मन संघीय गणराज्य की मैसर्स एच. डी. डब्ल्यू से पनडुब्बियों की खरीद में भारतीय एजेण्टों को कमीशन के भुगतान के आरोप के बारे में 21 अप्रैल, 1988 को सदन में रक्षा मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर चर्चा करता हूं।

यह चर्चा पिछले सप्ताह सदन में हुई बोफोर्स सम्बन्धी चर्चा के कारण हो रही है। हालांकि बोफोर्स मामले में, रक्षा मंत्री महोदय द्वारा बड़ा सख्त और प्रबल बचाव किया गया और श्री शिव शंकर, श्री एच. के. एल. भगत तथा सत्तारूढ़ दल और जे. पी. सी. के वक्ताओं ने सरकार को ईमानदार बताने की कोशिश की लेकिन वास्तविकता है कि असंख्य प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गए हैं। ऐसे जब प्रश्नों का जवाब नहीं दिया गया कि बोफोर्स भुगतान को स्वीकार करने के बाद ······

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम बोफोर्स के मामले पर चर्चा कर रहे हैं अथवा इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं ? इस विषय पर मैं आपका विनिर्णय जानना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : जब हम हृदयगति रुक जाने के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) के बारे में भी चर्चा करनी होगी। आप केवल हृदय गति रुक जाने के बारे में ही चर्चा नही कर सकते हैं···।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मामला हर समय एक जैसा नहीं होता है। यह एक भिन्न बात है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपका क्या विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बताया कि हम केवल पनडुब्बियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं पनडुब्बियों पर चर्चा करने जा रहा हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : यह व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। इन दोनों के बीच एक सम्बन्ध सूत्र है, अर्थात् "दि हिन्दुआ" बन्धु।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं यह बताना चाहूंगा कि शुक्रवार को हुई आधे घण्टे की एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। यह बेरोजगारी के बारे में थी जो वास्तव में कुछ ऐसी बात है जो हरेक व्यक्ति को परेशान कर रही है। एक आदमी को छोड़कर विपक्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है···। (व्यवधान)

मैंने कहा आपको छोड़कर, यहां कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। लाखों युवा लोग संकटापन्न अवस्था में रहते हैं और आप इसमें रुचि भी नहीं दिखाते हैं। यहां आप पनडुब्बियों के सौदे की बात करते हैं। इसके लिए आपको कौन पैसा दे रहा है? आपको यह कार्य करने के लिए कौन कह रहा है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उनके द्वारा रुचि दिखाये जाने के कारण बेरोजगारी की संख्या में कई गुणा वृद्धि हो जाएगी।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं जनसंख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप (बोलना) जारी रखिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुझे आशा है कि आप कुछ लोगों को नौकरियां देंगे··।

श्री जगदीश टाइटलर : जी, हां। (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इससे पहले आप अपनी नौकरी गंवा देंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मैं पूरी तरह सचेत हूं कि हम बोफोर्स के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। परन्तु मैंने बताया कि बोफोर्स के मामले में कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए। ये प्रश्न कुछ इन तथ्य के बारे में थे, जैसे कि बोफोर्स ने 65 करोड़ रुपये के भुगतान को स्वीकार किया, बोफोर्स ने तीन कम्पनियों के नाम बताए थे, इन जानकारियों में गोपनीयता का सहारा नहीं लिया गया, परन्तु महत्वपूर्ण प्रलेख प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर उन्होंने यह दलील दी थी ···(व्यवधान)

श्री शिवशंकर ने बोफोर्स का बचाव करते समय यह कहा था कि हो सकता है कि बोफर्म के निदेशकों ने 65 करोड़ रुपए लिए हों। यह प्रश्न अनुत्तरित है कि यदि बोफोर्स के निदेशकों द्वारा 65 करोड़ रुपए हिसाब में नहीं लिए गए हैं तो भारत सरकार 65 करोड़ रुपये वापस लेने की हकदार है। यह दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने उस कम्पनी के प्रमाण-पत्रों पर विश्वास किया, जिसके निदेशकों ने धनराशि को हड़प किया है।

यदि बोफोर्स में प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं तो मंत्री महोदय के वक्तव्य, जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, में अनेक प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं परन्तु वक्तव्य का जिक्र करने से पूर्व मैं

विश्वास करता हूं कि मेरा यह कर्तव्य है कि तथ्यों को रखूं ताकि मैं अपने तर्कों को क्रमबद्ध कर सकूं। तथ्य ये हैं कि 1981 में ठीक 11 दिसम्बर, 1981 को संघीय जर्मन की एच. डी. डब्ल्यू. से चार पनडुब्बियां खरीदने के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किये गए थे। दो पनडुब्बियों का निर्माण कील में एच. डी. डब्ल्यू. के पत्तन पर तथा दो का हमारे अपने पत्तन मजगांव पर किया जाना था। उस समय 1981 में यह सौदा सार्वजनिक टीका टिप्पणियों सरकारी से मुक्त नहीं था। उस समय दलाली देने के आरोप लगाये गए थे, यह आरोप भी लगाया गया था कि यह सौदा इसलिए शीघ्र किया गया था क्योंकि सत्तारूढ़ दल को विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता थी और हमारा एक विशिष्ट साथी खुद विवाद के विषय में फंस गया था। पनडुब्बियों के अधिक शोर करने को लेकर विवाद पैदा हो गए थे, मूल्य वृद्धि के बारे में विवाद 36 खड़े हो गए थे और सहमति के ज्ञापन के बारे में विवाद खड़े हो गये थे। ये सब बीता हुआ इतिहास है जिसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा। हाल में सरकार ने दो और पनडुब्बियां खरीदनी चाही थी और बातचीत शुरू कर दी थी। 24 फरवरी, 1987 को रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी डाक्टर मोलीटर और ध्यान रखेंगे उस व्यक्ति का एच. डी. डब्ल्यू. से सम्बन्ध नहीं है, वह एच. डी. डब्ल्यू का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी नहीं है, परन्तु वह संघीय गणराज्य जर्मन के रक्षा मंत्रालय का एक अधिकारी है, इन खरीदों के बारे में हमारे नौ सेना सहकारी निवल घटंची तथा राजदूत के साथ चर्चा कर रहा था। उसने यह सूचित किया कि एच. डी. डब्ल्यू, द्वारा मूल्यों में कमी करना कठिन है क्योंकि एच. डी. डब्ल्यू. ने एक भारतीय एजेण्ट के साथ 7 प्रतिशत कमीशन देने का करार किया हुआ है। प्रतिशत का मात्रा का भी श्री मोलीटर द्वारा जिक्र किया गया था। हमारे राजदूत ने, सही तौर पर' तुरन्त कमीशन तथा इसमें भारतीय एजेण्ट के शामिल होने के बारे में सूचना देते हुए दिल्ली को एक टैलेक्स भेजा था और यह टैलिक्स पहले प्रधान मंत्री के कार्यालय में और फिर रक्षा मंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुआ था।

चार दिन बाद 28 फरवरी 1987 को इस संदेश पर रक्षा मंत्रालय की फाईल में कार्यवाही की गई थी और यह फाइल रक्षा मंत्री को 3 मार्च 1987 को प्राप्त हुई थी। 11 मार्च 1987 को रक्षा मंत्री ने तीन जांचों के आदेश दिये थे। प्रथम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के सम्भव उल्लंघनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किये जाने, दूसरी आयकर के सम्भव उल्लंघनों के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा और तीसरी भारतीय तथा विदेशी एजेण्टों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा जांच करने के आदेश दिये। 25 मार्च' 1987 को रक्षा सचिव द्वारा तत्कालीन रक्षा मंत्री को एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। 9 अप्रैल, 1987 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने तीनों जांचों के लिए स्वीकृति दे दी थी। उन्होंने तीनों जांचों के साथ-साथ भारतीय तथा विदेशी एजेण्टों की कार्यप्रणाली के बारे में रक्षा सचिव द्वारा एक चौथी आंतरिक जांच के लिए भी आदेश दिये थे। अतएव एजेण्टों की कार्यप्रणाली के बारे में दो जांचों के आदेश दिये गये थे अर्थात् एक आर्थिक आसूचना ब्यूरो और दूसरी खुद रक्षा सचिव द्वारा। उसी फाईल, जो कि एक समकालीन दस्तावेज है, में अत्यन्त महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है, जो कि रक्षा सचिव द्वारा रक्षा मंत्री के समक्ष रखी गई थी···(व्यवधान)···मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र क्यों चिल्ला रहे हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूं वे पूर्णतया वही तथ्य हैं जो रक्षा मंत्री ने दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : आप भाषण पढ़ क्यों रहे हैं?

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं भाषण को कभी नहीं पढ़ता। मेरी ऐसी आदत नहीं है जैसी

मेरे दोस्त ने की है। मुझे तारीखों को सरसरी तौर पर पढ़ना होता है। तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री ने उस फाइल में यह टिप्पणी की थी कि रक्षा सचिव ने संभावी बिचौलिए का नाम हिन्दुजा बताया था। वह एक समकालीन प्रलेख है जिसके बारे में श्री के. सी. पन्त के वक्तव्य में भी जिक्र किया गया है। अब तक रक्षा सचिव ने इस तथ्य से इन्कार नहीं किया है, हमें जो प्रलेख दिए गए हैं उनमें रक्षा-सचिव की इस अस्वीकारोक्ति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है कि रक्षा सचिव ने उस विशेष समय पर हिन्दुजा के नाम का जिक्र नहीं किया था। अतएव, तथ्य यह है कि रक्षा सचिव ने 9 अप्रैल, 1987 को हिन्दुजा के नाम का जिक्र किया था और मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि रक्षा सचिव जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है किसी व्यक्ति के नाम का जिक्र केवल हवा में तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई ठोस सबूत न हों। उस दिन तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा एक प्रेस टिप्पणी भी जारी किया गया था, जिसके बारे में विद्यमान रक्षा मंत्री ने कुछ आपत्ति की है। आश्चर्य की बात है कि इस तथ्य के बावजूद कि 9 अप्रैल को इन जांचों के लिए आदेश दिये गए थे और इस तथ्य के बावजूद कि 17 अप्रैल को बोफोर्स का समाचार भारत के राजनीतिक क्षितिज पर आ गया था, क्योंकि समाचार पत्रों में 17 अप्रैल को बोफोर्स के शामिल होने का समाचार छप गया था, 12 जून तथा 27 जून, 1987 तक एच. डी. डब्ल्यू. को कोई स्मरण-पत्र नहीं भेजा गया था और न कोई जांच की गई थी।

इस पर पेकिंग और इसका अनुमोदन 9 अप्रैल, 1987 को हुआ और हमें जो दस्तावेज भेजे गए उनसे पता चलता है विदेश मंत्रालय द्वारा जर्मन गणराज्य को पहला स्मारक पत्र 12 जून, 1988 को भेजा गया था और रक्षा सचिव द्वारा एच. डी. डब्ल्यू को 27 जून, 1987 को पत्र भेजा गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार इस बात के लिए क्या स्पष्टिकरण देगी कि उसने इस मामले को दो मास तक क्यों दबाये रखा और उसने न तो सरकार से अथवा एच. डी. डब्ल्यू से कोई पूछताछ की जबकि न केवल इस मामले से बल्कि बोफर्स के मामले से बल्कि बोफर्स के मामले से इस देश में वास्तव में राजनैतिक तूफान पैदा हो रहा था।

प्रधानमंत्री सचिवालय को फरवरी के अन्तिम सप्ताह अथवा 24 फरवरी, 1987 को यह टैलेक्स मिल गया था और प्रधानमंत्री इस दौरान यह कहते रहे कि वे बहुत उत्सुक हैं कि इस सौदे में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। उन्होंने पुनः अनुदेश जारी किये कि बिचौलिया नहीं होना चाहिए। 17 अप्रैल को उनके सामने बोफोर्स सौदे संबंधी आरोप आए। मामले के बारे में प्रतिपक्षी दलों के साथ बातचीत हुई, किन्तु हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री सचिवालय और प्रधानमत्री इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं करते और उन्होंने रक्षा मंत्री अथवा रक्षा सचिव अथवा वित्त सचिव से यह नहीं पूछा कि उस समय तक कोई जांच क्यों नहीं की गई अथवा जांच का क्या हुआ।

महोदय, जर्मन गणराज्य सरकार हमारे स्मारक पत्र पर 27.7.87 को बहुत दिलचस्प स्थिति अपनाती है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। जर्मन गणराज्य सरकार के उत्तर, जोकि रक्षा मंत्री के उत्तर के साथ पृष्ठ 11 पर है मैं यह स्थिति बताई गई है। और मैं जर्मन गणराज्य सरकार के दस्तावेज का हवाला दूंगा जर्मन गणराज्य की स्थिति इस प्रकार थी कि :

> "तथापि संघीय सरकार खेद प्रकट करती है कि उसके पास अपेक्षित जानकारी नहीं है। संघीय सरकार को विश्वास है कि इस मामले में केवल एच. डी. डब्ल्यु के साथ सीधा सम्पर्क करके स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है।"

बोफोर्स के मामले में भी यही स्थिति पाते हैं, जिसके बारे में सरकार को कुछ भी नहीं कहना केवल बोफर्स ही बता सकती है, इसी प्रकार, आपको केवल एच. डी. डब्ल्यु ही बता सकती है कि क्या कोई कमीशन दिया गया है, क्या कोई एजेंट रखा गया था। तथापि सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एच. डी. डब्ल्यु कोई गैर-सरकारी कम्पनी नहीं है। यह जर्मन संघीय गणराज्य की कम्पनी है। एच. डी. डब्ल्यु के 75 प्रतिशत का स्वामित्व जर्मन संघीय गणराज्य का है और 25 प्रतिशत हिस्सा एक राज्य सरकार का है। इस तत्व के बावजूद कि यह उसका अपना उपक्रम है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है जर्मन सरकार ऐसी बात कैसे कह सकती है।

उस स्मारक पत्र के उत्तर में जर्मन संघीय गणराज्य ने यह भी कहा कि मि. मोलिटर ने हमारे राजदूत के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं की थी। अब यह बात और भी रुचिकर है कि संघीय जर्मन गणराज्य ने अपनी संसद में यह बात नहीं कही। महोदय, संघीय जर्मन गणराज्य की ससद में "जून, 1987 को इस सौदे के बारे में प्रश्न पूछा गया था और मैं उस प्रश्न को तथा उसके उत्तर को सभा के विचारार्थ पढ़ता हूं। प्रश्न था: सरकार को कमीशन के भुगतान की सूचना कब मिली क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एच. डी. डब्ल्यु ने 300 मिलियन रुपये अथवा 43 मिलियन डश मार्क कमीशन का भुगतान किया।" यह प्रश्न था और संघीय सरकार का उत्तर है: "नहीं।" केवल एच. डी. डब्ल्यु ही बता सकती है" संघीय सरकार का उत्तर है कि संघीय सरकार को इस बात का पता है कि और यह आम बात है कि ऐसे सौदों में कमीशन दी जाती हैं। फर्म के निदेशकों को निर्णय करना होता है कि उन्हें कमीशन देना है, कैसे देना है और कितनी कमीशन देनी है। संघीय गणराज्य ने यह नहीं कहा कि इस बारे में केवल एच. डी. डब्ल्यु जानकारी दे सकती है। अब, हमारी स्थिति यह रही है कि न केवल एच. डी. डब्ल्यु को बल्कि संघीय जर्मन गणराज्य को हमने स्पष्ट कर दिया था कि इस सौदे में कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई कमीशन नहीं दी जाएगी। संघीय सरकार ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रश्न के उत्तर में अपने इस निर्णय के बारे में कुछ नहीं कहा कि उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। इसमें कहा गया है कि "जी हां, हमें जानकारी हैं कि ऐसे सौदों में कमीशन दी जाती है किन्तु कितना कमीशन दी गयी है, कब दी गयी और कितनी दी गयी इसकी जानकारी केवल एच. डी. डब्ल्यु के निदेशकों को ही है।" इसका स्पष्ट कारण यह है कि आप उनकी ससद को ऐसा उत्तर दे सकते हैं। यदि संघीय संसद में उत्तर दिया जाता है कि संघीय जर्मन गणराज्य के पास कोई जानकारी नहीं है तो इस बारे में अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे कि संघीय सरकार यह बात कैसे कहती है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं हैं जबकि इस का स्वामित्व संघीय सरकार के पास है।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस मामले को संघीय सरकार के साथ उठाया है कि संघीय संसद में दिये गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, संघीय सरकार ने यह सूचना कहां से प्राप्त की और उन्होंने जो रवैया इस सरकार के साथ अपनाया था वही रवैया उन्होंने वहां क्यों नहीं अपनाया। कम से कम पत्रों में, जो मंत्री महोदय ने हमें दिये हैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया।

इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि क्या हम पश्चिम जर्मनी की एक अच्छी पत्रिका डेरस्पगिल जिसे बहुत से लोग पढ़ते हैं, जिसके नाम का हमें भी पता है, प्रकाशित रिपोर्ट पर विश्वास कर लें कि एच. डी. डब्ल्यु. को दक्षिण अफ्रीका को पनडुब्बियां की व्यापक ड्राइंगे बेचने

के अपराध के लिए जांच की जा रही हैं। इस पत्रिका के अनुसार इसमें अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों का हाथ है अब मैं इस पहलु के बारे में जानना चाहूंगा क्योंकि यह रिपोर्ट हमारे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे सबंध शत्रुतापूर्ण है उनके साथ हमारे मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या करार की शर्तों में यह बात भी थी कि इन पनडुब्बियों, जो हमें बेची गई थीं, की ड्राइंग और विशिष्टियों को किसी अन्य देश को नहीं दिया जाएगा। मैं यह बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि यदि वे ड्राइंग तथा विशिष्टियों अन्य देशों को दी जाती हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। बोफर्स तोप के बारे में मंत्री महोदय ने कहा था कि चूंकि पाकिस्तान का अति-आधुनिक राडर दिया गया था, इसलिए सोफमा तोप की बजाए बोफर्स तोप खरीदनी पड़ी। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस मामले को एच. डी. डब्ल्यु तथा संघीय जर्मन गणराज्य के साथ उठाया था तथा उनसे पूछा था कि क्या दक्षिण अफ्रीका को विशिष्टियां तथा ड्राइंगें देने के आरोप सच हैं या नहीं। रक्षा मंत्री ने हमें जो दस्तावेज दिया है, अब इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं है।

निस्संदेह एच. डी. डब्ल्यु ने इसका खण्डन किया है।

आज, हमारे सामने बहुत ही विचित्र स्थिति है। आज लोगों को किसी प्रकार के आरोप से मुक्त करने के लिए, अथवा निष्कर्ष पर पहुँचते हुए हमें उन लोगों को सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिनके खिलाफ हम आरोप लगा रहे हैं और जांच कर रहे हैं।

यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अघोषित धन पाया जाता है, यह कहता है कि वह उसका वैध धन है और सरकार यह कहे कि क्योंकि वह ऐसा कह रहा है इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं हैं, इस लिए उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया जाए। किन्तु उन्होंने ग्लोबटेक इन्टरनेशनल कार्पोरेशन नामक फर्म की सेवाएं लीं। ये ग्लोबटेक इन्टरनेशनल कोर्पोरेशन किसकी फर्म है? मैं यहां यह कहूँगा कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे इन सब बातों की पूरी जानकारी हो मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी इन चीजों से ज्यादा परिचित हैं, किन्तु मेरे पास जो भी सूचना है, जिसमें रक्षा मंत्री महोदय द्वारा शुद्धि की जा सकती है, वह यह कि क्या वहीं ग्लोबटेक इन्टरनेशनल कोर्पोरेशन है जिसके मालिक भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल नन्दा के पुत्र मि. सुरेश नन्दा है। किसी समय श्री सुरेश नन्दा एडमिरल नन्दा के ए. डी. सी. भी रहे थे। अब वह भारतीय नागरिक नहीं है। आज वह अप्रवासी भारतीय हैं आजकल, हम इस देश में काफी रुचिकर नजारे देख रहे हैं। हमारे सामने एक अजीब सी बात हो रही है अर्थात कुछ लोग देश की ओर भाग रहे हैं। और कुछ अन्य ऐसे हैं जो स्विटजरलैंड के बैंकों के अपने खातों को छिपने के लिए देश से बाहर भाग रहे हैं।

मैं रक्षा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह इन व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या सुरक्षा अपना रहे हैं। नौसेना अध्यक्ष को हमारे सभी रक्षा भेदों की जानकारी होती है और उनके पुत्र को भी परिसहायक के रूप में यह जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए आप यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं कि यह व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय हथियार व्यापारियों से नियंत्रित भुगतान न लें। मैं समझता हूँ कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर कोई व्यक्ति दलगत नीति के आधार पर विचार कर सकता है। हमारे यहां विभिन्न सेवाओं के लिए आचरण संहिता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति कभी नहीं दी जाती और उच्च

न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसका कारण यह है कि इससे न्यायालय के निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार, हम विदेश मन्त्रालय के कर्मचारियों को विदेश मंत्रालय की स्वीकृति के बिना विवाह करने की अनुमति नहीं देते। श्री अरुण सिंह द्वारा दिए गए उत्तर से पता चलता है कि ऐसे सम्बन्धों के लिए दो वर्ष तक की सीमा अवधि निर्धारित की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया कि ऐसे व्यक्ति, जिन्हें हमारे रक्षा भेदों की पूर्ण जानकारी है, का हथियार बेचने वालों के साथ कोई सम्बन्ध न हो तथा उनके नियमित रूप से भुगतान न पाते थे।

महोदय, एच. डी. डब्ल्यु द्वारा दिए गये उत्तर के आधार पर, तथा की गई जांच के आधार पर जिसका उल्लेख किया गया है, रक्षा मन्त्री के अनुसार, जांच के बाद कुछ निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। वे निष्कर्ष क्या हैं? यह निष्कर्ष यह है कि एफ. ई. आर. ए. के उल्लंघन का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है एक महत्वपूर्ण तथा रोचक निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ है कि एच. डी. डब्ल्यु से प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में तथा एच. डी. डब्ल्यु के साथ बातचीत में, कोई भी भारतीय एजेंट फर्म की ओर से कार्य नहीं कर रहा था।

3.21 म. प.

(श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई)

मैं माननीय रक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि 'भारतीय एजेन्ट शब्द से उनका क्या तात्पर्य है? क्या इसका यह अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, जो भारतीय मूल का हो, भले ही वह किसी दूसरे देश का नागरिक हो? क्या उनका तात्पर्य किसी ऐसी फर्म से है जो देश के बाहर रजिस्टर्ड है, जिसमें भारतीय नागरिक शामिल हों। क्या उनका तात्पर्य गैर-निवासी भारतीयों से भी है?

यह प्रश्न विशिष्ट रूप से श्री अरुण सिंह से किया गया था जब वह पिछली बार पनडुब्बी सौदे पर चर्चा के समय उत्तर दे रहे थे। क्या मैं 16.4.87 के वाद-विवाद में से उनके द्वारा दिए गए उत्तर की ओर ध्यान दिला सकता हूँ जो पृष्ठ 430 तथा 431 पर है। उनसे प्रश्न पूछा गया था कि 'भारतीय एजेन्ट' शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? उनका उत्तर था मुझे खेद है कि मेरे पास प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, है क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि भारतीय एजेन्ट क्या है। मैंने जिस शब्दा-वली का प्रयोग किया था यह वही शब्दावली है जो इस सम्बन्ध में प्रयुक्त की गई।''

इसलिए, जब आज आप इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय एजेन्ट का वास्तविक अर्थ क्या है रक्षा राज्य मन्त्री श्री अरुण सिंह ने तो प्रश्न के उत्तर में कहा था कि उन्हें यह मालूम नहीं है कि भारतीय एजेन्ट का क्या अर्थ है। भारत सरकार का यह अनुदेश नहीं है कि भारतीय एजेन्टों को नियुक्त किया जा सकता है। भारत सरकार का अनुदेश था कि किसी भी एजेन्ट को नियुक्त नहीं किया जा सकता और इसका यह निष्कर्ष नहीं निकला कि किसी भी एजेन्ट को नियुक्त नहीं किया गया अपितु किसी भारतीय एजेन्ट को नियुक्त नहीं किया गया मैंने अपने पिछले वाद-विवाद में भी कहा था और मैंने आज भी कहा है कि यदि हम भारतीय एजेन्ट के स्थान पर गैर भारतीय एजेन्ट को नियुक्ति करते हैं तो यह भी गलत होगा। क्योंकि यदि भारतीय एजेन्ट हमारे भारतीय ठेके पर प्रभाव डाल सकता है, तो कम से कम हमें यह

जानकारी तो होगी कि किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा प्रभाव डाला गया है। परन्तु यदि गैर भारतीय ऐसा व्यक्ति जो इस देश से सम्बन्धित नहीं है, हमारे निर्णयों विशेष रूप से रक्षा निर्णयों पर प्रभाव डाल सके, तो यह गलत होगा।

इसलिए, मैं जानना चाहता हूं—यदि श्री के.सी. पन्त हमें बताने की स्थिति में हों—जो कि श्री अरुण सिंह हमें नहीं बता सके कि भारतीय एजेन्ट से क्या अर्थ है ? यह सच है कि श्री अरुण सिंह ने उस वाद-विवाद में ईमानदारी से तथा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वर्ष 1980 से यह स्पष्ट अनुदेश के बावजूद कि किसी भी एजेन्ट को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए तथा वर्ष 1984 में प्रधान मन्त्री जी के सत्ता में आने के बाद बार-बार इस बात को दोहराने के बावजूद पिछले वर्षों में एजेन्टों को नियुक्त किया गया तथा उन्हें कमीशन दिया गया मैंने श्री अरुण सिंह से यह प्रश्न पूछा था कि क्या वह इस स्थिति में हैं—क्या उनके मामले में ही इस अनुदेश का उल्लंघन किया गया था—और मैंने उनसे यह बताने के लिए कहा कि भारत सरकार के इन अनुदेशों का उल्लंघन किया गया था या नहीं कि एजेन्टों को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए तथा कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए ?

उनका उत्तर ही था, कि अनुदेशों के उल्लंघन के मामले हुए थे और ऐसे मामले वित्त मन्त्रालय को भेजे गए थे।

उसके बाद मैंने उनसे पूछा—आखिरकार आप रक्षा भेदों की जानकारी नहीं देना चाहते और यह ठीक है, यद्यपि हम महसूस करते हैं कि संसद को कई बार कुछ रक्षा भेदों की जानकारी नहीं दी जाती जो वास्तव में रक्षा भेद नहीं होते और रक्षा भेद नहीं रह सकते—परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा यदि किसी व्यक्ति ने भारत सरकार के इस अनुदेश का उल्लंघन किया है कि किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए अथवा सौदे के समय एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, अथवा भारत सरकार से सौदा करते समय इस अनुदेश का उल्लंघन किया है कि कोई एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए तो क्या इस सभा और इस देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति कौन हैं, जिन्होंने इन आश्वासनों तथा समझौतों का उल्लंघन किया है ? किन व्यक्ति को एजेन्ट नियुक्त किया गया था ? इन एजेन्टों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ? तथा भारत सरकार ने किस प्रकार इस राशि की वसूली की है ? और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि यह जानकारी हमें दी जाएगी। क्या मैं बता दूं कि 14 अप्रैल 1987 की चर्चा के दौरान मैंने उनसे विशेश रूप में पूछा था मेरा प्रश्न यह है मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जबकि येसभी बातें गुप्त है, कम से कम इस सभा को यह मानने का अधिकार है, कम से कम हमें जानना चाहिए कि वे लोग कौन हैं जो आपके निर्देश तथा नियमों का पालन न करने के दोषी हैं, जिन्हें दोषी पाया गया और कौन सी सजा दी गई और उनके अपराध क्या हैं ?

उसके बाद उन्होंने कहा'' मैं उस विषय पर आ रहा हूं। और तब उन्होंने उत्तर दिया ''श्री गोस्वामी से मैं क्षमा मांगता हूं। क्योंकि वे उत्तर नहीं दे रहे थे और मुझे पुनः यह ध्यान दिलाना पड़ा कि मैंने दोषी व्यक्तियों के बारे में पूछा कि कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है तथा जांच के परिणाम क्या हैं और आपने हमें आश्वासन दिया था। और उनका उत्तर यह है मैं श्री गोस्वामी से क्षमा मांगता हूं। इस समय मैं कोई विशेष उत्तर देने की स्थिति में नही हूं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आश्वासन देता हूं। मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। यह आश्वासन 16 अप्रैल 1987 को दिया गया था।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं समझता हूँ, उन्हें अब आयोग के लिए क्षमा मांगनी चाहिए···

श्री दिनेश स्वामी : आज 9 मई 1988 है। एक वर्ष से ज्यादा समय बीत गया है। मुझे उस सूचना तथा उनके व्यक्तिगत आश्वासन को पूरा करने का अभी भी इन्तजार है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या मन्त्री महोदय आज सभा में यह जानकारी देने के लिए तैयार हैं कि कितने मामलों में उन लोगों ने जिन्हें विशेषरूप से एजेंट रखने का कमीशन देने के लिए मना किया गया था एजेंट रखे तथा कमीशन दी, उनके विरुद्ध कौनसी जांच शुरू की गई है, जांच के परिणाम क्या हैं तथा उन्हें दंड देने तथा उनसे पैसा वापिस लेने के लिए क्या कदम उठाए है ?

जैसा मैंने बताया बोफोर्स के मामले में अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिये गये और इस मामले में मैं चाहूँगा कि इस चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय मन्त्री उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें जिनका उत्तर वास्तव में मुझे उनके वक्तव्य में नहीं मिला ताकि सदन सरकार की सच्चाई से संतुष्ट हो सके। परन्तु उसके पहले मैं रक्षा मन्त्री से जानना चाहूँगा :—

विभाग ने तीन जांच जाचें की तथा आपने एक आंतरिक जांच की। क्या आप सभा को इन जांचों के परिणामों से अवगत कराएंगे ? आपने सिर्फ अस्पष्ट वक्तव्य दिया है। क्या आप जांच से संबंधित सभी कागजातों को सभा के समक्ष रखने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस सभा को यह जानने का अधिकार है कि क्या जांच समुचित रूप से की गई थी, जांच से जिन बातों का पता चला जांच में किस प्रकार के साक्ष्य आये किन लोगों का साक्ष्य लिया गया ? हमें यह जानने का अधिकार है जो बात आप छुपाना चाह रहे हैं वह रक्षा से संबंधित नहीं है। हमारी जांच कतिपय अपराधों, उल्लंघन के अपराधों सरकार के विशेष अनुदेशों के उल्लंघन आदि से संबंधित है। क्या सभा को जांच से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी का अधिकार नहीं है और यदि इस सरकार को कुछ छुपाना नहीं है तो मुझे विश्वास है रक्षा मन्त्री को यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि वे सभी कागजातों को हमारे समक्ष रखेंगे।

इसलिए उनसे मेरा पहला प्रश्न है यदि आप पूर्णतया साफ पाक हैं क्या आप इन सभी प्रतिवेदनों इन सभी कागजातों को सभा में रखने के लिए तैयार हैं ;

मेरा दूसरा प्रश्न है : एच. डी डब्ल्यू. ने वक्तव्य में यह बताया था कि हमारे राजदूत तथा श्री मोलीटर के बीच की गलतफहमी हुई। किसने गलत समझा ? हमारे राजदूत ने या श्री मोलीटर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने गलत सुना ? क्या यह गलत फहमी यह है कि श्री मोलीटर ने कमीशन के बारे में नहीं कहा 7 प्रतिशत के बारे में नहीं कहा और कि हमारे राजदूत ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात के बावजूद कि श्री मोलीटर ने एजेंसी का नाम नहीं लिया किसी 7 प्रतिशत कमीशन के बारे में नहीं कहा उन्होंने तुरन्त ही अन्दाजा लगाया और दो बार संदेश भेजा ? यदि राजदूत की यह गलतफहमी थी तो राजदूत के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। परन्तु पूरे वक्तव्य में किसी भी समय यह नहीं कहा गया कि राजदूत ने कुछ भी गलतफहमी की और मुझे अभी भी विश्वास है कि पश्चिम जर्मनी में कार्यरत हमारे राजदूत जो एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तब तक तार संदेश नहीं भेजेंगे जब तक उनके पास पूरा सबूत नहीं है और इस प्रकार यह हमारे राजदूत की गलतफहमी नहीं हो सकती है। इस बात पर कि क्या यह श्री मोलीटर की गलतफहमी थी, उन्होंने कहा के मूल्य कम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 7 प्रतिशत कमीशन शामिल है ? यदि स्थिति ऐसी थी तो

श्री मोलीटर ने अवश्य एक स्पष्ट वक्तव्य दिया होगा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा और राजदूत ने उन्हें गलत उल्लेखित किया। उस मामले में राजदूत दोषी होगा।

रक्षा मन्त्री के पूरे वक्तव्य में मुझे श्री मोलीटर के वक्तव्य को गलत कहने वाला श्री मोलीटर अथवा पश्चिम जर्मनी का कोई वक्तव्य नहीं दिखा। किसी भी जगह पश्चिम जर्मनी या श्री मोलीटर ने यह नहीं कहा कि यह सच नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। पूरे वक्तव्य में यह बात नहीं है। इसलिए तो श्री मोलीटर ने कहा कि एक एजेंट शामिल है और 7 प्रतिशत कमीशन दिया गया। मैं यह पुन: कहता हूं कि श्री मोलीटर पश्चिम जर्मनी के प्रतिनिधि हैं न कि एच.डी.डब्ल्यू. के कर्मचारी? श्री मोलीटर के कथन में सच्चाई यह है कि संघीय जर्मन गणराज्य को इस बात की जानकारी थी। इसलिए सबसे पहली बात जिसका स्पष्टीकरण मैं रक्षा मन्त्री से चाहूँगा वह यह है कि यह किसकी गलतफहमी थी? गलतफहमी क्या थी? श्री मोलीटर इस बात का दायित्व नहीं लेते कि उन्होंने राजदूत को एजेंट का कमीशन के भुगतान के बारे में कहा हो। हमारे राजदूत अपने टेलेक्स भेजने की बात पर अडिग हैं। गलतफहमी कहां हो सकती है संघीय जर्मन गणराज्य इन दो बातों क्यों टिकी है। इस बात के बावजूद कि एच. डी. डब्ल्य. पर संघीय जर्मन गणराज्य का स्वामित्व है, इस बात के बावजूद कि हमारे रक्षा मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री के वक्तव्यों के अनुसार सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, कि इस समझौते में एजेंट नहीं होंगे, कमीशन नहीं दी जाएगी, इसके बावजूद संघीय जर्मन गणराज्य सरकार ने अपने संसद में यह कहा कि कमीशन देना सामान्य बात है। संघीय जर्मन गणराज्य ने हमारे संसद को दिये जवाब में अलग निर्णय क्यों लिया कि संघीय जर्मन गणराज्य को इसकी जानकारी नहीं है और सिर्फ एच.डी.डब्ल्यू. को इस बात की जानकारी है?

क्या आपने संसद को दिये उत्तर को ध्यान में रखते हुए या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कम्पनी पर संघीय जर्मन गणराज्य का स्वामित्व है। आपके इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि संघीय जर्मन गणराज्य के साथ सौदे में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए, क्या आपने इस मामले पर विचार किया? मैं रक्षा मन्त्री से यह स्पष्टीकरण चाहूँगा कि इस बात के बावजूद कि इस कम्पनी पर उनका स्वामित्व दें, इस बात के बावजूद कि प्रधान मन्त्री जैसे एक व्यक्ति ने कहा कि एजेंट नहीं होना चाहिए संघीय जर्मन गणराज्य ने संसद में कैसे यह वक्तव्य दिया कि इन मामलों में कमीशन देना एक सामान्य बात है? परन्तु यह स्थिति भी बन गई है कि वे नहीं जानते हैं और सिर्फ एच. डी. डब्ल्यू. ही इस बात का जवाब दे सकती है कि उसने एजेंट बनाया है और कमीशन दी है? जी हां, उन्होंने संसद और सरकार के समक्ष यह स्वीकार किया है कि सम्भवत: एजेंट रखे गये तथा कमीशन दी गयी है।

मैं रक्षा मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि रक्षा सचिव ने किस आधार पर हिन्दुजा का उल्लेख किया? एक समकालीन दस्तावेज है जिसमें रक्षा मन्त्री ने फाइल में यह टिप्पणी की है कि रक्षा सचिव ने हिन्दुजा के बारे में लिखा, उल्लेख किया। हमको दिए गए दस्तावेजों से मैं यह पता नहीं लगा पाता हूं कि रक्षा सचिव ने किसी भी अपने वक्तव्य को अस्वीकार किया है। यदि रक्षा सचिव ने वास्तव में हिन्दुजा का उल्लेख नहीं किया था तो उन्हें फाइल में इस बारे में कुछ लिखना चाहिए था कि रक्षा मन्त्री ने फाइल में जो टिप्पणी की है वह सही नहीं है तथा वह टिप्पणी हमको दी जानी चाहिए थी। दरअसल, रक्षा मन्त्री ने रक्षा सचिव के वक्तव्य का उल्लेख किया है कि हिन्दुजा के नाम का उल्लेख किया गया है। फिर, रक्षा सचिव एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं। यह

आशा नहीं की जाती है कि वे अकारण ही ऐसे आरोप लगाएंगे, ऐसा आरोप जो इस देश को अस्थिर करने की क्षमता रखता है। जब सभा में विपक्ष की ओर से इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो हमेशा यह कहा जाता है कि हम इस देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह आशा नहीं करता कि रक्षा सचिव देश को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। जब वे ऐसा वक्तव्य देते हैं तो स्पष्ट रूप से उनके पास इसके लिए कुछ आधार होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे तथ्य क्या थे, जिनके आधार पर उन्होंने रक्षा मन्त्री से कहा कि उन्हें सन्देह है कि मामले में हिन्दुजा लिप्त हैं। फिर टैलेक्स सन्देश काफी पहले 24 फरवरी को आया था। तथ्य यह है कि देश बोफोर्स द्वारा कमीशन देने के एक विवाद के तूफान में घिरा हुआ था, जो 17 अप्रैल, 1987 को भारत की धरती पर और प्रबल हो गया। यहां तक कि विपक्षी दलों के सदस्यों को भी बुलाया गया। तत्पश्चात् एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई। विदेश मन्त्रालय का स्मरण-पत्र 12 जून, 1987 को ही जारी किया गया है यह चार महीनों की समयावधि के बाद जारी किया गया। पहला स्मरण-पत्र रक्षा मन्त्रालय अथवा रक्षा सचिव की ओर से न होकर विदेश मन्त्रालय की ओर से था। रक्षा सचिव की ओर से पांच दिन बाद ही दूसरा पत्र जारी हुआ। इस विलम्ब का क्या स्पष्टीकरण है? मैं पुनः यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने ग्लोबटेक कारपोरेशन की जांच की है? सुरेश नन्दा की हैसियत क्या है? क्या वह एक अप्रवासी भारतीय है? क्या सेवा-शर्तों में कोई शर्त है कि हमारी रक्षा संबंधी गोपनीयताओं में भागीदार होने वाले व्यक्तियों को इस देश के हथियारों के दलालों से नियमित भुगतान नहीं लेने दिया जाएगा?

मैं यह जानना चाहता हूं, किन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूं, क्या आप हमें ऐसे उदाहरण देंगे? क्या पिछले समय में विक्रेताओं ने स्पष्ट निर्देशों को भंग करते हुए एजेन्ट नियुक्त किए हैं? जैसा कि श्री अरुण सिंह ने स्वीकार किया है कि जांच की जा रही है तथा उन्होंने जानकारी देने का वायदा किया है, अब क्या आप इस वायदे को पूरा करेंगे तथा जानकारी सभा को देंगे? एजेन्ट कौन-कौन थे, वे सौदे क्या हैं जिनमें उन्होंने एजेन्टों को नियुक्त किया? क्या कमीशन दिया गया तथा इसका निर्धारण कैसे किया गया तथा इस संबंध में दो जांच बहुत महत्वपूर्ण हैं; एक भारतीय एजेन्टों तथा विदेशी एजेन्टों के कार्य करने के तरीके के संबंध में वित्त मन्त्रालय की जांच तथा दूसरी रक्षा सचिव द्वारा की गई जांच। अब, आपके अनुसार रिपोर्ट आपके विचाराधीन हैं। क्या आप सभी दस्तावेज सभा पटल पर रखने को तैयार हैं?

तथा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या आपने पनडुब्बियों, हमने जिनको काफी सौदे बाजी के बाद खरीदा है, की विशिष्टताओं तथा रूप रेखाओं को बेचने के मामले की जांच की है? फिर यह हमारी सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। यदि ये विशिष्टताएं दक्षिण अफ्रीका को दी गयी हैं तो इस ठेके अथवा समझौते का इससे बड़ा अतिक्रमण और नहीं हो सकता है। तथा यदि ऐसा हुआ है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि वास्तव में ये विशिष्टताएं बेची गई हैं तो आप एच.डी.डब्ल्यू. के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? फिर हमें निस्संदेह समझौते को रद्द कर देना चाहिए तथा एच.डी.डब्ल्यू. से स्पष्टीकरण भी मांगना चाहिए। क्या आपने इस मामले में कार्यवाही की है तथा यदि की है तो आपका उत्तर क्या है?

ये प्रश्न अनुत्तरित रहे हैं तथा मैं भी जिनका उत्तर पाने में सक्षम नहीं रहा हूं। मेरे विचार से माननीय रक्षा मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य—मैं इसे लीपा पोती नहीं कह सकता—गुमराह करने वाला प्रतीत होता है, क्योंकि सारा वक्तव्य इस तथ्य पर निर्भर है कि एच. डी. डब्ल्यू.

कहती है कि कोई एजेन्ट नियुक्त नहीं किया गया है, कोई कमीशन नहीं दिया गया है, अतः, एजेन्टों तथा कमीशन देने का कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर हमें उस दिन से बचाए जब सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें केवल उन लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा जिनके विरुद्ध आरोप लगाए गए अतः मैं आशा करता हूँ कि सक्षम मन्त्री जिनको मैं सबसे अत्यधिक आदर करता हूं—अपने उत्तर में इन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालेंगे तथा मुझे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कृपया याद रखें कि आप एक बार भी व्यवधान नहीं डालेंगे।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं व्यवधान नहीं डालूंगा। मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कृपया अपने पीछे बैठे हुए माननीय सदस्य से भी कह देवें। **(व्यवधान)**

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं आपके उत्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। मैं आपको नहीं टोकूंगा। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं व्यवधान नहीं डालूंगा।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा) : पश्चिम जर्मनी की मैसर्स एच.डी.डब्ल्यू. से पनडुब्बियों की खरीद में भारतीय एजेन्टों को कमीशन देने के आरोपों के सम्बन्ध में माननीय रक्षा मन्त्री, श्री कृष्ण चन्द्र पंत ने 21 अप्रैल, 1988 को लोकसभा में एक वक्तव्य दिया था। यह स्पष्टतः तथ्यों को छिपाने वाला था। अभी-अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य, श्री दिनेश गोस्वामी ने कुछ मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला जिनका माननीय मन्त्री द्वारा अभी उत्तर दिया जाना है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उनकी ओर से बोलने के लिए कोई नहीं है। ऐसा क्यों ?

सभापति महोदय : व्यवधान न डालें।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : मैं कुछ अन्य मुद्दों को प्रकट करूंगा जिनको माननीय मन्त्री द्वारा अभी स्पष्ट किया जाना है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य लोगों के मन में यह बैठाना है कि इस सौदे में कुछ भी सन्देहास्पद अथवा छिपाने योग्य नहीं है तथा इस सौदे में कोई एजेन्ट नहीं है तथा कमीशन नहीं दिया गया है। सरकार लोगों में इसी बात का प्रचार करना चाहती है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार अपने इस प्रयास में सफल नहीं होगी।

महोदया, मंत्री द्वारा दिये गये लगभग दस पृष्ठों के लम्बे वक्तव्य को पढ़कर न तो मुझे विश्वास हुआ है और न इस देश का कोई भी प्रबुद्ध नागरिक उस पर विश्वास करेगा। मुख्य बात यह है कि एच. डी. डब्लू. ने पहले खरीदी गयी पन्डुब्बियों के सम्बन्ध में भारतीय एजेंट को सात प्रतिशत कमीशन के रूप में तीस करोड़ रुपये का भुगतान किया है—वस्तुत वह रुपयें में न होकर विदेशी मुद्रा में था। हम दो पन्डुब्बियां पहले ही खरीद चुके हैं जिन्हें उपयोग में लाया जा रहा है और दो पन्डुब्बियां मजगांव पत्तन में तैयार हो रही है। इस तरह से हमारे पास चार पन्डुब्बियां हो गई है। यह करार दिसम्बर 1981 में किया गया था। इस सौदे के बारे में तीस करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। जब दो और पन्डुब्बियों के खरीदने के प्रयास जारी थे तब यह बात सामने आयी है। यह बात वहां समाप्त नहीं हुई। एक खुले करार का अस्तित्व होने के कारण इन नई खरीदों पर भी एजेन्ट को सात प्रतिशत कमीशन दिया जाना है। यही समस्या की मुख्य जड़ है। इस बात के बारे में रक्षा मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में पता है क्या बात कही है :

अन्तिम पृष्ठ पर अर्थात पृष्ठ 10 के पैरा 17 में उन्होंने इस प्रकार कहा है :—

"लगाये गये आरोपों का कोई आधार नहीं है। तदनुसार सरकार ने इस मामले पर आगे कार्यवाही न करने का निर्णय लिया है"।

अब भेद खुल गया है। सरकार इस देश की जनता को यही बात बताना चाहती है। यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। महोदया मैं आपके माध्यम से यही बात निवेदन करना चाहूंगा। सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँची है ? यह बात हमारे रक्षा सचिव के, एच. डी डब्लू के चेयरमैन को सम्बोधित दिनांक 27 जून, 1987 के पत्र के सन्दर्भ में एच. डी. डब्लू द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 1987 के उनके उत्तर में दी गई जानकारी पर आधारित है। महोदया क्या आपने मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य तथा उसके साथ संलग्न अनुबन्धों को पढ़ा है ?

मैं इस सरकार पर इस देश को, इस देश की जनता को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास करने का आरोप लगाता हूँ और मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूँ कि आप इस प्रयास में सफल नहीं हो सकते हैं। आप सभी समय सभी लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। यह तो एक चोर को उसके स्वयं के द्वारा दिये गये साक्ष्य के आधार पर दोषमुक्त करने जैसा है। केवल यही बात नहीं है, सरकार ने सच्चाई पर पहुंचने के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किये हैं, परन्तु इसने अपनी ही धारणायें, परिकल्पनाएं की हैं और ऐसे निष्कर्षों पर पहुंची है, जोकि बहुत ही अजीब है। सरकार बिना कोई शर्मिन्दगी महसूस किये इस निष्कर्ष को लोगों को बताने का प्रयास कर रही है कि आरोप निराधार हैं। मैं सरकार से पूछता हूं कि उसने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए है ? सरकार ने लगभग साढ़े तीन महीने से, जब यह मामला सर्वप्रथम आपकी जानकारी में आया था और इसके बाद इस मामले और इससे सम्बन्धित अन्य मामलों की जांच करने के लिए रक्षा सचिव के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गयी थी, सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए ? तत्पश्चात् 12 जून, 1987 तक हमारी सरकार ने इस मामले को पश्चिमी जर्मनी सरकार के साथ क्यों नहीं उठाया ? 27 जून, 1987 तक एच. डी. डब्लू से पूछताछ क्यों नहीं की गई ?

सारा देश परेशानी करने वाले इस समाचार पर हक्का बक्का रह गया था कि कमीशन एजेन्टों को करोड़ों रुपए दिए गए। बोफोर्स तोप की खरीद में 64 करोड़ रुपये और एच. डी. डब्लू. पनडुब्बियों की खरीद में 20 करोड़ रुपए दिए गए जब लाखों लोग इस बात पर उत्तेजित थे। यह सरकार उसी प्रकार निष्क्रिय थी जिस प्रकार जब रोम में गड़बड़ी मची हुई थी तो नीरो गुलछर्रे उड़ा रहा था। मैं मन्त्री महोदय से पूछता हूं कि लगभग साढ़े तीन महीने के मूल्यवान समय के विलम्ब के कारणों को स्पष्ट करे। क्या वास्तव में समय का उपयोग अनुकूल आधार तैयार करने के लिए किया गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री दिनेश गोस्वामी ने यह बात स्पष्ट की थी कि रक्षा सचिव की समिति का उद्देश्य रक्षा सौदों में एजेन्टों की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करना था। इसका कार्य हमारे समक्ष रखे गए विशिष्ट मामले की जांच करना नहीं था। मैं इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : उसके पीछे वही उद्देश्य था। परन्तु जिस समाचार ने समग्र देश को परेशानी में डाल दिया था वह यह था कि एजेन्टों को 30 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया। आपके वक्तव्य में भी कार्य प्रणाली को स्पष्ट नहीं किया गया है। आपने आज यही कहा कि इस मामले की अभी समिति द्वारा जांच की जा रही है।

रक्षा मंत्रालय के सम्बन्धित प्राधिकारियों के प्रति समुचित आदर के साथ अपनी पूर्ण जिम्मेदारी समझते हुए मैं यह कहता हूं कि रक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी में कतिपय गंभीर त्रुटियां मौजूद हैं। मैं केवल दो उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। उस दिन बोफर्स तोप के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। मैं उन सभी बातों को नहीं दुहराऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रक्षा विभाग ने यह गवाही दी थी कि मई 1985 में ही मूल्य समझौता वार्ता समिति ने चारों प्रतियोगी कम्पनियों को इस बात की सूचना दे दी थी कि भारत सरकार नहीं चाहती कि कोई बिचौलिया हो या उसे कोई दलाली दी जाए। उन्होंने बताया तथा हमें संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन में बताया गया है कि अधिकारियों ने उन कम्पनियों को यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है कि कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। लेकिन रक्षा अधिकारियों के सकारात्मक वक्तव्य के बावजूद क्या हुआ है बोफोर्स कम्पनी ने दो अन्य कम्पनियों के साथ दो समझौतों के अतिरिक्त मै. ए. ई. सर्विसेज के साथ 1985 में नया समझौता किया, जिसके फलस्वरूप जनवरी 1985 में उन्हें समापन प्रभार के रूप में 10 करोड़ रुपए देने पड़े। यदि हमारे रक्षा अधिकारी और मूल्य समझौता वार्ता समिति ने बोफोर्स को स्पष्ट रूप में बताया होता तो वे ए. ई. सर्विसेज के साथ नया समझौता कैसे करते ? लगता है कहीं कोई कमी रह गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : राज्य सभा के अपने दल के सदस्यों को स्पष्ट बता दें। एक दिन बाद वहां चर्चा आरम्भ हो रही है।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : इस सौदे में हमें बताया गया है कि हमारे रक्षा सचिव ने नवम्बर 1985 में संघीय जर्मन गणराज्य के राजदूत को अपने कार्यालय में बुलाया था और उन्हें बिना बिचौलियां शामिल किये सप्लायर से सीधे बात करने की भारत सरकार की नीति के बारे में स्पष्ट रूप से बताया था। हमारे रक्षा सचिव के उस स्पष्ट सुझाव पर पश्चिम जर्मनी के राजदूत की प्रतिक्रिया के बारे में हमें नहीं बताया गया। हमें नहीं मालूम कि क्या राजदूत, जो पनडुब्बी की खरीद के संबंध में रक्षा सचिव के कार्यालय आए थे, ने हमारे रक्षा सचिव को यह बताया कि ऐसा कोई समझौता है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया गया नहीं हमें नहीं मालूम। यह सूचना न तो वक्तव्य में दी गई है न ही अनुबंध में। मैं आपकी जानकारी में पुन: यह बात लाना चाहता हूँ कि पश्चिम जर्मनी के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी डा. मोलिटर जो सैनिक उपकरणों की बिक्री के लिए जिम्मेवार हैं, मैं सैनिक उपकरणों की बिक्री के लिए जिम्मेवारी पर बल देता हूं बोन में हमारे राजदूत तथा नौसैनिक अटेची से 24 फरवरी 1987 को बात की थी तब उन्होंने 30 करोड़ रु. के पिछले भुगतान के बारे में बताया और अब खुले समझौते पर 7 प्रतिशत कमीशन के बारे में बताया हम इस बात पर स्वयं को कैसे समझाएं ? यदि हमारे रक्षा सचिव ने पश्चिम जर्मनी के लोगों को स्पष्ट रूप में बताया था कि कोई बिचौलियां नहीं होना चाहिए तो ऐसा कैसे हुआ ? यही बात मंत्री महोदय स्पष्ट करें। क्या हम यह समझें कि यह बात एच. डी. डब्ल्यू को पहले नहीं बतायी गई थी ? क्या रक्षा सचिव की स्पष्ट कथन की जानकारी एच. डी. डब्ल्यू को नहीं थी ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। आपने 15 मिनट समय ले लिया है।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : महोदया; मैं कुछ ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथी ने ज्यादातर बात अपने भाषण में कह दी हैं।

क्या एच. डी. डब्ल्यू. ने हमारी सरकार को भी अपने एजेंट को 7 प्रतिशत कमीशन देने के वायदे के बारे में नहीं बताया है ? यह स्वीकार करते हुए कि सरकार को इस बात की जानकारी सबसे पहले बोन स्थित हमारे राजदूत के 24 फरवरी 1987 के संदेश से मिली जिसकी विस्तृत जानकारी अनुबंध के पृष्ठ एक में दी गई है। मैं इसे दुहराऊंगा नहीं बल्कि उल्लेख करना चाहता हूँ।

"डा. मोलिटर ने यह आशा प्रकट की कि अग्रिम मूल्य पर संतोषपूर्वक वार्त्ता की जा सकती है, परन्तु, खुले समझौते की शर्त के अन्तर्गत एच. डी. डब्ल्यू. के भारतीय एजेंट को 7 प्रतिशत कमीशन देने की बात को दुहराया।"

यह पूर्णतया स्पष्ट है हमें यह भी बताया गया कि बोन में हमारे राजदूत तथा नौसैनिक अटेची ने डा. मोलिटर ने लम्बी बात की और उन्होने खुले समझौते की शर्तों को दूर करने के लिए यह कहते हुए अधिक शक्ति के प्रयोग का सुझाव दिया कि भारत सरकार किसी बिचौलिए को नहीं चाहती है, इसी प्रकार एच. डी. डब्ल्यू. उसका निदान कर सकती है। यह डा. मोलिटर का एक ठोस वक्तव्य है, जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं तथा जो भारत सरकार को सैनिक उपकरण बेचने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति है ? 12 जून 1987 के स्मरण पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्ललिखित है। हमारी सरकार ने उन्हें सूचित किया है। मैं उल्लेख करता हूँ:

"डा. मोलिटर द्वारा भारत के राजदूत के समक्ष किये गये इस रहस्योदघाटन से यह पता चलता है कि वह कमीशन 1981 ठेका के लिए पत्र से ही दिया जा चुका है और समझौते के अन्तर्गत और पनडुब्बी खरीदने पर भारतीय एजेंट को 7 प्रतिशत कमीशन देने की जिम्मेवारी है"

क्या यह एक स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि एच. डी. डब्ल्यू. का एजेंट है और इसने 1981 के सौदे के लिए 30 करोड़ रु. का भुगतान किया है और अब नई खरीद पर 7 प्रतिशत देना है। मैं कहता हूँ कि हमारी सरकार तथा उच्च अधिकारियों ने कहीं गलती की है। वे विदेशी सप्लायरों की बातों को गीता और बाइबिल के समान ले रहे हैं। वे विदेशी सप्लायरों के कथन को सर्वोच्च महत्व दे रहे हैं। चाहे वे एच. डी. डब्ल्यू. हो अथवा बोफोर्स हों। इस सूचना के आधार पर वे यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कोई एजेंट नहीं है, जब कि यह स्पष्टतया स्थापित हो गया है कि 319 मिलियन स्वीडिश क्रोनर अर्थात् लगभग 64 करोड़ रुपए उन कम्पनियों को दिए गए, संयुक्त संसदीय समिति के ज्यादातर सदस्यों ने यह निर्णय निकाला कि किसी भारतीय एजेंट या कम्पनी को वह पैसा प्राप्त नहीं हुआ है।

संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के 168 पृष्ठ पर स्वीडन के नेशनल आडिट ब्यूरो के बारे में उल्लेख है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है तथा मैं इसे उद्धरित करता हूं।

"····कि ए. बी. बोफोर्स द्वारा अन्य कंपनियों के साथ-साथ भारत में अपने पूर्व एजेन्ट को काफी धनराशि का भुगतान किया गया है।"

अब सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस सौदे में कोई एजेन्ट नहीं था तथा इस समझौते के लिए कमीशन नहीं दिया गया है। यह कितना शर्मनाक निष्कर्ष है एच. डी. डब्ल्यू. के अलावा किसने यह साक्ष्य दिया है कि इस सौदे में कोई एजेन्ट नहीं है ? मैं माननीय रक्षा मंत्री से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि एच. डी. डब्ल्यू. के अतिरिक्त क्या किसी ने कहा है, क्या

किसी ने इस बात का समर्थन किया है ? क्या ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे हम एजेन्ट अथवा बिचौलिया अथवा प्रतिनिधि कह सकते हैं, किसी विशेष ठेके को किसी विशेष कम्पनी को दिए जाने के लिए सर्वोच्च राजनैतिक नेताओं अथवा सर्वोच्च अधिकारियों को प्रभावित करना संभव नहीं है ? उस दिन मंत्री महोदय श्री शिवशंकर सभा में इस बात से सहमत थे कि एक अस्पष्ट प्रणाली थी जिसमें एजेन्ट थे तथा कमीशन दिया जाता था। किन्तु उन्होंने हमसे कहा कि वर्ष 1985 में राजीव गांधीजी की सरकार के सत्ता में आने के बाद यह प्रणाली समाप्त कर दी गई। तब तक यह प्रणाली मौजूद थी। यह प्रणाली सरकारी तौर पर मौजूद थी। किन्तु अब यह प्रणाली गैर सरकारी तौर पर मौजूद है। मंत्री जी इस बात को कैसे कह सकते हैं, मंत्री जी इस व्यवस्था से कैसे इन्कार कर सकते हैं कि कुछ सत्ता के काफी समीप रहने वाले लोग जो किसी विशेष ठेके को प्रभावित कर सकते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तथा तत्पश्चात कुछ कमीशन अथवा सौदा समेटने का शुल्क इसे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं तथा अन्ततः इस कमीशन के एक महत्वपूर्ण भाग को राजनैतिक नेताओं अथवा अधिकारियों तक हस्तांतरित कर सकते हैं ? अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं तथा आप इससे कैसे इन्कार कर सकते हैं ?

महोदया, इन परिशिष्टों में कुछ तथ्य पाना अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। मैं इसमें से कुछ वाक्यों को उद्धृत करना चाहता हूँ। भारत सरकार के रक्षा सचिव ने पश्चिम जर्मनी के रक्षा मन्त्रालय के राज्य सचिव को संबोधित अपने अर्द्ध शासकीय पत्र में इस प्रकार कहा है तथा मैं कहता हूं कि यह अत्यन्त शर्मनाक है। इस पत्र में वह कहते हैं :—

"संक्षेप में पश्चिम जर्मनी की सरकार ने डा. मौलीटर द्वारा हमारे राजदूत को दिए गए वक्तव्य को अस्वीकार किया है।"

यह एक अत्यन्त विलक्षण निष्कर्ष है। इसका आधार कहां है ? यदि पश्चिम जर्मनी की सरकार अथवा उसके अधिकारियों ने डा. मौलीटर द्वारा कहे गए वक्तव्य को अस्वीकार किया है तो यह कार्य सरकार को उलझनपूर्ण स्थिति से उबारने की अति उत्सुकता मात्र है मैंने जहां भी पढ़ा मैंने एक शब्द पाया है जिससे मंत्री महोदय 27 जुलाई, 1987 के स्मारक-पत्र, जिसमें भारत सरकार के 12 जून, 1987 के स्मारक-पत्र के उत्तर में बोन के विदेश कार्यालय का संदेश शामिल है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचे लगते हैं। इस पत्र में डा. मौलीटर द्वारा कहे गए वक्तव्य का खंडन नहीं किया गया है इसमें जो कहा गया है मैं उसे उद्धृत करता हूँ :

"उसे कमीशन की अदायगी के सम्बन्ध में भारतीय राजदूत का एक पत्र बिना किसी टिप्पणी के प्राप्त हुआ था तथा उसने इस पत्र को एच. डी. डब्ल्यू, तक पहुंचा दिया था।"

उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है तथा उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि डा. मौलीटर ने जो कहा है वह गलत है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आप "बिना किसी टिप्पणी के" कैसे कह सकते हैं ?

4.00 म.प.

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : उन्होंने केवल उस विशेष टिप्पणी, जो सरकार की नीति से सम्बन्धित है, के सम्बन्ध में भारतीय अधिकारियों से बिना किसी टिप्पणी के प्राप्त कहा है। उनको यह मिला था तथा उन्होंने उसको एच.डी.डब्ल्यू. को दे दिया था। आप यह निष्कर्ष कैसे निकाल

सकते हैं कि भारत सरकार का उनको लिखा गया यह पत्र कोई भी रहस्य प्रकट न करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वे कोई बात कहना भी चाहते हों। महोदय, क्या यह बात शर्मनाक नहीं है ? मैं इसी बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमारे रक्षा सचिव ने इससे अपने अर्द्ध शासकीय पत्र में टिप्पणियां की हैं—एक अदभुत निष्कर्ष निकाला है। क्या यह तथ्यों को जानबूझकर तोड़ना-मरोड़ना नहीं है ? क्या यह पश्चिम जर्मनी के विदेश कार्यालय से अपनी बात कहलवाना नहीं है ? यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सर्वोच्च अधिकारी सच्चाई को जानने के लिए हर संभव प्रयास करने के स्थान पर इन सन्देहास्पद सौदों को गुप्त रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे स्वयं ही जानते होंगे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ? डा. मौलीटर द्वारा उल्लिखित उदार शर्तों वाले समझौते का क्या हुआ ? इसे उपलब्ध क्यों नहीं किया गया ? इसके स्थान पर एच. डी. डब्ल्यू ने एक कहानी घड़ ली। इस कम्पनी का ग्लोब टैक इन्डिया नाम का एक सलाहकार था। एच.डी.डब्ल्यू सच्चाई को छुपा रही है। यह बात हमारे राजदूत के संदेश से स्पष्ट है। हमारे लोगों ने सच्चाई को जानने के लिए पूरी शक्ति लगाने का अनुरोध किया। क्या मंत्री महोदय दिसम्बर, 1981 में एच.डी.डब्ल्यू. के साथ हुए समझौते की एक प्रति सभा में प्रस्तुत करेंगे। क्या उसमें सौदा रद्द करने की शर्त है ? यदि उसमें यह शर्त है तो भारत सरकार भारतीय एजेन्टों के साथ हुए उदार शर्तों वाले समझौते के विवरणों को प्रकट करने की मांग क्यों नहीं करती है ? यदि उसमे यह शर्त नहीं है तो मंत्री महोदय 1981 के समझौते में सौदा रद्द करने की शर्त लगाने में असफल रहने के लिए स्पष्टीकरण दें। महोदया, दूसरे सौदे में भी सौदा रद्द करने की शर्त नहीं है। इसी कारण महान्यायवादी ने एक बड़ा सुझाव दिया कि हम कानूनी तौर पर कार्यवाही नहीं कर सकते, हम उनको प्रमाण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह महान्यायवादी का सुझाव है। सरकार द्वारा विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है। 16 अप्रैल, 1987 को जब सभा में इस विषय पर चर्चा हुई तो हमारे विद्वान साथी, श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने उस समय रक्षा विभाग में राज्य मंत्री, श्री अरुण सिंह से पूछा था कि क्या यह नीति प्रचलित है तथा यदि प्रचलित है तो कब से प्रचलित है।

एच. डी. डब्ल्यू. द्वारा एजेन्टों को भुगतान करने के आरोप के सम्बन्ध में चर्चा तथा हमारे विद्वान साथी, श्री इन्द्रजीत गुप्ता के एक विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने जो कहा मैं उसे उद्धृत कर रहा हूँ :

> ' यह प्रक्रिया 1980 में लागू की गई थी तथा इसके बाद 1980-81 तथा तत्पश्चात् 1985-86 में निरन्तर नियंत्रण और बढ़ाए गए। यह विचार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई सप्लायर सन्देह में न रहे। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है हम किसी सप्लायर द्वारा किसी व्यापारिक समझौता वार्ता के सम्बन्ध में एजेन्ट रखने के अधिकार को भी स्वीकार नहीं करते हैं। यह एक तरफा नियंत्रण है। यह अनिवार्य रूप से विधि-सम्मत नहीं है। लेकिन यह एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य है। हम किसी सप्लायर अथवा एजेंट को अंधेरे में नहीं रहने देना चाहते हैं कि हम क्रेता के रूप में एक तरफा तौर पर क्रेता के रूप में अपनी आर्थिक ताकत के कारण सप्लायर द्वारा एजेंट रखने के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं। जब मूल्य समझौता वार्ता समिति सप्लायर से मिलती है तो हम यह बात विशेष रूप से सप्लायर से कह देते हैं।''

श्री अरुण सिंह ने यही बात 16 अप्रैल, 1987 को सभा में कही थी। हमने यह देखा है कि क्रेता के रूप में हमारी आर्थिक ताकत क्या है। हममें धमकी देने का साहस नहीं है जबकि स्वीडन के

आडिट ब्यूरो ने यह बात स्पष्ट रुप से कही थी कि कुछ फर्मों को भुगतान किया गया है। आडिट ब्यूरो ने इन फर्मों के नाम नहीं बताए किन्तु यह बात जोर देकर कही कि ये भुगतान इस सौदे के सम्बन्ध में किए गए हैं। भारत बोफोर्स से हथियार खरीदना बन्द कर दे नहीं तो वह सच्चाई को प्रकट कर देगा। उस समय के रक्षा राज्य मंत्री द्वारा क्रेता के रुप में कही गई आर्थिक ताकत की बात कही थी सप्लायर के व्यापारिक गोपनीयता के दावे के समीप भी नहीं पहुंच सकी।

दुर्भाग्यवश माननीय प्रधान मंत्री ने यह कह कर "नहीं नहीं, चिंता मत करो, डरिए नहीं। हम तुमसे तोपों की खरीद बन्द नहीं कर रहे हैं। हम तुमसे तोपें खरीद रहे हैं," बोफोर्स को आश्वासन देते हैं। महोदया, मैं यही बात कह रहा हूँ।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : इस प्रसंग का सबसे बुरा पहलू यह है कि सच्चाई का कड़ाई से पता लगाने की प्रक्रिया शुरु होने से पहले ही प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम बोफोर्स के साथ हुए समझौते को रद्द नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में बोफोर्स सच्चाई को प्रकट क्यों करेगा? उन्हें सच्चाई को प्रकट करने के लिए समुचित रुप से बाध्य नहीं किया गया है। प्रमुख मुद्दा यह है कि सरकार स्वयं सच्चाई को प्रकट नहीं होने देना चाहती है क्योंकि इससे बहुत से लोगों का भंडाफोड़ हो जाएगा। रक्षा मंत्री कृपया इस बात को स्पष्ट करें कि यह नीति कब से लागू की गई गई है। इस नीति के लागू होते हुये भी सप्लायर इस निर्देश के विपरीत आचरण कैसे कर रहे हैं? वे ऐसा करने में कैसे समर्थन हैं?

क्या यह आंशिक रुप से हमारी सरकार तथा उच्च अधिकारियों के नरम रवैये के कारण नहीं है? यदि हां, तो इन कमियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है। ऐसा लगता है यह सरकार अपना संतुलन खो चुकी है। इसने पश्चिम जर्मनी सरकार के उत्तर से कोई सबक नहीं सीखा है। सरकार जानती है कि कमीशन दिया गया था। उन्होंने डा. मालीटर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है किन्तु वे एच.डी.डब्ल्यू के वाणिज्यिक हितों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इसलिए, संघीय जर्मन गणराज्य सरकार ने इस मामले को स्वीकार नहीं किया है। यह हर बात को खुला रख रही है। और उसने हमारी सरकार से एच.डी.डब्ल्यू से सम्पर्क करने को कहा है।

देखिये उन्होंने गणराज्य के रक्षा मंत्री के पत्र में कितनी चतुराई से यह बात कही है···

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : महोदया, माननीय सदस्य समाचार पत्र से पढ़ रहे है।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : मैं केवल उद्धृत कर रहा हूं। सभापति महोदया, पश्चिम जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बोन से 13.11.1987 के संदेश में कहा था जो इस प्रकार है :

> "मैं इस मामले के बारे में किसी प्रकार की अटकलबाजी तथा कल्पनाओं और इस सौदे से उत्पन्न हुई किसी प्रकार की सही अथवा तथाकथित गलतफहमी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा।"

यह गलतफहमी नहीं है। अर्थात किसी प्रकार की वास्तविक अथवा तथाकथित गलतफहमी जो इस सौदे से उत्पन्न हुई है। इसलिए इस सम्बन्ध में बिना किसी सबूत के हमारी सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि इसमें कोई एजेंट नहीं है। उनका कहना है कि इस बारे में भारत

सरकार तथा सप्लायर के बीच सीधी बातचीत हुई थी। मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे अपने उत्तर को स्पष्ट करें कि आई. के. एस. के साथ भारत सरकार के क्या संबंध हैं। क्या वे किसी समय इसमें शामिल थे अथवा एच. डी. डब्ल्यू. को पनडुब्बियां बनाने के लिए दिए जाने वाले खरीद के आर्डरों के लिए उनकी सेवाएं ली गई थीं ? यदि हां, तो इनकी क्या शर्तें थीं और यह सहायता कैसे ली गई थी ? क्या उन पनडुब्बी के डिजाईनरों आई. के. एल. को कोई पारिश्रमिक दिया गया था ? मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय, इन सब बातों को स्पष्ट करें और इस संबंध में हमारी सभी आशंकाओं का निवारण करें।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : सभापति महोदय मैं इन सब घटनाओं के क्रम को बहुत संक्षेप में बताऊंगा। रक्षा मंत्रालय ने दो निर्मित पनडुब्बियों की खरीद तथा दो पनडुब्बियां भारत में मजगांव गोदी में बनाने हेतु सामग्री प्राप्त करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एच. डी. डब्ल्यू के साथ 11.12.81 को करार पर हस्ताक्षर किए। 1985 के अन्त में दो और पनडुब्बियां लेने के लिए एच. डी. डब्ल्यू के साथ सीधी बातचीत की गई। इस सौदे में कोई एजेंट न हो यह सुनिश्चित करने और मूल्य में कमी करवाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बोन स्थित हमारे राजदूत की सहायता ली, जो संघीय जर्मन गणराज्य के रक्षा मंत्रालय को इस बात के लिए राजी कर रहा था कि वह हमारी उपरोक्त नीति का पालन करने के लिए एच, डी. डब्ल्यु पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। रक्षा सचिव ने 15.11.1985 को दिल्ली में जर्मन संघीय गणराज्य के राजदूत को बताया कि इस सौदे में किसी भी स्थिति में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए किन्तु इसके लिए केवल सीधी बातचीत होनी चाहिए। बोन स्थित हमारे नौसेना अताशे (नेवल एटेचे) ने डा. मालीटर जो जर्मन गणराज्य के रक्षा मंत्री हैं, और मेरे विचार से जो सैनिक उपकरणों की बिक्री के लिए जिम्मेदार थे और अब हैं, के साथ सम्पर्क बनाए रखे थे। हमारे नेवल एटेचे ने उन दो अतिरिक्त पनडुब्बियों के लिए जो हम खरीदना चाहते थे, उनसे सम्पर्क किया।

24.2.1987 को मि, मौलीटर बान में हमारे राजदूत तथा नेवल एटेचे से मिले। उन्हें हमारी नीति के बारे में दुबारा बताया गया और उन्हें एक औपचारिक टिप्पण भी दिया गया। डा. मौलीटर ने कहा कि कीमतें कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु खुले समझौते के अन्तर्गत एच.डी.डब्ल्यू. के भारतीय एजेंटों को 7 प्रतिशत कमीशन का भुगतान करने में समस्या आएगी। इस बारे में हमारे राजदूत द्वारा तत्काल दिल्ली को सूचित किया गया। राजदूत का संदेश 28 को तत्कालीन रक्षा मन्त्री को प्रस्तुत किया गया जिन्होंने वह संदेश 3 मार्च, 1987 को प्राप्त किया। 11.3.87 को रक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने की जांच के लिए वित्त मन्त्रालय के प्रवर्तन निदेशालय, आयकर कानून का उल्लंघन करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष अधिनियम, वित्त विभाग और भारतीय तथा विदेशी एजेंटों के कार्य करने के तरीकों का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए बिना मन्त्रालय के आर्थिक आसूचना ब्यूरो को यह मामला भेजा जाए। 11.3.87 को ये तीन जांच किए जाने के आदेश दिए गए थे। ये सब गुप्त था, अतः इसे संसद के समक्ष नहीं रखा गया था। 24.3.87 को उस प्रारूप पत्र जो रक्षा मन्त्रालय को वित्त मन्त्रालय को जारी करना चाहिए था, के साथ इन पत्रों को दुबारा रक्षा मन्त्री के समक्ष रखा गया था।

9.4.87 को, जिस दिन तत्कालीन रक्षा मन्त्री ने पहली बार इस सन्देश सम्बन्धी पत्रों को पांच सप्ताह बाद देखा तो उन्होंने यह निदेश दिया कि विद्यमान प्रक्रिया की पुनरीक्षा के लिए और

रक्षा सौदे आदि से एजेंटों को समाप्त करने के बारे में आवश्यक उपाय सुझाने के लिए भारतीय और विदेशी एजेंटों के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिए रक्षा सचिव के आधीन एक समिति गठित की जाए। एजेंटों के कार्यचालन के समस्त मामले की जांच के लिए दो निकाय थे, अर्थात वित्त मन्त्रालय में आर्थिक आसूचना बयूरो तथा रक्षा मन्त्रालय में रक्षा सचिव समिति।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : प्रधान मन्त्री ने क्या किया ?

सभापति महोदय : उन्हें बोलने दीजिए, मैं कहती हूँ कि व्यवधान न डालें।

श्री विपिन पाल दास : जब रक्षा मन्त्रालय स्वयं कार्यवाही कर रहा था तो प्रधान मन्त्री क्यों हस्तक्षेप करते ? कार्य की नियमित प्रक्रिया में प्रधानमन्त्री जी कभी हस्तक्षेप नहीं करते। कभी नहीं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : प्रधान मन्त्री जी ने क्या किया ?

सभापति महोदय : जब आप बोल रहे थे तो किसी ने टोका-टाकी नहीं की। कृपया टोका-टाकी मत कीजिए।

श्री विपिन पाल दास : जब रक्षा मन्त्री ने खुद इस जांच के बारे में कार्यवाही शुरू कर दी थी तो प्रधान मन्त्री के लिए हस्तक्षेप करना अनिवार्य नहीं था। यह कतई जरूरी नहीं है। प्रधान मन्त्री जी ऐसा नहीं करते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : ऐसा करना क्यों जरूरी नहीं है ?

सभापति महोदय : मि. चौधरी, मुझे यह बात पसन्द नहीं। मैं आपसे कह रही हूं कि आप बीच में मत बोलिये। जब आप बोल रहे थे तो किसी ने व्यवधान नहीं डाला :

श्री विपिन पाल दास : तत्कालीन रक्षा मन्त्री ने भी रक्षा सचिव की राय को नोट किया कि भारतीय एजेंट सम्भवत: हिन्दूजा हो सकता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि एजेंट हिन्दूजा था उन्होंने कहा था कि हो सकता है भारतीय एजेंट हिन्दूजा हो। इसके बाद रक्षा मन्त्री ने पुष्टि होने के बाद पूरी कार्यवाही करने का निदेश दिया 9.4.87 को तत्कालीन रक्षा मन्त्री ने इस जांच के तथ्यों का उल्लेख करने के लिए प्रैस नोट जारी करने की व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था की। प्रश्न अभी भी यही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ? जब तक ऐसे पेचीदा और संवेदनशील मुद्दे की सरकार के जिम्मेदार निकायों द्वारा जांच की जा रही थी तो फिर यह समाचार प्रेस को क्यों दिया गया ? ऐसा किया गया है। अन्ततोगत्वा इससे अग्रिम कार्यवाही तथा जांच में बाधायें आयेंगी और इससे प्रत्येक को चेतावनी मिल गई तथा प्रत्येक व्यक्ति सावधान हो गया। जब यह समाचार फैला तो प्रत्येक व्यक्ति सावधान हो गया और स्वभावत: जांचें तथा कार्यवाहियां अवरुद्ध हो गईं। यह स्वयं तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया।

महोदया, अब तक सारी जांचें की जा चुकी हैं तथा रक्षा सचिव समिति की सिफारिशें भी की जा चुकी हैं। प्रचार के कारण मैं यह मुद्दा असामयिक प्रचार की वजह से दोहराता हूँ; वित्त मन्त्रालय की जांच करने वाले निकाय इस सम्बन्ध में प्रगति नहीं कर सके। (व्यवधान) कहने का यह तरीका बतलाता क्या है। हम यहां बैठे नहीं हैं हम यहां बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं कि प्रकाशन के कारण वित मन्त्रालय के जांच करने वाले निकाय प्रगति नहीं कर

सके। परिणामत: अन्तर्मंत्रालीय टीम तथा सी. बी. आई. 2?-10-87 से ?-11-87 तक जर्मनी तथा इंगलैंड पहुंचा और उस टीम ने विस्तृत जांच की जो गोपनीय समझी गई। सरकार ने भी संघीय जर्मन सरकार तथा एच. डी. डब्ल्यू प्रबन्धन से इन तथ्यों को सुनिश्चित करने के लिए सीधा पत्र व्यवहार किया। निम्नलिखित मुद्दों की जांच की गई; क्या एफ. ई. आर. ए. का उल्लंघन हुआ है ? क्या आयकर के नियमों का उल्लंघन हुआ है ? क्या किसी एजेंट को कोई दलाली दी गई थी यदि ऐसा हुआ है तो उसकी धनराशि कितनी थी, किस तरह से भुगतान किया गया तथा प्राप्त कर्त्ताओं का ब्यौरा क्या विवरण थे ? इन मुद्दों की जांच की गई और यह भी जांच की गई कि हिन्दुजा ने एड. डी. डब्ल्यू. के एजेंट के रूप में कार्य किया था और कोई दलाली वसूल की थी। इसकी भी जांच की जा रही थी। पनडुब्बियों आदि लेने के सम्बन्ध में मंत्रालय में रिकार्डों की पूर्णत: जांच की गई। किसी भी अवस्था में एच. डी. डब्ल्यू से सौदाबाजी करने वाले एजेंट का नाम रिकार्ड में नहीं पाया गया। यह सौदाबाजी सीधी एच. डी. डब्ल्यू के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों द्वारा की गई : इस सम्बन्ध में कहीं तो प्रमाण होना चाहिए था। लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। यही मेरा मुद्दा है।

श्री एस. जय पाल रेड्डी : हम रिकार्ड की तलाश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : कुछ रिकार्ड, जिनके आधार पर आपको यह मामला साबित करना हैं, के कुछ प्रमाण होने चाहिएं। अन्यथा आप मामले को कैसे साबित करेंगे ? क्या आप शून्य से कुछ साबित कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हमारे राजदूत की टेलटेक्स भी तो है। (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : तथापि यह मुद्दा संघीय गणराज्य जर्मन की सरकार ने 12-6-87 को लिया। उसके विदेश कार्यालय ने 27-7-87 को जवाब दिया कि यह मुद्दा तो केवल एच. डी. डब्ल्यू. से सीधा सम्पर्क करने पर ही स्पष्ट किया जा सकता है। अत: हम क्या कर सकते हैं...... (व्यवधान) श्री दिनेश गोस्वामी ने यह प्रश्न उठाया था जिसका कि मैं जवाब देना चाहता हूं कि एच. डी. डब्ल्यू एक सरकारी क्षेत्र का शिपयार्ड है। अत: संघीय गणराज्य जर्मन सरकार कब कैसे कह सकती है कि उसे जानकारी नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने अनभिज्ञ क्षेत्र के बारे में नहीं कहा है। इन्डस्ट्रीयल अण्डरटेकिंग की तरह किसी सरकारी क्षेत्र से औद्योगिक निगम की तरह इसका अपना प्रबन्ध बोर्ड है इसके पास कुछ स्वायत शक्ति भी है। और इसलिए संघीय गणराज्य जर्मन सरकार ने पब्लिक सेक्टर इण्डस्ट्री के स्वायत कार्यों में दखल नहीं दिया। ऐसा भारत वर्ष में नहीं होता है, ऐसा किसी देश में नहीं होता है। (व्यवधान) इस मामले में भी उन्होंने यह देखा है कि हालांकि एच. डी. डब्ल्यू. एक पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है, संघीय गणराज्य जर्मन को सरकार ने उसके कार्य में दखल देना बुद्धिमानी अथवा वांछनीय नहीं समझा। अत: उसने यह मामला उन पर छोड़ दिया। हमने उनसे सीधी बातें की। हमने उनको पत्र भी भेजे। (व्यवधान)

सभापति महोदय : चौधरी जी, बीच में न बोलिए क्योंकि आप भी बोलने वाले हो। जो कुछ आप कहना चाहते हैं, तो उसी समय आप कह सकते हैं।

श्री बिपिन पाल दास : विदेश कार्यालय ने भी कहा कि डाक्टर मोलोटर को हमारे राजदूत का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें दलाली के भुगतान के प्रश्न पर भारत की स्थिति की पुष्टि की गई थी और इस पत्र को एच. डी. डब्ल्यू. को भेज दिया गया। संघीय गणराज्य जर्मन के वित्त मंत्रालय

ने भी एक समरूप टिप्पण भेजा। महोदया, एच. डी. डब्ल्यू. ने हमारे पत्र दिनांक 27-6-87 का 9-7-87 को यह जवाब दिया कि एक भारतीय एजेंट को 7 प्रतिशत दलाली से सम्बन्धित सूचना ने प्रत्येक को आश्चर्यांकित किया। एच डी. डब्ल्यू ने कहा कि "वे एक भारतीय एजेंट को 7 प्रतिशत दलाली के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हुए।" उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। एच. डी. डब्ल्यू. ने अपने पत्र में कहा कि सौदा वार्ता सीधे भारत सरकार के साथ हुई और इसमें कोई भी एजेंट शामिल नहीं था। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : धन किसे दिया गया।

श्री बिपिन पाल दास : धन नहीं दिया उन्होंने आगे यह और बताया कि वे 1-6-82 से 6000 डी. एम. प्रतिधारण मासिक पर ग्लोबटेक कम्पनी में लगे हुए थे और यह बात 22-9-82 को भारत के नौसेना अध्यक्ष को अधिसूचित करदी गई थी। उन्होंने ग्लोबटेक के साथ हुए सौदे की अपने हस्ताक्षर की हुई एक प्रति अर्पित की। श्री गोस्वामी ने ग्लोबटेक के विषय में एक प्रश्न उठाया। ग्लोबटेक क्या थी ? इसका कार्य किस प्रकार का था। ग्लोबटेक तथा एच. डी. डब्ल्यू के बीच इस सौदे में यह कौनसी है ?" ग्लोबटेक को स्वतन्त्र रूप से एच. डी. डब्ल्यू. की ओर से कार्य करने अथवा सौदाबाजी करने का कोई प्राधिकार नहीं है अन्यथा समझौता न हो तो ग्लोबटेक की जिम्मेदारियाँ केवल सलाहकारी और सेवायें प्रदान करने तक ही सीमित है। इन जिम्मेदारियों को सही ढंग से पूरा करवाने के लिए ग्लोबटेक अल्पकालिक तथा भावी गतिविधियों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें देते हुए एच. डी. डब्ल्यू. के संविदाकारी भागीदारों के बारे में दो-दो महीने के अन्तराल में स्थिति सम्बन्धी आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगा। उन्होंने कुछ धनराशि का भुगतान किया है। किस उद्देश्य के लिए ? यह धनराशि यहां कार्यालय किराये पर लेने के लिये, यात्रा खर्चों, लेखन सामग्री खर्चों, टेलेक्स खर्चों, दूरभाष खर्चों आदि आदि के लिये दी गई। इन सबके लिए उन्होंने कुछ धनराशि दी है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं : ग्लोबटेक ने एच. डी. डब्लू · साथ कुछ इस प्रकार का प्रबन्ध किया था। क्या उन्हें इस संदर्भ में सही माने में एच. डी. डब्लू. की ओर से भारत में काम करने वाले तथा भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिए एक एजेंट कहा जा सकता है ? कार्य वह नहीं था। इसने एक करार किया था कि एजेंट बनने के लिए नहीं बल्कि सहायता, सेवा तथा परामर्श देने के लिए था। बस इससे अधिक और कोई बात नहीं। अतएव श्री गोस्वामी द्वारा इस बारे में इतना अधिक शोर मचाने का कोई तुक नहीं है।

एच. डी. डब्लू. ने पुनः 27-11-87 को यह घोषणा की कि किसी भी भारतीय अथवा गैर भारतीय एजेंट को भारत में अथवा विदेशों में किसी प्रकार के कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था। श्री गोस्वामी ने यह मुद्दा उठाया था कि केवल भारतीय एजेंट के बारे में ही बात क्यों चली। एच. डी. डब्लू ने बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने भारत में अथवा विदेशों में किसी भारतीय अथवा गैर भारतीय को कोई कमीशन का भुगतान नहीं किया है। कहीं भी नहीं। संबंधित कम्पनी द्वारा यह बात स्पष्ट तौर पर कही गई है। हमारी सरकार की जांच करने वाली एजेंसियों द्वारा की गई विस्तृत जांच जिसमें 16 भारतीय कम्पनियां भी शामिल हैं फर्मों तथा व्यक्तियों की तलाशियों के बाद तथा बोन स्थित भारतीय राजदूत, बोन स्थित हमारे नौसैनिक अताशे, एच. डी. डब्लू के चेयरमैन तथा संघीय गणराज्य जर्मनी के रक्षा मंत्रालय के डा. मोलीटर, प्रवर्त्तन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ चर्चा करने के बाद वे निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचे हैं :—

(1) विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिला ;

(2) आय कर के कानून के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं मिला है;

(3) इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि एच. डी. डब्लू. के पास हमारे साथ दिसम्बर 1981 का संविदा करने के लिए कोई भारतीय एजेंट था;

(4) हमारे साथ हुई बात चीतों में अब तक किसी भी समय एच.डी.डब्ल्यू की ओर से किसी भारयीय एजेन्ट अथवा प्रतिनिधि ने कार्य नहीं किया। और 'हिन्दुजा' को इसके साथ जोड़ने का कतई कोई प्रमाण नही है। अब, ये हमारी अपनी 'एजेंसियां' हैं। शायद श्री दण्डवते ने भी इन ऐजेन्सियों का इस्तेमाल किया था। उनकी सरकार ने ऐसा किया था। किसी भी सरकार को जो दिल्ली में सत्ता में आती है इन्हीं एजेन्सियों का उपयोग करना पड़ता है। आप और किस व्यक्ति पर निर्भर करेंगे ? ये एजेन्सियां इस निष्कर्ष, पर पहुंची हैं। यदि ये कांग्रेस सरकार के अधीन कार्य करती हैं तो आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। यदि वे श्री दण्डवते की सरकार के अधीन कार्य करती हैं तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे। इसके पीछे क्या तर्क है ? क्या यह पूर्णतया तर्कसंगत है ? भारत सरकार के पास अपनी नीतियों को निरुपित करने के लिए कुछ एजेन्सियां हैं। सरकार को इन एजेन्सियों पर निर्भर रहना पड़ता है जब आप उनसे जांच करने के लिए कहते हैं तो फिर आपको उनके प्रतिवेदन पर यकीन करना होगा। इसके अतिरिक्त आप और क्या कर सकते हैं ? क्या हम इसकी जांच करने के लिए श्री चटर्जी और श्री दण्डवते को नियुक्त करेंगे ?

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्यों नहीं ?

श्री बिपिन दास पाल : हमने बोफोर्स सौदे की जाँच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की थी। आपने क्या किया ? आप कायरों की तरह भाग गये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम सत्य को छिपाने की कार्यवाही में भाग लेना नहीं चाहते थे।

श्री बिपिन दास पाल : जब कोई संसदीय समिति गठित की जाती है तो आप उसमें भाग नहीं लेते हैं और सहयोग नहीं देते हैं। जब किसी न्यायिक जांच का आदेश दिया जाता है तो आप उसकी आलोचना करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जब हमारी अपनी सरकारी ऐजेन्सियां कुशल तथा सक्षम मानी जाती हैं मामले की जाँच करती हैं और प्रतिवेदन देती हैं तो आप उसे स्वीकार नही करते। हम क्या कर सकते हैं ? मान्य महोदया, कोई भी सरकार उनकी मदद उनको सन्तुष्ट नहीं कर सकती है। हालांकि ईश्वर ने चाहा तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आयेंगे फिर भी आप यदि सत्ता में आ गए तो मुझे भय है कि आपको किसी भी प्रकार के कार्य के लिए दुबारा उन्हीं ऐजेन्सियों पर निर्भर करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री चटर्जी को विश्वास दिलाने के लिए ईश्वर नहीं आयेंगे।

प्रो. मधु दण्डवते : हम ईश्वर को परेशान नहीं करना चाहते।... (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय वह ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं।

श्री बिपिन पाल दास : मैं इस सम्पूर्ण मामले के बारे में कुछ और तथ्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। पांच देशों के पोत प्रागणों ने प्रौद्योगिकी के अन्तरण के साथ-साथ हमें इस

किस्म की पनडुब्बियां भेजने के लिए रुचि दिखाई थी उनके साथ विस्तृत चर्चा वर्ष 1977-78 में हुई थी और सरकार ने वर्ष 1979 में एस.एस.के. परियोजना को स्वीकृति दी थी।

एक माननीय सदस्य : क्या वक्तव्य में इसका जिक्र भी है ?

श्री बिपिन पाल दास : मैं वक्तव्य के दायरे से बाहर नहीं गया हूं। लगभग तीन वर्ष की लम्बी बात चीत के बाद एच.डी.डब्ल्यू. के एस.एस.के. पनडुब्बियों को हमारी नौ सेना में शामिल करने के लिए चुन लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय परिणामों सहित सभी सुसंगत बातों का विस्तृत विश्लेषण करना आवश्यक हो गया। सम्बन्धित सरकार को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए था। इस मामले में सम्बन्धित सरकार संघीय गणराज्य जर्मनी की सरकार है। एच.डी.डब्ल्यू. को अन्य प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर पाया गया था और इसलिए एच.डी.डब्ल्यू. का चयन किया गया था। यह बात बहुत मान्य है क्योंकि यदि हमारे ऊपर किसी एजेन्ट द्वारा प्रभाव डाला गया होता तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते थे। हमने सही निर्णय इसलिए क्योंकि एच.डी.डब्ल्यू. ने हमें इस बात से संतुष्ट कर दिया था कि वे प्रतियोगी मूल्य अन्य सप्लायरों की तुलना में कम है उनका डिलीवरी कार्यक्रम बेहतर है और एच.डी.डब्ल्यू. को पनडुब्बियों के निर्माण में काफी अनुभव है। तथा प्रौद्योगिकी के अन्तरण में पश्चिमी जर्मनी को पर्याप्त अनुभव है। इन चार कारणों की वजह से हमने अन्ततोगत्वा इस विशेष फर्म का चयन किया। भारत सरकार ने विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संघीय गणराज्य जर्मनी की सरकार से भी प्रत्यक्ष रूप से बातचीत की थी जिसमें भारत सरकार के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षोपाय भी शामिल थे। हमने सरकार तथा एच.डी.डब्ल्यू. को भी लिखा था। हम इस मामले में सरकार को भी बीच में रखना चाहते थे। निर्मित तैयार पनडुब्बियों को क्रमशः सितम्बर, 1986 तथा नवम्बर, 1986 में रवाना किया गया था। वे भारत में क्रमशः जनवरी, 1987 तथा फरवरी, 1987 में पहुंची थीं। देश में पनडुब्बियों का निर्माण मजगांव पत्तन पर क्रमशः जनवरी, 1984 तथा सितम्बर, 1984 में शुरू किया गया था और उनकी डिलीवरी क्रमशः सितम्बर, 1990 तथा जून, 1991 में किए जाने की संभावना है। एच.डी.डब्ल्यू. की पनडुब्बियों में सभी अनुबद्ध पैरामीटर मौजूद हैं। इसी बात पर मैं बल देना चाहता हूँ। विशेष रूप से आधुनिक संवेदनशील हथियारों की सहायता से अन्य पनडुब्बियों का पता लगाने, उनका पीछा करने तथा उन्हें नष्ट करने के लिए उपकरणों से सुसज्जित तथा सक्षम हैं। आकार में छोटी होने की वजह से इस किस्म की पनडुब्बियां कम गहरे पानी में भी अपना कार्य करती हैं। ये कुछ तथ्य हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि समस्त स्थिति को सही ढंग से समझने के लिए सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वह रक्षा की गोपनीय बातों को प्रकट कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह आपके पास दक्षिण अफ्रीका से आया है।

श्री बिपिन पाल दास : मैं किसी बात को नहीं टालूंगा। मैं दक्षिणी अफ्रीका का जिक्र करूंगा। (व्यवधान)

भूतपूर्व रक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य दिया। श्री पन्त द्वारा इस सभा में वक्तव्य देने के तुरन्त बाद उन्होंने वक्तव्य दिया। मैं सभी प्रश्नों पर चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि इनमें से अधिकतर प्रश्न

अप्रासंगिक हैं। मैं किसी और शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता। परन्तु मैं कुछ प्रश्नों का उल्लेख करना चाहता हूँ।

उन्होंने कहा था कि रक्षा सचिव ने उन्हें बताया था कि एच. डी. डब्ल्यू कीमत कम नहीं कर रहे, जिसका उल्लेख मैंने पहले ही 7 प्रतिशत कमीशन के भुगतान के कारण किया है और यह कि उन्हें शक था कि हिन्दूजा इस मामले में भारतीय एजेन्ट होंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के अनुसार, सरकार ने सारी जांच पड़ताल कर ली है परन्तु हिन्दूजा पर छापा नहीं मारा। उन्होंने यह कहा था। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि फाइल पर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा की गई टिप्पणियां सभी जांच एजेन्सियों के ध्यान में लाई गई थी। इस मामले में हिन्दूजा परिवार के सम्बन्ध के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूर्णत: जांच की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सरकार के सम्पूर्ण रिकार्ड की जांच की तथा विस्तृत रूप से स्वतन्त्र जांच पड़ताल की गई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस निर्णय पर पहुंचा कि एच. डी. डब्लू. ठेके में हिन्दूजा का कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान) आप हंस रहे रहे है······आप हंस रहे हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : बिना छापा मारे तथा बिना हिन्दूजा से बात किए··· (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : जब हमारी अत्यन्त महत्वपूर्ण एजेंसी किसी निष्कर्ष पर पहुँची है तो श्री जयपाल रेड्डी समझते है कि इस एजेंसी की अपेक्षा अधिक कार्यक्रम है और इसलिए बच्चे की तरह हंस रहे हैं।

तत्काल रक्षा मंत्री ने एक और प्रश्न भी रखा। एच. डी. डब्ल्यू के साथ बातचीत के रिकार्ड सहित राजदूत से प्राप्त टेलेक्स तथा सभी रिकार्डों को प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता जिसका श्री दिनेश गोस्वामी ने भी उल्लेख किया है ? 24-2-87 का मूल टेलेक्स दोनों सभाओं के सभा पटलों पर रखा गया था। रिकार्ड के बारे में कोई भी व्यक्ति जिसे सरकार के कार्यों की कुछ जानकारी है, इस बात को जानता है कि इस प्रकार की बातचीत के रिकार्ड अवश्य ही एक प्रकार के गुप्त दस्तावेज होते हैं और इसलिए इन्हें प्रकाशित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे हमारी पनडुब्बियों को गम्भीर खतरा हो सकता है। यदि इस बातचीत के रिकार्ड को प्रकाशित कर दिया जाए तो पनडुब्बियों के कार्यकरण को खतरा हो सकता है।

तत्कालीन रक्षा मंत्री तथा श्री गोस्वामी ने भी कहा है कि केवल भारतीय एजेंट की ही बात क्यों की जाती है। क्या किसी विदेशी द्वारा भारतीय एजेंट के सम्पर्क से अथवा विदेश में रजिस्टर्ड फर्म द्वारा धनराशि प्राप्त नहीं की जा सकती ? 12-6-87 को एफ. आर. जी. को लिखे स्मारक पत्र तथा 27-6-87 को एच. डी. डब्ल्यु को लिखे पत्र में इस भुगतान के विस्तृत ब्यौरे की मांग की गई है। सरकार ने फिर क्रमशः 28-9-87 तथा 19-10-87 को एच. डी. डब्ल्यु तथा एफ. आर. जी. को दुबारा पत्र लिखे। एच. डी. डब्ल्यु. ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारत में तथा विदेश में किसी भारतीय अथवा गैर भारतीय को कोई कमीशन नहीं दी गई। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : परन्तु हमारी एजेंसियों में केवल भारतीय एजेंटों के लिए कहा है।

श्री बिपिन पाल दास : जांच एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में कोई भी एजेंट शामिल नहीं था। इस बात को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए फर्म ने भी यही बात कहा है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चौधरी जो भी यह कहना चाहते हैं, इन्हें कहने दें। आप रुकावट क्यों डाल रहें हैं ?

श्री बिपिन पाल दास : इस संसद में स्कूल के बच्चे के समान व्यवहार करने का प्रयास न करें। यह स्पष्ट है कि भारत में अथवा विदेश में कोई भारतीय अथवा गैर भारतीय एजेंट इसमें शामिल नहीं है। आप स्कूल के विद्यार्थी की तरह ही अपने तर्क दे रहे हैं। भूतपूर्व रक्षा मन्त्री ने कहा है कि पनडुब्बियों के सम्बन्ध में की गई जांच के रहस्योदघाटन स्वयं प्रधान मन्त्री द्वारा अपनी रक्षा के लिए किए गए हैं। यह आरोप लगाया गया है। हमारे राजदूत से प्राप्त गुप्त सन्देश की विषय-वस्तु की ओर तत्कालीन रक्षा मन्त्री ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जब उन्होने 9-4-87 को प्रेस नोट जारी किया, जिससे जांच एजेंसियों का कार्य मुश्किल हो गया। जब एक बार रक्षा मन्त्रालय में जांच के बारे में समाचार का रहस्योदघाटन हो गया तो प्रेस में कार्य करने वाले लोगों को यह पता लगाना मुश्किल नहीं हुआ कि क्या मामला है। ऐसा हुआ है तथा इससे माननीय पत्रकारों का महत्व कम नहीं हुआ। अब प्रधान मंत्री जी पर सारे आरोप लगाना बिल्कुल अनुचित है। गृह मंत्री जी ने 25 अप्रैल 1988 को इस सभा में वक्तव्य दिया और विस्तृत विवरण दिया क्योंकि वह सी. सी. पी. ए. की अनौपचारिक बैठक में उपस्थित थे। रक्षा मंत्री तथा अन्य सहयोगियों के बीच विचार विमर्श के समय वह उपस्थित थे। श्री बूटा सिंह ने इस घटना के बारे में सभा में वक्तव्य दिया और यह स्पष्ट किया कि इसमें प्रधान मन्त्री बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने प्रेस नोट द्वारा खबरों का रहस्योदघाटन किया तथा उन्होने स्वयं ही पनडुब्बी शब्द का रहस्योदघाटन भी किया। विपक्ष ने सभी जांच रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने की मांग की। श्री गोस्वामी जी ने अभी ही ऐसा किया है। वास्तविक स्थिति यह है कि (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आप पढ़ रहे हैं।

श्री बिपिन पाल दास : मुझे इसे पढ़ना है क्योंकि यह तकनीकी विषय है। मैं गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहता। मैंने देखा है कि श्री जयपाल रेड्डी ने बोफोस सौदे पर बोलते समय अपने नोट को पूरा पढ़ा था। ऐसे तकनीकी विषय अवश्य पढ़ने चाहिए। हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए। (व्यवधान) विपक्ष ने मांग की है कि सभी जांच रिपोर्टें अवश्य ही सभा पटल पर रखी जानी चाहिए। मूल स्थिति यह है कि सम्बन्धित मंत्री ऐसे मामलों में निर्णय लेते हैं कि कौन से दस्तावेज सभा पटल पर रखे जा सकते हैं और कौन से दस्तावेज सुरक्षा के आधार पर, जनहित के आधार पर सभा पटल पर नहीं रखे जा सकते। महोदया, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अति गुप्त फाइलों तथा दस्तावेजों की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रुप दिया है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाने चाहिए ? जब प्रतिवेदन अत्यन्त गुप्त फाइलों तथा दस्तावेजों की जांच पर आधारित है, मैं नहीं समझता कि सभा का कोई भी समझदार सदस्य सभा पटल पर इसे रखने की मांग करेगा। यही बात अन्य जांच एजेंसियों के बारे में है। मैं इसकी विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करना चाहता।

महोदया, भूतपूर्व रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सरकार डा. मोलिटर की जांच नहीं करना चाहती थी। अपने बाद के वक्तव्य में उन्होंने दुबारा श्री मोलिटर के मामले का उल्लेख किया है। श्री गोस्वामी ने इस बारे में कहा है। परन्तु अन्तर-मंत्रालय दलने डा. मोलिटर के मामले की जांच की है। उनकी जांच की गई है। यह सच नहीं है कि उनकी जांच नहीं की गई और इसलिए यह रिपोर्ट उस बात पर आधारित थी कि जिसकी जानकारी उन्हें डा. मोलिटर से मिली थी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने क्या कहा है ? यह गुप्त दस्तावेज नहीं है।

श्री बिपिन पाल दास : एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में भारतीय अथवा गैर भारतीय कोई भी एजेंट शामिल नहीं था। इसमें डा. मोलिटर से लिया गया साक्ष्य भी शामिल है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत ही गलत तर्क है।

श्री बिपिन पाल दास : बहुत सटीक तर्क है। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाऊंगा कि डा. मोलिटर के साथ क्या बात हुई, एच. डी. डब्ल्यु के अध्यक्ष के साथ क्या बात हुई,; हमारे नौसैनिक सहायक या हमारे राजदूत के साथ क्या बात हुई, परन्तु सार यह है कि वे किसी एजेंट का कोई सबूत नहीं ढूंढ सके।

फिर उन्होंने कहा और बी. पी. ने भी कहा कि विदेश में सी. बी. आई. की कोई शाखा नहीं है ; वे विदेश में जांच कैसे कर सकते हैं ? महोदया, सी. बी. आई. ने अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से विदेश में बड़ी संख्या में जांच की है। ऐसा किया गया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आपने एक राष्ट्र विरोधी कार्य किया है।

श्री बिपिन पाल दास : जरा भी नहीं। ऐसा किया गया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : यह आपत्तिजनक है। महोदया, उनका कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों का उपयोग किया गया है, जो······

श्री बिपिन पाल दास : जी हां, सी. बी. आई. अपने समान अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों, उदाहरणार्थ इन्टरपोल, की सहायता और सहयोग से जांच करती है।

महोदया, मैं कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख करना चाहूंगा, परन्तु मैं नहीं समझता कि आप मुझे और समय देंगी। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता परन्तु मैं समझता हूँ कि श्री गोस्वामी द्वारा उल्लिखित एक या दो मुद्दों पर हमें स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। उन्होंने बुन्देस्ताग में हुई चर्चा के बारे में एक प्रश्न उठाया था। यह सम्बद्ध प्रश्न एफ. आर. जी. को संसद में उठाया गया था और उसके उत्तर को संदर्भ से बाहर नहीं माना जा सकता है। एफ. आर. जी. सरकार द्वारा संसद में दिए गए उत्तर पर रक्षा सचिव के 19 अक्तूबर, 1987 के अध्यक्ष, एच, डी. डब्ल्यु. को सम्बोधित पत्र के माध्यम से एच. डी. डब्ल्यु. का ध्यान विशेष रुप से आकर्षित किया गया था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे तारांकित थे या अतारांकित ?

श्री बिपिन पाल दास : मैं नोट्स में से पढ़ रहा हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसके नोट्स ?

श्री बिपिन पाल दास : मेरे अपने नोट्स। अध्यक्ष, एच. डी. डब्ल्यु को लिखे इस पत्र में कहा गया है :

"आपकी कम्पनी द्वारा भारतीय एस. एस. के. ठेकों में कमीशन के भुगतान के लिए विशिष्ट प्रश्न बुन्दसताग में उठाए गए थे। इसकी प्रतिक्रिया में, एफ. आर. जी. सरकार ने कहा था कि कमीशन के भुगतान का उत्तरदायित्व पूरी तरह से सम्बद्ध कम्पनी के प्रबन्ध का है।"

हमने कम्पनी को इसके बारे में बता दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में एच. डी. डब्ल्यु. ने 27 नवम्बर, 1987 के अपने पत्र में साफ-साफ उत्तर दिया था कि किसी भी भारतीय या गैर भारतीय को भारत में या विदेश में किसी कमीशन का भुगतान नहीं दिया गया था।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : आप उस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं।

श्री बिपिन पाल दास : हम और क्या कर सकते हैं? मुझे कोई और उपाय बताइए। क्या मुझे आप पर विश्वास करना चाहिये।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : परन्तु एफ. आर. जी. की सरकार यह नहीं कहती है।

श्री बिपिन पाल दास : यदि एफ. आर. जी. सरकार भी यह बात कहती, तो आप फिर यही बात कहते जो आप एच. डी. डब्ल्यु. के बारे में कह रहे हैं। (**व्यवधान**) अब, गलतफहमी के मुद्दे के संबंध में श्री गोस्वामी ने पूछा था, "किसकी गलतफहमी? क्या यह राजदूत की गलतफहमी थी?" परन्तु यह डा. मोलीतोर और स्वयं एच. डी. डब्ल्यु. के बीच की गलतफहमी भी हो सकती है। एच. डी. डब्ल्यु. और डा. मोलीतोर के बीच कुछ गलतफहमी अवश्य होनी चाहिए क्योंकि उसी गलतफहमी की वजह से उसने हमारे राजदूत को कुछ बताया, जिसने हमें बता दिया। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप यह भी कह सकते हैं कि यह गलतफहमी विपक्ष की है।

श्री बिपिन पाल दास : जब कम्पनी साफ साफ यह कहती है कि इसमें कुछ गलतफहमी है, तो मैं इसे कम्पनी और डा. मोलीटोर के बीच गलतफहमी समझता हूँ।

प्रो. मधु दण्डवते : ठीक है। उन्हें गलतफहमी पर विश्वास करने का अधिकार है। (**व्यवधान**)

श्री बिपिन पाल दास : दक्षिण अफ्रीका के मुद्दे के बारे में फिर यही बात कहूँ जो एच. डी. डब्ल्यु. ने कही थी, तो आप फिर हँसेंगे। मेरे विपक्षी मित्रों के साथ समस्या यह है कि वे स्वयं अपने आप पर और अपने मालिकों के सिवाय किसी अन्य पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारे मालिक कौन है?

श्री बिपिन पाल दास : प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आपके मालिक कौन है? (**व्यवधान**)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : भारत की जनता हमारी मालिक है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : जब आप बोलते हैं, तो आपको कोई बाधा नहीं डालता है। आप बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्या आप वाद-विवाद को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं? कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : मैं तो केवल यह स्पष्ट कर रहा था कि भारत की जनता हमारी मालिक है।

श्री बिपिन पाल दास : ठीक है महोदया, वे इसमें सहायता नहीं कर सकते हैं। उन्हें हमेशा से बाधा डालने की आदत है :

अब, दक्षिण अफ्रीका के मामले के संबंध में एच. डी. डब्ल्यु, ने कहा है कि हमारी पनडुब्बियों के संबंध में कोई भी गोपनीय या वर्गीकृत जानकारी दक्षिण अफ्रीका को नहीं दी गई है और एफ. जी. आर. की सरकार ने इसकी पुष्टि की है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : परन्तु रक्षा मंत्री ने ऐसा इतनी सहानुभूति पूर्वक नहीं कहा है।

श्री बिपिन पाल दास : वे कल उत्तर देंगे और आप तब उनकी बात सुन सकते हैं। मेरा मुद्दा यह है कि फर्म से यही जानकारी प्राप्त हुई है। उनका कहना है कि हमारी पनडुब्बियों के सम्बन्ध में कोई भी गोपनीय या वर्गीकृत जानकारी दक्षिण अफ्रीका को नहीं दी गई है और एफ. जी. आर. सरकार ने इसकी पुष्टि करदी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको यह जानकारी कहां से मिली ?

श्री बिपिन पाल दास : मैं अपनी जानकारी के स्रोत क्यों बताऊं ? आपके अपने स्रोत हैं और मेरे अपने। **(व्यवधान)**

महोदया, अपना भाषण सामप्त करने से पहले मैं सभा से एक बहुत सामान्य निवेदन करना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इन कुछ पंक्तियों को पढ़ने में जो मैं पूरी निष्ठा और गम्भीरता से कहूँगा। महोदया मेरा विचार है कि रिश्वत, किम बैंक और घोटालों की ये सब बातें कहीं तो खत्म होनी चहिए। यदि कोई ठोस सबूत है, तो उसे उठाना चाहिए और अपराधियों को दण्डित किया जाना चाहिए। अन्यथा, यदि आप इसके बारे में सन्देहा, अनुमानों तथा आम आस गप - शप के आधार पर बातें करेंगे तो लोग आपकी इन समस्त प्रणाली से विश्वास खो बैठेंगे। हमें ऐसा प्रतीत नहीं होने देना चाहिए कि हमारा राष्ट्र भ्रष्ट है और जो भी सत्ता में आ जाता है वह भ्रष्ट हो जाता है ; संभवतः प्रत्येक दल या तो केन्द्र में अथवा किसी राज्य में सत्ता में आने का अवशर मिला है। यदि विपक्ष सत्तारुढ दल को भ्रष्टाचार के हर मामले में बिना किसी ठोस प्रमाण के कोसता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि समूचा राष्ट्र भ्रष्ट है और लोगों को प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक दल में विश्वास नहीं रहेगा। इससे हमारी प्रणाली को बहुत बड़ी हानि होगी और इससे खुद प्रणाली भी समाप्त हो सकती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता को भी खतरा पदा हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है कि फासिस्ट ताकतों द्वारा प्रजातन्त्र का हनन हो रहा है और हम सब इसके परिणामों से अवगत हैं।

प्रत्येक विपक्षी दल को यह अधिकार है कि वह प्रजातांत्रिक ढंग से तथा शांतिपूर्ण ढंग से किसी सरकार को गिराये और उसका स्थान ले ले। मैं जानता हूँ कि विपक्ष की भूमिका विरोध करना, भेद प्रकट करना, और गद्दी से उतारना है। उन्हें यह अधिकार प्राप्त है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति काल्पनिक सन्देहात्मक तथा निरर्थक आधारों पर ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसके परिणाम प्रत्येक व्यक्ति के लिए खतरनाक होंगे। इस सम्बन्ध में नीतियों, कार्यक्रमों तथा विचारधाराओं के आधार पर साफ-सुथरी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए न कि भ्रम पैदा किए जाएं

तथा हर तरफ सन्देह और आशंकाओं के बादल पैदा किये जायें। कृपया याद रखें कि यदि कोई व्यक्ति यह कल्पना करता है कि वह राजनीतिक लड़ाई ऐसे संदेहजनक तरीके से जीत सकता है तो वही हथियार उसी काम के लिए उनके खिलाफ भी प्रयोग किया जा सकता है। हमें साफ-सुथरे सार्वजनिक जीवन के लिए लड़ाई लडनी चाहिए परन्तु ऐसा करते समय हमें अपनी कष्टों से अर्जित राजनीतिक प्रणाली को अस्थिर नहीं बनाना चाहिए हमें समूचे राष्ट्र का नैतिक स्तर नहीं गिरना चाहिए और दुश्मनों के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी महोदया, मेरे माननीय मित्र श्री बिपिन पाल दास के उपसंहार से यह धारणा बनी है कि लाग यह सोचते हैं कि यह राष्ट्र एक भ्रष्ट राष्ट्र है। जी, नहीं। बल्कि लोग यह जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है जिसमें दिल्ली की सरकार लिप्त है। इसीलिए हम सचाई का पता लगाने के लिए उत्सुक हैं। परन्तु हमने यह देखा है कि सच्चाई को दबाने के लिए सरकार की ओर से अनेक प्रयास किये गए हैं। हम जनता के प्रतिनिधि जो आज अल्पमत में हैं, इस भ्रष्टाचार तथा सच्चाई को छुपाने के लिए किए गए प्रयास दृढ निश्चय के साथ पर्दाफाश करने का हर संभव प्रयास करेंगे न कि इस तरह जैसा कि सरकार द्वारा किया जा रहा है। अतः हो सकता है कि मेरे मित्र द्वारा यह उपदेश खुद अपनी सरकार को दिया गया हो। आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वह एक दूसरा प्रयास है जो सच्चाई को दबाने के लिए इस सरकार द्वारा किया गया है और जो एक हताश होकर किया गया है यह सरकार अब घोटालों, रिश्वतखोरों को बढावा देने वाली सरकार बन गई है। उस दिन हमने एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन—बोफोर्स सौदे के बारे में संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की थी। हमने कहा था कि प्रसिद्ध समाचार पत्रों के प्रयासों से प्रकाश में लाए गए अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणों, महत्वपूर्ण प्रलेखों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया था उन्हें दृढता पूर्वक टाल दिया गया था। मंत्री महोदय ने उन बातों को टाल दिया था। यहां भी हमने यह देखा है कि महत्वपूर्ण प्रलेखों, सम्बन्धित प्रलेखों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों तथा उनके वक्तव्यों पर न तो इस सरकार द्वारा अथवा इसकी जांचकर्ता एजेन्सियों द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, और मैं उनका उल्लेख करूंगा।

टेलेक्स संदेश को किसी को भी नहीं दिखाया गया है, यद्यपि हमें भारतीय राजदूत से संदेश प्राप्त हो गया है।

श्री बिपिन पाल दास : उसे सभा पटल पर रखा गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : 1981 में जो करार किए गए थे उन्हें प्रकट नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट, विभिन्न जांच कर्ता एजेन्सियों द्वारा तथाकथित ढंग से की गई जांच की रिपोर्ट—वे जांच रक्षा सम्बन्धी रहस्यों के आधार पर नहीं की जा सकी थी। वह जांच स्पष्टतः अथवा एजेन्ट का पता लगाने के लिए की जानी चाहिए थी। ऐसा कोई कारण नहीं है, यदि ऐसी कोई जांच हुई हो, कि ये रिपोर्टें क्यों नहीं आ रही हैं। रक्षा मंत्री महोदय इस सभा में दिये गए इस लम्बे वक्तव्य के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंश के बारे में, जिसमें इन जांचकर्ता एजेन्सियों तथा कथित निष्कर्षों को निर्दिष्ट किया गया है, के बारे में हमें केवल उस वक्तव्य पर ही विश्वास करना है जिसके समर्थन तथा पुष्टि के लिए कोई सामग्री नहीं जिसे मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया हो या अब अन्यथा हमें उपलब्ध किया हो इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख को जानबूझ कर इस सभा से छुपा कर रखा गया है, और वह है नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट** । यह विश्वास

**अध्यक्षपीठ के आदेसानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

किया जाता है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के एक पैराग्राफ में यह जिक्र आया है ...... ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदया, यह व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : मेरा एक व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का जिक्र करना ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्यों नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी, नहीं, वस्तुतः नहीं । इस अवस्था में नहीं । सभा के समक्ष अब कुछ नहीं है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्यों ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री चौधरी, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं । मैंने जो मामला उठाया है वह व्यवस्था के प्रश्न का मामला है यह एक बहुत ही गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है । महोदया, यह एक बहुत ही गम्भीर व्यवस्था का प्रश्न है । सभा के समक्ष कोई रिपोर्ट नहीं है । यहनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट है । यहां मेरे मित्र जरा खड़े होते हैं और···के बारे में बात करते हैं

'(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह इसे भली - भांति कर सकते हैं '(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री चौधरी, अब मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं । मैं पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित कर रहा हूं । मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको अधिकार है ···।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसलिए कृपया बैठ जइए ! मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए ।

(व्यवधान)'

सभापति महोदय : आप हस्तक्षेप क्यों करते हैं ? उनका मामला व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित है । आप उन्हें बोलने क्यों नहीं देते ? कृपया, उन्हें बोलने दीजिए । मुझे सुनने दीजिए कि उनका व्यवस्था का क्या प्रश्न है । ('व्यवधान)

श्री सोमनाथ रथ : (आस्का) जब सभा में किसी मंत्री अथवा किसी सदस्य द्वारा व्यवस्था का कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो महोदया आपको विनिर्णय देना होगा···।

सभापति महोदय : यहां बात मैं सुन रही हूं कि उनका व्यवस्था का क्या प्रश्न है । मैं उनसे पूछ रही हूं । वे यह स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यवस्था का क्या प्रश्न है । मुझे यह देखने दीजिए कि वे क्या कहने जा रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है । मेरे मित्र, यदि उन्हें सही समझा है तो—यदि मैंने उन्हें—गलत समझा है तो वे मेरी बात को ठीक कर सकते है···।

प्रो मधु दण्डवते : उन्हें उसे दोबारा कहने दिजिए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी, नहीं। मैंने इसे समझ लिया है। यदि मैंने उन्हें गलत समझा है तो वे मुझे ठीक कर सकते हैं वे यह कहते हैं। वे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में से कुछ उल्लेख करना चाह रहे हैं जो अभी सभा-पटल पर नहीं रखी गई है। **(व्यवधान)** कृपया अपना हाथ मत हिलइाए। मैंने उनकी बात सुन ली है। वे कहते हैं कि उस पैराग्राफ में यह बात कहीं गई है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पैराग्राफ के बारे में उन्होंने नहीं कहा है……।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदया, वे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्ष को रिपोर्ट में से कुछ भी उल्लेख नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतया वह लोक लेखा समिति के समक्ष जाती है और लोक लेखा समिति इस पर विचार करती है। यदि लोक लेखा समिति उस पैराग्राफ अथवा उन पैराग्राफों अथवा जो आपने कहा है, को उठाती है तो रक्ष मत्रालय अथवा जो भी मंत्रालय इससे सम्बन्धित है; लोक लेखा समिति के समक्ष जाता है, इसका उत्तर लिखित रुप से देना है, लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित होता हे। उसके बाद, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत करनी हे। तब सभा इस पर प्रश्न कर सकती है। निश्चिय रुप से माननीय सदस्यों को इस पर चर्चा करने का अधिकार है। वे इस पर चर्चा करने के हकदार हैं, परन्तु, इस अवस्था में नहीं, और विशेषरुप से तब जब इसे सभा के समक्ष भी नहीं रखा गया है। यही मेरा निवेदन है, और यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इस पर विनिर्णय चाहूंगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मुझे यह जानने में उन्होंने क्या कहा है। मंत्री महोदय ने जो कहा वह ठीक है। मैं आशा करती हूँ श्री चटर्जी आपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) महोदया, इसके पहले कि आप अपना विनिर्णय सुनायें···

सभापति महोदय : मुझे आशा है कि इस सुधार के बाद श्री चटर्जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने शब्दों का सावधानी पूर्वक प्रयोग किया है, मैंने कहा है मेरा विश्वास है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है; कृपया मेरे भाषण को देखें। टेप रिकार्डर की जांच करें **(व्यवधान)**

5.00 म. प.

प्रो. मधु दण्डवते : इसे टेप रिकार्ड किया जा रहा है, **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : उनके पास कुछ जानकारी हे **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : लेकिन वे ऐसा कैसे कहते हैं कि मुझे इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि ऐसा कहा गया है। **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : ठीक है। लेकिन वे ऐसा कहते हैं और विश्वास करते हैं। **(व्यवधान)** वे ऐसा कहते हुए कि मुझे विश्वास है कि प्रतिवेदन में कुछ है प्रतिवेदन से कुछ कैसे उल्लेख कर सकते हैं **(व्यवधान)**

समापति महोदय : मैं रिकार्ड मगवाऊंगी। मुझे रिकार्ड देखने दें उसमें क्या है। इस दरम्यान आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अब कहता हूँ यदि ऐसा पहले नहीं कहा है—मुझे विश्वास' है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन है, (व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर आपका क्या विनिर्णय है ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सरकार से जानना चहता हूं कि ऐसा कोई प्रतिवेदन सरकार को दिया गया या नहीं। (व्यवधान) सरकार हां या ना में जवाब दे (व्यवधान) इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ? मैं उनसे पूछ रहा हूं (व्यवधान)

समापति महोदय : इनके द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया को लेकर है जिसका उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि इसका उल्लेख प्रतिवेदन के साथ सभा पटल पर रखने के बाद ही हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, नहीं, सरकार को प्रस्तुत किये जाने के पहले (व्यवधान) आपका विनिर्णय क्या है।

समापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : आपको प्रतिवेदन के बारे में जानकारी कैसे मिली ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने कहा मुझे विश्वास है (व्यवधान) अब यदि यह संतोषजनक नहीं है तो; मेरे चार प्रतिवेदन हैं। (व्यवधान)

श्री संतोष महन देव : मैं समझता हूं यह श्री अमल दत्त की गल्ती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसका उल्लेख नहीं कीजिए (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है ,

समापति महोदय : आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री सोमनथ चटर्जी : मैं जारी रख रहा हूं। उन्होंने अन्यावश्यक रूप में व्यवधान डाला।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी (कुरनूल) माननीय मंत्री द्वारा उठाए व्यवस्था के प्रश्नके खिलाफ मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैंने यह उनके खिलाफ उठाया है आपके खिलाफ नहीं ,

समापति महोदय : वे भाषण देने के लिए खड़े हैं। आप अपनी जगह परे बैठ जाऐ।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संवैधानिक कागजात होता है, जिसे सभापटल पर रखा जाता है और राष्ट्रपति को भी भेजा जाता है। लोक लेखा समिति रक्षा

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

सम्बन्धी कुछ पैरा लेती है और उसकी जांच करती है, सभी पैरा की जांच नहीं की जाती है दूसरी बात यह है कि नियंत्रक महालेखा परिक्षक मुद्दे तैयार करने से पहले रक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगता है। इसलिए यदि उन्होंने पैरा तैयार कर उसे रक्षा मंत्रालय को सूचित करता है तो हमें निश्चय ही छपने से पहले उसके बारे में पता चल जाएगा। (व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह गोपनीय होता है (व्यवधान)

श्री ई. अय्यपू रेड्डी : अब यदि सरकार जानती है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने एक मुद्दा तैयार किया है, या विभाग को भेजने के लिए विषय तैयार किया है, तो रक्षा मंत्रालय अवश्य यह जानता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने इसे संक्षेप अपराध माना होगा (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्रतिवेदन की मांग करें।

श्री ई. अय्यपू रेड्डी कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

5.04 म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो मधु दंडवते : क्या आपने व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकार कर दिया है ?

एक माननीय सदस्य : यदि यह गलत है तो मंत्री अपने उत्तर में इसे स्पष्ट करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं लोक लेखा समिति के पूर्व सभापति का अनुग्रही हूँ कि उन्होंने इस मामले को स्पष्ट किया।

श्री विपिन पाल दास : क्या मैं एक बात कह सकता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसे नहीं मनता आपने बहुत समय ले लिया है ;

श्री विपिन पाल दास : लोक लेखा समिति की कार्यवाही की चर्चा यहां करना ठीक नहीं है ऐसा कभी नहीं किया गया। लोक लेखा समिति या किसी संसदीय समिति की कार्यवाही की कभी भी न चर्चा होती है न उल्लेख किया जता है। वे इसका उल्लेख कर रहे हैं । श्री अमल दत्त, लोक लेखा समिति के भूतपूर्व समिति का एक प्रेस वक्तव्य हे, यह नियमों तथा प्रक्रीया का उलंघन है। यह हानिकर है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार को कहने दें कि मैं सही हूँ अथवा नहीं।

श्री वासुदेव आचार्य : कभी नहीं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने कभी भी लोक लेखा समिति का उल्लेख नहीं किया है।

एक माननीय सदस्य : रिकार्ड की जांच की जानी चाहिए और उस अंश की कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा विचार है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आवश्यक है, (व्यवधान) लोक लेखा समिति के माननीय भूतपूर्व सभापति ने इस मामले को स्पष्ट करने में काफी सहयोग दिया है, मुझे आशा है, मंत्री महोदय······(व्यवधान) गलत फहमी दूर कर दी गई है, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा, बैठ जाइए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी हो मैं देखूंगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन : (इद्दुकी) उन्होंने विनिर्णय दिया है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कैसा विनिर्णय ?

श्री वासुदेव आचार्य : उन्होंने कैसा विनिर्णय दिया है? कोई विनिर्णय नहीं है ? (व्यवधान)

श्रीमती बसवराजेश्वरी : (बेल्लारी) मैंने कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप आपस में क्यों चर्चा कर रहे हैं। निर्णय हमें लेना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा करने के लिए पूर्णतया सक्षम थी। आप उन्हें चुनौती नहीं दे सकते।

प्रो मधु दण्डवते : महोदया आप अबसे कोई विनिर्णय नहीं दे सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप चुनौती नहीं दे सकते।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैंने कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसको चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं तो केवल यह कह सकता हूं कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री के पार्श्व में बैठकर वे अब कोई विनिर्णय नहीं दे सकती हैं।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैंने कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वे अब कोई विनिर्णय नहीं दे रही हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मुझे अपना भाषण जारी रखने की अनुमति है ?

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : उनको विनिर्णय का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा। आप इस सम्बन्ध में चिन्तित क्यों हैं ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : उनको विनिर्णय का पालन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी काम के लिए यहां मौजूद हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी काम के लिए यहां मौजूद हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : उनका कथन कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : तब आप यहां आकर इस कुर्सी पर बैठ जाइए।

प्रो. मधु दण्डवते : उनको ऐसा करने की अनुमति न दीजिए। अन्यथा यहां काफी अव्यवस्था हो जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया उनको हम पर मत थोपिये।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा को आगे बढ़ाएं। श्री चटर्जी, आपके पास जो भी जानकारी है आप उसे उद्धृत कर सकते हैं। किन्तु हम जिस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं उस विषय पर चर्चा न करें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ कि इस अतिमहत्वपूर्ण विषय, जो इस सभा तथा सभा के बाहर के लोगों को आन्दोलित कर रहा है, पर सार्थक चर्चा के लिए वे रिपोर्टें हम लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है। अन्यथा हम केवल वास्तव में उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जिनके सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्यों को लोगों से तथा इस सभा से छुपाया गया है। सरकार का अभिमत यह है कि जहां तक 1981 में दिए गये ठेकों का सम्बन्ध है इसमें किसी को भुगतान करने का प्रावधान नहीं था तथा उसमें कोई एजेन्ट नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि यह सरकार ऐसा कहने अथवा 1981 में किसी एजेन्ट की मौजूदगी का खंडन करने के लिए इतनी बेताब क्यों है ?

क्योंकि मैंने एक अन्य मौके पर माननीय रक्षा मन्त्री को बड़ी बेताबी से यह कहते सुना— "आप हम पर, सरकार पर दोष क्यों लगा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि राजीव गांधी जी की सरकार जिम्मेदार नहीं है। मैं उनके कथन को अक्षरक्ष: उद्धृत करता हूँ, "इस सरकार ने पनडुब्बियां नहीं खरीदी हैं। इसका अर्थ यही है। अत: जब इस सरकार ने पनडुब्बियां नहीं खरीदीं तो आप कमीशन अथवा एजेन्ट अथवा डा. मौलीटर के लिए इस सरकार पर दोष लगाने की कोशिश नहीं कर सकते।"

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : वे कुछ दस्तावेजों को उद्धृत कर रहे हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप क्या उध्दृत कर रहे हैं ? वे किस स्रोत से उध्दृत कर रहे हैं ?

श्री बृजमोहन महन्ती : वे कुछ दस्तावेजों को उद्धृत कर रहे हैं तथा हम उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में नहीं जानते।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसको इस तरह माना जाए जैसे मैंने इसे शब्दश: याद किया है तथा मैंने ऐसा ही कहा है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : ये उद्धरण राज्य सभा के कार्यवाही वृतान्त से हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने कथन को जारी भी रखें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि ऐसा है तो वे लोगों से यह बात कहने को बेताब क्यों हैं, "नहीं

1981 में भी सौदे में कोई एजेन्ट नहीं था ? क्या बात काफी असामान्य नहीं कि 1981 में रक्षा ठेकों में एजेन्ट थे ?

(व्यवधान)

दूसरी ओर, यह बात अब सभा के कार्यवाही वृतांन्त में भी शामिल है कि 1985 से पहले एजेन्टों की नियुक्ति तथा कमीशन का भुगतान अपवाद नहीं बल्कि एक प्रथा थी तथा जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है मैं इससे अधिक प्रामाणिक दस्तावेज का उल्लेख नहीं कर सकता। महोदय, मेरा विश्वास है कि यद्यपि लोगों ने इस तथ्य को अस्वीकार किया है किन्तु इस सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार किया हे तथा इस सभा ने संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के रूप में इस तथ्य को स्वीकार किया है।

कृपया मुझे 'क्या प्रथा प्रचलित थी' यह दिखाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के कुछ अंश पढ़ने की अनुमति प्रदान करें।

मैं पृष्ठ 106 के पैरा 7.2 का उल्लेख करता हूं :

"भूतपूर्व डी. सी. ओ. ए. एस. लेफ्टीनेन्ट जनरल एच, कौल (सेवानिवृत्त) ने अपने साक्ष्य में समिति को यह सूचित किया कि रक्षा उपकरण की खरीद में एजेन्टों की सेवाओं का उपयोग करने की प्रथा चल रही है। उनके अनुसार इस प्रथा के निश्चित लाभ हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा सेना को यह पता चलता है कि

मैं पैरा 7.3 का उल्लेख करता हूं :

"भूतपूर्व सचिव, व्यय (श्री आर. गणपति) ने भी यह बताया कि उस समय भारत सरकार के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सेवाओं, प्रोद्योगिकी, उपकरण आदि के आयात के बारे में किसी सौदे के लिए भारतीय एजेन्ट की नियुक्ति पर रोक नहीं लगी थी......'

उनके अनुसार भारतीय एजेन्ट विदेशी कम्पनियों के अनिवार्य सहगामी थे।

तत्पश्चात्, मैं पैरा 7.6 का उल्लेख करता हूं :

"रक्षा समिति ने यह भी बताया कि नवम्बर, 1984 से पूर्व इस प्रकार के कोई मार्गदर्शी निर्देश मौजूद नहीं थे कि इस प्रकार के कोई एजेन्ट नहीं होंगे। दूसरी ओर वहां विनियम की प्रणाली मौजूद थी जहां तक कि फर्मों से यह घोषणा करने के लिए कहा गया था कि क्या उनका कोई एजेन्ट है और यदि हां, तो उन व्यक्तियों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दें........."

अब, मैं पैरा 7.7 का उल्लेख करता हूं :

"रक्षा सचिव ने समिति को सूचित किया कि नवम्बर, 1984 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार सत्ता में आई थी उस समय यह निर्णय लिया गया था कि अब से रक्षा ठेकों के बारे में बातचीत तथा उनपर निर्णय पूर्णतया एजेन्टों के बिना लिए जाएंगे......"

मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं ? उच्च स्तरीय समिति का यह निष्कर्ष है कि नवम्बर, 1984 तक यह एक सामान्य प्रथा थी। किन्तु सरकार 1981 के ठेके के सम्बन्ध में, अब भी यह प्रकट करने

तथा यह सिद्ध करने को बेताब है कि इस ठेके में कोई एजेन्ट नहीं था । ऐसा इस कारण से है कि कुछ लोगों—हिन्दुजा के नाम इस ठेके में अन्तंग्रस्त हैं। यदि यहां हिन्दुजा का नाम एक बार प्रमाणित हो जाता है, तो हम जानते हैं कि यह मामला शासक दल के सर्वोच्च नेताओं को भी अन्तंग्रस्त करेगा। इसलिए मामले को दबाने की कार्यवाही शुरू करने तथा इस देश के लोगों को अंधेरे में रखने के लिए पुनः यह क्रूर प्रयास किया गया है। वे कहते हैं, नहीं, नहीं इस ठेके में कोई एजेन्ट नहीं है।" अतः, आप एजेन्सी कमीशन के भुगतान की सच्चाई को छुपाने के लिए अत्यन्त बेताब हैं, यद्यपि संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1981 तक यह एक सामान्य स्थिति थी। संयुक्त संसदीय समिति कहती है कि उस समय यह एक सामान्य बात थी। जर्मनी की संसद कहती है कि यह अत्यन्त स्वाभाविक स्थिति थी। जर्मनी की संसद 'वंदस्ताग' में जर्मनी की संघीय सरकार का उत्तर यह था कि यह एक अत्यन्त स्वाभाविक चीज है। तब 1981 में जर्मन पनडुब्बियों की खरीद में अचानक इस स्वभाविक प्रक्रिया का अनुसरण क्यों नहीं किया जाएगा ? किन्तु कठिनाई यह है कि अब सरकार यह महसूस करती है कि रक्षा खरीद के सम्बन्ध में सच्चाई किसी तरह से भी प्रकट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक समय प्रधानमंत्री ही रक्षामंत्री थे। अब हिन्दुजा की चर्चा बहुधा हो रही है। अतः, यह प्रयास किया जा रहा है। महोदय, लोगों के मन में पहले जो सन्देह था वह अब विश्वास में बदल गया है कि यह सरकार इस सौदे में एक पक्ष थी, जिसमें कमीशन लिया गया तथा इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। सरकार ने इस तरह के आरोपों के निपटाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। वह कौनसा तरीका है ? आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है। आप घूस देने वाले के पास जाएं और पूछें कि क्या आपने घूस दी है ? वह कहता है नहीं। मामला यहीं खत्म हो जाता है। इस तरह की प्रवृत्ति की एक सीमा होती है जैसे कि अपराध के जिम्मेवार व्यक्ति के वक्तव्य को सच मानना। जैसा कि मैंने बोफोर्स चर्चा के दौरान कहा था कि बोफोर्स तोप मामले में निर्णायक बात बोफोर्स द्वारा कही गई और पनडुब्बी मामले में निर्णायक बात एच.डी. डब्ल्यू द्वारा कही गई। जो कुछ भी इन लोगों ने कहा, इन कम्पनियों ने कहा, जिसके साथ हमारा करोड़ो रुपये का सौदा हुआ है तथा जिनके खिलाफ आरोप लगाए गये हैं, सरकार ने उसे आसानी से स्वीकार कर लिया। जहां तक पनडुब्बी के मामले का सम्बन्ध है मामला बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जो कुछ भी कहा गया सरकार ने उसे आसानी से स्वीकार किया और पिछले मामले की जांच को बन्द कर दिया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी बात को आसानी से स्वीकार करने की इस प्रवृत्ति की एक सीमा होनी चाहिए। यही कारण है, कि जो कुछ भी आप कहते हैं इस देश की जनता उसे स्वीकार नहीं करती है। आप अपनी प्रशंसा कर सकते हैं लेकिन आप इस देश की जनता की से अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं और यहां तक कि बच्चा भी उनकी कहानी को स्वीकार नहीं करेगा।

इस सरकार ने एक बहुत ही रुचिकर सिद्धान्त स्वीकार किया है। इस कहानी को किसने गढ़ा? सबसे महत्वपूर्ण कम्पनी एच.डी.डब्ल्यु ने। वे क्या कहते हैं ? वे क्या कहते हैं कि एक गलतफहमी हो गई थी। और वह कहानी इस सरकार ने स्वीकार कर ली। मेरा इस सरकार पर यह आरोप है कि उसके गलत विश्वास पर यह कहानी स्वीकार की है। कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। मेरे पास भी श्री दिनेश गोस्वामी की तरह समय नहीं है, परन्तु उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं और मैं उसका समर्थन करता हूं।

गलतफहमी किसने पैदा की ? गलतफहमी एच. डी. डब्ल्यु. की ओर से ही पैदा की गई।

हमारे 27 जून 1987 के पत्र के उत्तर में श्री भटनागर को लिखे पत्र में यह कहा गया कि कोई गलतफहमी हुई है। वह गलतफहमी क्या थी ? भारतीय दूतावास से एक रिपोर्ट आई थी कि डा. मोलिटर यहां आये और कहा : हम मूल्य कम नहीं कर सकते। सरकार का मामला यह था कि वह पांचवीं और छठी पनडुब्बी का दाम कम करने की कोशिश कर रही थी। जब सरकार ने डा. मौलीटर, जो इस मामले के प्रभारी थे तथा रक्षा सम्बन्धी खरीददारियों की देखरेख कर रहे थे, से सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा : "मुझे बेहद अफसोस है। चूंकि भारतीय एजेंटों को 7% कमीशन दिया जाना है इसलिए हम इसका मूल्य कैसे कम कर सकते हैं। जब तक यह कमीशन कम नहीं किया जाता, हम मूल्य कम नहीं कर सकते।"

भारतीय राजदूत ने अपना काम अविलम्ब किया। उसने अपनी रिपोर्ट यहां भेजी। उसने एक टैलेक्स यहां भेजा जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस रिपोर्ट में इस बात का विशेष रुप से उल्लेख किया गया है।

डा. मौलीटर, भारतीय राजदूत तथा नौसैनिक अटैची के बीच विचार विमर्श हुआ। गलतफहमी किसके बीच में हुई ? इस विचार विमर्श में एच. डी. डब्ल्यु. मौजूद नहीं थी। यह विचार-विमर्श इन तीन व्यक्तियों के बीच हुआ था। उनमे से किसी ने यह नहीं कहा कि उनके बीच कोई गलतफहमी हुई थी। वे व्यक्ति, जो उस वक्त मौजूद नहीं थे तथा जिनको उस विचार विमर्श के सम्बन्ध में कुछ नहीं करना था, आगे आये तथा उन्होंने एक कहानी घड़ली : उसमें गलतफहमी थी। जिस तरह एक डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा लेता है, उसी तरह हमारी सरकार ने एक मनोवृति अपना ली। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं होने के कारण उन्होने कहा : "इसमें गलतफहमी होनी चाहिए।" यह कथन आश्चर्यजनक है। राजदूत ने यह नहीं कहा है कि उसमें गलतफहमी है नौसैनिक अटेची ने यह नहीं कहा हे कि उसमें गलतफहमी हे। तथा डा. मालीटर ने भी यह कहीं भी नहीं कहा है कि उसमें गलतफहमी है। यह गलत फहमी किस विषय में है ? क्या उसने एक भारतीय एजेंट का उल्लेख किया अथवा नहीं ? क्या उसने कमीशन का भुगतान किए जाने के बारे में उल्लेख किया अथवा नहीं ? यह गलतफहमी की कहानी इस सरकार को स्वीकार हैं तथा वे कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। अतः यह गलतफहमी किन लोगों के बीच है तथा किस विषय में है ? तथा यह गलतफहमी क्या थी ? क्या किसी ने इस गलतफहमी को समझा है कि वह कैसी हे ? इसका पता कब चला ? जैसा कि मैंने कहा है कि एच. डी. डब्ल्यु. अन्य लोगों के बीच की इस गलतफहमी का उल्लेख कैसे कर सकता है ? 9 जुलाई, 1987 को जब इस पत्र में पहली बार गलतफहमी की कहानी सामने आई तो हमारी सरकार ने भी इसको स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि हमारे रक्षा सचिव, श्री भटनागर ने पाया कि इसको स्वीकार करना अत्यन्त कठिन है। 28 सितम्बर,. 1987 को··· (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : क्या इससे आपके द्वारा बनाये जा रहे सारे मामले का खंडन नहीं हो जाता है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे ? मैं नहीं जानता कि रक्षा मंत्री बेचैन क्यों हो रहे हैं ? महोदय, मैं इस बात का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं, क्योकि रक्षा सचिव ने प्रारम्भ में इसको स्वीकार नहीं किया था। किन्तु अब यह सारी रिपोर्ट गलतफहमी के आधार पर आगे बढ़ती है। संघीय जर्मन गणराज्य सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सरकार कहती है ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सोमनाथ जी, आगे भी तो कहिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसा उनके व्यवधान डालने के कारण हुआ है। महोदय, अतएव इसके बावजूद वे स्पष्टतः इस निष्कर्ष पर पहूंचे हैं कि इस मामले में गलतफहमी हुई है···। (व्यवधान) महोदय, क्या आप उनसे मुझे समय देने के लिए कहेंगे, तो मैं अपनी बात कहूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब जल्दी कीजिए। आपने आधा घंटे से भी ज्यादा समय ले लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कृपया आप 12 जून 1987 के बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र को देखिए। यह हमारे मन्त्रालय से सम्बन्धित है। मैं उसका कुछ अंश उद्धृत करता हूं . "इससे पता चलेगा कि डा.मोलिस्टर ने 24 फरवरी 1987 को बोन में भारत के राजदूत के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि एच.डी.डबल्यु. के द्वारा करार की उदार शर्तों के अन्तर्गत भारतीय एजेन्टों को 7 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया जाता है। इस बात की भी प्रशंसा की जानी चाहिये कि भारत ।" अब जिस वक्तव्य का जिक्र किया गया, वह हमारे रक्षा मन्त्रालय का एक निश्चित वक्तव्य है। यह वक्तव्य बोन में हमारे राजदूत द्वारा प्राप्त निश्चित सूचनाओं पर आधारित है। अब यह गलतफहमी बन गई है और इसी कारण से इसकी महत्ता कम हो गई है। अब पता है क्या हुआ है ? संघीय जर्मन गणराज्य को सरकार ने भी इस गलतफहमी की बात को स्वीकार नहीं किया है। उन्होने बिल्कुल स्पष्ट कहा है : "हम किसी कथित, अथवा वास्तविक गलतफहमी पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।" जर्मन संघीय गणराज्य सरकार ने उस गलतफहमी की बात को स्वीकार नही किया है। हमारी सरकार आरम्भ में इस गलतफहमी की बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। तब यह गलतफहमी कैसे पैदा हो गयी ? उसके बाद, एच. डी. डब्ल्यु द्वारा एक भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। श्री भटनागर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, किन्तु कोई भी जबाव नहीं दिया गया···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं अपना भाषण कैसे समाप्त कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे समय की उपलब्धि के अनुसार समय देना पड़ता है। मुझे दूसरे व्यक्तियों को भी समय देना है। आप प्रत्येक चीज पर एकाधिकार नहीं कर सकते हैं। मैं अब इसे बन्द करने जा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस विषय में कोई भी सूचना प्रारम्भिक सूचना अथवा पूरी सूचना नहीं होतो कृपया इस पर विचार कीजिये। मैं इसे स्पष्ट करने के लिये सभा और माननीय मन्त्री महोदय से अपील करुंगा। यदि दलाली की अदायगी के प्रश्न का जिक्र नहीं होता तो भारत के राजदूत की तरफ से कोई सूचना नहीं मिली होती। वे (राजदूत) दिल्ली को हमारी सरकार को केवल यह बताना चाहते थे कि इस मामले में कमीशन के भुगतान का प्रश्न खड़ा हुआ है अतएव पनडुब्बियों की कीमतें कम नहीं की जा सकती हैं। यदि उस बारे में डा. मोलीटर से बात नहीं की गई होती तो इसकी कोई सूचना नहीं मिली होती। यदि ऐसी बात थी, तो क्या डा. मोलीटर—इस मामले में ग्यारह पार्टियां शामिल थीं, जैसे डा. मोलीटर, नौसैनिक अटैची, आदि, आदि, की हमारी जांचकर्ता एजेंसियों ने जांच की है ? रिपोर्ट

कहां है ? आपने एच. डी. डब्ल्यु. के ये पत्र प्रस्तुत किये हैं। आपने संघीय जर्मन गणराज्य के पत्र प्रस्तुत किये हैं। डा. मोलीटर का प्रमाण कहां है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। किसी समय भी इस बात से इन्कार नहीं किया गया है। मैंने यह पाया है कि माननीय मंत्री महोदय यह सुझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संघीय सरकार ने डा. मोलीटर के वक्तव्य से इन्कार किया था। एक बात मैंने यह भी पायी है कि हमारे रक्षा सचिव ने यह कहा, "अच्छा, संघीय जर्मन गणराज्य सरकार डा. मोलीटर के वक्तव्य को स्वीकार नहीं करती।" मैं यह कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ जी, मुझे और लोगों को भी समय देना है। आपको यह महसूस करना चाहिये कि सभा में और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मुझे चार मिनट का समय दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने काफी अधिक समय दिया है। आप अन्य मुद्दे भी दे दीजिए। मैं केवल अन्य सदस्यों की मदद करने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय एक ऐसा पत्र है जिस पर भरोसा किया गया था, अर्थात् दिनांक 27 जुलाई, 1987 का पत्र जो संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को लिखा गया इसमें कहा गया था कि डा मोलीटर ने बताया है कि उन्हें भारतीय राजदूत से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कोई टिप्पणियां नहीं की गई थी और यह पत्र एच. डी. डब्ल्यू को भेज दिया था। अब, इस वक्तव्य को जर्मन सरकार द्वारा डा मोलीटर के वक्तव्य को अथवा डा. मोलीटर की भागीदारी तथा भारतीय राजदूत को भेजी उनकी इस टिप्पणी को कि उन्हें भारतीय राजदूत से बिना कोई टिप्पणी वाला पत्र प्राप्त हुआ था और उन्होंने यह पत्र एच. डी. डब्ल्यू. को भेज दिया था, अस्वीकार करना माना जा रहा है। परन्तु वह पत्र कोनसा था ? दिनांक 27 जून, 1987 का केवल एक ही पत्र था। दिनांक 27 जून, 1987 का पत्र ही वह प्रथम पत्र था जो हमारी सराकार द्वारा एच. डी. डब्ल्यू. को लिखा गया था। अतएव, यदि ऐसा कोई पत्र होता जो 27 जून, 1987 से पहले नहीं भेजा गया था तो डा. मोलीटर ने यह नहीं कहा होता, यदि डा. मोलीटर ने 27 जून 1987 का उल्लेख किया था तो 24 फरवरी, 1987 को की गई बातचीत से पश्चिमी जर्मनी की सरकार के दिनांक 27जुलाई, 1987 के पत्र द्वारा इन्कार नहीं किया जा रहा है।

महोदय, ये सब मामले हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं छुआ गया है अब इस रिपोर्ट में हमारी जांचकर्ता एजेन्सियों ने कहा है कि इस मामले में कोई भी भारतीय एजेन्ट शामिल नहीं है श्री गोस्वामी ने उस बात पर सही बल दिया है। महोदय, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। परन्तु मैं एक बात पर दृढ़ हूं कि भारत सरकार को लोगोंको यह बात सच-सच बतानी चाहिए कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार को पनुडुब्बियों के नक्से तथा डिजायन कहां उपलब्ध कराए गए थे; एच. डी डब्लू ने इस बात से कैसे इन्कार किया है। अब मैं यह जानना चाहूंगा कि भारत सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कहना है। यदि ऐसा हुआ है तो क्या उन्होंने संविदा को तोड़ दिया है अथवा नहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो आपने क्या कार्यवाही की है और पांचवी तथा छठी पनडुब्बियों की अधिप्राप्ति के बारे में क्या बातचीत हो रही हे ?

श्री विपिन पाल दास : रद्द कर दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतएव, महोदय, भारत सरकार इस देश की जनता को यह बताने के लिए उत्तरदायी है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को हस्तान्तरित करने के बारे में क्या कार्यवाही

की गई है। मुझे दुःख है कि हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह एक अन्य कार्य है जिसके द्वारा सच छुपाया गया है, लीपा-पोती का एक प्रयास किया गया है और सच्चाई का पता लगाने की बजाए उसे दबाने के लिए, पुनः भौंडे तरीके अपनाए गए हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मेरे नामवर साथी ने अजेय दुर्ग में जैसा कि मंत्री महोदय के वक्तव्य को माना गया था. कई दरारों तथा कई कमियों का पता लगा चुके हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं परन्तु आज मुझे उनसे अधिक सहानुभूति है क्योंकि उन पर एक ऐसी बात के लिए पीछे पड़ा जा रहा है जो उनके रक्षा मंत्री बनने से काफी पहले और शायद उस समय घटित हुई थी, जब वे सत्ता-पक्ष में भी नहीं थे।

महोदय, मैं यह भी जानता हूं कि मेरे विपक्ष मित्रों को 'बोफर्स' शब्द से कुछ एलर्जी हो गई है। अतएव मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने भाषण में इसके बाद बोफर्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अब इसका प्रयोग क्यों कर रहे हे ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, वास्तव में यह चर्चा 1981 के सौदे के बारे में है। अब हम यह भी नहीं जानते कि उस समय कितने मूल्य का भुगतान किया गया था। हम नहीं जानते कि क्या करार में पुनः क्रयादेश देने सम्बन्धी खण्ड मौजूद था अथवा क्या उसमें मूल्य वृद्धि सम्बन्धी खण्ड मौजूद था और हम यह भी नहीं जानते और मुझे यह कहना चाहिए कि इसके बारे में कुछ परेशानी पैदा करने वाला समाचार मिला है कि इन पनडुब्बियों, जो हमारे हाथों में आ गई हैं, ने कैसा काम किया है। मैं आशा करता हूं कि रक्षा मंत्री महोदय उस मुद्दे पर हमें विश्वास में लगे। परन्तु भारत सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि 1981 में कोई एजेंट नहीं था। नवम्बर, 1985 में हमने उसी फर्म से दो और पनडुब्बियां खरीदने का निर्णय लिया था। अब मंत्री महोदय के वक्तव्य के पैरा 2 में क्या कहा गया है ? इसमें यह कहा गया है, 'एजेंटों का शामिल न होना सुनिश्चत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने हमारे दूतावास से सहायता मांगी थी। महोदय, आपने देखा कि सच्चाई धीरे धीरे आगे आती। यदि वे यह जानते थे उस मामले में कोई एजेंन्ट नहीं था, तो ऐसी सहायता का प्रश्न ही कहां खड़ा होता है ? वे कहते हैं कि 1981 में कोई एजेन्ट नहीं था। वे यह मान सकते हैं कि 1985 में क्रयादेश पुनः देते समय यह कहा गया था कि इस सौदे में कोई एजेन्ट नहीं होगा। परन्तु खुद मंत्रालय यह कहता है कि 'एजेन्टों का शामिल न होना सुनिश्चित करने के लिए,। महोदय मैं विश्वास करता हूं कि यहां कुछ इशारा किया गया है तथा यह आशय प्रकट होता है कि नहीं, 1981 के सौदे में एजेन्ट शामिल था पदन्तु 1985 में हम उसी विडम्बना से बचने का प्रयास कर रहे हैं।' इससे यह ध्वनित होता है कि 1985 में सौदा करने वालों को यह ज्ञान था कि 1981 में एजेन्ट शामिल थे'। यहां अपराध स्वीकृति की भावना दिखाई देती है, यहाँ अपनी मनोभावना खुद बोलती है।

महोदय, अब पैरा 4 में कहा गया है कि रक्षा सचिव द्वारा राजनीतिक कार्यों सम्बन्धी समिति द्वारा दो और पनडुब्बियां खरीदने संबंधी निर्णय लेने के कुछ दिन बाद 15 नवम्बर 198: को संघीय जर्मन गणराज्य के स्थित राजदूत के नई दिल्ली राजदूत को बुलाया गया था। अब, इस मुलाकात का क्या उद्देश्य है ? राजदूतों को बुलाना भारत सरकार के सचिवों के लिए एक आम बात है। वे उन्हें 'विदेशी एजेंटों को शामिल किए बिना विदेशी सप्लायरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से सौदा करने की नीति'के

बारे में बताने के लिए बुलाते हैं। मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह उल्लेख कर रहा हूं। ऐसा करना आवश्यक क्यों पाया गया, मैं यह बात मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। जब यह बात पता चल गयी थी कि 1981 के सौदे में कोई एजेन्ट शामिल नहीं था, तब यह प्रश्न कहां उठता है कि आपको औपचारिक रूप से नई दिल्ली में अपने राजदूत के माध्यम से सरकारी अभिकरण को यह बताना होता है कि 'हमारी नीति के अनुसार एजेन्ट शामिल नहीं किया जाता है ? क्या वे आप पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं ? क्या उन्होंने आपको यह बात बताई थी ? क्या एच.डी. डब्ल्यू. ने आगे आकर यह कहा था कि 'इस बार हम एजेन्टों को शामिल करेंगे' ? इसलिए आपने इसे आवश्यक समझा कि सप्लायर से सीधे बात की जाए और सम्बन्धित सरकार को यह बता दिया जाए, 'खेद है, हम एजेन्टों को शामिल करने की अनुमति नहीं देते है।' यह आवश्यक नहीं था। यहां पुनः आत्म-चेतना की बात आती है। अतएव, मैं यह जानना चाहता हूं कि संघीय जर्मन गणराज्य के राजदूत को बुलाना क्यों आवश्यक था और उस समय खुद सप्लायर, एच.डी.डब्ल्यू. को इस आशय का एक स्पष्ट पत्र लिखना आवश्यक क्यों नहीं था कि 'हम दो और पनडुब्बियां खरीदना चाहेंगे, परन्तु हम इसके बीच में कोई एजेन्ट नहीं रखेंगे' ? यह कहने के लिए रिकार्ड में ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई कार्यवाही की गई थी। हम जानते है कि यद्यपि यह शिपयार्ड एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। हमारे पास सरकारी प्राधिकरण का वक्तव्य मौजूद है कि हम उनके व्यापारिक लेन-देन अथवा उनकी बातचीतों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।'अतएव आप खुद एच. डी. डब्ल्यू के एजेन्टों से बचने की सम्भावना का पता लगाने से पहले हमें इसमें क्यों घसीट रहे हैं ?

क्या मैं पैरा 5 का जिक्र करूं—जिसमें बोन स्थित भारतीय दूतावास में हुई उस महत्वपूर्ण बैठक का जिक्र किया गया है जिसमे तीन व्यक्ति—राजदूत, नौसैनिक, अटैची तथा रक्षा मंत्रालय के विदेशी बिक्री निदेशक डा. मोलीटर मोजूद थे ? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय को 'साइफट टेलीग्राम' भेजने के अलावा क्या उस बैठक का कोई और कार्यवाही सारांश उपलब्ध है। मैं इस प्रश्न का केवल 'हां' या 'नहीं' में एक स्पष्ट, सामान्य-सा उत्तर जानना चाहता हूं, उस बैठक में नौसैनिक अटैची ने पहले सीधी बातचीत करने की इस नीति को दोहराया कि कोई भी एजेन्ट शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को बार-बार दोहराए जाने का हमारे जर्मन मित्रों पर अवश्य प्रभाव पड़ा होगा। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा ? पुनः यह मैं तीसरा उदाहरण देता हूं जहां यह भासित होता है कि सही स्थिति का कतिपय आत्म-ज्ञान था और वस्तुतः शायद वस्तु स्थिति में परिवर्तन करने की हमारी इच्छा अर्थात् यह कहना चाहिए हम यह जानते थे कि 1981 में एजेन्ट नियोजित किए गए थे और वस्तुतः उन कारणों से जो रक्षामंत्री तथा प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हैं, हमने अब एजेन्ट न रखने का निर्णय लिया था। तत्पश्चात् उन्होंने डा. मोलीटर को एक औपचारिक टिप्पण दिया था अर्थात् उन्हें एक स्मरण पत्र दिया गया था। वास्तव में, वे यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक टिप्पिण दिया गया था और उन्होंने उसे चुपचाप प्राप्त कर लिया था, उन्होंने इसे सामान्य रूप से लिया था और कोई टिप्पणी किए बिना बाहर चले गए। संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार चाहती है कि हमसे ऐसा विश्वास करें। परन्तु मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे कूटनीतिज्ञ बातचीत करने तथा स्मरण पत्र देने तथा प्राप्त करने का कुछ अनुभव है। मैं जानता हूं कि ऐसे अवसर पर स्मरण पत्र के विषय के बारे में भी कुछ बातचीत होती है। अतएव, हम सामान्य तौर पर संघीय जर्मन गणराज्य सरकार के इस इरादे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि डा. मोलीटर ने सामान्य तौर पर प्रलेख को उठाया और राजदूत के कार्यालय से बाहर चले गये। ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह औपचारिक टिप्पण कहां

है। डा. मोलीटर को क्या बताया गया था, डा. मोलीटर को लिखित में क्या दिया गया था हमें उन दोनों प्रलेखों की एक प्रति दी जानी चाहिए।

अन्त में हम महत्वपूर्ण गलतफहमी का जिक्र करते हैं। वस्तुतः हमने इस सभा में इसका काफी विस्तार से उल्लेख किया है। इसपर विस्तृत बातचीत हुई है। राजदूत का टेलीग्राम, राजदूत की सूचना एक ऐसा संदेश है जो खुद बोलता है। राजदूत को भूत-प्रेत नहीं दिखाई दे रहा था; राजदूत भूत-प्रेत से बात नहीं कर रहा था। वह अपने कार्यालय में था। उसने डा. मोलीटर को अपने कार्यालय में बुलाया था उसके कार्यालय में एक साक्षी मौजूद था और उसने जो कहा, उसे उसने तुरन्त उसी दिन भारत सरकार को सूचित किया जो उसे भारत की जनता के एक वफादार प्रतिनिधि के रूप में करना चाहिए था। अतएव हमारा निर्णय बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हमें एक तरफ तो डा. मोलीटर तथा दूसरी तरफ राजदूत और नौसैनिक अटैची के कथन को चुनना है। यदि एक सही है तो दूसरा सही नहीं हो सकता है: यदि एक गलत है तभी दूसरा सही हो सकता है। अतएव, मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें राजदूत के साथ अधिक आदर के साथ बातचीत करनी चाहिए। वह काफी वरिष्ठ राजदूत हैं जिन्हें 35 वर्षों की सेवा का अनुभव है। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। वह एक होशियार व्यक्ति हैं। वह एक दूरदर्शिता वाले व्यक्ति हैं। वास्तव में, अध्यक्ष महोदय यदि मैं आपको यह कहूं कि वह ऐसे आदमी हैं, यदि वह गलती भी करते हैं तो भी होशियारी के साथ वह बातों को कभी भी मनोवेगपूर्ण दृष्टिकोण से नहीं लेते। वह बातों को कभी भी अविचारित दृष्टिकोण से नहीं लेते। भारत सरकार को सूचना भेजने की तो बात ही दूर रही, इस बारे में एक बात भी कभी नहीं हुई। यह पूर्णतया अनर्गल बात है जो भारत की शान के खिलाफ है जो भारत की विदेश सेवा की शान के खिलाफ हैं, जो भारतीय कूटनीतिज्ञता की शान के खिलाफ है और हम ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं पैरा 6 का जिक्र करना चाहूँगा हमें बताया गया है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री ने यह निदेश दिया था कि एच.डी.डब्ल्यू. से करार की एक प्रति प्राप्त की जानी चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि आप किस करार की बात कर रहे हैं। यदि 1981 के करार का उल्लेख किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी एक प्रति हमारे हाथों में होनी चाहिए। चार पनडुब्बियों की बिक्री के बारे में भारत सरकार तथा सप्लायर के बीच किया गया करार हमारे पास होना चाहिए था। निश्चित रूप से एक खरीदार के रूप में हमारे पास एक प्रति है। परन्तु वह कहते हैं कि करार एच.डी.डब्ल्यू. से प्राप्त किया जाना चाहिए. मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि इस पैराग्राफ में किस प्रकार का उल्लेख किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय पैरा7 में, 9 अप्रैल, 1987 को 'हिन्दुआ'के बारे में रक्षा मंत्री (डी.एम.)की जानकारी भेजी गई थी जिसमें ऐसे व्यक्ति को कतिपय सूचना देने का जिक्र किया गया है जो रक्षा सचिव, तथा उनके बाद के वरिष्ठतम अधिकारी के पद से कम नहीं था : क्या रक्षा सचिव ने मंत्री महोदय का सही मार्गदर्शन किया था या उन्हें गुमराह किया था? उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने 9 अप्रैल से लेकर अनेक अवसरों पर उस वक्तव्य का फाइलों में, रिकार्ड में खण्डन किया, किन्तु खुलकर नहीं, क्योंकि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। परन्तु निश्चित रूप से यदि किसी अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गलत जानारी उनके गले मढ़ी जाती है, यहां तक कि लालफीता शाही के अनुशासन के अन्दर हो, तो किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर या अधिकार होता है, "खेद है, आपने मुझे गलत समझा' मैंने यह नहीं कहा था। यह नहीं कहा गया था। यदि ऐसा हो गया है तो मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय हमें यह बताएं कि रक्षा सचिव

ने किस तारीख को इस जानकारी से इन्कार किया था जिसके लिए यह माना गया था कि वह जानकारी उन्होंने रक्षा मंत्री को भेजी थी। यदि उस समय उन्होंने उस जानकारी से इन्कार नहीं किया था तो मैं यह चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय हमें यह बताएं कि किस आधार पर किन धाराओं के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर, किन कल्पनाओं के आधार पर, किन आंकड़ों के आधार पर रक्षा सचिव ने माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी दी थी ?

परन्तु, हम भारत के साथ हिन्दुजा के सौदे के बारे में जानते हैं। हमें ठीक आठवें दशक तथा नौवें दशक से उनके सौदेबाजी की जानकारी है हमें ईरान के शाह से हमारे सौदे तथा कुदरेमुख मामले में उनके शामिल होने के बारे में जानकारी है अतएव, हिन्दुजा इस मामले में एक काफी परिचित नाम था। अतएव, रक्षा सचिव के लिए हिन्दुजा के नाम का जिक्र करने से आश्चर्य नहीं हुआ और इस बात से हमें आज भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

अब मैं पैरा 8 का जिक्र करूंगा। रक्षा मंत्री ने प्रेस टिप्पण जारी करने की व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था की थी। मैं नहीं जनता कि इस वाक्यांश 'व्यक्तिगत रुप से व्यवस्था की है' का क्या अर्थ है। क्या उन्होंने इसे खुद टाइप किया है, खुद स्टेंसिल निकाला है और इसे खुद प्रेस के आदमी को दिया था ? मुझे नहीं पता कि इसका क्या अर्थ है। यह सरकार के सामान्य तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इसके लिए आपत्ति क्यों होनी चाहिए ? इतिहास में यह लिखा जाएगा, मैं इस बात का रिकार्ड रखूंगा कि इस प्रेस टिप्पण ने ही भारत को भविष्य में करोड़ों रुपयों की हानि होने से बचाया। इसी प्रेस टिप्पण के कारण ही यह जांच हुई है।

मैं पैरा 9 और 10 का जिक्र करूंगा, जिसमें हमें भारत सरकार की तीन एजेन्सियों, अन्तर-मंत्रालयीय दल द्वारा तथा सचिवों की एक समिति द्वारा और किस किस से नहीं, द्वारा की गई एक बड़ी व्यापक जांच के बारे में बताया गया है ? हमें वह जानकारी नहीं दी गई है, जो पता चली है। मैं इकट्ठा किए जाने वाले प्रमाणों का जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। प्रमाणों को उनके कब्जे में रहने दीजिए। लेकिन हमें सम्बद्ध सरकार द्वारा दिए गए दो लाइन का सारांश न देकर निष्कर्षों/परिणामों की जानकारी से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमें कम से कम इन एजेन्सियों के निष्कर्षों को बताया जाना चाहिए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का प्रतिवेदन तथा अन्तर्मंत्रालयिक दल, जो अक्तूबर तथा नवम्बर, 1987 के दौरान विदेश गया था, का प्रतिवेदन इसके अतिरिक्त है।

हमने अपने नियंत्रणाधीन सभी संस्थाओं से विस्तृत जांच करायी है। एक समर्पित तथा कर्त्तव्यनिष्ठ सरकार द्वारा ऐसा ही किया जाना चाहिए। किन्तु संम्बद्ध पक्षों से सीधे किए गए पत्र व्यवहार का क्या किया गया ? हमने संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार से बातचीत शुरु करने में 3½ महीने लिए तथा हमने एच. डी. डब्ल्यू. से बातचीत शुरु करने में चार महीने लगाए। भारत सरकार का संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार से पहले संपर्क इस मामले के प्रकट होने के 3½ महीने बाद 12 जून, 1987 को हुआ। भारत सरकार ने 12 जून, 1987 को संघीय जर्मन गणराज्य को स्मरण-पत्र भेजा तथा रक्षा सचिव ने 27 जून, 1987 को एच. डी. डब्ल्यू. को पत्र लिखा।

मैं माननीय मंत्री से यह बात पूर्णतया तथा स्पष्टतया जानना चाहता हूं कि इतने समय का विलम्ब क्यों हुआ क्योंकि यह मामला 24 फरवरी को उनकी जानकारी में आया तथा जिस समय यह

मामला दोनों प्रमुख पक्षों के साथ विचार के लिए उठाया गया तथा यदि ऐसा नहीं हुआ है तथा इस दौरान और भी पत्र व्यवहार हुआ है तो मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार इस सभा के पटल पर कुछ पत्रव्यवहार रखा है।उसी प्रकार वे इस मामले से संबधित संघीय जर्मन गणराज्य की सरकार तथा एच. डी. डब्ल्यू. के साथ हुए सभी पत्र व्यवहार को इस सभा के पटल पर रखें।

एच. डी. डब्ल्यू. के निर्णायक बयान—कोई एजेन्ट नहीं है, कोई भारतीय एजेन्ट नहीं है, कोई विदेशी एजेन्ट नहीं है, भारत में अथवा विदेश में कोई भुगतान नहीं किया गया है—के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। यह बहुत स्पष्ट है। यह बयान अत्यधिक सुनिश्चित प्रतीत होता है किन्तु हम एच. डी. डब्ल्यू. को लिखे गए अपने पत्र पर विचार करें। मुझे अत्यन्त खुशी है कि रक्षा सचिव ने 27 जून के अपने पत्र के पैरा 3 में जो अनेक प्रश्न किये कि,

"आपके द्वारा कमीशन, गुप्त भुगतान आदि के रूप में दी गई राशि की तिथि, स्थान तथा भुगतान के तरीके सहित भुगतान की गई सही धनराशि तथा वह राशि जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना है।"

एच. डी. डब्ल्यू. ने कमीशन की अदायगी से इन्कार किया है। गुप्त भुगतानों से इन्कार नहीं किया है। हमें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : वे गुप्त भुगतान कौन से हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं, क्योंकि मुझे इन सभी लेन देनों की कुछ जानकारी है। इसकी बुद्धिसंगत व्याख्या की जा सकती है। यह वक्तव्य देने वाले व्यक्ति द्वारा कोरा इन्कार करने तथा इसके मूल में गुप्त भुगतान किए जाने के वास्तविक तथ्यों के आधार पर इस मामले की सुसंगत व्याख्या की जा सकती है। इन तथ्यों से इन्कार नहीं किया गया है। कंपनी ने एजेन्टों को नियुक्त करने से इन्कार नहीं किया है। किसी अन्य पक्ष को भुगतान दिये जाने से इन्कार नहीं किया गया है। यह आवश्यक नहीं है कि पूर्तिकर्ता द्वारा उस विशिष्ट व्यक्ति को ही भुगतान किया जाय जिसके साथ उसकी औपचारिक एजेंसी व्यवस्था है। सौदा करने के लिए अन्य बहुत व्यक्तियों के साथ समानान्तर व्यवस्था हो सकती है हो सकता है। भारत अथवा विदेश स्थित किसी प्रमुख संगठन को भुगतान किया गया हो। अतः कंपनी यह कहने में पूर्णतया उचित, पूर्णतया यथातथ्य तथा पूर्णतया सत्य पर है कि उसने किसी एजेन्ट को भुगतान नहीं किया है। किन्तु, इसके साथ उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत किसी तीसरे पक्ष को, जो वास्तविक प्राप्तकर्ता के लिए आवरण है, भुगतान किया है।

अंत में, मैं एजेन्टों के पास काम करने के तरीकों के बारे में कहना चाहता हूं। हमें एजेन्टों की भूमिका समझनी चाहिए। यह बात हर स्थान पर बार-बार कही गई है :

"हम सौदा-वार्ताओं में एजेन्टों का सीधा हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं।" एजेण्टों का सौदावार्ताओं में भाग लेना आवश्यक नहीं है। एजेन्ट हमेशा सौदावार्ता नहीं करते हैं। हम जिन एजेन्टों के बारे में बात कर रहे हैं वे वास्तव में सम्पर्क एजेन्ट होते हैं। ये एजेन्ट हितवर्धक होते हैं। वे संगठनों में अपना प्रभाव बनाते हैं। वे अपने ढंग से कार्य करते हैं तथा सम्पर्क, सम्बन्धी, पहुंच, अन्दरुनी जानकारी और स्थानीय सूचना द्वारा कार्य करते हैं तथा इस प्रकार प्रत्येक स्थिति तथा स्तर पर

निर्णय करने सम्बन्धी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। उनको इन सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है। उनको व्यापारिक कार्यों में शामिल होने के लिए तथा सौदे की मामूली शर्तों के लिए बातचीत करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। उनको सौदा-वार्ता के नाजुक मौकों पर इस प्रकार की सेवाएं करने के लिए भुगतान किया जाता है, जिससे अंततः सौदा हासिल किया जा सके। इसलिए यह आवश्यक है कि हम 'एजेन्ट' शब्द को विस्तृत अर्थ में ग्रहण करें। यदि पूर्तिकर्ता को उसकी सौदा कराने तथा नाजुक मौके तथा महत्वपूर्ण स्तर पर निर्णय करने सम्बन्धी प्रक्रिया को प्रभावित करने की योग्यता पर भरोसा है तो वह उसको खुशी से कोई भी कमीशन चाहे यह कमीशन 5% हो अथवा 10% हो—का भुगतान करेगा।

अन्त में मैं अपने अन्तिम मुद्दे पर आता हूं। मैं अनुभव करता हूं कि सरकार ने इस जांच को बड़े बेमन से किया है। मैं श्री पन्त को अच्छी तरह जानता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जानबूझकर भोले-भाले बन रहे हैं तथा वे हमसे महान् कवि, राबर्ट ब्राउनिंग के शब्दों में कहने की कोशिश कर रहे हैं :

"ईश्वर स्वर्ग में बैठा है

इसलिए संसार में सब कुछ ठीक ठाक है।"

किन्तु यहां ऐसा नहीं है। दूसरी सभा में उन्होंने यह कहा था कि यदि वे कमीशन के इच्छुक होते तो सरकार मूल्य को कम करने के लिए प्रयास क्यों करती रही है ? ये बातें किसी एक मुद्दे से आगे नहीं जाती है। यदि मूल्यों को दुगुना किया गया है तो आपको इन मूल्यों को कम कराने के लिए प्रयास करना होता है तथा आपको इसके बारे में बात करनी होती है। इससे कमीशन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कमीशन की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। किन्तु, मैं, फिर भी आप पर पूर्णतया बेईमान, विश्वासघाती तथा भारत के लोगों के हितों को बेचने वाली सरकार होने का आरोप नहीं लगाता हूं। अतः, मैं यह कहता हूं कि जब कम्पनी वास्तविक मूल्यों के दुगुने मूल्य वसूल करने की कोशिश कर रही थी, उस समय बढ़े हुए मूल्यों को कम करना आपका कर्त्तव्य था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह बड़े दंभ से कहा है, कि "हमने इसके बाद कोई पनडुब्बी नहीं खरीदी है। अतः, आप हमपर दोषारोपण क्यों करना चाहते हैं !" निस्संदेह हमने और पनडुब्बियां नहीं खरीदी हैं। किन्तु यदि हमने इस कम्पनी से छठी तथा सातवीं पनडुब्बी नहीं खरीदी है तो मेरे विचार से इसका श्रेय श्री पन्त अथवा श्री राजीव गांधी जी को नहीं जाता है बल्कि इसका श्रेय श्री वी.पी. सिंह तथा भारत की जनता को जाता है।

श्री आर.एस. स्पैरो (जालन्धर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षा हथियारों का मामला एक ऐसा मामला है जिससे हम सभी अत्यन्त चिंतित हैं तथा मैं स्पष्टतः यह कहना चाहता हूं कि सभी पक्षों तथा विशेष रूप से विपक्ष की ओर से की गई चर्चा तथ्यों पर आधारित होने की अपेक्षा काफी अव्यवहारिक, काल्पनिक तथा संदेहास्पद अधिक हैं। उनमें यत्र-तत्र कल्पना से काम लिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इसका सशस्त्र सेनाओं पर प्रभाव पड़ेगा तथा इस पर उस ढंग से वादविवाद नहीं किया जाना चाहिए, जिस ढंग से यहां वहां तोड़ मरोड़कर अथवा राजनैतिक रंग देकर वाद-विवाद किया गया है।"

5.50 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरे दल के योग्य साथी ने सारे मामले को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत तर्कसंगत ढंग से प्रकट किया है। यह मामला तर्कसंगत ढंग तथा तथ्यात्मक रूप से बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि यदि मैं सारे मामले को फिर से कहना शुरू कर दूं तो यह मामले की पुनरावृत्ति करना होगा तथा यह कार्य अनुचित होगा। अतः, मैं अपनी बात एक विशिष्ट तथ्य को सामने लाकर शुरू करना चाहता हूं तथा मैं इसके बाद इस मामले के समग्र प्रभाव को उस मुद्दे पर स्पष्ट करना चाहूँगा, जिस मुद्दे की इस वाद-विवाद में अधिकांश रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है।

पहला मुद्दा यह है। मुझे यह जानकर अत्यन्त खेद है कि पश्चिमी जर्मनी की एच.डी.डब्ल्यू. कम्पनी के साथ हुए सौदे के सम्बन्ध में तत्कालीन रक्षा मन्त्री ने 9 अप्रैल, 1987 को एक जांच करने का आदेश दिया था। महोदय, जांच कराने के आदेश दिए जा सकते हैं, जांच की जा सकती है तथा जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा इस सम्बन्ध में कुछ भी गलत नहीं है किन्तु एक ऐसे नाजुक मुद्दे पर फाइल की गुप्त जानकारी से सम्बन्धित प्रेस वक्तव्य जारी करके इस मामले में एक समग्र विवाद को शुरू करना मेरे विचार से काफी अनुचित है। इसके फलस्वरूप सन्देहों, अनुमानों, कल्पनाओं से युक्त एक समग्र विवाद उत्पन्न हो गया है। क्या मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ कि इससे किसको हानि पहुंचती है ? इससे हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को हानि पहुँचती है। जब आप इस तरह का घटिया आचरण करते हैं तो आप उनके मन में सन्देह उत्पन्न कर देते हैं कि क्या उनके लिए खरीदे गये ऐसे हथियार सही किस्म के हैं अथवा नहीं। हम इस मामले में यह बड़ी क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस मौके पर यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें कम से कम अब से तथ्यों पर आधारित तथा एक प्रकार के आदान-प्रदान पर आधारित ऐसे मुद्दों पर वाद विवाद करने के विचार को समुचित जानकारी देकर शान्त करने की कोशिश करनी चाहिए तथा इस मामले में किसी सदस्य द्वारा पहले भी रक्षा मंत्री से भेंट करके तथा उनसे इस मामले के सम्बन्ध में पूछकर यह जानकारी प्राप्त की जा सकती थी।

हम सब एक गोपनीयता बनाए रखने की शपथ से बंधे हुए हैं तथा यदि आपने इस मामले की जांच की होगी तो आपने यह पाया होगा कि इस सौदे में कोई भी सन्देहजनक बात नहीं है।

मैंने जिस एक अन्य मुद्दे के बारे में वायदा किया था, वह मुद्दा उपर्युक्त मामले के समग्र प्रभाव के बारे में है। यदि हमारे पास में विशेष प्रकार से हथियार हों तो ये हमें किस तरह से प्रभावित करते अथवा सहायता करते हैं ? ये हमारी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति को बड़े पैमाने पर बढ़ाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एच,डी.डब्ल्यू कम्पनी से खरीदी गई आधुनिक एस. एस.के. श्रेणी की पनडुब्बियों ने हमारे देश की सशस्त्र सेनाओं को जबरदस्त प्रोत्साहन दिया है और प्रसंगवश, मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के लिए आज की भू-युद्ध कौशल तथा सेना सम्बन्धी नौसैनिक आवश्यकताओं का सर्वोच्च महत्व है। इसका चारों ओर की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखकर सर्वाधिक महत्व है। आज की हमारी समुद्रतट रेखा को देखिए। यह जैसी प्राचीन काल में थी आज वैसी नहीं है केवल उत्तर पश्चिमी सीमायें पहले जैसी जरूर हैं। आजकल अति आधुनिक हथियारों का सामना करना पड़ता है तथा अपने हथियारों का प्रयोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए करना होता है कि हमारे देश की प्रतिरक्षा की किस प्रकार निगरानी की जाती है। कच्छ के रण से धनुष कोडि तथा पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन की विपरीत दिशाओं तक चारों ओर छोटे अथवा बड़े समुद्र हैं। प्रसंगवश, आप एक विश्व शक्ति हैं तथा एक

विश्व शक्ति के रूप में आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपकी नौसेना आधुनिक प्रकार की है तथा आपके द्वारा आयात की गई एस.एस.के. किस्म की पनडुब्बियां इस दिशा में एक प्रशंसनीय कार्य है। इन पनडुब्बियों के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है। तब हम नौसैनिक रणनीति इत्यादि के अलावा इसके अन्य पक्षों को किस प्रकार देखते हैं ? नौसेना एकमात्र बात नहीं है। जहां तक आपके समुद्री मार्गों का सम्बन्ध है, आपके सीमान्तर्गत जल क्षेत्र का सम्बन्ध है तथा इसके बाहर हिन्द-महासागर के केन्द्रिय भाग तथा दक्षिणी ध्रुव के पार अंटाकार्टिका में प्रसंगवश जहां आपने अपना एक छोटा सा स्थान बना डाला है, आपको चारों ओर अपना प्रभाव रखना होता है। इस उद्देश्य के लिए आपके पास एक शक्ति नौसैनिक शक्ति होनी चाहिए।

किसी देश के नौसैनिक बेड़े के लिए पनडुब्बी बेड़ा महत्वपूर्ण होता है। अतः आपका निर्णय हमारी रणनीति, अन्तर्राष्ट्रीय रणनीति के लिए बहुत ही दूरदृष्टिपूर्ण है।

सामुद्रिक सम्पदा के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करना इस समय अच्छा नहीं है क्योंकि समय काफी कम है। सामुद्रिक सम्पदा से आप पर क्या प्रभाव पड़ता है ? आप यह कहेंगे कि क्या आपके पास समुचित प्रकार की नौसेना है। क्या आप अपने सीमान्तर्गत जलक्षेत्र की देखभाल कर सकते हैं ? क्या आप कम होती जा रही सामुद्रिक सम्पदा, नोड्यूल्स तथा अन्य चीजों का उपयोग कर सकते हैं ? इंग्लैंड आर्थिक रूप से बरबाद हो गया होता यदि वह उस खनिज तेल उत्खनन परि-योजना को चालू करने तथा नार्थ सी से खनिज तेल प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। ये ही गुप्त सम्पदा, खनिज तेल इत्यादि हैं। यदि आपके पास ऐसी नौसेना नहीं है जो पर्याप्त सुरक्षा दे सके तो मुझे डर है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

मैं इस विशिष्ट अवसर पर जिस अन्य मुद्दे को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वह मुद्दा यह है कि आप किस प्रकार के हथियार प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ कहना चाहता हूं। मुझे जर्मन प्रौद्योगिकी में विश्वास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे युद्ध-सामग्री के मामले में वास्तव में विशेषज्ञ हैं। इस सम्बन्ध में उदाहरण मौजूद हैं। यह क्लाटविच द्वारा इलात निर्धारित युद्ध सिद्धान्त (प्रिंसिपल्स आफ वार) ये हो सकता है। वान रूका, इसके इलावा वात नका वान माल्टके तथा अन्य बहुत से विशेषज्ञ भी हैं। आपको याद होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी ने सर्वप्रथम वी-दो प्रक्षेपास्त्रों का प्रयोग शुरू किया था, जिन प्रक्षेपास्त्रों ने इंगलैंड तथा अन्य देशों के बहुत से स्थानों को बरबाद कर दिया था। वे केवल प्रक्षेपास्त्र ही नहीं वरन् परमाणु बम तथा नाभिकीय विखंडन प्रणाली को अपने बलबूते पर विकसित करने में सर्वप्रथम हैं। रूस तथा अमेरिका द्वारा उनको पराजित किये जाने के बाद उनके तकनीशियनों, वैज्ञानिकों तथा शिल्पविज्ञानियों को उनसे छीन लिया गया था। वे इसके बाद परमाणु बम इत्यादि विकसित कर सके थे। इस प्रकार की प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में जर्मनी की विशेषज्ञता अद्वितीय है। मुझे बेहद खुशी है कि आप मूल्यों तथा अन्य बातों में प्रतियोगिता के साथ इस विशिष्ट ठेके को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। एच.डी.डब्ल्यू कम्पनी से नौ अन्य देशों ने भी पनडुब्बियां खरीदी हैं। अतः इस मामले में आप गलती पर नहीं हैं।

मैं इस विशिष्ट समस्या के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं, जो बहुत से लोगों को चिन्तित कर रही है तथा यह समस्या इस सम्बन्ध में है कि हम इस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यह जानकर बेहद खुशी है कि आपने पनडुब्बियों के सारे उपकरणों में से दो पनडुब्बियों के उपकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा इनको मझगांव मोदी में जोड़ रहे हैं। मैं वहां स्वयं मौजूद था तथा मैंने उनको काम करते हुए देखा। मुझे कहना पड़ता है कि देशी कार्य-

प्रणाली के सम्बन्ध में हमारे कार्मिक प्रवीण हैं। इस क्षेत्र में आपको दूसरों पर श्रेष्ठता प्राप्त है। आपके कार्मिक आपके संरक्षण तथा सक्षम मार्गदर्शन में हमारे लाभ के लिए पनडुब्बियों का अपना बेड़ा तैयार करना शुरू करेंगे। हमने इसी उद्देश्य से उनसे पनडुब्बियों के पुर्जे खरीद कर उचित कार्य किया है जिनसे आपको स्वयं तैयार की गई और अधिक पनडुब्बियां प्राप्त होंगी। केवल यही नहीं आप अपनी अद्वितीय पनडुब्बियां प्रवल्लकरके बनाने में सफल होंगे, क्योंकि हमारे तकनीशियन, तथा हमारे वैज्ञानिक किसी भी मामले में किसी से भी कम नहीं हैं। अतः ये वे चार अथवा पांच मुद्दे हैं जिनको मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ।

अन्त में, मैं केवल दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनसे यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में कोई कमीशन नहीं दिया गया है। जब मैंने इनका आकलन किया तो मैंने स्वयं को सही पाया। इस सम्बन्ध में हमारे माननीय रक्षा मन्त्री ने 21 अप्रैल, 1988 को अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है। मैं उस उद्धरण का उल्लेख करता हूं जो चिन्ता पैदा कर रहा है। एक मामले में यह बात अर्थात् 7% कमीशन की बात सामने आई तथा मैं इसे सत्य मानता हूँ। मैं उस उद्धरण का उल्लेख करता हूं :

> एच. डी. डब्लू., जिसे 27 जून, 1987 को पत्र लिखा गया था, ने 9 जुलाई 1987 को उत्तर दिया कि भारतीय एजेंटों की 7 प्रतिशत दलाली के भुगतान से सम्बन्धित जानकारी ने उन्हें हैरान कर दिया। उसने यह भी कहा कि यह सूचना सही नहीं है और यह तो केवल एक गलतफहमी के कारण हुई है। एच. डी. डब्ल्यू. ने बताया कि 11 दिसम्बर, 1981 के पनडुब्बी सौदे से सम्बन्धित सौदेबाजी सीधी भारत सरकार के साथ हुई थी और उसमें कोई भारतीय एजेंट शामिल नहीं थे।"

यह उसी का एक भाग है जिसमें मेरी रुचि थी। मेरी अपनी जानकारी में वह ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है तथा वे बातें जो मैंने दोनों तरफ से सुनी हैं, वे इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह वक्तव्य सही है :

दूसरा विषय अत्यन्त छोटा और संक्षिप्त है। मैं उद्धरण देता हूं :

> "दिनांक 27 नवम्बर, 1987 के एक अगले पत्र में एच. डी. डब्ल्यू. ने स्पष्टतः यह घोषित किया कि भारत में अथवा विदेश में किसी भारतीय अथवा गैर भारतीय को कोई दलाली नहीं दी गई।"

यह इसका सारांश है। मेरे साथी ने सम्पूर्ण स्पष्टीकरण दे दिया है। यह वही पेचीदा मामला है जो मैंने पूर्ण विश्वास तथा ज्ञान के साथ सदन के समक्ष रखा है कि यह सच्चाई है और बिल्कुल सच्चाई है, इस विषय में कोई सट्टेबाजी नहीं है, कोई अनुमान नहीं है; यह तो वह मुद्दा है जो बिल्कुल सही है। मेरा उन लोगों पर भरोसा है जो इस मुद्दे की पैरवी कर रहे हैं। मेरा सशस्त्र बलों के जनरलों तथा अन्य व्यक्तियों पर भी भरोसा है जो रक्षा मंत्रालय के पीछे कार्य कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको समय दिये जाने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, मैं आज एक वाक्य बोलूंगा। वह वाक्य यह है कि बोफोर्स वाद-विवाद कतिपय दोस्तों ने शुरु किया है। यदि उस दिन मेरे उत्तर के दौरान बहुत से व्यवधान नहीं होते तो मैं जो प्रश्न आज उठाए गए थे, ऐसे बहुत से प्रश्नों से निबट लेता। यदि वे इस वाद-विवाद में बहुत से प्रश्नों को अनुत्तरित नहीं छोड़ना चाहते तो इसको सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम रास्ता तो यह है कि कल इतना अधिक व्यवधान न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

6.04 म. प.

पानीपत हरियाणा में 7 मई, 1988 को एक विवाह समारोह में 13 व्यक्तियों के मारे जाने के संबंध में वक्तव्य

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : महोदय, मैं अत्यन्त शोक और दुःख के साथ इस सदन को 7 मई की रात को पानीपत में हुई नृशंस और निर्मम घटना के बारे में सूचित करता हूं।

7 मई, 1988 को अपराह्न लगभग 11.30 बजे 3-4 उग्रवादियों ने पानीपत के बाहरी क्षेत्र में ए. के.-47 राइफलों से एक बारात पर गोली चलाई। बारात बावड़ी लोहार, एक खाना बदोश जनजाति की थी और घटना के समय लोग वीडियों पर फिल्म देख रहे थे। आतंकवादी खेतों से आये और अपराध करके बचकर भाग गए। इस घटना के परिणामस्वरूप 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जिनमें 3 महिलायें शामिल हैं और 26 व्यक्ति घायल हो गए जिनमें 5 बच्चे और 5 महिलायें शामिल हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है और बताया जाता है कि वे खतरे से बाहर है अपराध स्थल से 92 खाली कारतूस बरामद किये गए हैं

हरियाणा के मुख्य मंत्री जिन्होंने घटना स्थल का दौरा किया, ने प्रत्येक मृतक के निकटतम संबंधी को 20 हजार रुपए और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 10,000/- रुपए का अनुग्रहपूर्ण अनुदान देने की घोषणा की है। 2 वधुओं जिनका विवाह होना था को भी 10-10 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। स्थिति की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर पुलिस तथा सिविल अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की गई है। पानीपत के निवासियों को शांति समिति की बैठक को मुख्य मंत्री द्वारा सम्बोधित किया गया और नागरिकों से शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कहा गया।

हरियाणा में एक महीने से कम समय में आतंकवादी हमले की यह दूसरी घटना है। सदस्यों को याद होगा कि 9 अप्रैल, को डा. हरनाम सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक पर शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र में हमला किया गया था जिसमें उनका पुत्र, पुत्र-वधु और एक अन्य रिश्तेदार मारा गया। डा. हरनाम सिंह, उनकी पत्नी और 2 अन्य व्यक्ति जख्मी हुए थे।

मैंने आज पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों, दिल्ली के पुलिस आयुक्त, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशकों, आसूचना ब्यूरो के निदेशक और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा की गई। सभी पड़ौसी राज्यों को सामान्य अलर्ट जारी किया गया। राज्य सरकार की सहायता हेतु हरियाणा को अर्द्ध सैनिक बलों की 3 कम्पनियां भेजी जा रही हैं। आतंकवादियों के आधुनिक शस्त्रों द्वारा उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए हरियाणा सरकार को कुछ आधुनिक शस्त्र दिए गए हैं और कुछ और जल्दी ही दिए जायेंगे।

मैंने माननीय सदस्यों को उस कार्य योजना के कुछ ब्यौरों की जानकारी पहले ही दे दी है जिसे हम पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए कार्यान्वित कर रहे हैं। सभी मुद्दों पर कार्रवाई पहले ही शुरु की जा चुकी है। सीमा पर बेहतर पुलिस व्यवस्था करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस तंत्र को पुनर्गठित किया जा रहा है और उन्हें बेहतर शस्त्र तथा उपकरण दिए जा रहे हैं। इसके परिणाम प्राप्त होने शुरु हो गये हैं और सुरक्षा बल हाल की

मुठभेड़ों में कुछ कट्टर आतंकवादियों का सफाया करने में सफल रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध जनमत को जाग्रत करने के विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं और सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

7 मई, की घटना एक उदाहरण है कि आतंकवादी अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। यह निष्ठुर रुप से याद दिलाता है कि आतंकवाद एक राष्ट्रव्यापी समस्या है और इससे केवल पंजाब में नहीं बल्कि हर जगह निपटना होगा। हम सभी राज्य सरकारों से निकट का सम्पर्क बनाए हुए हैं और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आतंकवादियों की चुनौती का मुकाबला करने में हम अपनी पूरी शक्ति से काम लेंगे।

मुझे विश्वास है कि यह सदन समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों में असामंजस्य और भ्रम उत्पन्न करने के उद्देश्य से हिंसा के ऐसे कृत्यों की भर्त्सना करने में मेरे साथ होगा। हम शोक संतप्त परिवारों से सहानुभूति रखते हैं। हमारे लोगों का यह एक असाधारण गुण रहा है कि उन्होंने अधिक से अधिक भड़काए जाने की स्थिति में भी साम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखा है। मैं सभी समुदायों और लोकमत के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वे साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति की भावना बनाए रखें और आतंकवादियों तथा राष्ट्रविरोधी ताकतों के बुरे इरादों को निष्फल करने के लिए एक दूसरे से मिलकर कार्य करते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक कल 11 बजे पुनः सम्वेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.09

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार 10 मई, 1988/20 वैशाख, 1910 (शक के ग्यारह बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।)

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड, दिल्ली-110006